राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] दसवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

गुरुवार,

24 फरवरी, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : तारांकित प्रश्नोत्तर। श्री हरिसिंह।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सेन्सर मोशन....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बिराजिये पहले। शून्यकाल में बात करेंगे।

श्री विष्णु मोदी : शून्यकाल की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि....

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी, आप सवाल करिये। आपका प्रश्न मैं अभी नहीं सुनूंगा। Please co-operate with me.

श्री विष्णु मोदी : आप मेरी बात सुनेंगे नहीं, जब तक को-आपरेशन की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए कि शून्यकाल में आप.... (व्यवधान).... बात प्रोप्राइटी की है।

श्री विष्णु मोदी : शून्यकाल का सवाल ही नहीं है। (व्यवधान) जो मन्त्री जवाब देने वाले हैं, वे विश्व हिन्दू परिषद के जो वेन्ड आर्गेनाइजेशन है, जनरल सैक्रेटरी हैं और वहां उनकी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आप बाद में कह लेना।

श्री विष्णु मोदी : बाद में उठाने का नहीं है, मन्त्री जवाब कैसे देंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब आप उठायेंगे तब दे देंगे। आपकी बात अभी सुनने का अवसर नहीं है। आप बिराजिये। हरिसिंह जी, बोलिए आप। (व्यवधान) अंकित नहीं करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आपने निश्चित तौर पर फरमाया कि समय देंगे।

श्री अध्यक्ष : हां दूंगा। हरिसिंह जी, बोलिए आप।

पंचायत समिति टोडाभीम की रीजनल योजना

1. **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत समिति टोडाभीम, निर्वाचन क्षेत्र महुआ में फोजीपुर ताजपुर

(श्री हरिसिंह)

नाम से या लपावली के नाम से कोई रीजनल जलदाय योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब हुई ? इस रीजनल योजना में कितने गाव सम्मिलित हैं ? क्या इस योजना में एकाधिक चरण हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक चरण में कौन-कौन से गांव सम्मिलित हैं ?

(2) इस जलदाय योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ? अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

(3) उक्त रीजनल योजना से लाभान्वित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें। शेष बचे गांवों में कब तक पीने का पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई) : (1) जी हां, उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्र में फौजीपुर-ताजपुर क्षेत्रीय जल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एक ही चरण के रूप में वर्ष 1982 में हुई थी, जिसमें जल स्रोत पाड़ली ग्राम का लिया गया था तथा नौ ग्रामों को लाभान्वित किया जाना था। तत्पश्चात् तकनीकी स्वीकृति में योजना में अन्य 2 ग्राम लपावली तथा महमदपुर स्रोत ग्राम के रूप में भी सम्मिलित किये गये व कुल 11 ग्रामों को, तीन चरणों में विभाजित कर दिया गया। प्रथम चरण में पांच ग्राम अर्थात् ताजपुर, सलीमपुर, सिघनिया, भादोली एव मोसलपुर, द्वितीय चरण में दो ग्राम अर्थात् पाटकटारा एवं नयागांव सम्मिलित थे, तृतीय चरण में दो ग्राम अर्थात् पाड़ली एवं फौजीपुर हैण्डपम्पों से लाभान्वित किये जाने हेतु सम्मिलित किये गये थे।

(2) उक्त योजना की स्वीकृति 24.67 लाख रुपये की थी एवं इस पर माह जनवरी, 1994 तक 19.8 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

(3) योजना के प्रथम चरण में लपावली, सलीमपुर, ताजपुर, सिघनिया, भादोली एवं मोसलपुर को पाइप लाइन से जोड़ दिया गया था, परन्तु ग्रामवासियों के विरोध एवं पाइप लाइन चोरी हो जाने के कारण लपावली के अतिरिक्त अन्य किसी ग्राम में जलापूर्ति नहीं हो रही है। द्वितीय चरण में ग्राम महमदपुर एवं ग्राम नयागांव में जलापूर्ति हो रही है। पाटकटारा हेतु पाइप लाइन का कार्य आंशिक रूप से पूर्ण किया जा चुका है। तृतीय चरण के दो ग्रामों में हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं। इन शेष 6 ग्रामों पाटकटारा, मोसलपुर, भादोली, सिघनिया, सलीमपुर व ताजपुर को वैकल्पिक स्रोत बनाया जाकर जल्दी ही पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, सन् 1982 की जो योजना बनी वह योजना मूल रूप में फौजीपुर-ताजपुर के नाम से है। पहले तो आपने सबसे बड़ा अहसान यह किया कि रीजनल स्कीम जिन गांवों के नाम से बनी हैं, उन गांवों को आपने योजना से निकाल कर वहां हैण्डपम्प लगा दिया और समस्याग्रस्त की जो सूची थी उसमें से निकाल दिया, समस्यारहित बना दिया। आपके जवाब के मुताबिक इस योजना में सम्मिलित 11 गांवों में से, सन् 1982 से

(श्री हरिसिंह)

1994 तक 12 वर्षों में आपकी तरक्की यह है कि आप एक में पीने का पानी उपलब्ध करा पाये हैं। सिर्फ एक गांव में। मन्त्री महोदय आपके जवाब में शायद आपके अधिकारियों ने आपको गुमराह किया है। वहां पर ग्रामवासियों ने इस योजना की क्रियान्विति के लिए कोई भी किसी प्रकार का एतराज नहीं किया और न कोई व्यवधान उत्पन्न किया पाइप लाइन डालने का और आपने जवाब में यह कह दिया कि वहां पर अमुक-अमुक गांवों में पाइप लाइन डालने में ग्रामवासियों ने अवरोध उत्पन्न किया। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे अवरोध उत्पन्न करने वालों की पहले डिपार्टमेण्ट के मुख्य अभियन्ता को कोई सूचना दी गयी थी? साथ ही मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि किन-किन गांवों में जी. एल. आर. बन गये? कब बने और उनको कब पाइप लाइन से जोड़ करके वहां पानी पहुंचाने का कोई प्रयास मात्र भी किया?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि इस योजना में काफी विलम्ब हुआ है। यह योजना मूल रूप से 1982 में स्वीकृत हुई थी। 1982 में स्वीकृति के बाद 1987 में इसकी टेक्निकल सुपर डिजाइन तैयार की गयी। यह विलम्ब जो हुआ है और जैसा आपने फरमाया कि वहां कोई विरोध नहीं है, मेरी सूचना यह है कि जिस गांव से पानी जाता है उससे ताजपुर के लोगों का कोई विवाद है और वे पाइप लाइन डालने नहीं देते, जैसी मैंने आपसे अभी चर्चा की थी।

श्री हरिसिंह : मन्त्रीजी, आपने पांच गांवों का उल्लेख किया है विरोध में।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकण्ड। वह बात बता रहा हूं, वह भी निवेदन कर रहा हूं। बाकी पांच ग्राम हैं, उन पांच ग्रामों में जो लाइन डाली हुई थी वह लाइन वहां से उठा ली गयी। मैंने यह भी तलाश करने की कोशिश की है, अगर कोई चोरी हुई है तो एफ.आई.आर. लाज की है क्या? तो एफ.आई.आर. भी कोई लाज नहीं हुई। अभी कई गांवों के विवाद हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इसमें ढिले जरूर हुआ है लेकिन ग्रामवासियों में कोई विवाद हैं और यदि आपसी मदद करें तो निश्चित रूप से यह योजना पूरी हो सकेगी। हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर सकते हैं, उसमें आपकी मदद चाहिये।

श्री हरिसिंह : नहीं, मन्त्री महोदय, पिछले 10 साल से, 12 साल से जब से यह योजना शुरू हुई है तब से मैं माननीय सदन का सदस्य रहा हूं और मुझे यह आश्वासन मिलते रहे हैं। मैंने हाउस में इसलिए इस प्रकरण को पेश किया है कि यहां पर मन्त्रीजी मुझे टाइम बाउण्ड प्रोग्राम दें।

श्री अध्यक्ष : अब तो साफ हो गया है न मामला?

श्री हरिसिंह : क्या हो गया? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पीड़ित मन से कह रहा हूं, दुखी होकर कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1982 में....

श्री अध्यक्ष : वह तो मान लिया।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा

(श्री हरिसिंह)

निवेदन सुन लें। 1982 से गांव रीजनल स्कीम से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि 82 गांवों में से मात्र पांच गांवों में पानी उपलब्ध कराया गया है। शेष गांवों में एक बूंद पानी आपने नहीं दिया है और आपने स्कीम विलेज घोषित कर रखे हैं। यह यहां का ही नहीं, पूरे राजस्थान का यही हाल है। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं, या तो आप जी.एल.आर को तुड़वा दें या आपके अधिकारियों ने जो आपको गुमराह किया है कि पाइप लाइनें खोद दी गयी हैं, गांव वाले चोरी कर ले गये हैं, यह नितान्त असत्य प्रवचन कर रहे हैं आप इस सदन में। यह बिलकुल गलत है। इसमें आगे आपने एक जगह यह कहा है, नयागांव में पानी पहुंचवा देंगे दूसरे चरण में। मन्त्री महोदय, अगर नयागांव में एक बूंद पानी किसी भी दिन पहुंचा हो तो मैं इस सदन की सदस्यता से त्याग पत्र देने को तैयार हूं, यह प्रूफ कर दीजिए कि नयागांव में पानी पहुंच गया है या आप अपना इस्तीफा पेश करें।

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हो रहे हैं ? आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, मैं आपकी चिन्ता में सहभागी हूं इस मामले में। 1982 की योजना बनी हुई है और वहां वर्षों बाद पानी नहीं जाए, यह बात बरदाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि कुछ व्यवधान इस प्रकार के मुझे बताये गये हैं, यदि वे काल्पनिक हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको दूर कर देंगे, लेकिन अगर वास्तविक है तो आप उसमें मदद करें।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। पहली चीज यह है कि आपकी इस स्कीम में तीन गांव आन स्ट पड़ रहे हैं, जहां जल का भयंकर संकट है। कटाराअजीज में सैलाइन वाटर है, हैण्डपम्प आपके फैल हो चुके हैं, एक भी कार्यरत नहीं है। सैकण्ड चरण में आपने जगदीशपुरा और जयसिंहपुरा को किया कि इस स्कीम में गांवों को जोड़कर आप वहां पानी उपलब्ध करवायेंगे जिन गांवों में बीच में से आपकी पाइप लाइन जा रही है, नम्बर एक। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहला गांव कौनसा बताया ?

श्री हरिसिंह : कटाराअजीज। यह प्रथम गांव है, दूसरा गांव है जगदीशपुरा, आप इन गांवों को अगर जोड़ देते हैं तो इन गांवों के बीच में से होकर पानी जाता है, इनको भी पानी मिलेगा।

मैं तीसरा आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यही आपका स्वच्छ और संवेदनशील प्रशासन का उदाहरण है, अगर है तो मुझे कुछ नहीं शिकायत है, जिसकी आप हमेशा राग अलापते हो, अगर नहीं है तो जिन अधिकारियों की वजह से यह योजना इतनी पिछड़ी हुई है उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं, मैं यह सदन में आश्वासन चाह रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, मैंने आपसे निवेदन किया, यह स्कीम सन् 82 से पैंडिंग थी यानी 82 में चालू हुई थी।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अब इसमें, छोड़ो, कौन थे, इससे कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान) है, मैं कब मना करता हूं ?

श्री हरिसिंह : 90 के बाद की तरक्की बता दी जाए। मैं राज्य सरकार से बात कर रहा हूं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने राज्य सरकार के सामने यह क्वेश्चन रखा है, वह सरकार चाहे कोई-सी भी रही हो। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मत बोलिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप इतने आक्रोश में मत रहिए। यह जिम्मेदारी सरकार की मानते हैं। मैं यह नहीं कहता कि किसने किया या नहीं किया। मैं खुद मानता हूं कि सन् 82 की योजना है अब तक पूरी नहीं हुई। इसमें डिले हुआ है, मैंने पहले शुरू में ही स्वीकार कर लिया। अब सवाल यह है कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे पूरा किया जाए। उसमें आने वाले व्यवधान मैंने आपको निवेदन कर दिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अफसर जिम्मेदार हैं जिनकी नेग्लीजेंस भी देखो। आप आपस में लड़कर खतम कर दें ? अफसरों की कोई नेग्लीजेंस इसमें है या नहीं जिसके कारण से डिले हुआ है ? अध्यक्ष महोदय, यह मामूली मामला इसलिए नहीं है, कांग्रेस-बी.जे.पी. का सवाल भी नहीं है, जिन अफसरों ने डिले किया....

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता और धनखड़ साहब, यह + + + मत बनाइये। आप सीरियस बात को + + + मत बनाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए, घनश्याम जी तो माननीय सदस्य को सपोर्ट कर रहे हैं। माननीय सदस्य, बिराजिए, जवाब सुन लीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : पूरा उत्तर सुनेंगे तो आप सन्तुष्ट हो जायेंगे। आपके ये दो गांव इसमें कटाराअजीज और जगदीशपुरा हैं। यह जो आपकी रीजनल स्कीम है इसमें ये नाम जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जैसा आप फरमा रहे हैं कि ये उसी लाइन में आते होंगे तो यदि सम्भव है तो यहां भी पानी देने की व्यवस्था कर सकते हैं। जो डिले हुआ है....

श्री हरिसिंह : नहीं, आश्वासन दीजिए। मैं यह आश्वासन चाहता हूं आपसे कि जगदीशपुरा में पाइप लाइन जाएगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : सम्भव है तो नो प्राब्लम।

श्री हरिसिंह : मेरा दूसरा जो प्रश्न था उसका जवाब तो दीजिए कि जिन लोगों ने जड़ता उत्पन्न की है और उस योजना को फेल किया है उन अफसरों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : प्राब्लम यह है कि मेरी पूरी बात सुनते नहीं और आप बीच में खड़े हो जाते हैं। यही कह रहा हूं आपको कि जिनके कारण डिले हुआ है

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उसकी जांच कराकर निश्चित रूप से दण्डित करेंगे, जिन्होंने ऐसा किया है। मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट, श्री अरुणसिंह।

श्री अरुण सिंह (डीग) : प्रश्न नम्बर दो।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : टोडाभीम की योजनाएं, पांच साल हो गये आज तक कुछ नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सिंचाई मंत्री का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्री छुट्टी ले चुके हैं और सदन ने उनको छुट्टी दी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा टोडाभीम की पेयजल योजना के बारे में प्रश्न है।

श्री अरुण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सेशन में सिंचाई मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया कि भरतपुर सिंचाई....

श्री अध्यक्ष : जवाब तो सुनिए आप, पहले ही भाषण दे रहे हैं।

श्री अरुण सिंह : या तो उसे पोस्टपोन करें।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्री छुट्टी पर हैं, सदन ने उनको छुट्टी दी है और उनकी तरफ से मेरी इजाजत से जवाब दे रहे हैं। आप बैठिये, आपको तो जवाब से मतलब है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पेयजल समस्या के बारे में प्रश्न है। मैं लगातार हाथ ऊंचा कर रहा हूं। टोडाभीम का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, माननीय रामस्वरूपजी। मैं, देखिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। प्लीज सिट डाउन, आप बैठ जाइये। अंकित मत करिए। आप अपनी आदत में कुछ तो सुधार करिए, आप सीनियर मेम्बर हो गये। इनका अंकित नहीं हो। आप बैठिए, आप बैठिए। टोडाभीम का सवाल कहां है?

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : आपमें से कोई नेता हो तो इन्हें समझाइये। माननीय खेतसिंह जी, कृपया उनको समझाइये। I will have to name you. I say I will name you. Please sit down. मुझे नाम लेना पड़ेगा।

(श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य का सदन से बहिर्गमन)

जिला भरतपुर के सिंचाई बांध

2. **श्री अरुण सिंह (डीग) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

भरतपुर, डीग, नगर, कामां, तहसीलों के कौन-कौन से सिंचाई बांधों में गत तीन वर्षों में नदियों का पानी नहीं आया? इन बांधों में पानी नहीं आने के क्या कारण

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अरुण सिंह)

रहे ? क्या सरकार इन बांधों को अगली बरसात में भरने की कोई योजना बना रही है ?

गृह मंत्री, (श्री कैलाश मेघवाल) (सिंचाई मंत्री के स्थान पर) : अध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों में भरतपुर, डीग, नगर, कामां तहसीलों के जिन सिंचाई बांधों में नदियों का पानी नहीं आया उन बांधों की सूची परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

इन बांधों में पानी नहीं आने का कारण नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होना है ।

राज्य सरकार के पास इन बांधों को अगली बरसात में भरने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अरुण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिंचाई मंत्री से जवाब चाह रहा हूं । पिछले सैशन में उन्होंने आश्वासन दिया कि वे भरतपुर आएंगे और भरतपुर का जो प्राचीन इरिगेशन सिस्टम है उसको वे खुद देखेंगे । मैं गृह मंत्री का आदर करता हूं और इज्जत करता हूं । ये श्री पहले सिंचाई मंत्री रहे परन्तु भरतपुर का उन्होंने .....(व्यवधान)..... ही किया तो मैं इस प्रश्न का पोस्टपोण्ड कराना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न का जवाब तो आ गया । आपका सवाल भरतपुर की पुरानी योजना के बारे में नहीं है ।

श्री अरुण सिंह : माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया हुआ है कि वे भरतपुर आएंगे ।

श्री अध्यक्ष : वह इस प्रश्न में नहीं है न । आप यही प्रश्न उठा देते तो उसी का जवाब मिल जाता ।

नैक्स्ट, श्री बनवारी लाल भिण्डा ।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के विद्यालयों में रिक्त पद

3. श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालय कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विद्यालयों में वर्तमान में अध्यापकों तथा अन्य संवर्ग के कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

पद	छात्र
व्याख्याता	6
वरिष्ठ अध्यापक	3
वरिष्ठ लिपिक	4
कनिष्ठ लिपिक	3
अध्यापक	5

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री बनवारी लाल भिण्डा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने तथ्य पेश किये हैं वे विसंगतिपूर्ण हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बनवारी लाल भिण्डा : कुछ मिडल स्कूल्स हैं वे एक या दो-दो अध्यापकों से चलायी जा रही हैं। हो सकता है पूरे क्षेत्र में अध्यापकों की इतनी ही कमी हो। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह शिक्षा नीति जिस सूत्र के अन्तर्गत चलायी जा रही है, इस दीर्घ सूत्र को बदल करके कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जहां कम से कम बच्चों की पढ़ाई तो हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो स्वीकृत पद हैं उनके तहत जो रिक्त स्थान हैं उनके बारे में तो मैंने आपके सामने अपनी बात रखी है। रहा सवाल संख्या के आधार पर अध्यापक हैं या नहीं, इसके लिए मंगल बिहारी की कमेटी नियुक्त है और उनकी एक महीने में रिपोर्ट आने वाली है उसमें जो नये मानदण्ड वे तय करेंगे उसके आधार पर फिर से अध्यापकों की संख्या के बारे में विचार करके उस आधार पर अध्यापक लगाने के लिए पद सृजित करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री बनवारी लाल भिण्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कुछ स्कूलों में 10-10 अध्यापक हैं, कुछ स्कूलों में तनख्वाह दूसरी स्कूलों से उठायी जा रही है जबकि कुछ स्कूलों में दो-दो अध्यापक हैं। तथ्य हो सकते हैं कि अध्यापकों की कमी इतनी हो पूरे क्षेत्र में किन्तु नियुक्तियां विसंगतिपूर्ण हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, मंगल बिहारी की कमेटी क्या करेगी ? माननीय सदस्य स्पष्ट कह रहे हैं कि एक स्कूल में दस अध्यापक सरप्लस हैं, एक बिना अध्यापक के स्कूल चल रहे हैं। मंगल बिहारी की कब रिपोर्ट आएगी, कब नहीं आएगी ?

श्री अध्यक्ष : विराजिए। सवाल वाकई में बहुत गम्भीर है। सवाल यह है कि स्कूलें क्रमोन्नत हो गयीं किन्तु पद सृजित हुए नहीं इसलिए अध्यापक कम हैं तो पद सृजित करने के बारे में मंगल बिहारी की रिपोर्ट है उसे जल्दी से जल्दी करना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि माननीय सदस्य ने पाइन्टेडली यह कहा है कि अमुक स्कूल में सरप्लस हैं, तनख्वाह दूसरी जगह से उठ रही है और इन स्कूलों के अन्दर अध्यापक कम हैं। साफ-सीधा सवाल है, उसे टाल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह मंगल बिहारी कमेटी का सवाल नहीं है। कुछ स्कूलों में 10-10 अध्यापक हैं, डेपुटेशन पर हैं और तनख्वाह दूसरे स्कूल से उठ रही है। उसका जवाब नहीं दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, बोलिए। सुनिए।

श्री हरिसिंह : सारे राजस्थान की स्थिति यही है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत काफी लम्बे समय से चल रही थी कि कुछ डेपुटेशन पर लोग तनख्वाह दूसरे स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर काम कर रहे हैं। हमने पिछले एक महीने में लगातार इस बात का प्रयास किया है और आदेश द्वारा नियुक्ति स्थान पर सब लोगों को रिलीव किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ... आपके आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंकता है।

श्री रामनारायण (नैनवां) : अध्यक्ष जी, ये गलत कह रहे हैं। आज भी प्रतिनियुक्ति पर बैठे हैं। आप जो जवाब दे रहे हो गलत दे रहे हो। यह सारे राजस्थान का मामला है, एक क्षेत्र का मामला नहीं है इसलिए इसको गम्भीरता से लिया जाए और सही जवाब दिया जाए। मेरे जिले में प्रतिनियुक्ति पर हैं, बूंदी जिले में प्रतिनियुक्ति पर हैं, पूरे राजस्थान में हैं। .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, आपकी तरफ से तो सारी समस्या आ गयी अब जवाब सुनिए। जवाब सुनिये, उसी में से कुछ निकलेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या वास्तव में जो माननीय सदस्य बता रहे हैं काफी गम्भीर है और बड़े लम्बे समय से चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। हमने इस दो महीने की अवधि में पूरा मानीटरिंग किया और दो संभाग की बैठकों में तो मैंने स्वयं जाकर एक-एक पद पर कहां प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं उसकी संख्या निकलवाकर जिला शिक्षा अधिकारी से अण्डरटेकिंग ली है कि इस सारी व्यवस्था के बाद कितने लोग हैं किसी ने पांच बताये हैं, किसी ने 11 बताये हैं। जिस दिन मैंने बैठक ली, उसके बाद भी अगर आपके ध्यान में कहीं प्रतिनियुक्ति आती है, मैं सदन में आश्वासन दे रहा हूं, अगर वह कहीं है तो मैं आज फिर एक आदेश जारी करके कहूंगा कि आज के बाद सबको अपने अपने निश्चित स्थान पर जाकर अपनी सेवा देनी होगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने जो तथ्य बताये हैं, बिलकुल असत्य बताये हैं। उन्होंने यह कहा कि जोधपुर के अन्दर सिर्फ 15 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर हैं मैं बता सकता हूं कि जोधपुर में कम से कम 100 ऐसे शिक्षक हैं जो प्रतिनियुक्ति पर हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप जवाब सुनिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष जी, अगला प्रश्न लेने से पहले मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाया जाए।

श्री रामनारायण : रिक्त स्थानों की पूर्ति आप कितने दिन में कर देंगे, यह बतायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं मानता हूं कि मंत्रीजी ने जोधपुर में आकर एक मीटिंग भी काल की, सारे डिवीजन के आफिसर्स को भी बुलाया, और उनको आपने काफी ताड़ना भी दी है। लेकिन हकीकत यह है कि वे पोस्टें अभी तक भरी नहीं गयी हैं, वहां टीचर्स शिफ्ट नहीं हुए हैं। आदेश तो जारी हो गये लेकिन वे जाते ही नहीं हैं। वे गांव में लगे

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हुए हैं लेकिन शहर में काम कर रहे हैं। ट्यूशन कर रहे हैं, मजे से कमाई कर रहे हैं और गांवों की स्कूलें खाली पड़ी हैं, लैक्चरर्स की पोस्टें खाली पड़ी हैं। एग्जामिनेशन 31 मार्च के पहले-पहले आ रहे हैं हायर सैकण्डरी और हाई स्कूल के। न उनके यहां कोई विज्ञान का टीचर है, न उनके यहां अर्थमैटिक का टीचर है, न उनके यहां साइन्स का टीचर है। अब वे लड़के क्या तो एग्जाम देंगे और क्या पास होंगे, यह आपके सोचने की बात है। मैं तो आपसे यही निवेदन कर सकता हूं कि आपने प्रयास तो जरूर किया है लेकिन यह प्रयास कामयाब नहीं हुआ है इसलिए यह डिपार्टमेंट आप क्यों नहीं मुख्य मन्त्रीजी को सुपुर्द कर देते हैं। जरा इनको कहिए कि ये इस डिपार्टमेंट को संभालकर बच्चों का भविष्य सुधारें।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): यह बीमारी कोई एक दिन की या एक महीने की नहीं है। आप शिक्षा मन्त्री थे उस समय से यह रोग चालू हुआ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो 1973-74 में था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह रोग उस समय से ही चला हुआ है। यह सही है कि डेपुटेशन पर टीचर्स आ जाते हैं और वहां जो स्थान रिक्त होता है उसकी पूर्ति नहीं होती है। मन्त्री महोदय ने खूब प्रयास किया है, प्रयास की तो कम से कम आपको प्रशंसा करनी चाहिए। दस वर्षों में कोई प्रयास नहीं हुआ... (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : मन्त्रीजी के आदेश को अधिकारी नहीं मानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले खेतसिंह जी को कहिए कि इनके आदेश माने गये या नहीं, फिर कमला जी को कहिए कि इनके आदेश माने गये या नहीं माने गए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम आदेश देते थे उस समय तामील होती थी। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहती हूं कि पक्ष या प्रतिपक्ष के कोई भी सदस्य या कोई भी मंत्रिगण दूसरे राज का उदाहरण देकर, अपनी गलतियों का जो सिलसिला चला आ रहा है सदन में मेहरबानी करके यह न करें, स्थितियों को सुधारने की चेष्टा करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं करनी चाहिए। पुरानी सरकार की गलतियों को मुझे स्वीकार करना चाहिए, आपका मतलब यह है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता महोदय से प्रार्थना करूंगा कि केवल बात को टालने के लिए आप जैसे जिम्मेदार आदमी अगर ऐसा करेंगे तो फिर यह प्रान्त चलेगा कैसे ? आपको ठोस बात कहनी चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि पूर्व में जो राज था या जो सरकारें थीं उन्होंने ऐसा किया इसलिये

(श्री राधेश्याम)

नहीं हो सका। आप कीजिए अच्छा, सब आपको सहयोग करेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ): मुख्य मन्त्रीजी, इस मामले में आपके 28 महीने के राज में क्या उपलब्धि रही, यह बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं यह निवेदन कर रहा था कि किसी भी बीमारी का उपचार करने के पहले बीमारी कब आरम्भ हुई, उसका क्या-क्या उपचार किया गया, यदि उसके बारे में डाक्टर पुरानी हिस्ट्री लेखे बिना ही उसका इलाज करेगा तो मरीज मारा जाएगा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम: यह केवल टालने की बात है। मेरी पुन: प्रार्थना है कि यह गम्भीर मामला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। जैसा मन्त्री महोदय ने कहा, वे प्रयास कर रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगा और बात करने के बाद में शीघ्र ही आदेश इस बात के निकाले जाएंगे कि डेपुटेशन की प्रथा को हमेशा के लिए खतम किया जाए। दूसरा, मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि डेपुटेशन पर वे नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या डिसिप्लीनरी एक्शन लिया जा सकता है, वह लेने के लिए भी सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री रामस्वरूप मीणा: अध्यक्षजी, मेरी समस्या का हल किया जाए। पानी की गम्भीर समस्या है, टोडाभीम का है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब नहीं। कृपया बैठें। (व्यवधान) कृपया बैठें। मैं रामस्वरूपजी से फिर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कृपया वे सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालें। अब यदि उन्होंने डाला तो मुझे उनका नाम लेना पड़ेगा, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। इससे ज्यादा मेरी टालरेंस नहीं है, इसलिए कृपया बैठ जाइये। नेक्स्ट, श्री हीरालाल विश्नोई।

कृषि उपज मण्डी भवन, सांचौर के निर्माण पर व्यय

4. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड ने वर्ष 1988-89 में सांचौर शहर में कृषि उपज मण्डी के भवन का निर्माण कराया था ? उस पर कितना खर्च हुआ और उस भवन का उद्घाटन किस अतिथि के द्वारा कब कराया गया ?

(2) क्या यह सही है कि गत 7-8 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के कारण कृषि उपज मण्डी समिति का भवन खाली पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) लाखों रुपये की लागत से इस भवन को बनाने के पीछे सरकार का क्या औचित्य रहा है और अब कब तक मुख्य मण्डी को नये भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ?

(12)

राज्य मन्त्री, कृषि (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : पूरी सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित। नेक्स्ट। श्री हरिसिंह।

विधि आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

5. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान विधि आयोग ने अपनी कोई रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार इस रिपोर्ट के अनुरूप क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री, विधि (श्रीमती शशी दत्ता) : (1) जी हां, राज्य विधि आयोग द्वारा अब तक चार प्रतिवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत किये गये हैं :–

1. राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1950 पर प्रतिवेदन।
2. कतिपय संशोधनकारी अधिनियमों को निरसित किये जाने हेतु प्रतिवेदन (वर्ष 1950 से 1992 तक)
3. राजस्थान पंचायत राज अधिनियम पर प्रतिवेदन।
4. न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों विशेषकर सरकार के विरुद्ध लम्बित प्रकरणों की संख्या में कमी करने के लिए सुझाव।

इन प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) सरकार इन प्रतिवेदनों पर शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है व इनका परीक्षण जारी है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रतिवेदन में भी अंकित है, बहुत भारी संख्या में प्रकरण लम्बित हैं। अभी कुछ दिनों से लोक अदालतों द्वारा निर्णय होने लगे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रणाली को सुलभ कराने के लिए क्या सरकार इसे मान्यता देने का विचार रखती है ? लोक अदालतो के निर्णय अपने आप में प्रभावी हो जाएं उन्हें क्या इस प्रकार की लीगल सैंक्टिटी देने का सरकार का इरादा है ?

श्रीमती शशी दत्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन किया है वह लोक अदालतों से सम्बन्धित है। इसी प्रकार से हमारा जो यह प्रतिवेदन था, जो हमने सदन के पटल पर रखा है यह इसी के सरलीकरण के लिए ही लागू करने का हमारा विचार है और इसका अध्ययन अभी जारी है। आपका प्रश्न लोक अदालत से सम्बन्धित है। लोक अदालत को मान्यता इसी स्तर पर दी जाती है। उनकी कानूनी कार्यवाहियों का निस्तारण जल्दी करने के लिए ही लोक अदालतें चलायी जाती हैं और उस अभियान में लोक अदालत के माध्यम

(श्रीमती शशी दत्ता)

से जो फैसले किये जाते हैं वे जनता के हित को ध्यान में रख कर, जनता की सुविधाओं के लिए व कानूनी मुद्दों को उस हद तक सुलझाने के लिए कि उन्हें न्यायालयों में न भटकना पड़े और न्यायालयों में बार-बार न जाना पड़े, इन सुविधा के लिए ही हम लोक अदालत लागू करते हैं और लोक अदालत चलायी जाती हैं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा-सा था कि लोक अदालत के निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए क्या उन्हें आप लीगल सैंक्टिटी देना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सवाल साफ है बिलकुल इसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि देश में लोक अदालतों की व्यवस्था चल रही है और इस व्यवस्था के पीछे हेतु यही है कि अदालतों में वर्षों से लम्बित मामले हैं और ऐसे मामले जो अदालतों के बाहर दोनों पार्टियों को आपस में समझौता करा कर निपटाये जा सकते हैं, निपटाने का प्रयास इन लोक अदालतों के माध्यम से हो रहा है। अब तक जिन-जिन लोक अदालतों में फैसले किये गये हैं, मैं समझता हूं अधिकांश में, मुझे आंकड़े तो इस समय याद नहीं हैं और मैं यह भी नहीं कह सकता कि सब मामले अदालतों से निकल गये हैं लेकिन जितने अधिकांश फैसले हुए हैं अदालतों से उनका निराकरण हो चुका है। अब मान्यता देने का प्रश्न है, मान्यता किस प्रकार से दी जाए, यह मेरे समझ में आता नहीं। कोर्ट फैसला करती है, कोर्ट के फैसलों को मान्यता देने या न देने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता।

श्री हरिसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि लोक अदालत बैठती है और उसका निर्णय एडवाइजरी रूप में आता है और फिर जो प्रिसाइडिंग अफसर है वह उसका फैसला करता है।

श्री अध्यक्ष : इसमें ऐसा है, माननीय सदस्य, इसमें जनरली कम्प्रोमाइज होता है।

श्री हरिसिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : कम्प्रोमाइज अदालत में पेश होता है, अदालत उसको मन्जूर करती हैं या नामन्जूर करती है, सरकार पिक्चर में नहीं आती। लोक अदालत जो बाहर फैसले करवा देती है वे फैसले अदालत में पेश होते हैं तो जनरली अदालत उसको मान लेती है। अब तक कोई ऐसा मामला नहीं है कि अदालत ने उसको नहीं माना हो। मान लेती है।

श्री हरिसिंह : नहीं, यह मेरा प्रश्न नहीं है। अदालत ने बिलकुल माना है, मैं तो कहता हूं कि लोक अदालत अपने आप निर्णय करे और उसकी कानून की नजर में वैधता हो, सरकार इस बात पर विचार करे।

श्री अध्यक्ष : इनका सवाल यह है कि उसको आप मान्यता दें कि उसी का निर्णय फाइनल हो जाए, कोर्ट में नहीं हो। यह सम्भव नहीं है, यह सम्भव नहीं है।

श्रीमती शशी दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय

(श्रीमती शशी दत्ता)

सदस्य को यह बताना चाहती हूं, लोक अदालत में और दूसरी अदालत में आप जो अन्तर जानना चाह रहे हैं वह मैं क्लेरीफाई कर देती हूं। लोक अदालत का महत्व इसीलिए बढ़ गया है कि हम जनता को सुलभ और सस्ता न्याय दिला सकें। उसमें दोनों पार्टियां को, जो शिकायत करने वाली है और जो दूसरी पार्टी है, कॉल करते हैं। दोनों पार्टियों से सुझाव लेकर ही, उनसे पूछकर ही निर्णय किया जाता है और वह निर्णय इसी प्रकार से लागू होता है जिस प्रकार से कोर्ट में किया गया फैसला लागू होता है। ....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, यह माना जाना चाहिए कि देश की न्याय व्यवस्था असफल हो गयी है तभी तो लोक अदालतों का मामला सामने आया है। हकीकत यह है कि लोक अदालत के नाम से हाकिम, अधिकारी लोग दोनों पार्टियों को दबाते हैं कि यह तुम्हें मानना पड़ेगा। इस भय से कि अदालत खिलाफ फैसला नहीं दे वह इसको स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में लोक अदालत के पीछे जो भावना है वह लोक अदालत नहीं है। यह आपका देश का जुडिशियल सिस्टम फेल हो गया, फेल होने की वजह से ये लोक अदालतें आयीं। इससे कोई लाभ नहीं हुआ। दोनों पार्टियों को दबा कर हाकिम यह कहता है कि लोक अदालत में कर देंगे, मन्जूर करते हो या नहीं करते हो। जो मन्जूर नहीं करता है उसी की आफत आ जाती है। वह दबाव में आकर उसको मन्जूर करता है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को चाहिए कि आप जुडिशियरी को गियरअप करें, स्ट्रेंथन करें, अदालतों की संख्या बढ़ायें, उन पर जिम्मेदारी सौंपें, हाई कोर्ट को विजिलेंट रखें ताकि मुकदमे जल्दी डिस्पोज हों। ये लोक अदालतें तो सारा फर्जीवाड़ा हैं और कुछ नहीं हैं इसके अन्दर टोटल फर्जीवाड़ा है।

श्रीमती शशी दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं दो मिनट लूंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बैठिए। देखिये, सवाल आपके जवाब का नहीं है, यह तो राय है जो इन्होंने दी है, आप इस राय को नोट कर लीजिए।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि अभी तक न्याय प्रणाली साक्ष्य आधारित है और उस कारण से ये मुकदमे बहुत समय लेते हैं। इतने प्रकरण लम्बित हैं, तो क्या सरकार इस साक्ष्य आधारित प्रणाली को सत्य आधारित प्रणाली में परिवर्तित करके प्रकरणों को कम करना चाहती है ? क्या सरकार यह निर्णय लेना चाहती है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने लोक अदालत की कार्यवाही को फर्जी बताया। मैं समझता हूं....

श्री रामनारायण चौधरी : सही है, यह मेरे अनुभव के आधार पर मैं बताता हूं। मुख्य मंत्री महोदय, आप जांच करवा लीजिए, अदालतों के अन्दर हाकिम दोनों पक्षों को यह कहते हैं कि लोक अदालत का फैसला मन्जूर करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : वह तो आपका नाम उल्लेख कर रहे हैं, जो आपने कहा है वह उल्लेख कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो आपका नाम उल्लेख किया है कि आपने सारी कार्यवाही को फर्जी बताया है और कहा कि जुडिशियरी फेल हो गयी। और आपने कहा कि साक्ष्य के आधार पर जुडिशियरी की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, सत्यता के आधार पर होनी चाहिए। मैं समझता हूं आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, यह तो भारत सरकार को सारी जुडिशियल व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करना पड़ेगा लेकिन आपका सुझाव मैं भारत सरकार के पास भेज दूंगा।

दूसरा, आपने कहा कि यह सारी फर्जी कार्यवाही चल रही है। अब इसमें कितनी सत्यता है और कितनी नहीं है, इस बारे में मैं कुछ कहूं कि वास्तव में फर्जी कार्यवाही चल रही है, वह तो उचित नहीं होगा लेकिन लोक अदालत का जो संचालन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कर रहे हैं उनको आपके विचारों से निश्चित रूप से अवगत करा दूंगा ताकि लोगों को इस प्रकार की शिकायत करने का मौका नहीं मिले।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री गोविन्दसिंह।

श्री शैलेन्द्र जोशी(बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक अदालतों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि लोक अदालत राजस्थान में जुडिशियल सिस्टम का टोटल क्लियरकट फेल्योर है। क्योंकि मैं 19 साल का अनुभव रखता हूं और मैं रोजाना कोर्ट में पैरवी भी करता हूं इसलिए मुझे सच्चा +++ मालूम है कि न्यायिक अधिकारी महोदय जबरन डेट देते हैं। कहते हैं कि हमको आंकड़े ऊपर भेजने हैं, लोक अदालत की उपलब्धि हम को बढ़ा-चढ़ाकर देनी है। इसलिए हम वकीलों पर और पक्षकारों पर दबाव दिया जाता है और यह कहा जाता है कि किसी भी तरह राजीनामा कीजिए। यह सिस्टम है जिसका ....

श्री अध्यक्ष : अब आप रिपीट कर रहे हैं। यह तो रामनारायण चौधरीजी ने बता दिया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह मनोवृत्ति रोकी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हां, हो गया। वे कन्वे कर देंगे सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रयास रहेगा कि मुख्य मंत्रीजी को मौका नहीं दूं कि भारत सरकार के पाले में कोई गेंद फेंक दें। राजस्थान विधि आयोग के अध्यक्ष सम्माननीय न्यायाधीश विनोद शंकरजी दवे सक्षम आदमी हैं पर राज्य सरकार ने उनके ऊपर एक जिम्मेदारी और डाल रखी है, वे राज्य के लोकायुक्त भी हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति राजस्थान विधि आयोग का अध्यक्ष है और जो लोकायुक्त के पद पर भी है वह दोनों पदों के साथ न्याय नहीं कर सकता। क्या उनका विचार है कि सरकार इस मामले में राजस्थान विधि आयोग के अध्यक्ष और लोका-

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(18)

(श्री जगदीप धनखड़)

युक्त दोनों के पदों को अलग कर के दो अलग-अलग आदमी....

श्री अध्यक्ष : विराजिए। प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : राजस्थान विधि आयोग निष्पक्ष रूप से काम कैसे कर पाएगा ?

श्री अध्यक्ष : हां, मगर इससे सम्बन्धित नहीं है।

नैक्स्ट, श्री गोविन्द सिंह गुर्जर। (व्यवधान) एक मिनट। सुन लीजिए उनको भी।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, सस्ता, सुलभ न्याय दिलाने के लिए दवे आयोग का गठन किया गया था तथा सरकार ने तय किया था कि हर तहसील हैड क्वार्टर पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन होगा। भरतपुर में दो ऐसी जगह हैं, जहां अभी तक तहसील हैडक्वार्टर पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी कोर्ट का गठन करे नगर और कुम्हेर में।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र

6. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्रीय प्रवर्तित (सैन्ट्रल स्पोन्सर्ड) सभी योजनाओं हेतु आवंटित धनराशि के पूर्णता व उपयोगिता प्रमाण-पत्र कितने जिलों से 31-12-93 तक के प्राप्त हो गये हैं ? जिलेवार व योजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त सभी योजनाओं में कितनी धनराशि का पूर्णता व उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिले से राज्य को तथा राज्य से केन्द्र को प्राप्त होना अवशेष है ?

(3) क्या पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में धनराशि की अगली किश्त के आवंटन में राज्य को केन्द्र से कम धनराशि उपलब्ध होती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(4) उक्त योजनाओं की कितनी धनराशि का रिकन्सीलिएशन नहीं होने से योजना में राशि का इम्बैलेन्स है ? इसे दूर करने के लिए क्या प्रयास किये गये ? योजनावार/जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) विभाग द्वारा क्रियान्वित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं यथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, बायोगैस, मरू विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, बंधक श्रमिक खोज मुक्ति एवं पुनर्वास कार्यक्रम एवं सीलिंग से अवाप्त भूमि के आवंटियों को आर्थिक सहायता कार्यक्रम के तहत वर्ष 1992-93 के अन्त तक कुल 29,766.96

(श्री अनंग कुमार जैन)

लाख रुपये की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने थे, उनमें से 31.12.93 तक 20,280 17 लाख रुपये की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये हैं, जिनका कार्यक्रमवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत जिलों से प्राप्त समस्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र केन्द्र सरकार को भिजवाये जा चुके हैं। जिलों से राज्य को व राज्य से केन्द्र को देय अवशेष उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर प्रस्तुत है।

(3) उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अभाव में भारत सरकार द्वारा अगली किश्त के आबंटन में राज्य को कम धनराशि उपलब्ध करवायी जा सकती है। अतः अवशेष राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि के रिकन्सीलिएशन के अभाव में इम्बैलेंस की स्थिति नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत जानना चाहूंगा कि करीब एक तिहाई राशि के यूटिलाइजेशन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना बाकी है। एक तरफ हम इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, विकास कार्यों के लिए और दूसरी तरफ इतनी बड़ी राशि, करीब 10 हजार लाख रुपये, इस काम के बकाया है। मैं समझता हूं कि इसको कम करने के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट किस तरह से त्वरित गति से प्राप्त हों, उसके लिए मन्त्री महोदय ने यह तो कहा कि मैं प्रयास कर रहा हू लेकिन वह यह बताने की कृपा करें कि क्या प्रयास किये जा रहे हैं, क्या इसकी कोई समयावधि निश्चित है और उस समयावधि में कोई प्रमाण-पत्र नहीं देता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है ? प्रश्न एक।

प्रश्न दूसरा यह है कि आपने मेरे इस प्रश्न के खण्ड चार में यह फरमाया है कि इनका रिकन्सीलिएशन के अभाव में कोई इम्बैलेंस नहीं है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो डी.आर.डी.ए. के यहां से पैसा उठता है, वह पैसा लम्प-सम उठता है और वह बी.डी.ओ. के नाम और बी.डी.ओ. पंचायत के नाम उसको जारी कर देता है। उस पैसे में कितना पैसा समायोजित हुआ, कितना नहीं हुआ ? इसका बहुत सारा अमाउण्ट, मैं अजमेर जिले की बात ही कह सकता हूं कि बहुत सारा अमाउण्ट इस रिकन्सीलिएशन की वजह से ऐसे ही बीच में पड़ा हुआ है। उस पैसे का किस तरह से रिकन्सीलिएशन करके उसका सही आंकड़ा केन्द्रीय सरकार को भेज सकें ताकि हमें और सहायता मिल सके, इस सम्बन्ध में जो आपने उत्तर दिया है आप उसको और तस्दीक करा लें। मेरे ख्याल से यह उत्तर तथ्यों से परे है गलत है।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा योजनावार पैसा आबंटित किया जाता है। इसमें

(श्री ग्रनंग कुमार जैन)

मैंने जो विभिन्न योजनाएं आपके सामने निवेदन की हैं, जवाहर रोजगार योजना के अलावा किसी भी योजना के अन्दर राज्य सरकार का कोई पैसा कम नहीं किया गया। उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर आज तक कोई पैसा भारत सरकार द्वारा कम नहीं किया गया है। यहां कुछ उपयोगिता प्रमाण-पत्र आने शेष हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए प्रयास किये जा रहे हैं और शीघ्र से शीघ्र उनको मंगवाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : ये पूछ रहे हैं, क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कोई समयावधि है, कोई प्रक्रिया है, इसकी ? अगर कोई नहीं भेजता है तो उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो समस्या का जिक्र किया है वह वास्तव में सही है। कई जगह से ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आये। कई बार सरकार की तरफ से लिखा गया और उसके अभाव में रिकन्सीलिएशन नहीं हो पाया। यह बात बिल्कुल सही है और मैं यहां इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि 31 मार्च तक, इस सदन के माध्यम से आदेश दे रहा हू कि 31 मार्च तक सारे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ जाएं। उनका रिकन्सीलिएशन अभी नहीं हो सकेगा, उसके बाद में रिकन्सीलिएशन होगा। इस सम्बन्ध में जितने भी विभागीय आयुक्त हैं वे विभागीय आयुक्त इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि कहां-कहां से किस-किस योजना का अभी तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया। वे बैठकर भी मिलेंगे, आदेश भी निकालेंगे और निकालकर जितने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ सकते हैं 31 मार्च तक उनको लाने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद में जो बाकी रहते हैं उनके कारणों का, सारा जानने के बाद, किसी के खिलाफ यदि एक्शन लेने की आवश्यकता हुई तो एक्शन भी लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री विष्णु मोदी।

सीकर में पुरातत्व महत्व के अवशेषों के लिए संग्रहालय का निर्माण

7. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या पुरातत्व राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नीमकाथाना क्षेत्र के पास गणेश्वर नामक स्थान पर गत वर्षों में उत्खनन कार्य किया गया है और उसमें ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उत्खनन में प्राप्त पुरातत्व महत्व के अवशेषों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उत्खनन में प्राप्त अमूल्य ताम्रयुगीन अवशेषों के प्रदर्शन के लिये सीकर में जो पुरातत्व संग्रहालय बनाया जा रहा था उसका कार्य आवश्यक धनराशि की कमी के कारण रोक दिया गया है ?

(3) क्या सरकार गोदाम में पड़ी इस अमूल्य सम्पदा के संरक्षण एवं उसके समुचित प्रदर्शन के लिए पुरातत्व संग्रहालय का

(श्री विष्णु मोदी)

निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कब तक हो जाएगी ?

राज्य मन्त्री, पुरातत्व (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) जी हां। गणेश्वर के पुरातात्विक उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो लगभग पांच हजार वर्ष पुराने हैं। इनमें ताम्र की विविध प्रकार की लगभग तीन हजार पुरा सामग्री है जिनमें उल्लेखनीय तांबे के तीर- 2000, भाले के फलक 500, मछली कांटे- 200 आदि सम्मिलित हैं।

(2) शेखावाटी की सांस्कृतिक/ऐतिहासिक धरोहर को जनता तक पहुंचाने के लिए जनवरी, 1992 में सीकर में संग्रहालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया। बेसमेण्ट तथा ग्राउण्ड फ्लोर तैयार हैं तथा प्रथम तल की गैलेरियों का काम चालू है। इसमें 24 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

भवन के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए चारदीवारी तथा परिवेश के सुधार हेतु अगले वित्तीय वर्ष 1994-95 में आठ लाख रुपये की राशि का आवंटन किया जा रहा है।

(3) सीकर के इस संग्रहालय में गणेश्वर की खुदाई से प्राप्त पुरा सामग्री तथा अवशेषों को प्रदर्शित किया जायेगा। इस स्थल से प्राप्त कुछ चुनी हुई पुरा सामग्री का हवामहल स्थित राजकीय संग्राहलय में अभी प्रदर्शन हो चुका है।

इस संग्रहालय भवन के निर्माण कार्य को अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की दिशा में सरकार सजग है।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह पूर्ण नहीं है। यह जो सवाल मैंने पूछा है, राजस्थान में बड़ी मुश्किल से 2-4 जगह इस तरह की खुदाई हुई है। जो पुरातत्वेता हैं वे बुद्ध काल से पहले की लिखित सामग्री है उस तक अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये खाली जो सामग्रियां मिलती हैं उससे वे समकालीन सामग्री का अनुमान लगा सकते हैं। राजस्थान में मोहन जोदड़ो और हड़प्पा जहां जहां अवशेष प्राप्त हुए उन सारे अवशेषों से समकालीन सभ्यता का आंकलन किया गया है। गणेश्वर के अन्दर जो सामान मिला है, मैं पूछना चाहता हूं क्या-क्या सामान मिला है ? इण्टरनेशनल लेवल पर इस बात की चर्चा है और जो पुरातत्वेता हैं ...

श्री अध्यक्ष : सामान का विवरण दिया है न इसमें।

श्री विष्णु मोदी : यह नहीं है पूरा।

श्री अध्यक्ष : दिया है- तांबे के तीर, भाले, फलक, मछली पकड़ने के कांटे।

श्री विष्णु मोदी : यह पूरा नहीं है इसमें, आधा कर दिया है। यह इतनी इम्पार्टेण्ट बात है, इस बात की चर्चा है कि गणेश्वर में, मोहन-जोदड़ो-हड़प्पा की जो सभ्यता थी, उसमें तांबे या उस काल में जो बनकर जाते थे, उसका मैन सेण्टर गणेश्वर था और आज तक हिन्दुस्तान में इतना

(श्री विष्णु मोदी)

सामान जो मिला वह सामान गणेश्वर के अन्दर प्राप्त हुआ। वहां अंगूठी मिली है, कंगन मिले हैं जिससे इस बात का अहसास होता है कि उस वक्त के जो आभूषण हैं वे किस तरह के थे। स्थिति यह है, मैं पूरी बात जानना चाहता हूं, एक कि क्या-क्या सामान मिला है और दूसरा जिस स्थान से यह सामान मिला है आगे उसका उत्खनन कार्य क्या जारी रहेगा ? नम्बर तीन, अभी तक जो यह सामान मिला है, इण्टरनेशनल लेवल पर तो चर्चा है लेकिन राजस्थान की सरकार है कि उसको कोई इम्पार्टेण्ट बात का पता ही नहीं है। वह यहां पर गोदाम के अन्दर बंद पड़ा है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आप पूरी सूची दे दें। दूसरा, आप यह जो भवन बना रहे हैं उस भवन में जो 8 लाख रुपये का इस साल में प्रोविजन कर रहे हैं क्या वह भवन पूरा हो जाएगा या भवन पूरा नहीं होगा। जो सामग्री है वह बहुत महत्व की है उसको आप सुरक्षित रखें। तीसरा, उस पर आगे उत्खनन कार्य की क्या योजना है, बताने की कृपा करें ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : मोहनजोदड़ों का जो जिक्र किया है ये उससे पुराने हैं। तीर और भाले दो हजार हैं, करीब तीन हजार पीसेज मिले हैं। इसमें दो हजार तो तीर हैं और भाले के फलक हैं 100। मछली पकड़ने के कांटे हैं 200। इसके अलावा टुकड़े मिले हैं और कंगन मिले हैं। उसमें से थोड़ा सामान तो हवामहल में आलरेडी रखा हुआ है। जो 8 लाख रुपये की राशि है उससे पूरा भवन तो कम्प्लीट होगा नहीं, इसमें और पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी कोशिश यही होगी कि जो मैन बिल्डिंग है वह कम्प्लीट हो जाए।

श्री विष्णु मोदी : कब तक ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : 1994-95 के एण्ड में।

श्री अध्यक्ष : वे यह पूछ रहे हैं कि खुदाई जारी रहेगी या नहीं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए। इन्टरनेशनल एरीना में इसकी बहुत इम्पार्टेन्स है।

श्री अध्यक्ष : पुरातत्व पर जो ज्ञान यहां पर हमको दिया है, मैं समझता हूं, मंत्री महोदया ने उसको सुना है और उसका लाभ जितना होना चाहिए, उठायेंगे। बाकी आपके सवाल का पूरा जवाब आ गया है, उसमें कोई बाकी नहीं है। लेकिन जो ध्यान आकर्षित किया है कि वे मोहनजोदड़ों से भी पुराने हैं इसलिए उसके बारे में अधिक प्रचार और खुदाई जारी रहे, इसको ठीक ढंग से संग्रहालय में सुरक्षित रूप से रखा जाए, तो ये बाकी की बातें ध्यान में आ गयी हैं।

श्री विष्णु मोदी : मैंने पूछा कि क्या-क्या सामान मिला है ?

श्री अध्यक्ष : वह बता दिया है।

श्री विष्णु मोदी : इनकम्प्लीट है।

श्री अध्यक्ष : इनकम्प्लीट में तो टुकड़े मिले हैं।

श्री विष्णु मोदी : टुकड़े नहीं मिले हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप उनको बाकी की लिस्ट दे दें। नैक्स्ट।

डूंगरपुर जिले में राजकीय आदिवासी छात्रावास

8. **श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डूंगरपुर जिले में ए-बी सी श्रेणियों के कितने राजकीय आदिवासी छात्रावास हैं तथा इन प्रत्येक श्रेणियों के छात्रावासों में क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि डूंगरपुर जिले में राज्य सरकार द्वारा कुछ छात्रावास बन्द किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार इन छात्रावासों को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) डूंगरपुर जिले में 'ए' श्रेणी का राजकीय आदिवासी छात्रावास एक, बी श्रेणी के पांच तथा सी श्रेणी के 29, कुल 35 राजकीय आदिवासी छात्रावास स्वीकृत हैं। विभाग द्वारा संचालित सभी प्रकार के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाएं परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा डूंगरपुर जिले के किसी भी राजकीय छात्रावास को बन्द नहीं किया गया है। जो अनुदानित छात्रावास बन्द हैं वे स्वयं संस्था के द्वारा संचालन न कर सकने के कारण बन्द हैं।

(3) किसी उपयुक्त स्वयंसेवी संस्था के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा सभी पहलुओं पर आंकलन करने के पश्चात निर्णय लिया जाएगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री शंकरलाल अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो अनुदानित छात्रावास एक संस्था के माध्यम से चलाये जाते हैं, क्या आप यह नहीं मानते कि ये समाज कल्याण विभाग के माध्यम से एडेड थे ? करीब दस ऐसे छात्रावास बन्द किये हैं और एक-एक छात्रावास में 100-100 लड़के थे।

श्री अध्यक्ष : संस्था ने बन्द किये हैं।

श्री शंकरलाल अहारी : ये राज्य सरकार ने बन्द किये हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, राज्य सरकार कह रही है कि हमने बन्द नहीं किये।

श्री शंकरलाल अहारी : राज्य सरकार ने ही बन्द किये हैं।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि हमने बन्द नहीं किये। जो संस्था चला रही थी उन्होंने बन्द किये हैं।

श्री शंकरलाल अहारी : नहीं, संस्था ने बन्द नहीं किये।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, ये इसलिए बन्द हुए कि

(श्री हीरालाल सहरिया)

राज्य सरकार ने इनको अनुदान देना बन्द कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, राज्य सरकार का कहना यह है कि हमने अपनी ओर से बन्द नहीं किये, संस्थाओं ने बन्द किये हैं ।

श्री हीरालाल सहरिया : तो फिर ये आवास चलेंगे कैसे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिन्होंने प्रश्न किया है उनको समझने नहीं देंगे, आप बीच में खड़े होंगे तो । आप क्या यह कहना चाहते हैं कि अनुदान बन्द करने से बन्द हो गये ? आप यह पूछिये, सवाल यह पूछिये कि क्या उनका अनुदान बन्द दिया ?

श्री शंकरलाल अहारी : संस्था के माध्यम से कोई पत्र राज्य सरकार को मूव नहीं किया गया कि हम नहीं चला सकते ।

श्री अध्यक्ष : किया है कि नहीं, यह पूछ लीजिये ।

श्री शंकरलाल अहारी : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आप अनुदानित छात्रावासों को वापस चालू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : एक मिनट । देखिये, तीन सवाल इन्होंने किये हैं कि क्या छात्रावास आपके अनुदान बन्द कर देने से बन्द हुए या उन संस्थाओं ने आपको लिखित में दिया कि हम बन्द कर रहे हैं और उनको दुबारा चालू करने के लिए आप क्या कर रहे हैं । इनका जवाब दे दीजिये ।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदानित छात्रावास थे वे हमारी तरफ से बन्द नहीं किये गये हैं । यह मैं पत्र बता देता हूं, जो संस्था चला रही थी – राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर, उसने लिख कर दिया है कि हम चलाने में असमर्थ हैं । उन्होंने इसमें यह नहीं लिखा कि आप अनुदान नहीं दे रहे हैं इसलिए बन्द कर रहे हैं । स्वयं की इच्छा से उन्होंने लिखा कि नहीं चला पायेंगे । यह सदन में मैं बता रहा हूं और एडेड संस्थाएं यदि कोई आगे आती हैं चलाने के लिए तो हम उनकी स्थिति देख कर उनको पुनः चालू करेंगे ।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनका एक सप्लीमेण्ट्री है, आप बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं जब वे प्रश्न पूछ रहे हैं । पहले उनका पूरा हो जाने दीजिये, उन्होंने मेहनत की है, प्रश्न पूछा है ।

श्री शंकरलाल अहारी : अनुदान की राशि समय पर नहीं मिले ...

श्री अध्यक्ष : वे पत्र का हवाला दे रहे हैं कि संस्था ने यह नहीं लिखा कि अनुदान नहीं मिला इसलिए हम बन्द कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : यह तो एक ही संस्था कह रही है ।

श्री अध्यक्ष : उसी का कह रहे थे कि संस्था चला रही थी उस संस्था ने लिख कर दिया कि हम चला नहीं सकते ।.... (व्यवधान) ऐसा करिये और कोई संस्था तैयार करिये, चलाइये ।

श्री शंकरलाल अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भोगीलाल पाण्ड्याजी की संस्था थी. यह हरिदेव जोशीजी की संस्था है और आज भी कार्यरत है, उनकी देखरेख में काम चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : उनसे लिखवाकर भिजवा दीजिये कि हम चलाना चाहते हैं। यह पत्र उनका आया है, अब आप दूसरा पत्र लिखवा कर भिजवा दीजिये कि हम उनको चालू करना चाहते हैं।

श्री शंकरलाल अहारी : आपने अनुदान बन्द किया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने संस्था बन्द कर दी तो अनुदान तो अपने आप ही बन्द हो जाता है।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): संस्था बन्द नहीं हुई है, उन पर बार-बार प्रेशर डाला गया। अब चूंकि ये कांग्रेस की संस्थाएं थीं, ये मानते हैं कि कांग्रेस की संस्था है....

श्री अध्यक्ष : ये कोई संस्थाएं कांग्रेस की होती हैं क्या ?

श्री नाथूराम अहारी : ये संस्थाएं प्रजातंत्र के टाइम से और एक....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप उसको पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं ? वे संस्थाएं अलग से चल रही हैं, उनका कोई पार्टी से सम्बन्ध थोड़े ही होता है।

श्री नाथूराम अहारी : इसलिए बन्द की हैं, दूसरी कोई संस्था बन्द नहीं की है। आदिवासी, पहाड़ी एरिया की सारी बन्द कर दीं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने ही लिख कर दिया था।

श्री नाथूराम अहारी : अनुदान नहीं दिया इसलिए लिख कर दिया है। आपके माध्यम से हम यह चाहते हैं कि इन छात्रावासों को...

श्री अध्यक्ष : संस्था चलाना नहीं चाहती और आप कह रहे हैं....

श्री नाथूराम अहारी : चलाना चाह रही हैं, हम कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : तो आप लिखवा कर भिजवा दीजिये।

श्री नाथूराम अहारी : एक तरफ कहते हो कि आदिवासी का भला करना चाहते हैं, संस्था का भला करना चाहते हैं....

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आप मालूम करें कि अनुदान के लिए पहले उन्होंने मांग की या नहीं।....(व्यवधान)

श्री शांतीकुमार धारीवाल (हिण्डोली): उस संस्था का अनुदान कब बन्द किया गया, पहले उसका जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हां, यह पूछिये।

श्री शांतीकुमार धारीवाल : ये जवाब ही नहीं दे रहे हैं।

श्री नाथूराम अहारी : एक-एक साल तक संस्था को अनुदान नहीं दिया गया है और....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बोलेंगे तो.... (व्यवधान) आप सब क्यों खड़े होते हैं ? आप बैठिये ।

श्री शांतीकुमार धारीवाल : मन्त्री महोदय इस एक पत्र की आड़ लेकर....

श्री अध्यक्ष : आप अगर सब खड़े होंगे तो फिर ... (व्यवधान).... उसका निर्णय होना चाहिए। आप यह पूछ लीजिये कि क्या उनको अनुदान देना पहले बन्द कर दिया ।

श्री शांतीकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछ चुके हैं उसके बारे में ...

श्री रतनलाल ताम्बी : पुन: अनुदान देने से यह चालू हो सकते हैं, यह आप बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट । मन्त्रीजी, यह बताइये कि पत्र आने के पहले उनका अनुदान बन्द हो गया था ?

श्री मदन दिलावर : राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर संचालित कर रही....(व्यवधान) वैसे यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस की संस्था है या कोई संस्था को देते हैं । तो न तो कांग्रेस की संस्था को देते हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी को । यह राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर है, एक संस्था है और इस संस्था ने यह लिखा है, पत्र में और कोई वर्णन नहीं किया, छात्रावास का नाम लिखा हुआ है ।....

श्री शांतीकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अनुदान बन्द कब किया, वह बता दीजिये ?

श्री हीरालाल सहरिया : आपने अनुदान किस आधार पर बन्द किया, वह बता दीजिये ?....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन । वे सुन रहे हैं, वे उसी का जवाब दे रहे हैं । आप बैठिये । प्लीज सिट डाउन । वे जवाब दे रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते ।.... (व्यवधान).... आप सुनना नहीं चाहते, वे जवाब दे रहे हैं ।....(व्यवधान)....नैक्स्ट ।

(12.00)

श्रीमती कमला : आप मन्त्रीजी से जवाब दिलवाइये । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : ये छात्रावास चालू क्यों नहीं हो रहे हैं ?....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है । अनुदान बन्द करने के कारण संस्थाएं बन्द हुई हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।....(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह चौहान (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा । हम सीरियस रहते हैं, आपको भी सीरियस रहना पड़ेगा । एक बात पर हाउस इतना एजीटेट हो रहा है उस बात को बीच में छोड़ कर आप दूसरा आइटम ले रहे हैं, यह ठीक नहीं है ।

श्री हीरालाल सहरिया : अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों के बाल बच्चों

(श्री हीरालाल सहरिया)

का सवाल है इसको गम्भीरता से लिया जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसका कोई जवाब नहीं है मुख्य मन्त्रीजी के पास.... (व्यवधान) इसलिए हम वाक-आउट कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सरकार +++ हो गयी। जवाब नहीं दे सकती इसलिए वाक-आउट।

(कांग्रेस (इ) दल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका बालोतरा का आय–व्यय

1. अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बालोतरा नगरपालिका की 1 अप्रेल, 1993 से 31 जनवरी, 1994 तक माहवार कुल कितनी आय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यह आय 1 अप्रेल, 1992 से 31 जनवरी, 1993 की तुलना में कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) नगरपालिका, बालोतरा द्वारा 1 अप्रेल, 1993 से 31 जनवरी, 1994 तक अपनी आय का कितना-कितना किस-किस मद में खर्चा किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका, बालोतरा की 1 अप्रेल, 1993 से 31 जनवरी, 94 तक माहवार कुल 2,43,80,647·75 रुपये की आय हुई। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) नगरपालिका, बालोतरा द्वारा 1 अप्रेल, 1993 से 31 जनवरी, 1994 तक की अपनी आय जितना-जितना जिस-जिस मद में व्यय किया है, उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

नन्दपुरी (जयपुर) के बरसाती पानी का निकास

2. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(i) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नन्दपुरी के गंदे एवं बरसाती पानी के निकास के लिये गोविन्दपुरी (सोडाला) के ब्लाक 'बी' एवं 'सी' से होकर स्वेज फार्म में डालने हेतु एक नाली का निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो कब ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अरुण सिंह)

(2) इस पर कितनी लागत आयी ?

(3) क्या यह भी सही है कि गोविन्दपुरी ब्लाक 'बी' के निवासियों ने इस नाली को जगह-जगह से पाटकर/तोड़कर बन्द कर दिया है जिससे इसका पानी ओवरफ्लो होकर गोविन्दपुरी ब्लाक 'डी' में जा रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि यह पानी गोविन्दपुरी ब्लाक 'डी' के आम रास्ते में जिधर इसका निकास नहीं है, वहां पर भरा हुआ है, जिससे आम रास्ता बन्द हो गया है तथा पानी के भराव से प्रदूषण फैल रहा है।

(5) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण इस पानी के स्थायी निकास के लिए कोई योजना बना रहा है जिससे वहां के निवासियों को स्थायी राहत मिल सके ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार जिन व्यक्तियों द्वारा नाले को अवरुद्ध कर जन समस्या उत्पन्न की गई है, के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। नाली का निर्माण वर्ष 1992-93 में सम्पन्न हुआ। कार्यादेश की प्रति संलग्न है।

(2) इस कार्य पर रुपये 4.75 लाख की लागत आयी है।

(3) जी नहीं। गोविन्दपुरी डी ब्लाक में पानी इस कारण से जा रहा है कि नाली मिट्टी से भर गई है जिसके कारण पानी ओवरफ्लो होकर डी ब्लाक की ओर बहकर जाता है क्योंकि भूमि का तल नीचा है।

(4) जी हां। यह सही है कि नाली के ओवर फ्लो का पानी गोविन्दपुरी 'डी' ब्लाक के उस क्षेत्र में भरता हैं। यहां पानी के निकास का कोई रास्ता नहीं है। 'डी' ब्लाक के रास्तों की भूमि का तल नीचा है तथा भूखण्ड धारियों ने भूखण्डों की दीवारें बना ली है।

(5) जी हां। गोविन्दपुरी एवं उसके आस-पास की बस्तियां ऐसी कृषि भूमि पर बसी हुई हैं जिनकी भूमि का तल इस क्षेत्र में बह रहे सीवरेज के नाले के तल से भी नीचा है अतः गोविन्दपुरी के छोड़े हुए रास्तों का तल ऊंचा उठाकर पक्की सड़कें एवं नालियों का निर्माण होने पर ही पानी भरने की समस्या का समाधान हो सकेगा। लेकिन उक्त क्षेत्र में बसी हुई कृषि भूमि की बस्तियों का नियमन एवं बस्तीवासियों द्वारा विकास शुल्क की राशि प्राधिकरण में जमा करा दी जावेगी, उसके पश्चात ही उक्त वर्णित कार्य कराने पर विचार किया जा सकेगा।

(6) जी नहीं। क्योंकि नाली मिट्टी भरने के कारण अवरुद्ध हुई है।

(कार्यादेश की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मानसरोवर जयपुर में निर्मित भवन/फ्लेट्स की मरम्मत हेतु प्राप्त शिकायतें

3. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या

(श्री कुबेर सिंह)

नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अगस्त, 1991 से 31 दिसम्बर, 1993 तक मानसरोवर, जयपुर में सैक्टर 5 के ब्लाक नं. 51 के आवासीय मकानों के आवंटियों से आवासीय मकान के जीर्ण-शीर्ण होने की शिकायतें तथा उनकी मरम्मत हेतु आवेदन पत्र व आवासन मण्डल, जयपुर को प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो क्या उनकी मरम्मत करा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का विवरण मय आवेदकों का नाम, आवास संख्या, प्राप्त शिकायत, आवेदन पत्र की प्रति एवं की गई कार्यवाही सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ब्लाक के कुछ आवासीय मकान के आवंटी मकान जीर्णशीर्ण होने, फर्श, छत, दीवारें टूटने के कारण आवासन मण्डल के विरुद्ध न्यायालय में गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन व न्यायालय के निर्णयों की प्रति सदन की मेज पर रखें ? क्या न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही कर दी गई ?

(3) क्या इन मामलों में किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या मण्डल अभी भी दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त ब्लाक में आवासन मण्डल के कर्मचारियों को भी आवासीय मकान आवंटित किये गये तथा उनकी आवंटन के पश्चात् मरम्मत की गई ? यदि हां, तो किन आदेशों के तहत ? आदेश की प्रति एवं प्रत्येक की मरम्मत लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या आवास संख्या 51/71 के आवंटी का भी उक्त प्रकरण में कोई शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर कार्यवाही की जाकर मकान की मरम्मत कराई गई ? यदि हां, तो क्या एवं उस पर कितनी लागत आई ? शिकायत, आवेदन पत्र की प्रति एवं मरम्मत आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो अब उक्त आवास की कब तक मरम्मत करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के आधार पर लिखित में 51/91 व 51/71 की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसमें से 51/91 की मरम्मत करा दी गई है, 51/71 की शिकायत पत्र के अनुसार छत से पानी आने की शिकायत दूर कर दी गई। निरीक्षण के दौरान 51/71 की फर्श की शिकायत सही नहीं पाई गई। 51/91 व 51/71 की शिकायत पत्र परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) जी हां, श्री घनश्याम टण्डन मकान सं. 51/91 के आवंटी कन्जूमर न्यायालय में गये थे। अभी न्यायालय में मामला विचाराधीन है व निर्णय नहीं दिया गया है।

(3) सेक्टर-5, जोन-51 मानसरोवर

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

जयपुर के भवन निर्माण एवं देखरेख के सम्बन्ध में अथवा आवंटी की शिकायत न निपटाने के दोष में किसी अधिकारी एवं कर्मचारी को दोषी नहीं पाया है। अतः किसी तरह की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं।

(4) उक्त ब्लाक के 188 मकानों में से 21 मकान मण्डल के कर्मचारियों को आवंटित किये गये थे इनमें से 7 मकानों की शिकायत प्राप्त होने पर मामूली मरम्मत का कार्य अन्य आवंटियों के अनुरूप ही कराया गया। सम्बन्धित अधिकारी मरम्मत कार्य करवाने हेतु सक्षम है। इन आवासों पर किये गये खर्चे का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) आवंटी का माह जून 93 में एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें छत से सीलन आदि की शिकायत की गई थी। इसे उसी समय ठीक करवा दिया गया। फर्श (चिप्स) मापदेह के अनुसार सही पाई गई, जिस पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी। आवंटी (आवास सं. 51/71) ने कब्जा लेने के पश्चात कमरा व सीढ़ियों का निर्माण करवाया था, तथा उस कार्य के लिए आवंटित मकान में कुछ तोड़-फोड़ भी की थी। उसमें निरीक्षण के दौरान, प्लास्टर में कुछ हल्की दरारें दिखाई दी, इस प्रकार की दरारें नया कार्य असावधानी पूर्ण करने से हो सकती है। बोर्ड की त्रुटि नहीं होने के कारण इसमें बोर्ड द्वारा मरम्मत का कार्य करवाया जाना अपेक्षित नहीं है। शिकायत-पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(प्रति व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को सहायता

4. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या खेल कूद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अर्जुन पुरस्कार एवं अन्य पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को क्या राज्य सरकार द्वारा विगत समय में कोई विशेष सहायता दी गई है ? यदि हां, तो कब-कब और किस-किस को किस-किस रूप में ?

(2) क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई नीति तय की गई है ? यदि हां, तो क्या ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, विगत समय में निम्न खिलाड़ियों को जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है निम्न प्रकार से विशेष सहायता दी गई है—

नकद पुरस्कार

1. श्री श्याम लाल वर्ष 1991–92 में रुपये 10,000/– नकद पुरस्कार
2. श्री दीनाराम वर्ष 1992–93 में रुपये 5,000/– नकद पुरस्कार

इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा वर्ष 1982-83 से स्थापित "महाराणा प्रताप" पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को परिषद द्वारा महाराणा प्रताप की कांश्य प्रतिमा, नकद राशि रु. 2,000/– प्रदान की गई है। इन खिलाड़ियों की वर्षवार सूची संलग्न है।

(खेल-कूद मंत्री)

(2) जी हां, राज्य सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को निम्न प्रकार से सहायता स्वीकृत की जाती है :-

1. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खिलाड़ी जो स्वय खेती का धन्धा अपनाना चाहते है, उपनिवेश क्षेत्र में से कृषि भू-खण्ड का आवंटन (प्रति संलग्न है)

2. 180 वर्ग मीटर का रिहायशी भू-खण्ड सुरक्षित दर की 50% की दर से (प्रति संलग्न है)

3. राजस्थान खेल अनुदान नियमों के अन्तर्गत अधिकतम 10,000/- रुपये का नकद प्रोत्साहन (प्रति संलग्न है)

(सूची एवं प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

ग्राम इटावा का मजरा (बेगूं) में हैण्ड पम्प लगाना

5. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बेगूं पंचायत समिति के खेड़ियां ग्राम इटावा का मजरा में एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगाया गया है ?

(2) क्या सरकार उक्त स्थान पर हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मजरा खेड़ियां में एक हैण्ड पम्प लगे होने के कारण वर्तमान में और हैण्ड पम्प लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

कामां (भरतपुर) क्षेत्र के हैण्ड पम्प्स

6. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र में हैण्ड पम्प योजना के अन्तर्गत 40 ग्रामों का पेयजल खारा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्रामों में मीठा पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां, इन समस्त ग्रामों में मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है परन्तु उनका क्रियान्वन धन संसाधनों की उपलब्धि अनुसार ही संभव हो सकेगा।

बिलाड़ा व सोजत नगर-पालिकाओं को विभिन्न योजना मदों से प्राप्त राशि

7. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनायें स्वीकृत की जा रही हैं तथा इनकी क्या गाइड-

(श्री माधवसिंह दीवान)

लाइन्स हैं, तथा वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक इस मद में कितनी-कितनी राशि रखी गई तथा कितनी व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सोजत (पाली) व बिलाड़ा (जोधपुर) नगरपालिकाओं को इन योजनाओं के अन्तर्गत किस किस कार्य के लिये कितनी कितनी राशि वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी व्यय की गई ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) नेहरू रोजगार योजना तथा निर्बन्ध ग्रान्ट तथा स्पेशल ग्रान्ट के तहत बिलाड़ा व सोजत नगरपालिका को उक्त वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए इस विभाग द्वारा नेहरू रोजगार योजना, शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सुविधाएं कार्यक्रम (यूबीएसपी), कच्ची बस्तियों का सुधार कार्यक्रम, रैनबसेरा सुविधा एवं सूखे शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तन कार्यक्रम नामक योजनाएं संचालित की जाती है। निर्बन्ध राशि योजना इस विभाग द्वारा संचालित नहीं की जाती है। वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक इन योजनाओं में रखी गई राशियां एवं व्यय का विवरण संलग्न सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सोजत (पाली) व बिलाडा (जोधपुर) नगरपालिकाओं को इन योजनाओं के अन्तर्गत जिस-जिस कार्य के लिए जितनी-जितनी राशि वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी व्यय की गई उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) नेहरू रोजगार योजना तथा निर्बन्ध योजना ग्रांट तथा स्पेशल ग्रान्ट के तहत बिलाडा व सोजत नगरपालिका को उक्त वर्षों में जितनी राशि आवंटित की गई, नामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। निर्बन्ध योजना के तहत राशि का आवंटन इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका नैनवां के कर्मचारियों के विचाराधीन पेंशन प्रकरण

8. **श्री रामनारायण (नैनवां)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या नगरपालिका नैनवां के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण विभाग के पास विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किस किस कर्मचारी के व कब से ?

(2) उक्त मामलों का निपटारा कब तक कर दिया जावेगा, तथा इनमें हुई देरी के लिए कौन दोषी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सेवानिवृत्त 9 कर्मचारियों के पेन्शन प्रकरणों में उनकी आयु के सम्बन्ध में समु-

(स्वायत्त शासन मंत्री)

चित प्रमाण पत्र के अभाव में लम्बित थे, अब पूर्ति किये जाने पर स्वीकृति हेतु निदेशक, पेंशन विभाग को भेज दिये हैं। पेंशन प्रकरण में की गई देरी के सम्बन्ध में संबंधित अधिशाषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

राजस्थान आवासन मण्डल को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश

9. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान आवासन मण्डल को गत तीन वर्षों में कोई डाईरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निर्देश जारी किए हैं ? यदि हां, तो किस किस विषय में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मण्डल ने सरकार द्वारा दिए गए डाइरेक्टिव्ज, आदेश एवं निर्देशों का पालन किया है ? यदि हां, तो किस किस रूप में ? यदि नहीं, तो किस-किस डाइरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निर्देश का पालन नहीं किया है और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने मण्डल द्वारा दिशा निर्देशों, की पालना नहीं किए जाने के संदर्भ में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार से मंडल को गत तीन वर्ष में समय समय पर जो डाइरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निर्देश दिये गये है, मंडल ने उन प्रकरणों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की है। लेकिन प्रश्न में किसी विशिष्ठ डाइरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निर्देश का संदर्भ नहीं होने से स्पष्टीकरण अथवा सूचीबद्ध किया जाना संभव नहीं है।

जहां तक सम्पत्ति आवंटन संबंधी डाइरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निर्देशों का संबंध है राज्य सरकार ने मंडल के सम्पत्ति निष्तारण विनियम 1970 के नियम-8 (ए) के अंतर्गत आरक्षित कोटे में आवास आवंटित करने के निर्देश दिनांक 10-9-93 एवं 21-12-93 को दिये हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार से राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम, 1970 की धारा-26 (3) के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु एक विशिष्ठ पंजीकरण योजना प्रारम्भ किये जाने हेतु दिनांक 4-5-91 को निर्देश दिये हैं।

(2) प्रश्न 1 के प्रथम भाग में किसी विशिष्ठ डाइरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निर्देश का उल्लेख नहीं होने के कारण पालना संबंधी विवरण प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है किंतु सम्पत्ति निष्तारण की पृष्ठभूमि तथा प्रश्न के भाग-2 की निरन्तरता में मंडल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण एवं अनुपालना का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. श्रीमती पीमो लोढा को नियम 8 (ए) के अंतर्गत आवास आवंटित करने के संबंध में राज्य सरकार ने निर्देश दिये हुए थे परन्तु आय वर्ग का उल्लेख नहीं होने के

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

कारण आवास आवंटित नहीं हो सका। श्रीमती लोढा से आय वर्ग संबंधी सूचना प्रस्तुत करने हेतु एक पत्र दिनांक 18-9-93 को आवासन मंडल के पत्र से सूचना चाही थी, जो अभी तक अपेक्षित है।

2. श्रीमती रेणु चतुर्वेदी को नियम-8 (ए) के अंतर्गत आवास आवंटित करने हेतु निर्देश दिये थे जिनको आवास संख्या 3/35, मानसरोवर जयपुर आवंटित किया जा चुका है।

3. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए विशिष्ठ पंजीकरण योजना वर्ष 1991 (20-7-91 से 20-8-91 तक) प्रारंभ की गई थी जिसमें जितने भी न्यायाधीशों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए उन सभी माननीय न्यायाधीशों को मंडल द्वारा आवास आवंटित किये जा चुके हैं।

(3) मंडल द्वारा निर्देशों की पालना नहीं किया जाना राज्य सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

साईवाड़ रोड तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) पर स्थित बांध की मरम्मत

10. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि साईवाड़ रोड तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) पर स्थित बांध इस वर्ष पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है ?

(2) क्या सरकार उक्त बांध को मरम्मत कराकर इसे ऊंचा कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। साईवाड़ रोड तहसील जमवारामगढ़ पर स्थित एनीकट केवल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है।

(2) जी नहीं। क्योंकि एनीकटों के निर्माण पर पाबंदी है।

सिद्धमुख व नोहर परियोजनाओं का निर्माण

11. श्री अमराराम (धोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिद्धमुख व नोहर परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा तथा इससे गंगानगर व चूरू जिले का कितना क्षेत्र सिंचित होगा ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस रेगिस्तानी क्षेत्र में ड्रिप व फव्वारा सिस्टम से सिंचाई कर खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिये जाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) सिद्धमुख व नोहर परियोजनाओं का कार्य सन् 2000 तक पूरा करना प्रस्तावित है। इससे गंगानगर एवम् चूरू जिले का 84,170 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित होना प्रस्तावित है।

(2) सम्बन्धित विभाग से सूचना संकलित की जा रही है प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सिचाई व्यवस्था का सर्वे

12. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटड़ा राणगा में सिचाई के नये तालाबों यथा खुटा, वड़ला की रेल वालीचुना, जोगड़ी माल, सीमसा-गड़ा, उमरभोखा का सर्वे कराया गया था? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो अब कब तक सर्वे कराये जाने का राज्य सरकार का विचार है?

उत्तर

जी नहीं। फिलहाल सर्वे कराने का कोई विचार नहीं है।

पुराना कुण्डा रोड से मथुरा गेट (कूकस बांध) आमेर नहर का रख-रखाव

13. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आमेर तह-सील के कूकस बांध से पिली की तलाई, सराय बावड़ी एवं कुण्डा को आने वाली सिचाई विभाग की नहर में ग्राम कुण्डा में मुख्य (पक्की) नहर में लोगों ने शौचालय के पाईप खोल रखे हैं? यदि हां, तो इन्हें हटाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नहर में खुले शौचालय पाइप/गटरों को कब तक बन्द करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नहर का कुछ भाग पुराना कुण्डा रोड से मथुरा गेट (पोल) तक कच्चा है जिससे उसमें आये दिन मिट्टी भर जाती है? यदि हां, तो उक्त हिस्से को कब तक पक्का एवं नहर की दीवारों को ऊंचा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी हां। कच्चे हिस्से को पक्का कराने एवं नहर की दीवारों को ऊंचा कराने का कार्य वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कराया जा सकेगा।

बेतली सिचाई परियोजना

14. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बेतली सिचाई परियोजना की स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त हो चुकी है? यदि हां, तो अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(2) अब कब तक इस परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) स्वीकृति प्राप्त होने के बाद।

नागौर जिले के विद्यालयों में रिक्त पद

15. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा कितनी सीनियर स्कूलों में कितने पद कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। रिक्त पद कब तक भर दिये जावेंगे?

(2) वर्तमान समय में नागौर जिले में कितनी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल चालू हैं ? आगामी वर्ष में कितनी स्कूलें कहां-कहां खोली जावेंगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 23-12-1993 के बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कितने स्थानान्तरण किए गए तथा कितने नए अध्यापकों की नियुक्ति की गई, नवनियुक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं में से कितनों की नियुक्ति शहरी क्षेत्र में की गई तथा किस अधिकारी के आदेश से, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार हैं :-

पद	छात्र	छात्रा	प्रा. शि.	योग
1	2	3	4	5
व्याख्याता	88	20	—	108
वरिष्ठ अध्यापक	17	02	04	23
अध्यापक	07	07	34	48

रिक्त पद कब से रिक्त हैं, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

व्याख्याता के रिक्त पद चयनित आशार्थी उपलब्ध होते ही तथा वरिष्ठ अध्यापक व अध्यापक के पद आगामी सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व भरे जा सकेंगे।

(2) वर्तमान में नागौर जिले में चालू स्कूलों की स्थिति निम्नानुसार है :-

स्तर	छात्र	छात्रा	प्रा.शि.	योग
उच्च प्राथमिक विद्यालय	—	48	323	371
माध्यमिक विद्यालय	30	21	–	51
सीनियर उच्च मा. विद्यालय	121	05	–	126

नागौर जिले से आगामी सत्र के लिये स्कूल क्रमोन्नत करने के लिये प्रस्ताव मांगे गये हैं। सरकार अपने वित्तीय सीमाओं में लक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण के आधार पर विद्यालय खोलती/क्रमोन्नत करती है।

(3) दिनांक : 23.12.93 के पश्चात किसी का भी स्थानान्तरण नहीं किया गया है तथा 8 वरिष्ठ अध्यापक, 77 अध्यापक व 5 शारीरिक शिक्षक को नियुक्त किया गया है।

2 वरिष्ठ अध्यापकों को शहरी क्षेत्र व

(शिक्षा मन्त्री)

शेष 6 को ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त किया गया है। सभी अध्यापक एवं शारीरिक शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कामां के क्रमोन्नत विद्यालय

16. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कामां विधान सभा क्षेत्र में गत 10 वर्षों में कितने प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में, मिडिल स्कूल सैकण्डरी स्कूल में तथा सैकन्डरी स्कूल सीनियर स्कूलों में क्रमोन्नत हुए हैं तथा इनके क्रमोन्नत होने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) इस वर्ष किन-किन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) कामां विधान सभा क्षेत्र में गत 10 वर्षों में निम्नानुसार विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं :-

प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में	14
उच्च प्रा. से मा. वि. में	7
मा. वि. से सी.उ.मा.वि. में	1

विद्यालय क्रमोन्नत करते समय ग्राम की जनसंख्या, विद्यालय में कुल एवं अन्तिम कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, फीडर विद्यालय, भवन की व्यवस्था, निकटतम उपलब्ध शिक्षण सुविधा तथा बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है।

(2) इस वर्ष बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों को क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

तहसील डीग (भरतपुर) के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

17. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की कोई प्राथमिकता तय की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत तहसील डीग में कुल कितने विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम की जनसंख्या, विद्यालय में कुल एवं कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, फीडर विद्यालय, भवन व्यवस्था एवं निकटतम उपलब्ध शिक्षण सुविधाओं तथा बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नति हेतु प्राथमिकतायें तय की गई हैं।

(2) बजट की उपलब्धता एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर राज्य के

(शिक्षा मन्त्री)

अन्य विद्यालयों के प्रस्तावों के साथ तहसील डीग के क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा।

नांगल शायपुरा से सीरा की ढाणी, साईवाड़ तक सड़क निर्माण

18. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नारदपुरा तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर के दोनों तरफ के रास्ते रेतीले व ऊबड़-खाबड़ हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि मन्दिर टीबा के हनुमानजी नांगल-शायपुरा रोड जिला जयपुर से सीरा की ढाणी, साईवाड़ रोड तक एक किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु राज्य सरकार को कई बार ग्राम नारदपुरा के ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त सड़क का कृषि उपज मण्डी समिति के अन्तर्गत कब तक निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। नारदपुरा के ग्रामवासियों का मन्दिर टीबा के हनुमान जी नांगल शायपुरा रोड जिला जयपुर से सीरा की ढाणी, साईवाड़ रोड तक एक किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

कृषि उपज मण्डी समिति, पाली द्वारा निर्मित सड़कें

19. श्री भीमराज (पाली) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मंडी समिति द्वारा निर्मित कौन-कौन सी सड़कें पाली विधान सभा क्षेत्र की रोहट पंचायत समिति एवं पाली पंचायत समिति के इलाके में बनवायी गई हैं ?

(2) कृषि उपज मण्डी समिति रोहट, डूंगरपुर, खाण्डी सड़क को निर्माण कराने की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(3) बान्टाई से ढाबर एवं रोहट से लालकी सड़क का डामरीकरण का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) पाली विधान सभा क्षेत्र में रोहट पंचायत समिति एवं पाली पंचायत समिति के इलाकों में कोई भी सड़क वर्तमान में निर्माणाधीन नहीं है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, पाली द्वारा रोहट डूंगरपुर खाण्डी सड़क के निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(3) सम्पर्क सड़क बान्टाई से ढाबर का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में इस सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य प्रगति पर है। दूसरी सड़क रोहट से लालकी का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 1993-94 की

(कृषि राज्य मन्त्री)

समाप्ति तक कार्य पूर्ण हो जायेगा। इस सड़क पर डामरीकरण का कार्य 3·5 कि. मी. की लम्बाई में पूर्ण हो चुका है। शेष 0·5 किलोमीटर पर कार्य पूर्ण किया जा रहा है।

कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवाना की सड़कें

20. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवाना की स्थापना कब हुई ? तथा इस क्षेत्र में सम्मिलित पंचायत समिति क्षेत्र डीडवाना और लाडनूं से अब तक प्रति वर्ष कितनी-कितनी आय हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मण्डी समिति द्वारा अब तक कौन-कौन सी सड़कों पर कितना-कितना व्यय किया गया ? पंचायत समितियों वार अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सड़कों की स्वीकृति व निर्माण के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं या कोई सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवाना की स्थापना 22.1.1976 को हुई है। पंचायत समिति क्षेत्र डीडवाना और लाडनूं से प्रति वर्ष हुई आय का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) पंचायत समिति वार सड़कों पर किये गये व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" पर है।

(3) सड़कों की स्वीकृति एवं निर्माण के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए नहीं हैं। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 13(7) कृषि/2/93 दिनांक 1.6.93 परिशिष्ट 'स' के अनुसार राज्य की मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत 8वीं पंचवर्षीय योजना के मास्टर प्लान की अनुमोदित सड़कों के बन जाने के पश्चात् शेष बची राशि में से सड़कें बनाये जाने की निम्न प्राथमिकता तय की गई है :-

1. 2 किलोमीटर की "मिसिंग लिंक" यदि इन दो किलोमीटर के पश्चात कोई गांव लगता हो।
2. पूर्व में निर्मित सड़कों के रख-रखाव अथवा सी.डी. कार्य जिनकी कीमत 2 लाख रुपये तक।
3. ऐसे पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क जिसकी आबादी 1981 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक है।
4. अन्य बचे हुए पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें जो अब तक सम्पर्क सड़क से नहीं जुड़े हैं।

उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार ही मण्डी समितियों में मास्टर प्लान के अतिरिक्त सम्पर्क सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जाती है मास्टर प्लान में उन गांवों को जोड़ने वाली सड़कें

(कृषि राज्य मन्त्री)

अनुमोदित की गई हैं जिनकी आबादी, 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 15(2)कृषि/2बी/87 II दिनांक 21.12.88 परिशिष्ट "द" के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन सम्पर्क सड़कों की लम्बाई 1 किलोमीटर तक कम या ज्यादा करने का अधिकार निदेशक, कृषि विपणन विभाग को दिये गये हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

नेशनल वाटर रोड, बम्बूली के कार्यों की शिकायतें

21. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या नेशनल वाटर रोड, बम्बूली के कार्यों एवं राशि भुगतान आदि के बाबत विभाग के अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

(2) क्या विभाग द्वारा करवाये जा रहे कार्यों बाबत प्राप्त होने वाली शिकायतों के इन्द्राज हेतु कोई व्यवस्था की हुई है ? यदि नहीं, तो अब इस बाबत क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नेशनल वाटर रोड, बम्बूली की सीमा बून्दी तथा टौंक जिलों के कुछ गांवों को मिलाकर बनाई गई है ? यदि हां, तो इसमें सम्मिलित किये गये गांवों की कितनी भूमि इस योजना में सम्मिलित की हुई है ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र बम्बूली में करवाये जा रहे कार्य एवं भुगतान के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिसमें कुछ शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है एवं शेष पर कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी हां। कार्यालय में प्राप्त होने वाली शिकायतों का पंजीयन किया जाता है।

(3) जी हां। जिला बून्दी के 9 गांव तक टौंक जिले के 2 गांवों की भूमि सम्मिलित की गई है जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

कोटा सम्भाग के पर्यटक स्थल

22. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कोटा संभाग के पर्यटन स्थलों के उत्थान (सड़क निर्माण, यातायात व्यवस्था, पर्यटकों के लिए आवास पर्यटक स्थलों का प्रसार एवं प्रचार) के लिए कोई योजना तैयार की है ?

(2) यदि हां, तो उन स्थलों का विस्तृत विवरण जिन्हें इस परियोजना में शामिल किया गया है, सदन की मेज पर रखें।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

(3) हाड़ौती के पर्यटन विकास पर पिछले तीन वर्षों में कितनी राशि खर्च की गई एवं किन-किन कार्यों पर ?

(4) क्या झालावाड़ जिले के कोलवी, विनायका आदि बौद्ध गुफाओं को विकसित करने हेतु सरकार ने कोई योजना बना रखी है ? क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार एवं अन्य बौद्ध पर्यटक देश भारत के बौद्ध पर्यटन स्थलों के विकास, रख-रखाव हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, यदि हां, तो उन्हें योजना बनवाकर भिजवाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या केन्द्र सरकार को कोटा संभाग के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कोई योजना के प्रस्ताव भेजे हुए हैं ?

(6) क्या राज्य सरकार ने "हाड़ौती ट्यूरिस्ट सर्किल" नाम की एक योजना गत वर्ष बनाई थी एवं 11 से 14 सितम्बर तक "हाड़ौती फेमिलराइजेशन टूर" एक यात्रा की थी ? यदि हां, तो सम्बन्धित प्रगति विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1994-95 में कोटा संभाग का समन्वित पर्यटन विकास करने के लिये विशेषज्ञों द्वारा एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करवाई जाना प्रस्तावित है। पूर्व में टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन द्वारा एक रिपोर्ट अवश्य तैयार की गई थी, जिसमें कोई व्यय अनुमान नहीं दिये गये थे। यह कार्य इस वर्ष करवाये जाने वाले सर्वेक्षण से सम्भव हो सकेगा।

(2) हालांकि व्यय अनुमान सहित विस्तृत योजना उपलब्ध नहीं है, किन्तु जिन क्षेत्रों का विकास कराये जाने पर इस रिपोर्ट में महत्व दिया गया है, उनमें से निम्न मुख्य हैं :-

1. गागरोन किला, झालावाड़
2. कोल्वी की गुफा
3. सूर्य मन्दिर, कोटा
4. बाण गंगा का विकास कार्य
5. इन्द्रगढ़ से कमलेश्वर
6. मालादेवी गुफा
7. भीम बुर्ज, बून्दी पर फ्लड लाइटिंग का कार्य
8. बाड़ोली मन्दिर, कोटा
9. अलानियां, जिला कोटा
10. रानी जी की बावड़ी, बून्दी।

(3) प्रश्न संख्या एक के उत्तर के अनुसार व्यय अनुमानित सहित कोई रिपोर्ट इस क्षेत्र की उपलब्ध नहीं है, किन्तु फिर भी इस क्षेत्र के विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में निम्न राशि व्यय की गई है :-

1990-91	7·84 लाख
1991-92	27·83 लाख
1992-93	19·97 लाख

उपरोक्त राशि निम्न कार्यों के निर्माण पर व्यय की गई है :-

1. पर्यटक विश्राम गृह, झालावाड़।
2. पर्यटक विश्राम गृह, बून्दी।
3. टेरेस गार्डन का विकास कार्य।

(५०)

(पर्यटन राज्य मन्त्री)

4. भीम बुर्ज, बून्दी पर फ्लड लाइटिंग का कार्य।
5. बाण गंगा का विकास कार्य।
6. पर्यटक सूचना केन्द्र, कोटा में साज-सज्जा का कार्य।

(4) झालावाड़ जिले में कोलवी एवं विनायका गुफायें केन्द्र सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित हैं। इनके पुनरुद्धार हेतु केन्द्र सरकार के पुरातत्व विभाग ने रु. 4.62 लाख का प्रावधान रखा हुआ है। यह कार्य सम्पर्क सड़क पूर्ण होने के उपरान्त सम्पन्न कराया जावेगा।

(5) केन्द्र सरकार के साथ वर्षभर के कार्यों की प्राथमिकता तय करने के लिए बैठक सामान्यत: अप्रेल-मई माह में आयोजित की जाती है। इस वर्ष के लिये निर्धारित प्राथमिकताओं में इस क्षेत्र के विकास की कोई योजना या प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं हैं।

(6) जी नहीं। हाड़ौती टूरिस्ट सर्किट नाम से कोई योजना नहीं थी, अपितु हाड़ौती क्षेत्र में स्थित क्षेत्रों के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाने हेतु इसे हाड़ौती टूरिस्ट सर्किल का नाम दिया गया था। इस क्षेत्र से पर्यटन से जुड़े प्रबुद्ध लेखकों/छायाकारों को परिचित कराने की दृष्टि से उनके लिये एक परिचयात्मक भ्रमण दिनांक 11 से 14 सितम्बर, 91 तक कराया गया था।

अजमेर स्थित बादशाह बिल्डिंग

23. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या पुरातत्व राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर के नया बाजार में स्थित बादशाही बिल्डिंग ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की इमारत होने के बावजूद भी पुरातत्व विभाग इसके संधारण एवं सुरक्षा के लिये कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व की इमारत की सुरक्षा के लिये तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) यह कहना सही नहीं है कि अजमेर के नया बाजार स्थित बादशाही बिल्डिंग के संरक्षण एवं सुरक्षा पर पुरातत्व विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। उक्त स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। स्मारक में जब कभी या जहां कहीं मरम्मत की आवश्यकता होती है उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से ठीक कराया जाता है।

(2) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से उक्त संरक्षित स्मारक पर दो कर्मचारी तैनात किए गए हैं वह पर्याप्त हैं। स्मारक के ढांचागत स्वरूप को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अत: पृथक से कोई कार्यवाही किए जाने की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

राज्य के न्यायालय

24. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)- क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने जिला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यरत हैं ? इनका मुख्यालय कहां-कहां है ? तथा इनका कार्य क्षेत्र में कौन से सब-डिवीजन आते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सब-डिवीजन तोड़कर अलग-अलग न्यायालयों में स्थानान्तरित किये गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां तथा क्यों ?

(3) क्या ऐसा करने में सिर्फ बार-एसोसियेशन की इच्छाओं की पूर्ति की गई है या स्थानीय जनता की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है ?

उत्तर

(1) राज्य में 31 जिला एवं सत्र न्यायालय तथा 61 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यरत है। इनके मुख्यालय तथा इनके कार्यक्षेत्र में जो सब डिवीजन आते है, उसकी सूची संलग्न है।

(2) अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का क्षेत्राधिकार संबंधित सब डिवीजन ही निर्धारित किया गया है इसलिये सब डिवीजन को अलग-अलग न्यायालयों में स्थानान्तरण नहीं किया जाता है।

(3) क्षेत्राधिकार तय करने में बार एसोसियेशन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जाकर स्थानीय जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी में अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

25. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)- क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक पंचायत समिति जहाजपुर तथा पंचायत समिति कोटड़ी, विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पंचायतों को राशि स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो कितनी राशि किस कार्य हेतु पंचायत को स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस कार्य के ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या तीस जिला तीस कार्य हेतु उक्त पंचायत समिति से वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो प्रत्येक कार्य का नाम मय ग्राम और राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या दोनों योजनाओं के स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता ठीक है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार द्वारा अपना गांव अपना काम तथा तीस जिले तीस काम योजना के कोई मापदण्ड निर्धारित किये

(श्री रतनलाल ताम्बी)

गये हैं ? यदि हां, तो मापदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखते हुए यह बताया जाय कि अवधि में स्वीकृत कार्य मापदण्ड के अनुसार संपादित हुए हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) अपना गांव अपना काम योजना राज्य में 1 जनवरी, 1991 से प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 90-91 से 93-94 तक पंचायत समिति जहाजपुर तथा पं.स. कोटड़ी विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पंचायतों को राशि रु. 16.10 लाख स्वीकृत की गई। पंचायतों को स्वीकृत किये गये कार्य मय स्वीकृत राशि विवरण के साथ में संलग्न है। (परिशिष्ट-"अ")

(2) स्वीकृत राशि से कुल 23 कार्य करवाये जाने थे, उनमें से 14 कार्य पूर्ण हो गये, जिनके पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं। शेष 9 कार्य निर्माणाधीन हैं; जिनके पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिये जावेंगे। विस्तृत विवरण साथ में संलग्न है। (परिशिष्ट-"अ")

(3) तीस जिले तीस काम योजना राज्य में वर्ष 1991-92 से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान अब तक पंचायत समिति कोटडी एवं जहाजपुर में कुल 38 कार्य 32 लाख रु. की राशि के स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत किये गये कार्यों के नाम मय राशि विवरण के साथ में संलग्न है। (परिशिष्ट-"ब")

(4) दोनों योजनाओं के स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप है। तीस जिले तीस काम योजना अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्य जलदाय विभाग द्वारा उनके निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कराये गये। करवाये गये कार्यों का विवरण साथ में संलग्न है। (परिशिष्ट- "अ" एवं "ब")

(5) सरकार द्वारा अपना गांव अपना काम योजना एवं तीस जिले तीस काम योजना हेतु मापदंड निर्धारित किये गये हैं, दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट- "स" एवं "द")

दोनों योजनाओं अंतर्गत अवधि में स्वीकृत किये गये कार्यमापदंड के अनुसार संबंधित कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा संपादित कराये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जीवनधारा योजनान्तर्गत अजमेर जिले में लाभान्वित व्यक्ति

26. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) – क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में जीवनधारा योजना के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया है और उन्हें किस-किस कार्य के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है ? लाभान्वित व्यक्तियों के नाम तहसीलवार और ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जीवनधारा योजना के अन्तर्गत नए कुएं खोदने तथा कुओं को गहरा करने के संबंध में किन किन व्यक्तियों को

(श्री विष्णु मोदी)

सहायता प्रदान की गई ? क्या उन्होंने उस सहायता राशि का पूरा उपयोग कर कार्य पूर्ण करा लिया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह भी सही है कि किन्हीं व्यक्तियों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में जीवनधारा योजना अन्तर्गत 1288 व्यक्तियों को नलकूप निर्माण हेतु रु. 200.43 लाख राशि भुगतान कर लाभान्वित किया गया, जिनके नाम तहसीलवार व ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट में उपलब्ध है।

(2) जीवनधारा योजनान्तर्गत कुएं गहरे कराने का प्रावधान नहीं है। इस योजना अन्तर्गत 1288 व्यक्तियों को कुएं खोदने हेतु सहायता दी गई है जिसमें से 817 व्यक्तियों ने कार्य पूर्ण कर सहायता राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया है, जिनका विवरण परिशिष्ट "एक" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। 466 व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं कराया गया जो प्रगतिरत है। पांच व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत नलकूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। इन व्यक्तियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत शेरगढ़ तहसील में स्वीकृत कार्य

27. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) — क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शेरगढ़ तहसील में वर्ष 1985 से 1993 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने कार्य किस-किस गांव में स्वीकृत किये गये ?

(2) क्या कार्य पूरे न होने की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत बनाये गये भवनों को घटिया माल से बनाया जाता है जिससे अधिकतर भवन एक वर्ष में ही जीर्ण-शीर्ण हो जाते हैं, और अधिकारी नाप-तोल व माल ठीक होने का प्रमाण-पत्र दे देते हैं ?

(4) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के प्रति क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जवाहर रोजगार योजना राज्य में अप्रेल, 1989 से लागू की गई थी। शेरगढ़ तहसील में वर्ष 1989 से 1993 तक ग्राम पंचायतों द्वारा जवाहर रोजगा योजना के अन्तर्गत कुल 873 कार्य किये गये थे। ग्रामवार स्वीकृत विवरण संलग्न कर प्रस्तुत कार्य सम्मिलित नहीं

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

माध्यम से सम्पादित करवाये जा रहे हैं। विभागों के माध्यम से सम्पादित किये जा रहे कार्यों का विवरण प्राप्त कर अलग से प्रेषित किया जावेगा।

(2) कार्य पूर्ण कराने हेतु समय समय पर विभिन्न बैठकों में व लिखित में अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

(3) जी नहीं, घटिया माल उपयोग में लिये जाने सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं न ही कोई जांच पेण्डिग है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर

28. श्री शम्भूदयाल बड़गुजर (केकड़ी)- क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या अजमेर में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिये पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं ? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में कितने छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया और इन पर कितना व्यय हुआ ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अजमेर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों के लिये पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र 6 जून, 1991 से संचालित है उसमें 494 छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है व वर्तमान में 95 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा प्रवेश अभी चालू है। इस पर वर्षवार निम्न प्रकार से व्यय किया गया है :-

सत्र	व्यय	लाभान्वितों की संख्या		
		अ.जा.	ज.जा.	योग
91-92	2,[illegible]0,290	68	12	80
92-93	2,00,987	105	4	109
93-94	5,15,573	276	29	305

(व्यय जनवरी, 9[illegible] तक)

सहायक छात्रावास अधीक्षक पद हेतु नियुक्ति

29. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़)- क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग ने अपनी विज्ञप्ति क्रमांक एफ, (2) (636) संस्था/सकवि/91/654-76, दिनांक 23-11-1992 के अनुक्रम में सहायक छात्रावास अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मांगे थे ? यदि हां, तो कितने पदों के लिए तथा उक्त पदों के लिए कितने अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की है ? यदि हां, तो किस आधार पर तथा नियुक्त किये गये अभ्यार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, विज्ञप्ति क्रमांक एफ (2) (636) /स्थापना /सकवि /91/65746 दिनांक 23-11-91 द्वारा सहायक

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

छात्रावास अधीक्षक के 27 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मांगे गये थे। कुल 40855 आवेदनकर्ताओं के निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र विभाग को प्राप्त हुये हैं।

(2) जी नहीं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री रामनारायण, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल सिंचित क्षेत्र में दौलाड़ा डिस्ट्रिब्यूटरी का पानी हनुत्या माइनर के अन्तिम ग्राम गोबरिया, बम्बोरी, हनोत्या, ल्यावदा में नहीं पहुंचने से फसल को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

2. श्री भीमसेन चौधरी एवं 10 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर बार एसोसियेशन के एक अभिभाषक के साथ दिनांक 10.2.94 को सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये कथित अभद्र व्यवहार व मारपीट के कारण बार एसोसियेशन के उक्त तिथि से ही अनिश्चतकालीन हड़ताल पर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री महादेव सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले के खण्डेला कस्बे में चरमरायी हुई विद्युत व्यवस्था से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

2. श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को केरियर एडवान्समेंट योजना का लाभ दिलवाने के सम्बन्ध में।

3. श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर जिले में नील गायों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने तथा उनके द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में।

4. श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर में मांग के अनुरूप पेयजल सुलभ नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में।

5. श्री रामनारायण, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील तैनवां के ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री घनश्यामजी, बोलें आप।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, संसद ने दो दिन पहले

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को चेतावनी देने वाला श्रौर कश्मीर को भारत का अभिन्न श्रंग बताने वाला तथा जो बचा हुआ कश्मीर, श्राज गुलाम कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, को लेने वाला प्रस्ताव पास किया है श्रौर सारे देश की जनता उस प्रस्ताव से सहमत है। कश्मीर में पाकिस्तान जिस प्रकार से श्रातंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, हमारी प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहा है श्रौर शीत युद्ध छेड़ रखा है उसके खिलाफ सारा देश एकजुट खड़ा है। श्रब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की विधान सभा में भी इस प्रकार का एक प्रस्ताव पास किया जाना चाहिये ताकि श्रन्तरराष्ट्रीय जगत को पता लगे श्रौर कश्मीर के बारे में हम पाकिस्तान को साथ साथ चेतावनी दे सकें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्रग्नि का सफल परीक्षण किया गया है श्रौर यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए भी बधाई का प्रस्ताव विधान सभा में पास होना चाहिये।

श्री कपिल देव ने 432 विकेट लेकर सर रिचर्ड हैडली का जो रिकार्ड तोड़ा है उसके लिए वह प्रशंसा के पात्र हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार प्रस्ताव भी पास करे श्रौर खेल मंत्रीजी उनको बुलाकर उनका सम्मान भी करें।

राजस्थान में ये तीनों प्रस्ताव श्रपन पास करें तो राष्ट्र की एकता के लिए श्रौर सारे राष्ट्र की एकजुटता के लिए श्रौर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सदन के नेता महोदय, विपक्ष के नेता तो हैं नहीं लेकिन दल के वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें श्रौर मेरी राय है कि यह प्रस्ताव श्रपन को पास करना चाहिये। धन्यवाद।

श्री श्रध्यक्ष : जगदीपजी, श्राप कुछ कह रहे हैं। ....(व्यवधान) पहले श्राप कुछ कह रहे हैं... (व्यवधान) श्रब श्राप विराजिये।

श्रीमती उजला श्ररोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : पी.टी. उषा ने....

श्री श्रध्यक्ष : एक व्यवस्था बनायी हुई है, श्राप मुझे चिट लिखकर भेज दीजिये।

श्रीमती उजला श्ररोड़ा : पी.टी. उषा ने भी रिकार्ड कायम किया है वह भी शामिल करें।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : श्रध्यक्ष महोदय, सबसे पहले चिट मैंने दी थी। मैंने दोनों मुद्दों को लिखा था। मैं सदन के नेता महोदय से श्रनुरोध करूंगा कि घनश्याम तिवाड़ीजी को जल्दी मंत्री बनायें ताकि हम जो मुद्दा उठाना चाहें कम से कम उसको तो वह हाईजैक नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : देवीलालजी के पास जो श्रापकी गिड़गिड़ाने की श्रादत थी, वह मेरी नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : देवीलालजी होते तो बना देते। भैरोंसिंहजी को बना दिया उन्होंने तो। ताऊ के गुण गाश्रो यहां बैठे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर उनको धोखा देने की ग्रादत भी नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा मुख्य मंत्रीजी से ग्रनुरोध है जब सदन के ग्रन्दर एक परम्परा चली है ग्रौर कपिल देव देश का हीरो बना है प्रधान मंत्री ने पहली बार किसी खिलाड़ी के सम्मान में एक ग्रायोजन में हिस्सा लिया ग्रौर कहा कि वह मेरे भी हीरो हैं, पूरे देश का नाम उन्होंने ऊपर किया है खेल जगत में जो भारत का स्थान था उसको ऊपर उठाया है, मैं मुख्य मंत्रीजी से ग्रनुरोध करूंगा कि ग्रन्य राज्य सरकारों ने, भारत सरकार ने जिस तरीके से कपिल देव का सम्मान किया है, वह भी ग्रपने राज्य में कपिल देव का सम्मान करने के लिए ग्रागे ग्रायें ग्रौर इस विषय की घोषणा ग्राज करें।

ग्रध्यक्ष महोदय, एक बहुत बढ़िया राजनीतिक कदम हुग्रा है। भारतीय जनता पार्टी को सद्‌बुद्धि ग्रायी है। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस की सरकार का समर्थन किया है। मैं समझता हूं, यहां भी सद्‌बुद्धि ग्रायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : ग्रध्यक्ष महोदय, लोक सभा में कश्मीर के सम्बन्ध में सब दलों ने मिलकर कश्मीर की एकता ग्रौर ग्रखण्डता के बारे में संकल्प पारित किया है। उसी प्रकार का संकल्प राजस्थान विधान सभा में भी ग्राप कोई समय निश्चित कर दें, उस समय के ऊपर संकल्प ले लिया जायेगा।

दूसरा, कपिल देवजी के बारे में कहा। कपिल देवजी को मैंने भी पत्र लिखा है ग्रौर बधाई दी है उनको ग्रौर जैसा ग्रापने ...

श्री जगदीप धनखड़ : मात्र बधाई नहीं, ग्राप कुछ करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कर रहा हूं ना सुनो तो सही ग्राप। वह भी ग्रापने हाईजैक कर दिया। जैसे घनश्यामजी ने ग्रापका हाईजैक कर दिया, ग्रापने मेरा हाईजैक कर दिया।

श्री जगदीप धनखड़ : मैंने पहले ग्रापको कह दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं स्थिर हूं ...

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं, यह साइमलटेनिग्रसली हुग्रा है। किसी ने हाईजैक नहीं किया है। यह ग्रापके दिमाग में ग्रौर उनके दिमाग में साथ साथ पैदा हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि उनसे बात करूंगा ग्रौर स्पोर्ट्स के मंत्रीजी बैठे हैं उनकी तरफ से उनको पत्र लिखवाऊंगा कि ग्रगर वह जयपुर ग्रा सकते हों तो जयपुर में उनका सम्मान किया जाए।

ग्रापने तीसरी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया है ग्रौर ग्रापने हमसे चाहा कि हम उनसे बुद्धि लें। तो मैं इतना समझता हूं कि इसका उपकार ग्रापको चुकाना चाहिये कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया जाये, यह ज्यादा उचित है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप विराजिये। ठीक है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : पूर्व में उठे सवाल के बारे में आपको निवेदन करना चाहूंगी....

श्री अध्यक्ष : पहले जिनकी चिट आयी है उनको बोलने का मौका दे दूं।

श्रीमती कमला : वह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था....

श्री अध्यक्ष : कमलाजी, जिनकी चिट आयी है उनको बोलने दें।

श्रीमती कमला : नहीं, यह तो दूसरा मुद्दा है। मैं तो सवाल के बारे में कह रही हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं आपको सवाल के बारे में और छात्रावास बंद हुए हैं उसके बारे में तीन बजे एक वक्तव्य सदन में दे दूंगा।

श्रीमती कमला : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये, क्या कह रहे हैं। रामस्वरूपजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : यह कह दिया होता तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो वाक आउट करने की जल्दी थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, ऐसा नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा ही था और क्या। आप तो जल्दी में जा रहे थे।

श्रीमती कमला : आप कागज उलटते जा रहे थे, कागज उलटते जा रहे थे।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल इसमें लिखा है आपने। स्पेशल मेंशन से उठा सकते थे आप।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह टोडाभीम का प्रश्न था इस लिये मैं चाहता था ...

श्री अध्यक्ष : हां, टोडाभीम के लिये स्पेशल मेंशन के लिये मना थोड़े ही किया।

श्री रामस्वरूप मीणा : वह टोडाभीम का था इसलिये मैं चाहता था और वह पेयजल योजना के बारे में था ...

श्री अध्यक्ष : लेकिन ऐसा है जब प्रक्रियाएं बनी हुई हैं उस प्रक्रिया में उठा सकते हैं, आपको इजाजत भी मिलेगी। वह न प्रयोग करके आप उसमें अपनी प्रक्रिया पैदा करते हैं। मैं समझता हूं यह संसदीय प्रक्रिया का....

श्री रामस्वरूप मीणा : सारे सदस्यों को आप टाइम दे रहे थे अलग-अलग अपने क्षेत्र की समस्या आती है तब....

श्री अध्यक्ष : जब मैं खड़ा हूं तब तो आप शांति से बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : तो मेरा समय भी तो आप देंगे या नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष : यानि आपको पता है। 295 की प्रक्रिया में आप अपने टोडाभीम की पानी की समस्या को उठा सकते हैं। उसके लिये आप सवाल पूछ सकते हैं। न आप सवाल पूछते हैं, न आप 295 का उपयोग करते हैं और आप यहां खड़े होकर करते हैं तो....

श्री रामस्वरूप मीणा : सप्लीमेण्ट्री क्वेश्चन पूछ रहा था, साहब।

श्री अध्यक्ष : यह मेरा निर्णय है। सदन चलाने के लिये कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित हैं, यदि उन प्रक्रियाओं में आपका केस नहीं आता है, अलग से आप चाहते हैं, किसी में नहीं आता है तो अलग सवाल है लेकिन प्रक्रियाओं में वह आता है तो अच्छा होगा कि वह उन प्रक्रियाओं के आधार पर हो। आज आप बोल लीजिए उसमें।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय ..

श्री अध्यक्ष : पहले उनको सुन लीजिए, पहले उनको सुन लीजिए।

श्री विष्णु मोदी : आपने प्रक्रियाओं का निवेदन किया : इसमें दो लाइन कोट करना चाहता हूं :–

"Rules are necessary for governing and regulating discussion and facilitating the functioning of the Legislature and its committees. The rules are based on the long experienced sound principles and propriety, morality and fair play and the rights of all. In particular these are designed to be fair to everyone and to protect minority opinion and rights of the Opposition."

यह रामस्वरूप जी उस वक्त एजीटेट हो रहे थे। वह जो सवाल था, टोडाभीम से उनकी कांस्टीट्यूएन्सी से सम्बन्धित था और पेयजल का था।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मेरी बात सुनिये, उस सवाल को पूछने वाले जो माननीय सदस्य थे वह सन्तुष्ट हो गये। उनको जो आश्वासन चाहिये था ... (व्यवधान) आप सुनें, सवाल पूछने वाला माननीय सदस्य यदि संतुष्ट हो जाता है तो फिर उस सवाल को आगे चलाने में....

श्री विष्णु मोदी : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा हूं कि जो रूल्स बने हुए हैं वह रूल्स फेसिलिटेट करने के लिए बने हैं। खाली प्रक्रिया नहीं है कि वह माननीय सदस्य ने पूछा और वह उनके विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित था ..

श्री अध्यक्ष : यह निर्णय कौन करेगा? यह निर्णय सदस्य नहीं कर सकता है। यह निर्णय तो यहां आसन से होगा कि जब कोई सदस्य सवाल पूछता है और वह स्वयं संतुष्ट हो जाता है कि मेरे सवाल का उत्तर जो वह चाहता था, मिल गया तो फिर उस सवाल को आगे चलाने की व्यवस्था आसन से की जाए। या तो कोई विशेष केस हो। सामान्यतया तो नहीं होती....

श्री रामस्वरूप मीणा : जनता प्यासी मर रही है।

श्री अध्यक्ष : सामान्य प्रक्रिया लागू होती है। रूल्स के अलावा कोई सवाल खड़ा हो तो मैं उस पर विचार करूंगा लेकिन जो सवाल रूल्स में आ सकता है....

श्री विष्णु मोदी : लेकिन वह सप्लीमेण्ट्री पूछ रहे थे....

श्री अध्यक्ष : विष्णु मोदी, आप बहुत ज्ञानी हैं, हर बात पर डिस्कशन मत किया करें....

श्री विष्णु मोदी : मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यदि आपको मेरा सर्टिफिकेट नहीं चाहिये तो मैं अपना सर्टिफिकेट विदड्रा करता हूं। मैं विदड्रा करता हूं सर्टिफिकेट लेकिन आप मेहरबानी करके हर बार खड़े होकर यह मत करिये। आप बोलिये, आपको जो बोलना है।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, मैं बोल रहा हूं, सर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन था कि मेरे क्षेत्र की पेयजल योजनाएं तीन साल पूर्व स्वीकृत हो गयी थीं। जहां बोरिंग पूरा हो गया है जिस पर सरकार का लाखों रुपया लग गया उनके नाम मैं गिनाता हूं, साहब, भनकपुरा, बजड़ा, मातांचूड़ा, भोलड़ा, पदमपुरा, केमरी, तेजगांव। यह योजनाएं स्वीकृत हो गयी हैं इन पर बोरिंग करा दिया गया है, साहब। बोरिंग में आपका पैसा लग गया उसके बावजूद आज तक न तो कनेक्शन हुआ, साहब उनका, न जनता ने पानी पीया। इस प्रकार तीन-तीन चार-चार साल हो जाएं, पैसा गवर्नमेंट का पूरा लग जाए और बोरिंग से खूब मीठा पानी निकल गया उसके बावजूद योजनाएं माननीय मन्त्री महोदय, क्यों नहीं चालू की जा रही हैं? चार साल से मेरा यह निवेदन है कि इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाए। उनमें गवर्नमेंट का लाखों रुपया लग गया। जनता प्यासी मर रही है।

दूसरा, मेरा निवेदन था, मेरे क्षेत्र में 10–12 साल पहले पुरानी टंकियां बनी हुई हैं, केमरी के अन्दर टंकी बनी हुई है, तेजगांव में टंकी बनी हुई है और हमारी टोडावली में टंकी बनी हुई है, इन टंकियों में आज तक एक बूंद पानी नहीं आया, माननीय अध्यक्ष महोदय और दुःख की बात है सरकार का इतना पैसा लग गया, जनता प्यासी मर रही है फिर योजनाएं चालू नहीं हो रही हैं। आने वाली गर्मी में पानी आयेगा तो कहां से आयेगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, साहब, कि यह भयंकर समस्या है। प्यासी मर जायेगी वहां की जनता, टोडाभीम क्षेत्र की जनता। मैं इसी आवाज को नहीं उठाऊंगा तो मेरा सदन में आना ही बेकार है। प्यास कोई कांग्रेस और बी.जे.पी. को नहीं देखती है। प्यास तो सबको लगती है, साहब। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह महत्वपूर्ण विषय है, माननीय मन्त्रीजी से इस बात के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी योजनाओं को कब से चालू करवा रहे हैं जिनमें आपका पैसा लग चुका है? और कुछ नहीं खाली चालू करवानी हैं। कनेक्शन का पैसा आपने जमा करवा दिया फिर भी यह योजनाएं क्यों नहीं चालू हो रही हैं? अध्यक्ष महोदय, हैण्डपम्प खराब हो गये आपके पूरे। यह मेरा निवेदन था, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कह रहे थे? आपने सेंसर मोशन आज दिया है और वह एग्जामिन हो रहा है। मेहरबानी करके आप इस सम्बन्ध में मत बोलिये। Let it be examined. आज ही दिया है आपने और आज मुझे मिला है और उसको मैं...

श्री विष्णु मोदी : मैंने आज जो मोशन दिया है....

श्री अध्यक्ष : दिया है तो उसके लिये मैं बोलने की इजाजत तब दूंगा जब उसको एक्जामिन कर लूं । आज तो आपने दिया है । Let me examine it. आज ही आप बोलेंगे तो सेंसर मोशन का कोई मतलब ही नहीं रहा । न मेरी स्वीकृति का मतलब रहा, न मेरे पास भेजने का कोई मतलब रहा । आप एक्स-टेम्पो बोल रहे हैं....

श्री विष्णु मोदी : नहीं, एक्स-टेम्पो नहीं बोलना था ...

श्री अध्यक्ष : आज आपने दिया है मैं एक्जामिन करके उस पर व्यवस्था दूंगा ।

श्री विष्णु मोदी : आज आपने उस वक्त कहा कि मेरे उस सेंसर मोशन के दो पार्ट्स हैं ।

श्री अध्यक्ष : आपने जो भी लिखे हैं वह first let me examine that. जब तक मैं एक्जामिन नहीं करूंगा तब तक वह रिकार्ड में नहीं आयेगा । तब तक वह रिकार्ड में नहीं आयेगा ।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : जब मैं एक्जामिन कर लूंगा और व्यवस्था दूंगा चाहे खारिज करूं या मंजूर करूं उसके बाद वह रिकार्ड में आ सकता है, अभी नहीं ।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं, Let me examine it first.

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बात कर रहे हैं, माफ करिये, यह नहीं होगा । नहीं, आप इनका दर्ज नहीं करें ...

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : Let me examine it. मुझे एक्जामिन करने दीजिए । आपका रिकार्ड नहीं हो रहा है । आपका कुछ रिकार्ड में नहीं आ रहा है ।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मिस्टर विष्णु मोदी, अभी आप मुझे रूल्स का हवाला दे रहे थे, Now you are flouting the rules. I am examining it. आप एक्जामिन करने दें और एक्जामिन करने के बाद व्यवस्था दूंगा उसके बाद आप बोलना । एक्जामिन करने के बाद व्यवस्था दूंगा उसके बाद आपको बोलना है तो बोलिये अभी कोई सवाल नहीं । आज आपने दिया है और आज इतना इम्पार्टेन्ट नहीं है कि अभी इसका निर्णय होना चाहिये । ऐसा कोई मतलब नहीं है । मुझे एक्जामिन करने दें । मुझे मौका दें । आप मुझे मौका दें । आप नियमों के, कानून के अच्छे विद्वान हैं, सब बात समझते हैं, बैठिये । श्री महादेवसिंह 295 ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, कुछ भी नहीं कहा कि वह योजनाएं चालू की जाएंगी, नहीं की जाएंगी, उनको कनेक्शन दिया जाएगा ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री कालीचरण सराफ)

में श्यामनगर में रात को नौ बजे एक व्यक्ति अपनी जिप्सी में जा रहा था। उसका उसके घर के सामने अपहरण किया और सुबह उसकी लाश मिल गयी। उसके बारे में सरकार का वक्तव्य आना चाहिये। 9.05 पर सोडाला थाने में रिपोर्ट हो गयी और सुबह उसकी लाश मिली है। गुलशन कुमार माखीजा नाम का यह व्यक्ति है। वह अपनी दुकान बन्द करके जा रहा था। राम पथ पर घनश्याम जी तिवाड़ी और खेतसिंह जी के मकान के बीच में उसका मकान है। वहां से सरेआम उसका अपहरण हुआ और सुबह उसकी लाश मिली है। कल से कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यह श्यामनगर एक्सटेंशन की घटना है और सारे मोहल्ले के अन्दर लोगों में ऐसा वातावरण बना हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज ही गृह मन्त्रीजी से जानकारी हासिल करके....

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्रीजी बोल रहे हैं, सुन लीजिए उनको। गृह मन्त्रीजी।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपका भी आयेगा, आपका भी दिलायेंगे। प्लीज, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, आपका भी आयेगा। अभी एक सवाल चल रहा है उसको होने दें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण की सूचना होने पर जयपुर के डी. आई. जी. और एस.पी. दोनों सतर्क हो गये। सारी नाकेबन्दी कर ली गयी और उसके बाद मैं एक बात निवेदन करूं मुझे प्रिलिमिनरी इन्फार्मेशन मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने पूरी नाकेबन्दी कर दी है। कल इस पर वक्तव्य दिया जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न आपका हमारे सामने था वह था, क्या पंचायत समिति तेजगांव निर्वाचन क्षेत्र महुआ में फौजकारी, ताजपुर नाम से या नयावली नाम से कोई रीजनल योजना स्वीकृत हुई है ?"

यानि विधान सभा क्षेत्र महुआ का सवाल है। एक पर्टिकूलर योजना के बारे में सवाल था। लेकिन फिर भी आपने जो यह बात ध्यान में लायी है, मेरा आपसे निवेदन है कि जिन-जिन स्थानों के बारे में अभी आपने जानकारी दी है, आप मुझ से मिल लें बाद में और योजना अगर थोड़ी-सी बाकी रह गयी है तो उसे देख लेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : योजना पर काम हो गया है तो कह दीजिए कि काम हो गया है। इसमें मिलने की क्या बात है।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष : श्री महादेव सिंह–295। (अनुपस्थित) श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो योजनाएं हैं और चार-चार साल से ट्यूबवेल खुदे

(श्री खेतसिंह राठौड़)

पड़े हैं उनको बन्द कर रखा है। उनकी टंकियां बन गयी हैं, उनमें पानी नहीं जा रहा है यह तो सामने ही दिख रहा है। जान बूझकर क्योंकि यह एम.एल.ए. हमारी पार्टी के हैं आप इनको परेशान करने की नीयत से यह सब कुछ कर रहे हैं। कभी कहते हैं बाद में मिल लें, कभी कहते हैं चैम्बर में मिलें। आखिर यह माननीय सदस्य हैं और दूसरी बार जीत कर आये हैं। आप इन्हें माकूल जवाब दीजिए कि एक महीने के अन्दर-अन्दर उन टंकियों को ट्यूबवैल से जोड़ दिया जाएगा और वहां विद्युत कनेक्शन कर दिया जाएगा। तब जाकर काम होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अभी माननीय रामस्वरूप जी ने कहा कि यह ट्यूबवैल दस-दस वर्ष से बने हुए हैं....

श्री रामस्वरूप मीणा : 4 वर्ष से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ....जो जानकारी माननीय सदस्य ने दी है हम भी वह जानकारी कर लें। हाउस में बोलते हैं जो कुछ भी वह जिम्मेदारी के साथ बोलें इसलिए आप भी चाहेंगे कि उनको देखने के बाद ही कुछ कहा जाए।

श्री रामस्वरूप मीणा : ठीक है कल दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेन्ट योजना का लाभ

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेन्ट योजना का लाभ दिलाने हेतु।

मैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत कैरियर एडवान्समेन्ट योजना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, सरकारी व गैर-सरकारी महाविद्यालयों में यू. जी. सी. योजना के अनुरूप एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार कैरियर एडवान्समेन्ट योजना का लाभ सभी शिक्षकों को दिया गया है जब कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के शिक्षकों को इस लाभ से वंचित रखा गया है। मैं निम्नलिखित विसंगतियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :–

(1) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में वरिष्ठ वेतनमान (3000-5000) एवं चयनित वेतनमान (3700-5700) शिक्षकों को देने हेतु शिक्षकों के द्वारा किये गये तदर्थ सेवाकाल की गणना नहीं की गयी है जबकि राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों में तदर्थ सेवाकाल की गणना उच्च वेतनमान देने के लिए की गयी है। दूसरे राज्यों में भी तदर्थ सेवाकाल की गणना की गयी है।

(2) कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित वेतनमान दिनांक 1.1.86, 1.1.87, 1.1.1988, 1.1.1989 से दिया गया है जबकि कृषि विश्वविद्यालय के

(८५)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया था कि जिस दिन शिक्षकों के सेवाकाल में 8 वर्ष एवं 16 वर्ष पूर्ण होते हैं उसी दिन से उपरोक्त वेतनमान दिये जायेंगे जब कि कृषि विश्वविद्यालय में इस नियम का पालन नहीं किया गया है। राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों में एवं राजकीय व गैर-सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षकों को उपरोक्त वेतनमान उसी तिथि से दिया गया है जिस दिन वे आठ व सोलह वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करते हैं।

(3) कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में शिक्षकों को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान देते समय राजस्थान सर्विस अधिनियम 26 के अनुसार वेतन स्थिरीकरण का लाभ नहीं दिया गया है जबकि शिक्षा सचिव के स्पष्ट आदेश हैं कि शिक्षकों को उपरोक्त लाभ देकर स्थिरीकरण दिया जाये। राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप राजस्थान राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं सरकारी महाविद्यालयों को इसका लाभ दिया गया है। इस सन्दर्भ में कृषि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मंडल की बैठक दिनांक 8.8.1990 में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार वेतन स्थिरीकरण किया जायेगा।

(4) कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में प्राध्यापकों को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान देने हेतु व्याख्याताओं एवं अनुसंधान सहायकों के सेवाकाल की गणना नहीं की गयी है जबकि राजस्थान एवं जोधपुर विश्वविद्यालय में रिसर्च एसोसियेट के भी सेवाकाल की गणना की गयी है।

हरियाणा, पंतनगर एवं अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में भी अनुसंधान सहायकों एवं व्याख्याताओं के सेवाकाल की गणना उपरोक्त वेतनमान देते समय की गयी है। राज्य सरकार के आदेश दि. 18.1.1991 से स्पष्ट है कि जो प्राध्यापक 700–1700 के तहत कार्य करते हैं उनके सेवाकाल की गणना की जायेगी।

अत: आपसे विनम्र निवेदन है कि अन्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की भांति कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी कैरियर एडवान्समेन्ट योजना का लाभ उपरोक्त विसंगतियों को दूर करके दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन....

व्यवस्था का प्रश्न

नियम 295 के तहत प्रस्तुत प्रस्तावों का उत्तर

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): पाइण्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय। गत विधान सभा सत्र में 295 में मैंने भी एक मुद्दा रखा था उसका जवाब आज दिन तक नहीं मिला....

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही पूछना चाह रही थी

(श्रीमती कमला)

कि 295 का जवाब देना जरूरी नहीं है क्या ?

व्यवस्था

नियम 295 के तहत प्रस्तुत प्रस्तावों का उत्तर देना अनिवार्य

श्री अध्यक्ष : जवाब देना बिलकुल जरूरी है। मैं इसकी लिस्ट बना लेता हूं और जिसका जवाब नहीं आया उसका जल्दी ही जवाब आ जाये ऐसी व्यवस्था करूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, 295 में मैंने भी पिछली बार सवाल उठाया था उसमें से एक का भी जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : मैं आज ही सब की लिस्ट बना कर जल्दी से जल्दी अगले हफ्ते तक जवाब मंगा लेता हूं।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में 295 का रखा था उसका आज दिन तक जवाब नहीं मिला।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, आप तारांकित प्रश्नों और दूसरों का जवाब मंगा लेते हैं लेकिन यह तो विशेष उल्लेख का प्रश्न है और जाहिर है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इसका जवाब आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब भी जान रहे हैं ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जवाब एक महीने में आ जाये तब तो ठीक है। व्यवस्था अध्यक्ष महोदय की है लेकिन जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रश्नों का जवाब आ जाता है तो यह तो विशेष उल्लेख का विषय है।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

नील गायों द्वारा अजमेर में फसलों का नुकसान

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय को सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं।

अजमेर जिले में नील गायों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही हैं और यह वृद्धि पूरे जिले के किसानों के लिये गम्भीर समस्या उत्पन्न कर रही है। नील गायों के झुण्ड के झुण्ड गांवों में घूमते रहते हैं और किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान यदि नील गायों के झुण्ड को खेतों से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो वे उन पर भी खतरनाक ढंग से हमला करती हैं। परिणामतः किसान उन्हें खेतों से बाहर निकालने का साहस नहीं कर पाते हैं और नील गायें उनकी फसल को चौपट कर देती हैं। जिससे किसानों की रातों की नींद हराम हो गयी है। नील गायों के झुण्ड अक्सर रातों के अन्दर खेतों में घूमते हैं और किसानों को यह शंका हर रात बनी रहती है कि सुबह तक उनकी फसल का कोई दाना बचेगा भी या नहीं।

(56)

(श्री विष्णु मोदी)

इन परिस्थितियों में मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार नील गायों के प्रकोप से किसानों की फसलों को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम अविलम्ब उठाये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : इसके ऊपर तो डिस्कशन हो जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां हजारों की तादाद में नील गाय आ गयी हैं और मथानिया से लेकर पोकरण तक कोई भी ऐसा फार्म नहीं है जिसमें नील गाय न हो। यह दस फीट फीट हाइट से भी कूद जाती हैं खेतों के अन्दर और इतनी रात को फसल खाती हैं....(व्यवधान) यह इतना नुकसानदायक जानवर है। मुख्य मन्त्रीजी कुछ जवाब दें, आधा घण्टे की चर्चा के लिए हम मांग करते हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, आप नोटिस दीजिए। श्री राजेन्द्र गहलोत (अनुपस्थित)। श्री रामनारायण वर्मा।

नैनवां में ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों को अकालग्रस्त घोषित किये जाने बाबत

श्री रामनारायण (नैनवां) : पिछले दिनों बूंदी जिले के नैनवां क्षेत्र के 32 गांवों में हुई ओलावृष्टि और उससे प्रभावित गांवों को अभी तक अकालग्रस्त घोषित नहीं किये जाने से उन पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं नियम 295 के तहत यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 12 जनवरी, 1994 को नैनवां तहसील के 32 गांवों में भयंकर ओलावृष्टि होने से इन गांवों की 80 से 100 प्रतिशत तक फसल बरबाद होने के उपरान्त अभी तक इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं करने के कारण ग्रामवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व एवं बैंक ऋणों की वसूली का दबाव डाला जा रहा है। खराबे की मात्रा अधिक होते हुए भी खसरा गिरदावरी में कम खराबा अंकित हो जाने से ग्राम बंसोली, बावड़ी, सहण, पीपरवाला, रतनगज, मैणा पाई, मानपुरा, बड़वा की देवरिया, गोवल्या, बालापुरा, भजनेरी, गुरजनिया, सीसोला, नाथड़ी, लक्ष्मीपुरा, अरनेठा, केदारा की झोंपड़ियां (नया गांव), आंसरदा, अर्जुनपुरा, पटुकड़ा, दौलतपुरा, दुगारी, देवरिया आदि 32 गांवों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया जा सका है। प्रभावित गांवों को राहत प्रदान नहीं की गयी है। ग्रामवासी उनके इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किये जाने का इन्तजार कर रहे हैं। अन्यथा उनको फसलें बरबाद हो जाने से मजदूरी के लिए बाहर पलायन करना पड़ेगा। ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के अधिकतर निवासी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले हैं। प्रभावित गांवों की तथा उनमें हुए नुकसान की सूची अभी तक जारी नहीं की गयी है। प्रभावित गांवों के निवासियों की दयनीय स्थिति देखते हुए गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर दु:खी एवं संतप्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना जनहित में आवश्यक है। खड़ी फसलों की बालियां एवं दाने नष्ट हो चुके हैं किन्तु राजस्व कर्मचारी फसल बरबादी की वास्तविक स्थिति का सही आकलन नहीं कर सके हैं।

(श्री रामनारायण)

अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नीतिगत फैसला लेने तथा ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों को अकालग्रस्त घोषित करने का आदेश प्रदान कर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका। उतना ही लिखा जायेगा जितना आपने दिया है।

श्री रामनारायण : ×××

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : व्यवस्था का सवाल है। रूल 157.

अध्यक्ष महोदय, जब हम आते हैं सरकारी गाड़ियां इतनी खड़ी हो जाती हैं इस स्कूल के प्रांगण में, हम एम.एल.एज के लिए कुछ जगह रख लें। कोई पार्किंग ही नहीं मिलती। वे कहते हैं, बाहर खड़ी करो, सरकारी गाड़ियों के लिए है यह तो। एम.एल एज के लिए जगह नहीं है, अभी एक पुलिस वाले ने यह मेरे को कहा। तो हमारे पीछे सरकारी वाहन यहां आ रहे हैं या हम उनके पीछे आ रहे हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बिलकुल सही है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह बहुत ही समस्या है। अभी मेरे को कह दिया कि आप बाहर खड़ी करो। आप एक रो हमारे लिए रख लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनके तो ड्राइवर्स वगैरह सब होते हैं, इनकी गाड़ियां बाहर क्यों नहीं खड़ी करवाते हैं ? मुख्य मंत्रीजी की गाड़ी वहां बाहर खड़ी रहे, जब पधारें उस वक्त ले आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं सारी व्यवस्था देख लेता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम खुद चलाकर आते हैं, हमारी गाड़ियां वहां अन्दर नहीं रखने देते। वे कहते हैं, आप हटाइये, यहां तो मुख्य मंत्रीजी की गाड़ी खड़ी रहेगी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अभी हमें कहा कि बाहर खड़ी करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मुख्य सचेतक कह रहे हैं कि मैं खुद चलाकर आता हूं। भगवान की कृपा से आप नहीं चलायें वरना आप खुद भी जाओगे, और लोगों को भी ले जाओगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह भी मान लेंगे, आप गाड़ी बाहर खड़ी करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी गाड़ी से ही जलन है आपको तो।

शोकाभिव्यक्ति

श्री रामनिवास शर्मा, स्वतन्त्रता सेनानी के निधन पर

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता सेनानी श्री

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रामनिवास शर्मा का निधन 3 फरवरी, 1994 को ब्यावर में हुआ।

श्री शर्मा स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और उस सत्याग्रह में जेल गये। "भारत छोड़ो" आन्दोलन में भी उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने साथियों और अपने क्षेत्र की जनता को इस स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए प्रेरित किया। स्वर्गीय श्री जयनारायण जी व्यास उनके बहुत ही अच्छे समर्थक थे और उनके साथ उस क्षेत्र में ब्रिटिश राज में जितने भी अन्याय और अत्याचार हुए उनका उन्होंने विरोध किया।

वे हमारे बीच से उठ गये, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक-सन्तप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की भगवान शक्ति दे, इस बात की प्रार्थना करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, रामनिवास जी शर्मा एक राष्ट्र भक्त और स्वतन्त्रता आन्दोलन के मजबूत सत्याग्रही थे। जैसी कि, अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है, अलग अलग अर्स्टव्हाइल प्रिंसली स्टेट्स में इतना अत्याचार और दबाव था कि वहां पर लोक परिषद् और प्रजा परिषद् को किसी प्रकार के आन्दोलन की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि जोधपुर की स्टेट में राजनैतिक पार्टी को टाइप मशीनरी खरीदने की इजाजत नहीं थी। इसलिए जिस वक्त जयनारायणजी व्यास जोधपुर राज्य के आन्दोलन का बंबई और ब्यावर से संचालन किया करते थे, उन्होंने वहां पर सत्याग्रह के दफ्तर की स्थापना की क्योंकि रामनिवास जी उनके बहुत विश्वसनीय साथी थे, बहुत विश्वासपात्र अनन्य भक्त थे। वे संचालन के जिम्मेदार थे, उनके ऊपर उसका उत्तरदायित्व था और वे कर्तव्य बोध से राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्दर सक्रिय रूप से भाग लेते थे।

जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने अभी बताया, दो बार स्वतन्त्रता संग्राम के लिए और मुल्क को आजाद कराने के लिए जेल भी गये। नमक आन्दोलन जो दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का आन्दोलन था कि जिसके बारे में उस वक्त के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का भी यह विचार था कि यह गांधी जी ने कौनसा आन्दोलन प्रारम्भ किया है जिसने पूरे देश की जनता को उद्वेलित कर दिया है, उस आन्दोलन में वे जेल गये। "क्विट इण्डिया" आन्दोलन के अन्दर वे 13 महीने नजरबन्द रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान का राजनीतिक सम्मेलन भी देसाई जी की अध्यक्षता में ब्यावर में किया।

वे कृष्णा मिल में एक मजदूर थे और "इण्टक" की अहमदाबाद में स्थापना के बाद बराबर नेतृत्व भी मजदूरों को दिया और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वे हमेशा संघर्ष करते रहे।

ऐसे राष्ट्र भक्त के प्रति मैं मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हू कि वह उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान कर और उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति दें।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर सदन में माननीय सदन के नेता और प्रतिपक्ष दल के नेता ने स्वतन्त्रता सेनानी श्री रामनिवास शर्मा के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और संवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको शरीक करता हूं ।

स्वतन्त्रता सेनानी श्री रामनिवास शर्मा देश की स्वाधीनता के लिए लड़े गये विभिन्न आन्दोलनों में अग्रिम पंक्ति के सेनानी रहे । ब्यावर निवासी श्री शर्मा सत्याग्रही थे । वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए आपने श्री कृष्णा मिल, ब्यावर की नौकरी छोड़ दी । इस आन्दोलन के दौरान ही आप पहली बार जेल गये । 1942 के "भारत छोड़ो" आन्दोलन में भी आपने सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल में नजरबन्द रहे । अनेक मजदूर आन्दोलनों में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

श्री शर्मा लोकनायक जयनारायण व्यास के अत्यन्त विश्वासपात्र साथियों में से थे । जोधपुर राज्य के विरुद्ध छेड़े गये आन्दोलन का सत्याग्रह केन्द्र ब्यावर में ही स्थापित किया गया था जिसका सफल संचालन आपके द्वारा ही किया गया ।

श्री रामनिवास शर्मा कई वर्षों तक ब्यावर कांग्रेस के मंत्री रहे । आपने ही सबसे पहले ब्यावर में खादी भण्डार और राजस्थान चरखा संघ की स्थापना की । आपके प्रयत्न से ही 1937 में राजपूताना-मध्य भारत कांग्रेस का राजनैतिक अधिवेशन ब्यावर में आयोजित किया गया । 85 वर्षीय श्री शर्मा सत्याग्रही होने के साथ साथ एक सफल संगठनकर्ता, व्यवस्थापक और संचालक भी थे ।

श्री रामनिवास शर्मा का 3 फरवरी, 1994 को ब्यावर में निधन हो गया ।

मैं दिवंगत स्वतन्त्रता सेनानी को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान कर तथा उनके शोक सन्तप्त परिवारजन को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें ।

माननीय सदस्यगण कृपया कुछ समय के लिए मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें एवं श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित की ।)

व्यवस्था का प्रश्न

स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन की सूचना

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : पॉइण्ट ऑफ इन्फार्मेशन । सर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आपकी अध्यक्षता में अच्छी शुरूआत हुई है, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी । स्वतंत्रता सेनानियों को हम यहां अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, उनके परिवार तक पहुंचाते हैं और यह सदन उनकी सेवाओं की प्रशंसा करता है । मान्यवर, इस मामले में एक निश्चित प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से कि कोई भी स्वतन्त्रता सेनानी,

(श्री रामनारायण चौधरी)

जो पूरे मायने में राजस्थान सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, जहां कहीं भी वे दिवंगत होते हैं, जब भी होते हैं तो कलक्टर्स की मार्फत आपके यहां उनका पूरा जीवन कब, कैसे क्या हुआ, यह सूचना आनी चाहिये। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि मेरे जिले में स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या राजस्थान में सबसे अधिक है। झुन्झुनूं जिले से मैं आ रहा हूं वहां आजाद हिन्द फौज में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के साथ जितने लोगों ने काम किया था वे बहुतायत में झुन्झुनूं जिले से थे। उनमें से तथा दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में यहां सिविल डिस्ओबिडिएन्स में गांधीजी के साथ काफी महत्वपूर्ण आदमी दिवंगत हो गये, उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आप कोई स्थायी व्यवस्था करें ताकि....

घोषणा
धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष : इसकी मुकम्मल व्यवस्था करेंगे।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के लिए लगभग 16 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा इस प्रकार करता हूं :–

भारतीय जनता पार्टी	—	7 घण्टे 40 मिनट
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	—	6 घण्टे 05 मिनट
जनता दल	—	30 मिनट
सी.पी.एम.	—	5 मिनट
निर्दलीय	—	1 घण्टा 40 मिनट

श्री टीकम चन्द कान्त।

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री टीकम चन्दकान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्न रूप में अभिभाषण प्रस्तुत किया जाये :–

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का भाषण एक संवैधानिक आवश्यकता है। एक परम्परा का निर्वहन हुआ और इस अभिभाषण के अन्दर उस सोच को, उस रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार इस प्रदेश के विकास के विषय में किस प्रकार सोचती है, किस प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहती है और इस प्रदेश के अन्दर किस प्रकार का वह विकास करना चाहती है। यह एक रूपरेखा है, यह खाका है। इस अभिभाषण के अन्दर उन सारी चीजों को छूने का प्रयत्न किया गया है। जिसमें एक आशा बंधी है कि कमजोर वर्ग को विशेष योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया जायेगा,

(श्री टीकमचन्द कान्त)

किसान, गरीब और ग्रामीणों का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसमें यह भी उल्लेख है कि जब-जब भी माननीय भैरोंसिहजी शेखावत की सरकार बनी है तब किसानों, गरीबों, ग्रामीणों, दलितों के लिये योजनाएं बनी हैं, उनका ध्यान रखा गया है और उनका जितना भी लाभ था वह पहुंचाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शेखावत साहब को इस बात की बधाई जरूर देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रदेश के मंत्रिमण्डल के अन्दर अनुसूचित जाति को जिस संख्या में प्रतिनिधित्व दिया है उस संख्या में प्रतिनिधित्व शायद आज तक नहीं मिला और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने गृह मन्त्रालय अनुसूचित जाति के श्री कैलाश मेघवाल को दिया है। उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। यह सन्देश है राजस्थान के उस कमजोर वर्ग के लिए, दलितों के लिए कि उनकी रक्षा करने वाला, उनके हितों को देखने वाला अनुसूचित जाति का है। उन पर अत्याचार और अन्याय न हो इसके लिए एक आशा बंधी है,- उनके पास में एक सन्देश पहुंच रहा है कि यह महत्वपूर्ण विभाग अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, लगता है माननीय शेखावत साहब ने परम्परा सी डाल दी है। जब-जब भी उनका शासन आया,

(12.45)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, 1977 के अन्दर माननीय श्री सम्पतरामजी इस गृह विभाग के मंत्री हुआ करते थे। 1990 और 93 के बीच के अन्दर अनुसूचित जाति के उन्हीं श्री सम्पतरामजी को यह विभाग सौंपा गया और तीसरी बार जब माननीय भैरोंसिहजी की सरकार बनी इस राज्य में तब वापस अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही यह विभाग सौंपा गया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

अनुसूचित जाति की जब बात चल पड़ी, सभापति महोदय, तो उस कार्यालय के अन्दर न पहले कभी हुआ है और न बाद में अभी तक हुआ है, 1977 और 80 का वह समय था कि पुलिस विभाग के अन्दर सारे आरक्षण पूर्ण कर लिए गये थे, कोई बैकलॉग बाकी नहीं रखा गया था। उसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और बाद में भी आज तक ऐसा नहीं हुआ।

सभापति महोदय, 1977 के अन्दर खानों के पट्टे देने के अन्दर एक नीति दी गयी थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को खानों के पट्टे देते समय वरीयता दी जाये। सभापति महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि 1985 के अन्दर जब कांग्रेस सरकार बनी, न मालूम उनकी नजरों के आगे कैसे आ गया कि प्राथमिकता अनुसूचित जाति को है खानों के पट्टे देने में और उन्होंने राइडर लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वह क्रेशर नहीं लगाता तब तक उसको खानों का आबंटन नहीं किया जाये। वह समय था कि कुछ समय के लिये खानों के पट्टे उनको मिले और खानों के मालिक बने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग। और 1985

(62)

(श्री टीकमचन्द कान्त)

में यह राइडर आने के बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अब खानें उस रूप में आवंटित नहीं होतीं। आवश्यकता यह थी, वास्तव में अगर वे अनुसूचित जाति और जनजाति का उद्धार चाहते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं तो इस आर्थिक युग के अन्दर हम उनको कितनी भागीदारी दें। इस भागीदारी से इस प्रकार वंचित कर दिया गया जबकि शेखावत सरकार द्वारा बार-बार यह कोशिश की गयी कि उनको आर्थिक भागीदारी जब तक नहीं दी जायेगी तब तक वास्तविक रूप में उनका विकास नहीं हो पायेगा। और इस प्रकार एक उदाहरण ही है यह। छोटी-मोटी योजनाओं के बारे में बात करूंगा, सभापति महोदय। अब राजनीतिक शक्ति का जहां तक हिस्सा देने की बात है, भागीदारी देने की बात है, राजनीतिक शक्ति के अन्दर उनको कुछ देने की बात है, सभापति महोदय, राज्य में पंचायतों के अन्दर जो आरक्षण दिया माननीय शेखावत साहब ने, उन्होंने जो यह प्रारम्भ किया वह सही मायने में, ठेठ नीचे के स्तर तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को वास्तविक सत्ता जैसे हस्तान्तरित की जा रही हो उस प्रकार का यह कार्य किया गया है। उनको आरक्षण इस रूप में दिया गया। आरक्षण दिल्ली ने भी दिया, केन्द्र सरकार ने भी दिया है लेकिन उसमें और इसमें अन्तर है। 22 अक्टूबर, 1992 को जो राजस्थान सरकार ने यहां दिया उनको और अप्रेल, 1993 में ....(व्यवधान)....

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : यह राजीव गांधी की देन है। फालतू ढोल पीट रहे हैं आप तो कि हमने दिया। कौनसे चुनाव करवा दिये देकर ?

श्री टीकमचन्द कान्त : अक्टूबर, 1992 और अप्रेल, 1993 के अन्दर.... (व्यवधान) ...

श्री जुबेर खान : फालतू ढोल पीट रहे हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : इन कार्यों के अन्दर राजस्थान की सरकार....(व्यवधान)..

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें, बाधा न डालें।

श्री परसादीलाल मीणा : राजीव गांधी की देन है, केन्द्र सरकार की देन है इसमें आपका कुछ नहीं है।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री रामनारायण (नैनवां) : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस तरह से यदि कोई गलत आंकड़े देते हैं सदन में तो उनके खिलाफ व्यवस्था दें कि क्या कार्यवाही कर सकते हैं। ये आंकड़े बिलकुल फर्जी हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं ...

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : पहले राजस्थान में भैरोंसिहजी ने आरक्षण किया था पंचायतों में, केन्द्र द्वारा बाद में हुआ है। ....(व्यवधान) ...

श्री सभापति : एक मिनट आप शान्त रहें।

श्री रामनारायण : इसलिए मैं

(श्री रामनारायण)

निवेदन कर रहा हूं कि मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में नयी दिल्ली में निर्णय हुआ था कि बैकलॉग पूरा किया जाये। राजस्थान के अन्दर ....(व्यवधान)....

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : केन्द्र सरकार ने तो नकल की है।

श्री रामनारायण : राजस्थान के अन्दर एक नोटशीट बनायी गयी थी, उस नोटशीट को पता नहीं कौनसी तिजोरी के ताले में बन्द कर दिया गया इस सरकार द्वारा कि आज दिन तक पता नहीं चला। राजस्थान के हरिजनों को नौकरियों में कोई आरक्षण की सुविधा नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री टीकमचन्द कान्त। आप विराजें।

श्री रामनारायण : बैकलॉग में एक नियुक्ति नहीं की और जितनी भी नियुक्तियां दी गयी हैं वह कांग्रेस सरकार ने दी हैं।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री रामनारायण : माननीय सभापति महोदय, इस तरह से गलत वर्णन दे रहे हैं इस सदन में इसलिए उनको प्रताड़ित करने की आप व्यवस्था दीजिए।

श्री सभापति : अब आप बिराजिये। मैं समझ गया आपकी बात। बीच में आप बाधा न डालें।

श्री रामनारायण : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष के आदमी गलत आंकड़े पेश न करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आपका नम्बर आयेगा तब भाषण कर लेना। बिराजिये आप।

श्री सभापति : बैठिये। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आंकड़ों का आप खण्डन कर दीजियेगा जब आपका नम्बर आये। श्री टीकमचन्द कान्त, आप जारी रखिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, यह अभी बता रहे थे लेकिन राष्ट्रपति शासन के अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण कानून के अन्तर्गत जो मुकदमे चलते थे और उनके अन्दर जो एफ. आर. दी जाती थी, यहां माननीय शेखावत साहब की अध्यक्षता के अन्दर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ, उसका सदस्य मैं भी था, बार-बार यह शिकायत आती थी कि उनके मुकदमे के अन्दर एफ.आर. दे दी जाती है और सच्चाई का मालूम नहीं किया जाता है, उस समय कमेटी के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि एफ. आर. देने से पूर्व ऐसे मुकदमे जिला समिति के अन्दर समीक्षा के लिए आ जाने चाहिए। सभापति महोदय, राष्ट्रपति शासन के दरमियान उस व्यवस्था को खतम कर दिया गया। उस समय उस तरफ से कोई नहीं बोला और अब जब मैं सच्ची बात कह रहा हूं तो बीच में बाधा डालने का प्रयत्न कर रहे हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान में अनुसूचित जाति विकास निगम के पास वर्षों से कुछ रुपया पड़ा हुआ है, 70-80 करोड़ रुपये की राशि वह होगी। उस राशि का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। अभी इन्हीं महीनों के अन्दर यह निर्णय लिया

(64)

(श्री टीकमचन्द कान्त)

गया कि उस राशि से अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रावासों को बनाया जाये, टूटे फूटे छात्रावासों की मरम्मत की जाये। ऐसे ऐसे छात्रावास पड़े हुए हैं जिनकी वर्षों से कोई मरम्मत नहीं हो पा रही है, न मालूम कब गिर जायें, कैसे गिर जायें। छात्रावास का नाम है लेकिन बच्चे बाहर सोते हैं। आज उन्होंने तुरन्त इस पैसे का सदुपयोग करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया। शासन तो पहले भी रहा है, समाज कल्याण विभाग पहले भी रहा है लेकिन यह निर्णय उस राशि के विषय में नहीं लिया गया। इस प्रकार की राशि का जो सदुपयोग करने का निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं। उसका हवाला इस अभिभाषण के अन्दर है।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के बैकलॉग के बारे में बात करते हैं बहुत कहा गया अनुसूचित जाति के विषय के अन्दर, रिजर्वेशन के विषय के बारे में लेकिन पिछले समय में जब शेखावत साहब की सरकार थी तब बैकलॉग की संख्या की जानकारी ली गयी थी तो, सभापति महोदय, साढ़े छह हजार का बैकलॉग था जो भरा नहीं गया था। उसके बाद में जब पूछा गया किसी भी विभाग से कि यह संख्या है, वापस भर्ती करो ऐसे लोगों को तो, श्रीमान्, जवाब दिया गया कि जगह खाली नहीं है, बैकलाग जरूर है। यह व्यवस्था विभागों में हुई है। सभापति महोदय, इसके विरुद्ध यहां विधान सभा के अन्दर जब आवाज उठी तो सरकार ने उस समय भी यह आदेश दिया कि सारा का सारा बैकलॉग पूरा किया जाये, पद भरे जायें। उसके तहत ही कोष एवं लेखा विभाग में 330 कनिष्ठ लेखाकारों के पदों हेतु विशेष भर्ती की गयी और परीक्षा आयोजित की गयी और अन्य विभागों के अन्दर यह कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ।

अब रोस्टर के मुताबिक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पदोन्नति नहीं मिल रही है। इस पर शेखावतसरकार का ध्यान गया, उसके सदस्यों का गया और उसके बाद में जो कार्यवाही हुई उसके लिए विशेष डी.पी.सी. बैठायी गयी और कहीं कोई रोस्टर के अन्दर गलती रह गयी थी तो डी.पी.सी. रिव्यू करने के आदेश दिये गये। इसी कारण यह साबित करता है कि अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग एव दलितों के प्रति संवेदनशीलता इस सरकार में जितनी है उतनी शायद कभी नहीं रही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह अभिभाषण भी एक प्रकार से संवेदनशीलता का दस्तावेज है। इसके अन्दर भी इस प्रकार की व्याख्या और वर्णन बार बार आपको मिलेंगे।

सभापति महोदय, कुछ कार्यकलापों का जिक्र भी करना चाहता हूं। 8 हजार मुकदमे आदिवासियों के पिछली बार वापस किये गये एक मुकदमे की पेशियां न मालूम कितनी कितनी बार होती थीं, उनके ऊपर कितना खर्चा होता था, व्यक्तियों की क्या हालत होती थी, ऐसे छोटे मोटे 8 हजार मुकदमों को वापस लेकर हजारों लोगों को राहत पहुंचायी गयी है।

सभापति महोदय, योजनाएं तो कई हैं-जैसे तेंदू पत्ते का सीधा लाभ आदिवासी समितियों को देकर उनके माध्यम से उनको

(श्री टीकमचन्द कान्त)

देना। कई योजनाएं जो पिछली बार चालू की हैं-एकलव्य योजना, अम्बेडकर योजना, वाल्मीकि योजना उन्हीं को ध्यान में रखकर ही चलायी गयीं। उनके माध्यम से लाभ पहुंचाने की कोशिश की गयी।

सभापति महोदय, स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान-वार्षिक योजना का प्रत्येक विभाग के अन्दर 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए ही खर्च होना चाहिए। 1978 में स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान बना था लेकिन आज तक इसके तहत कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज भी किसी विभाग से पूछा जाये कि स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान के तहत आपके विभाग को मिली वार्षिक राशि के अन्तर्गत वह 17 प्रतिशत अलग निकाल कर बतायें कि इस राशि से अनुसूचित जाति के लिए कोई कार्य हुए हैं क्या ? कोई नहीं बता पायेगा। पिछली बार हमने इस सम्बन्ध में निवेदन किया था और उस निवेदन पर कार्यवाही भी प्रारम्भ हुई थी। हमने निवेदन किया था कि स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान का हैड अलग कर दिया जाये। जब तक हैड अलग नहीं होगा तब तक वह राशि पूर्णतः उन लोगों के लिए खर्च नहीं होगी। सभापति महोदय, हालांकि इसके अन्दर भी हम तैयारी कर रहे हैं। इस अभिभाषण के अन्दर एक पैरा डाला है और उस पैरा के अन्दर हमने कोशिश की है कि सारी विभागीय प्रवृत्तियां गांवों के अन्दर प्रारम्भ कर दी जावें, जिन गांवों की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की है।

(13.00)

ऐसे चार-चार गांवों के अन्दर सम्पूर्ण विभाग की सारी प्रवृत्तियां उसी गांव को ध्यान में, लक्ष्य में रखकर के प्रारम्भ कर दी जायें। इसके लिए तो मैं उनको, बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। इस अभिभाषण के अन्दर उन बातों को दोहराया गया है। यह कहा गया, यह याद दिलाया गया कि अन्त्योदय योजना शायद विश्व के अन्दर वह प्रथम योजना थी जिसका अध्ययन करने के लिए विश्व के कुछ एक्सपर्ट या विशेषज्ञ आये। वह प्रथम योजना थी जिसके आधार पर केन्द्र सरकार ने भी अन्य दूसरे नाम से योजना बनाकर गरीबों का उत्थान और गरीबी का उन्मूलन करने की कोशिश की। आज तक जो हमको जो रास्ता नहीं मिला था या वह सिद्धांत नहीं मिला था कि हम किस प्रकार इस गरीबी का उन्मूलन करे; अन्त्योदय योजना उसके लिए सर्वप्रथम योजना थी। एक दिशा निर्देशन था जिसके तहत गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता था। अब उसकी क्रियान्विति बीच के सालों में कैसी हुई, कैसी नहीं हुई उसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन इस योजना के बराबर या इसके समकक्ष कोई अन्य योजना हमें नजर नहीं आयी। लोगों की भागीदारी, सहभागिता योजनाओं के अन्तर्गत यह काम के बदले अनाज योजना उस समय चलाई गई।

सभापति महोदय, जिन गांवों के अन्दर उस समय यह योजना चलायी गयी थी, लोगों के घरों के अन्दर अगर अनाज खोजने जाएं तो उनके घरों में 5 किलो या 10 किलो अनाज नहीं मिलता था, उस समय मजदूरों के घरों के अन्दर गेहूं

66

(श्री टीकमचन्द कान्त)

की बोरियां आयी। उस योजना का सीधा लाभ मिला था गरीब को। सभापति महोदय, 'अपना गांव अपना काम योजना' वास्तव में सीधी बात है। शरद जोशी जी की वह पंक्ति जिसे व्यंग्यात्मक लेख के अन्दर उन्होंने एक बार, नवभारत टाइम्स में लिखा था, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का राष्ट्र घर की चौखट के बाहर से शुरू हो जाता है और वहां जो राष्ट्र है उसका वह खोसने का है, छीनने का है, उस पर अतिक्रमण करने का है, उसे अधिकार में लेने का है, उसका शोषण करने का है और यह प्रवृत्ति हमने देखी। सरकारी भवन हो, सरकारी चीज हो, सरकारी माल-सामान हो, वह छीनने की चीज हो, खोसने की चीज हो, तोड़ने की चीज हो, फोड़ने की चीज हो, उसके प्रति कोई भी भावात्मक लगाव पैदा नहीं होता। इसी कारण से अपना गांव अपना काम योजना प्रारम्भ करने के साथ चाहे उनका हिस्सा भले ही 30 प्रतिशत हो, या 20 प्रतिशत हो, बाकी हिस्सा सरकार की तरफ से जरूर दिया जाय। यह सोच राजस्थान की सरकार का है, यह सोच भैरोंसिंह शेखावत का है। उस सोच के तहत प्रत्येक योजनाओं के साथ वहां की जनता का लगाव हो और लगाव होने के बाद में आपने देखा होगा कुछ समय के बाद में वह रिजल्ट सामने आयेगा कि उनके द्वारा तैयार करवाये गये भवन दूसरे भवनों से ज्यादा मजबूत हैं। उनके द्वारा तैयार करवाये गये भवन भी जनता द्वारा बिगाड़े नहीं जायेंगे व तोड़े-फोड़े नहीं जायेंगे। उनके साथ में यह भावात्मक लगाव हुआ है और इसी प्रकार इस योजना के माध्यम से इस सरकारी धन का, जनधन का खर्चा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसका भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की भावना पैदा की गयी।

सभापति महोदय, कौन भूल सकता है उस बात को जब बैंकों से 300 करोड़ की राहत दी गयी। प्रत्येक व्यक्ति आज भी याद कर रहा है कि कोई मसीहा आया था; किसी समय नारा दिया था और हमें उस कर्जे से निजात मिली वह कर्जा भरने योग्य नहीं रह गया था। जब उस पर ऋण की वसूली निकालते थे तो वह भागा फिरता था उससे उसको निजात दिलायी। लाखों किसानों को लाभ हुआ और उन्होंने राहत पायी, उस बात को लोग याद करके कहते हैं।

आज का यह दस्तावेज अभिभाषण जो दिया गया है उसके विषय में संशोधन भी आये हैं इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है और मैं ये पुरानी बातें याद दिलवा रहा हूं कि इस अभिभाषण के अन्दर जो कुछ भी कहा गया है या रूपरेखा के रूप में कहा गया है, इस अभिभाषण का सन्दर्भ मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि कुल मिलाकर के इन गरीबों के, कमजोर वर्गों के, किसानों के हम हिमायती हैं, उनके हामी हैं और इसके द्वारा हम उनका विकास चाहते हैं उनकी उन्नति चाहते हैं और इसका खजाना उनके लिए है यह साबित करना चाहते हैं। बारानी भूमि का लगान माफ कोई और नहीं कर सकता था क्या? राजस्थान की सरकार ने सर्वप्रथम यह कार्य किया और सबसे बड़ी बात आज मेरे पास में आंकड़े नहीं हैं लेकिन सातवीं पंचवर्षीय

(श्री टीकमचन्द कान्त)

योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना के विषय के अन्तर्गत तुलनात्मक हम देखेंगे तभी तो यह प्रश्न उठता है सामने। हम कहते हैं 60 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को इस बजट के अन्दर हमने दिया है। आज मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है लेकिन मैं बता सकता हूं। हमारे यहां पर प्रश्न उठता है कि ऐसी मद तो बताइये कि जिसके माध्यम से हम यह कह सके कि यह 60 प्रतिशत हुआ हैं, यह बजट इस तरफ आ गया और 60 प्रतिशत ग्रामीणों के लिए बन गया। अगर कोई माननीय सदस्य कुछ समय बाद उनका अध्ययन करें और तुलनात्मक अध्ययन करें तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि वास्तव में 60 प्रतिशत हमारा जो बजटका हिस्सा है वह ग्रामीणों का है और किसानों का है। इस प्रकार हमने वादा पूरा किया है और इस वादे को निभाते जाने की हमने तैयारी की है कि इस बजट का 60 प्रतिशत के ऊपर हिस्साग्रामीण को जायेगा60 प्रतिशत से ऊपर हिस्सा गरीबों के लिए होगा, किसानों के लिए होगा।

जैसा मैं फिर याद दिला दूं, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर कृषि और उससे सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए 203.41 करोड़ रुपये था लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमने जो व्यवस्था करने की बात की है वह है 1286.12 करोड़ रुपये की। एक आंकड़ा इसका देता हूं जिसका उल्लेख इसके अन्दर है। कृषि के अन्दर सुधार की बात की गयी, कृषि के अन्दर अनुसंधान की बात की गयी और इसके लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने की बात की गयी।

यह बात तो सारी की गयी लेकिन उसके पूर्व जो डंकल प्रस्ताव की बात की गयी उस डंकल प्रस्ताव से सावधान रहने की बात की गयी। सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी कहा था और शायद आखिरी बार भी बोलते हुए कहा था कि यह डंकल प्रस्ताव हमारे लिए गुलामी का दस्तावेज है। एक इस प्रकार का शिकंजा है कि इस देश के किसान की गर्दन को अपने हाथ में ले लेगा। आपको मालूम होगा कि डेढ़ सौ करोड़ किसान दुनिया के अन्दर हैं जिसमें 80 करोड़ किसान मात्र भारत और चीन के अन्दर हैं और आधा हिस्सा किसानों का भारत के अन्दर है 40 करोड़। उन किसानों की क्या हालत होगी ? सभापति महोदय, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यू. एन. ओ. की रचना हो रही थी, संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन बन रहा था, साथ ही साथ, एक व्यापार समझौता भी हुआ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एण्ड टेरिफ। एक समझौता था आपस के अन्दर देशों का व्यापार इस प्रकार चला करे, वह समझौता कोई खराब समझौता नहीं था लेकिन धीरे-धीरे आते हुए आर्थर डंकल जब गेट के एम. डी. बने और उसके अन्दर अमेरिका के हितों और उसके साथी देशों के हितों के लिए इस विश्व के अन्दर उनकी कैसे चले, पूरा विश्व उनके लिए कैसे पूरा बाजार बन जाय, उसके लिए यह डंकल-प्रस्ताव सामने आया। सभापति महोदय, 1986 में जब डंकल प्रस्ताव सामने आया उसके बाद से न मालूम कितनी बार इसके चक्र हो गये। दुनिया को समझाया गया, देशों को समझाया गया, सब मना करते रहे लेकिन उधर अमेरिका का सुपर 301 और उसका

(श्री टीकमचन्द कान्त)

सहारा लेकर के अन्य राष्ट्रों को दबाया गया और उसके बाद 117 राष्ट्र इस समझौते के अन्दर शामिल हुए। डंकल प्रस्ताव मात्र अगर यह एक व्यापारिक समझौता होता तब तो चलता, इस व्यापार के अलावा गैट के अन्दर कृषि कभी नहीं था पहले उसके अन्दर इन्टैलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट नहीं था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एण्ड टेरिफ उसमें नहीं था, यह सारी चीजें ट्रिप्स, ट्रिम्स, गैट बाद में जोड़ी गयी और उसके साथ में यह समझौता हुआ उसके कारण वास्तव में यह गुलामी का दस्तावेज है, जैसा कि मैं कह रहा हूं वह हुआ।

सभापति महोदय, पेटेन्ट यानी कोई भी व्यक्ति पेटेन्ट करवाने के बाद में उस वस्तु का उपयोग नहीं कर पायेगा भले ही हमने हाइब्रिड यहां पैदा किया है, उसका पेटेन्ट हम नहीं करवा सके हैं और वह पेटेन्ट अगर किसी और ने करवा लिया तो हम उसका बीज तब भी नहीं बो सकेंगे। ये पेटेन्ट दवाइयों के विषय में यहां भारत में भी था लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थीं, क्रियाओं के अन्दर थोड़ा परिवर्तन कर दें, एक वस्तु को उसके अन्दर और डाल दें तो हम उसके बराबर की दवाई यहां पर तैयार कर सकते थे लेकिन उसके बाद में जीवन रक्षक दवाइयां हो, या किसी भी प्रकार की दवाई हो, वह पेटेन्ट हो गयी तो हम किसी अन्य प्रक्रिया से भी उसको करना चाहें तो हम दवाइयों का उत्पादन इस देश में नहीं कर सकते और यह बिल्कुल सही बात है, जो गोली हम यहां 80 पैसे में खा सकते हैं, वह बाहर की गोली हमें 8 रुपये में खानी पड़ेगी इस पेटेन्ट के लागू होने के बाद में ये गैट का समझौता लागू होने के बाद में। अप्रैल में दस्तखत होने जा रहे हैं सभापति महोदय, अगर राजस्थान विधान सभा के अन्दर अभिभाषण के अन्दर, जैसा कि कहा गया है कि हम संघ राज्य है, संघीय संविधान है, यहां हम भी जनता का प्रतिनिधित्व किसी न किसी रूप में करते हैं, अच्छा होता यदि केन्द्र ने राज्यों से पूछ लिया होता, उनके साथ में एक वार्तालाप हो गया होता लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के तले इस भारत को डुबोने वाले लोग, इसकी संघीय व्यवस्था के तहत उन्होंने राज्यों को विश्वास में नहीं लिया और न यहां की जनता के साथ वार्तालाप हुआ और इस प्रकार गैट समझौते को स्वीकार कर लिया। सभापति महोदय, इस गैट समझौते में ये बात है कि 3 प्रतिशत अनाज या जो कुछ भी कृषि की पैदाइश है, वह आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। उस गैट समझौते में यह व्यवस्था है कि जो सीमा शुल्क है, वह जितना है उतना ही रखना पड़ेगा, अपनी मर्जी से रख नहीं पायेंगे। कितनी चीजें इस देश के अन्दर आ जायेंगी, कहते तो खूब हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ये, हम पूरे खगोल के अन्दर छा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये आर्थिक सीमाएं छोड़ रहे हैं तो फिर राजनीतिक सीमाएं भी छोड़ो, फिर तो जमीन की सीमाएं भी छोड़ो, राष्ट्र को आबाद रखने के लिए उसकी अपनी भी एक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। जब हम राजकीय दृष्टि से ये देख सकते हैं जब हम सीमाओं और जमीन की दृष्टि से ये देख सकते हैं, फिर ये विश्व के अन्दर मिलने

(श्री टीकमचन्द कान्त)

की बात, तो फिर प्रत्येक रूप से विश्व के अन्दर मिल जाना चाहिए। फिर क्यों हमें कश्मीर के लिए बोलना चाहिये, क्यों हमें किसी ओर के लिए बोलना चाहिये, यह दोतरफी बात नहीं चलेगी। इस देश को भी अपनी कोई न कोई आर्थिक रूप से स्वतन्त्रता कायम रखनी पड़ेगी तभी तो मैंने कहा था कि यह गुलामी का दस्तावेज है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इसी गैट समझौते के अन्दर उन सर्विसेज को, बीमा की सर्विसेज हैं, बैंकों की सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, सबको आमंत्रण, सबको फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। कोई भी आ सकता है, यहां कार्य कर सकता है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां खुल सकती है, यह सारा सब कुछ हो सकता है और उनको उतनी ही फैसेलिटीज देनी पड़ेगी जितनी वो चाहते हैं। कार्गिल कम्पनी के ऊपर हैदराबाद में जब किसानों का आक्रमण हुआ, उस समय कार्गिल कम्पनी के यहां के मैनेजर ने जो कहा वह सोचने लायक बात है। उसने कहा, यदि हमारी रक्षा ये लोग नहीं कर सकते तो मैं आस्ट्रेलिया से सैनिक लाऊंगा और उनके द्वारा अपनी रक्षा करूंगा। ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी तो कुछ लेकर आयी थी। यह देश कहां से कहां पहुंच सकता है सभापति महोदय, इस पर मैं ज्यादा भार देना चाहता हूं। एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जितने समय तक इस देश को गुलाम बनाया, न मालूम कितना लम्बा स्वतन्त्रता संग्राम झेलना पड़ा, कितने लोगों ने बलिदान दिया। आज सैंकड़ों की संख्या में आने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा देश अगर गुलाम हो गया तो कितने भगतसिंह पैदा करने पड़ेंगे, कितने चन्द्रशेखर पैदा करने पड़ेंगे, कितने गांधी उस सत्याग्रह के लिए निकालने पड़ेंगे। हमें समय रहते चेतना चाहिये।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण के अन्दर जो बात डंकल प्रस्ताव के बारे में की गयी है, वह बिल्कुल उचित की गयी है, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिये और मैं उस पर धन्यवाद देता हूं, इसके अन्दर चर्चा हुई होगी, विवाद हुआ होगा कि केन्द्र सरकार ने जो स्वीकार कर लिया वह राज्यों को भी स्वीकार कर लेना चाहिये लेकिन जिस प्रकार हमने इस पैरा को लिखा है, मैं धन्यवाद देता हूं कि कई वाद-विवादों के बाद में भी यह पैरा इसके अन्दर आया है, यह बहुत आवश्यक था। जो हमारी नीति है उससे लगता है कि हम जनता के हितों के साथ में किसी बात का समझौता करने के लिए तैयार नहीं।

सभापति महोदय, 1990-91 के अन्दर यहां एक अभिभाषण था, उसके अन्दर कहा गया था राजस्थान किस स्थान पर है। 14 प्रमुख राज्यों में, देश के 17 प्रमुख राज्यों के अन्दर उसका स्थान कहां पर है, उसको आगे लाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी योजनागत व्यय करने की, उसको ज्यादा बढ़ाने की, योजना के लिए ज्यादा पैसा लाने की। हालांकि गाडगिल फार्मूला बहुत आड़े आ रहा था लेकिन उसके लिए भी संघर्ष करते हुए भी याद करें साहब, योजनाओं के लिए जब-जब भी पैसा आया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शेखावत साहब को इस मामले में, जब-जब भी इनका शासन आया और योजना के लिए पैसा लाने की बात थी, वार्षिक योजनाओं

(श्री टीकमचन्द कान्त)

को स्वीकृत कराने की बात थी, उन्होंने इस राजस्थान के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा लाने की कोशिश की। सभापति महोदय, 1977 में जब शासन में आये तो 166 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना हमें विरासत में मिली लेकिन जिस प्रकार 1990 में आते ही उन्होंने प्रारम्भ कर दिया था, 795 करोड़ रुपये की योजना को 865 करोड़ करवा दिया था, उसी प्रकार 1977 में भी 166 करोड़ रुपये की योजना को 195 करोड़ रुपये की योजना बना दी। सभापति महोदय, 1978-79 के अन्दर 235 करोड़ रुपये की योजना और 1979-80 में 295 करोड़ रुपये की योजना बनी यानी उसमें निरन्तर वृद्धि होती रही हालांकि पांचवीं योजना 800 करोड़ रुपये की थी। हम जिस समय शासन में आये उस समय पांचवीं पंचवर्षीय योजना लागू थी, जो 1974-79 तक थी, फिर दो वर्ष इधर-उधर कर दिये गये लेकिन जब छठीं पंचवर्षीय योजना बनी, उस योजना में आधारभूत वर्षों के अन्दर हमने वार्षिक योजनाओं में जो वृद्धि की, उसके फलस्वरूप छठी पंचवर्षीय योजना 2250 करोड़ रुपये की बनी, 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2250 करोड़ रुपये और सातवीं पंचवर्षीय योजना में सारे के सारे पैरवी करने वाले, हमारे आंकड़े देने वाले कांग्रेसी, जब सातवीं पंचवर्षीय योजना आयी 2250 करोड़ रुपये की। कहां तो हम 800 से 2250 करोड़ रुपये दुगुने से भी अधिक और कहां सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार हो रही थी मात्र 3000 करोड़ रुपये की। पैरवी नहीं हुई दिल्ली के अन्दर, मजबूती के साथ राजस्थान के पक्ष को रखने वाला कोई नहीं था, इसी कारण से ये हालात हुए लेकिन उस सातवीं से आठवीं पंचवर्षीय योजना की बारी आयी, 11500 करोड़ रुपये की योजना बनी, 283 प्रतिशत वृद्धि, यानि जब-जब भी हमारा शासन आया, इस राजस्थान प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए हमने दिल्ली से या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ही सही, हमने योजनाओं के लिए अधिक से अधिक पैसा प्राप्त किया और हम लगे रहे कि राजस्थान शिक्षा में नीचे के स्थान को छोड़कर ऊपर आये, वह सड़कों के मामले में ऊपर आये, चिकित्सा और स्वास्थ्य के मामले में ऊपर आये और यह अरावली की पठारों और पहाड़ियों के अन्दर बिखरी हुई जनसंख्या वाला राजस्थान, 40 प्रतिशत जनसंख्या उस रेगिस्तान के अन्दर रहती है जो इस राजस्थान का दो तिहाई भाग है। उसकी वकालत जब तक मजबूती के साथ में नहीं होगी, योजना के लिए पैसा ज्यादा जब तक नहीं आयेगा, ज्यादा मात्रा में नहीं आयेगा, तब तक राजस्थान का विकास संभव नहीं, तब तक दूर-दूर तक बढ़ी हुई बस्तियों का विकास सम्भव नहीं। इसलिए आवश्यक था कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धन इन योजनाओं में लगा करके इस राजस्थान को आगे बढ़ाया जाय, उसकी उन्नति की जाय।

अब मैं एक बात और कह दूं, श्रीमन्। 1991-92 में जो योजना 895 करोड़ की थी वह अब 1100 करोड़ की है, उसके बाद में 1400 करोड़ की, उसके बाद 1705 करोड़ की। वैसे तो यह था कि 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष योजना की राशि में वृद्धि

(श्री टीकमचन्द कान्त)

होगी लेकिन इस बार 44 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उस 20 प्रतिशत के नियम को तोड़ करके 44 प्रतिशत वृद्धि हुई है और यह 44 प्रतिशत वृद्धि का श्रेय सीधा उस वकील को जाता है जिसने इस प्रदेश के पक्ष को मजबूती से दिल्ली के अंदर रखा है और उसके तहत....

श्री परसादीलाल मीणा : भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिये।

श्री सभापति : आप दे लेना थोड़ी देर बाद।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : भारत सरकार के प्रतिनिधि को दे रहे हैं ये, आप भी मदद करो।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, अभी तक 7 हजार गांवों के अंदर फ्लोराइड है। फ्लोराइड वह जहर है जो शरीर के अंदर निश्चित मात्रा से अधिक चला जाय तो व्यक्ति को कुबड़ा कर देता है, दांतों को पीला कर देता है, जबड़ों को टेढ़ा-मेढ़ा कर देता है, घुटने अकड़ जाते हैं, हाथ-पांव टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है। वह फ्लोराइड राजस्थान के 7 हजार गांव पी रहे हैं। इनके लिए कोई विशेष योजना आज तक नहीं आयी, उनके लिए कोई कष्ट किसी को नहीं हुआ। विश्व बैंक से एक बार जरूर उनके लिए फिल्टर लगाये गये थे, वे शायद फेल हो गये। सभापति महोदय, इस अभिभाषण के अंदर वापस फ्लोराइड का जिक्र है, इन्होंने प्रारंभ किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, अजमेर के अंदर फ्लोराइड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, 14 करोड़ रुपये की योजना भी अजमेर के लिए मंजूर हुई है लेकिन जालोर के अंदर, बाड़मेर में, सिरोही के आसपास फ्लोराइड उसी मात्रा में है, उनके लिए भी योजना तुरन्त बने। यह तय है कि हमें शुद्ध और स्वच्छ जल पिलाना है इसलिए कोई न कोई बड़ी योजना इस फ्लोराइड के लिए बनानी पड़ेगी क्योंकि वह जहर ज्यादा समय तक लोगों को नहीं पिलाया जा सकता। इस सवेदनशीलता के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पानी की योजनाओं पर 2 हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन अभी भी प्रश्न आते हैं, 40 किलोमीटर दूर है, पानी नहीं पहुंच पाया, होदियां बनी हुई हैं, पाइप लगे हुए हैं लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया। ये प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़े हैं। हमें नये स्रोत खोजने पड़ेंगे। पानी का बचाव कैसे हो, उसका कम खर्च कैसे किया जाय, पानी को रिसाइकलिंग कैसे किया जाय, किस प्रकार उसको शुद्ध करके पीने के काम में लाया जाय। यह धरती ज्यादा समय तक इसी प्रकार पानी नहीं दे सकती, इसके लिए हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है।

पशुपालन के मामले में, सभापति महोदय, 4.77 करोड़ पशु यहां के ग्रामीण की, किसान की एक आर्थिक धुरी है। इन्हीं पशुओं से इस देश की 10 प्रतिशत दूध की आवश्यकता पूरी होती है और इस देश की 30 प्रतिशत मांस की खपत को पूरा करता है तो वह राजस्थान करता है। इस देश की ऊन की खपत जितनी है उसका 40 प्रतिशत हिस्सा इस राजस्थान का है। अगर अभिभाषण के अंदर पशुपालन के विषय में

(श्री टीकमचन्द कान्त)

पैरा नहीं होता तो यह अधूरा गिना जाता लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात हमने की है गोपाल योजना की। गोपाल योजना के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान करके उनकी नस्ल को सुधारने की बात है, पशुओं को ज्यादा दुधारू बनाने की बात है, पशुओं को ज्यादा उन्नत और अच्छा बनाने की बात है और वास्तव में सही बात है, आज 1650 गोपाल इस प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक गोपाल के हिस्से में एक हजार प्रजनन योग्य पशु आते हैं और 16.5 लाख पशुओं को हम सीधी गोपाल सेवा दे रहे हैं और यह आवश्यकता भी है। कृत्रिम गर्भाधान के अंदर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम 2.41 लाख का लक्ष्य प्राप्त कर चुके थे लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर और अभी 1992-93 के एक वर्ष के अंदर 2.41 था लेकिन 92-93 के अंदर 5.99 लाख कृत्रिम गर्भाधान हुए हैं इस गोपाल योजना को लागू करने के माध्यम से। गोपाल योजना का विस्तृतीकरण करने की जो बात की गयी है, उसमें सुधार करने की बात की है उसके कारण इस प्रदेश के अंदर यह जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के अंदर एक प्रकार का विकास होगा। वैसे भी 55,200 टन दूध उत्पादन का हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को जब प्राप्त करना होगा तो हमें उन्नत नस्ल चाहिए, ज्यादा दुधारू पशु चाहिए, तब कहीं हम धवल क्रांति कर सकते हैं, तब कहीं इस प्रदेश को हम आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। जो तुलनात्मक आंकड़े हैं, अन्य प्रदेशों के अनुकूल हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वह कोशिश की है इस अभिभाषण के माध्यम से।

मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार; माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार की प्रकृति के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप 47 वर्षों की आजादी के इतिहास को देखेंगे तो मेरे ख्याल से 33 वर्ष अकाल है और शेष वर्षों में जो भी वर्ष बचे हैं उनमें देखा जाय तो जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी या भैरोंसिंह जी की सरकार आयी तो उस समय अकाल नहीं रहा वह गिनती योग्य बात है। जनता गिनती कर रही है।.... (व्यवधान).... हां, भगवान की मेहरबानी भी होती ही है। हम इसके माध्यम से यह तो नहीं कह सकते कि हम अद्भुत ही करेंगे।

मैं दो पंक्तियां कहकर अपनी बात पूर्ण करता हूं और मैं समझता हूं मेरे द्वारा रखे गये प्रस्ताव को पूरा सदन स्वीकार करेगा। हम यह नहीं कहते कि हम अद्भुत करेंगे लेकिन उन्होंने जो छिद्र छोड़े हैं उन्हें पाटने का प्रयत्न करेंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अर्जुन दास मदान।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : सभापति जी, सरकारें राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर चला करती हैं और जब-जब भी सरकारों का प्रारूप बदलता है निश्चित रूप से यह माना जायेगा कि उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण की अपनी अहम् भूमिका रहती है। हम क्या घोषणा करते हैं, क्या कार्य प्रणाली अपनाते हैं उसी

(श्री अर्जुनदास मदान)

आधार पर सरकारें चलती हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में चलने वाली तीनों सरकारें चाहे वह 1977 से 1980 तक चली हो, चाहे 1990 से 1992 तक चली हो या यह तीन-साढ़े तीन महीने की अल्पावधि का शासनकाल हो, आप मानेंगे कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने कहा वह किया। हमारी कथनी और करनी में किसी प्रकार का अंतर यदि किसी को देखने को मिला हो तो मैं यह मानता हूं कि वह केवल मात्र हमारे ऊपर एक दोषारोपण करने का प्रयास करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यदि "राम, रोटी और इंसाफ" का नारा दिया तो उसकी भी पूर्ति करने का भरसक प्रयत्न किया। यदि भारतीय जनता पार्टी ने कोई और घोषणा की तो उसकी भी पूर्ति करने का प्रयास किया और यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाय उन सरकारों का जो कांग्रेस ने चलायीं और उन सरकारों का जो भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में इस प्रदेश में चलीं तो मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्दर्शन में चलने वाली सरकारें निश्चित रूप से अपेक्षाकृत बेहतर थीं और मैं यही कारण समझता हूं कि आज जितने भी विपक्ष, जितने भी लोग इंडिपेंडेंट जीतकर आये या उन्होंने समर्थन दिया, अगर वे यह मानते कि कांग्रेस की सरकार बैटर चलती है तो मैं समझता हूं कि उनका समर्थन कांग्रेस के साथ होता और इंडिपेंडेंट लोगों ने समर्थन किया तो यह माना जायेगा कि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुलनात्मक रूप से कांग्रेस से कहीं अधिक बैटर है।

मैं उस दृष्टि से, मान्यवर, आपका ध्यान केवल आंकड़ों की ओर थोड़ी देर के लिए ले जाना चाहता हूं। 1977 से 1980 में जनता पार्टी की पहली सरकार बनी और विकल्प के नाम पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी विद्यमान है और आप यह स्वीकार करेंगे कि उस समय जो 170 करोड़ रुपये का विनियोजन कांग्रेस के शासन काल में चला था वह बढ़ कर 295 करोड़ रुपये हो गया। उसी के उपरांत यदि आप 1990 से 1992 के बीच में देखेंगे जो 750 करोड़ की नियोजन की राशि थी वह बढ़कर 1450 करोड़ हो गयी और 1993....

श्री सभापति : मदान साहब, उस प्रस्ताव को पढ़ दीजिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : पूर्व में ही रख दिया था, वापस पढ़ूं ?

श्री सभापति : पढ़ दिया था, विराजिए। मदान साहब, बोलिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : आप कहें तो वापस पढ़ दूं।

श्री सभापति : पढ़ दिया तो विराजिए। पढ़ दिया न आपने।

श्री टीकमचन्द कान्त : हां, पढ़ दिया।

श्री सभापति : आप विराजिए।

श्री अर्जुनदास मदान : मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था, मैंने 1977 से 1980 तक के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत

(श्री अर्जुनदास मदान)

किये और 1990 से लेकर 1992 तक आप देखेंगे कि 750 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 1450 करोड़ नियोजन के मद में यदि करने का किसी को अधिकार प्राप्त हुआ या जिसने उसकी रूपरेखा बनायी, वह भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार थी। और आज तीसरी सरकार के रूप में भी मैं यह निवेदन कर दूं कि 1704 करोड़ रुपये का जो नियोजन हुआ था वह बढ़ करके आज 2450 करोड़ हो गया यानि 44 प्रतिशत की वृद्धि आज देश के इतिहास में कोई भी बता दें कि एक वर्ष में कभी भी 44 प्रतिशत की वृद्धि किसी सरकार ने की। मैं मानता हूं, आज भी देश में दूसरा प्रान्त ऐसा है जिसे हम दिल्ली की सरकार कह सकते हैं उसका हमसे भी प्रतिशत ज्यादा है नियोजन की दृष्टि से, किन्तु राजस्थान 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी लेकर आज पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है और यदि मैं योजना के आधार पर भी आपका ध्यान आकर्षित करूं, मान्यवर, आप स्वयं मानेंगे कि 11, 500 करोड़ रुपये लाने का श्रेय यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और माननीय भैरोंसिहजी शेखावत को। 11,500 करोड़ रुपये यानि सात योजनाओं से केन्द्र सरकार से लायी जाने वाली राशि को आप एक तरफ कर दें तो सातों योजनाओं में राजस्थान प्रांत के लिए जो राशि आवंटित की गयी, 11,500 करोड़ रुपये की यह राशि सातों योजनाओं से मिलने वाली राशि से अकेली अधिक है, ज्यादा है। मान्यवर, यह आप स्वीकार करेंगे, आखिर तेल तो तिलों में से निकलेगा, कोई घाणी में से या लाट में से निकालना चाहे तो उससे प्राप्त नहीं होता। नियोजन की राशि हम बाजार में ज्यादा खपाते चले जायेंगे या अपने कार्य-कलापों में लगाते चले जायेंगे तो उसका प्रतिफल भी हमको मिलेगा।

कृषि के मामले में मैं जब अपनी बात को रखूंगा तो मैं निवेदन करूंगा कि 4 प्रतिशत हमारा केवल मात्र नियोजन था कृषि के ऊपर। देश का सबसे बड़ा कृषि प्रधान प्रान्त होते हुए भी, जहां पर 80 प्रतिशत आबादी आज गांवों की तलहटी में निवास करती है, वहां पर आप कल्पना कीजिये, केवल मात्र 4 प्रतिशत हम खर्च करते रहे और सौतेला व्यवहार किया हमने उस किसान के ऊपर जिसको हम केवल मात्र यह कहते रहे कि यह सबसे नजदीकी आदमी है हमारे लिए और उसके उत्थान की बात करते रहे लेकिन हम नियोजन की दृष्टि से केवल मात्र 4 प्रतिशत ही नियोजन करते। जब हमारी सरकार आयी तो इस राशि को बढ़ा करके हमने 20 प्रतिशत कर दिया। आज उस स्थिति का आंकलन आप करेंगे मान्यवर, तो आप पायेंगे कि आज तिलहन के क्षेत्र में हमारा यह सूबा, हमारा यह प्रान्त हिन्दुस्तान में सबसे पहले स्थान पर है, सकल देश का उत्पादन जो सरसों का होता है, चालीस प्रतिशत इस देश की धरती उगलती है। तिलहन में आज हम प्रथम स्थान पर, सरसों में चालीस प्रतिशत सकल उत्पादन का उत्पादन अकेला राजस्थान कर रहा है, सोयाबीन में हमारा दूसरा स्थान है। आखिर यह प्रतिफल क्यों प्राप्त हुए, केवल मात्र इसलिए प्राप्त हुए कि चार प्रतिशत नियोजन की राशि को बढ़ा कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीस प्रतिशत कर दिया।

(श्री अर्जुनदास मदान)

मान्यवर, मैं दूसरा निवेदन कर दूं। आज कल्पना कर लीजिए छूते, अछूते लोगों की, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बात तो करता है समाज, किन्तु आज उन होस्टल्स को आप देख लें जो चालीस के कांग्रेस के शासन काल में बने और आज यह 57 होस्टल्स बने हैं जो हमारे शासन काल में बने, आज कौन सा ऐसा तबका है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कृषकों के बारे में आपसे निवेदन कर चुका हूं, मजदूरों के बारे में आपको निवेदन करूं तो तेरह रुपये मिनिमम वेजेज था....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : पांच छात्रावास तो आदिवासियों के अभी बंद किये हैं आपने।

श्री अर्जुनदास मदान : ऐसा है साहब, वह तो अभी आप सब बोलेंगे आपका नम्बर आयेगा, मेरे लिए आदरणीय हैं, मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूं पर मैं देना नहीं चाहता क्योंकि जिनका मैं आदर करता हूं उनके सामने बोलने की मैं इच्छा भी नहीं करता।

तो मेरा यह निवेदन है, मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आज 13 रुपये से बढ़ा कर मिनिमम वेजेज किसने ज्यादा किया, बीस प्रतिशत हमने किया। 1991-92 में जिस जवाहर रोजगार योजना में हमारा प्रथम स्थान था, इन दो सालों में, मान्यवर, घटकर नवें स्थान पर पहुंच गये हैं, यह किसकी देन है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत हमने कुल 131-130 करोड़ रुपये खर्च करने थे जबकि राज्य सरकार ने 170 करोड़ रुपये उसके ऊपर खर्च किये। यह किसानों की बहबूदी की बात करते हैं। किसानों के बारे में मैंने आपसे निवेदन कर दिया, मजदूरों के बारे में आपसे निवेदन कर दिया। आप केवल मात्र उस समय 170 रुपये मिनिमम, जो शिड्यूल्ड कास्ट के होस्टल में रहने वाला अनुसूचित जाति, जनजाति का एक छोटा सा बालक था, जो शिक्षा लेने के लिए उन होस्टल्स में आता था उस पर यह सरकार केवल मात्र 170 रुपये देती थी उसे बढ़ा कर 250 रुपये किसने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके बावजूद आप चाहे एकलव्य योजना ले लें, सामुदायिक विकास योजना ले लें, तीस जिले तीस काम योजना ले लें, अपना गांव अपना काम योजना ले लें, इन सारी की सारी योजनाओं की क्रियान्विति को मूर्त रूप देने का यदि किसी को श्रेय प्राप्त है तो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। मान्यवर, मैं केवल मात्र इतना निवेदन करना चाहता था आपसे कि यह स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो देखने को मिली वह आपके सामने है। इसके अतिरिक्त आज हम नये जिलों में भी इसी दृष्टि से, समाज कल्याण के क्षेत्र में भी, जो हम नयी योजना बनाने वाले हैं, दौसा और बारां जिले को हमने छांटा है जहां आवासीय योजना के अन्तर्गत मजदूर, एस.सी. और एस.टी. के बालक पढ़ें, वहां पर बालकों को रखा भी जायेगा, उनको समाज की दृष्टि से जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए वह मिलेगी। अभी तो केवल मात्र एक प्रारूप के रूप में दो जिलों को छांटा है, दौसा और बारां, जहां छात्रावासों का

(श्री अर्जुनदास मदान)

निर्माण करने की सरकार योजना बना रही है और उसे निश्चित रूप से बनायेगी।

इन सामाजिक तथ्यों के आधार पर मैं केवल मात्र यही आपसे निवेदन करना चाहता था मान्यवर कि आज भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र को ले लीजिए। चिकित्सा की दृष्टि से भी भी आप मानेंगे, आप मुझे छोटी से छोटी ग्राम पंचायत समिति बता दें जहां तीस बैड का हास्पिटल माननीय ललितजी ने नहीं बनवाया हो। आज आप सवाई मानसिंह हास्पिटल ले लें, हमारे कोटा के हास्पिटल को आप देख लें, यदि और भी किसी स्थान पर देख लें तो आज चिकित्सा की सुविधाओं का विकास जितना पिछली बार हुआ है उतना, मैं यह कह सकता हूं किसी भी वर्ष में नियोजित की जाने वाली राशि में उतना विकास कभी नहीं हुआ चिकित्सा के क्षेत्र में, जितना आज हुआ है।

आबादी के बारे में भी हम सजग हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है मान्यवर, और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आज सदन के पक्ष के बीच में भी, कि आज सारे संसार में यदि आबादी बढ़ती है किसी देश की तो वह है प्रथम बांग्लादेश और दूसरे स्थान पर यदि किसी देश की आबादी बढ़ती है तो वह है मेरा भारत और उस भारत के विभिन्न प्रान्तों में भी यदि सर्वाधिक आबादी की बढ़ोतरी किसी प्रान्त में होती है तो वह मेरा प्यारा राजस्थान है। आप कल्पना कर लीजिए, राजस्थान की बढ़ती हुई आबादी के प्रति यदि हम सचेत नहीं हुए और यदि यही आबादी रहे, आज एक मिनट के अन्दर देश में 45 बच्चे पैदा होते हैं मान्यवर, और यदि मैं दस मिनट भी बोल दूं तो आप कल्पना कर लीजिए कि कितने बच्चों ने इस धरती की छाती पर जन्म ले लिया। उद्योग की दृष्टि से भी हमारी स्थिति यह कर दी कि यहां का 13 प्रतिशत तो आज औद्योगिक विकास होता है गुजरात में, पौने 13 प्रतिशत विकास होता है औद्योगीकरण में आज महाराष्ट्र में और हम खड़े हैं केवल मात्र एक प्रतिशत विकास की गति पर। विकास की गति केवल मात्र एक प्रतिशत और उसके उपरांत बढ़ती आबादी की दर मैंने आपसे निवेदन कर दी, सन् 2000 के बीच में, केवल मात्र छह वर्ष बाद, अगर इसी गति से इस देश की आबादी बढ़ती गयी तो, मान्यवर, 104 करोड़ लोगों का यह देश बन जायेगा और इस देश की बढ़ती हुई आबादी के साथ यदि उद्योगों के बारे में, यदि लोगों के नियोजन के बारे में, यदि लोगों को रोजगार दिलवाने के सम्बन्ध में हमने कोई परिचर्चा नहीं की, मंथन नहीं किया, चिन्तन नहीं किया तो उसकी परिकल्पना आप कर सकते हैं कि कितने दूभर और कठिन दिन हमको देखने पड़ेंगे। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा था शिक्षा के क्षेत्र में।

बिजली के क्षेत्र में भी, मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बिजली के क्षेत्र में मैं यह नहीं कहता, किसी की बुराई करने से, मैं यह मानता हूं कि किसी व्यक्ति या किसी भी सरकार की बुराई करने से मैं स्वयं अच्छा नहीं बन जाऊंगा, अपने कार्यकलापों से ही हम अच्छे होंगे। आपने भी

(श्री अर्जुनदास मदान)

योजनाएं लागू कीं, आपने रोपड़ में भी पैसा दिया, आपने सिंगरौली में भी पैसा दिया, आपने डेसू में भी पैसा दिया लेकिन आपने अपनी नकेल दूसरों के हाथों में दे दी। उनके जंचेगी तो बिजली देंगे, नहीं जंचेगी तो नहीं देंगे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सर्वाधिक बिजली का उत्पादन हुमारा बढ़ा है इस प्रान्त के इतिहास में तो केवल मात्र 1991–92 में, वह भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में और माननीय भैरोंसिंह शेखावत के मुख्य मन्त्रित्व काल में। इसके लिए कोई भी यह कह दें जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पैसे की तो हमने लागत करायी लेकिन लागत देकर के हमने अपनी नकेल दूसरों के हाथों में दे दी। आज क्या मिला हमको नांगल में पैसा लगाने पर। आज क्या मिला हमको सिंगरौली में पैसा लगाने पर, लेकिन आज सारी योजनाएं चाहे वह सूरतगढ़ की हो, चाहे बरसिंगसर की हो, चाहे चौथी इकाई के बाद यह पांचवीं इकाई कोटा थर्मल की हो, आज उसका विकास हो रहा है तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में हो रहा है। आज हम चिन्तित हैं। हम यह जानते हैं कि जब तक खेत-खलिहान को बिजली नहीं मिलेगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, प्रगति नहीं हो सकेगी। हम चाहे केवल मात्र अट्टहास करते रहें, उपहास करते रहें और केवल मात्र यह सोचते रहें कि आगे प्रगति करते चले जा रहे हैं, मैं नहीं मानता कि बिजली लिए बिना या विद्युत का निर्माण करे बिना इस प्रान्त का अधिक विकास हो सकेगा। आज भी केवल मात्र आधी से ज्यादा, भले ही 60 प्रतिशत बिजली आप पैदा करते हैं, 40 प्रतिशत तो आज भी हमको दूसरे प्रान्तों से लेनी पड़ती है, चाहे हम डेसू से लें, चाहे हम किसी दूसरे प्रान्त से लें, चाहे सिंगरौली से लें, किसी भी प्रान्त से लेते हैं, दूसरी जगह से हमको बिजली का उत्पादन करना पड़ता है। लेकिन आज बिजली के क्षेत्र में, मान्यवर, आप यह मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में परसों ही मैं मजीठिया साहब से कह रहा था कि इस प्रान्त की सरकार ने, मैंने जैसा निवेदन किया, बरसिंगसर हो, सूरतगढ़ हो, कोटा की थर्मल इकाई हो, रामगढ़ गैस विद्युत योजना हो, धौलपुर की आने वाली तापीय विद्युत योजना हो, इन का उत्पादन केवल मात्र अगर बढ़ा है या उत्पादन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में।

सभापति महोदय, मैं केवल मात्र यह भी निवेदन कर दूं कि आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न करने की दृष्टि से भारतीय जनता-पार्टी की वर्तमान सरकार ने 613 करोड़ रुपये की राशि जो ऋण के रूप में थी उसको शेयर केपीटल में कन्वर्ट कर दिया और 143 करोड़ रुपये की राशि, जो ब्याज स्वरूप राजस्थान सरकार की बिजली बोर्ड के ऊपर थी, को क्षमा कर दिया गया, उसको माफ कर दिया गया। इसका उद्देश्य यह था कि ऋण की मात्रा बिजली बोर्ड के ऊपर अधिक दृष्टिगोचर न हो और उसको जितना अधिक हम लाभान्वित कर सकते हैं, उसको किया जाए। रिकवरी सैल की स्कीम किसके शासन काल में बनी? आज यहां पर 22.3 प्रतिशत की रिकवरी थी, आज वह कम करके 18 हो गयी पिछले

(78)

(श्री अर्जुनदास मदान)

वर्ष तक, मुझे 1992–93 की फीगर का ध्यान नहीं है लेकिन 22.8 प्रतिशत की रिकवरी से कम होकर के 18 प्रतिशत की रिकवरी है। मैं उस रिकवरी की बात कर रहा हूं जो आज तक डूबी हुई थी, जिसके ऊपर किसी आदमी का ध्यान नहीं जाता था, उसको कम किया और केवल मात्र यही एक रिकवरी सेल हमने बनाया।

रिकवरी सेल के अतिरिक्त दूसरा मैं आपसे निवेदन करूं कि जैसे कोयला पहले भारत कोल कम्पनी से मंगाते थे जो 1500 किलोमीटर कोटा से दूर पड़ता है। कोयले की क्वालिटी की बात अलग है, सिंगरोली के कोयले की तापीय शक्ति कितनी है या बी. सी. सी. एल. से लाने वाले कोयले की क्षमता कितनी है, उसके ऊपर मैं अभी नहीं जाना चाहता परन्तु निश्चित रूप से सिंगरौली का कोयला बी. सी. सी. एल. के द्वारा सप्लाई किये जाने वाले कोयले से बैटर है लेकिन आज 70 करोड़ रुपये हमने केवल मात्र फ्रेट चार्जेज के ऊपर बचाये हैं, क्योंकि जहां 1500 किलोमीटर की दूरी से कोटा में ला रहे थे बंगाल से, वह आज सिंगरौली से, एम.पी. से लाने के बाद आज 70 करोड़ रुपये का लाभ हमने कमाया। तो मैं केवल मात्र यही निवेदन कर रहा हूं कि यह सरकार जागरूक है। कहां से बचत हो सकती है, कहां से पैसा लिया जाना चाहिए, कहां योजनाओं का प्रारूप बने, उस पर नियोजन कैसे हो और नियोजन करने पर उसका लाभ भी प्रान्त को कितना मिला, इसकी परियोजना, परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी करती आयी है, चाहे 1977 से 1980 का शासनकाल हो, 1990 से 1992 का शासनकाल हो और अब भगवान की कृपा से पांच वर्ष यह पूरे रह जायेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय बतायेगा कि लोग कांग्रेस की सरकार को बिलकुल भूल जायेंगे।

इसके अतिरिक्त मैं एक और निवेदन आपसे कर देना चाहता हूं, मान्यवर, कि आज इलेक्ट्रिक सप्लाई, 1948 के एक्ट में यह प्रावधान था और मुझे ध्यान है 1975 में जब जसवन्तसिंह जी मेहता यहां के सैक्रेटरी हुआ करते थे, एक एग्रीमेण्ट हुआ था कि जब तक इलेक्ट्रिफिकेशन की जितने भी आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं। आज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अन्दर जितना लोस होता है वह सरकार को देना चाहिए लेकिन नहीं दे रही है सरकार। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे की ओर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आज आप मानेंगे जितना हम लेते हैं, उनकी सप्लाई बढ़ती जा रही है। कोयले का रेट बढ़ता चला जा रहा है। यह आप स्वीकार करेंगे, मान्यवर, आज जो कोयला आता है, उसकी क्वालिटी कम्पेरेटिवली बैटर होने के बावजूद महंगा इसलिए पड़ रहा है, क्योंकि फ्रेट चार्जेज बढ़ते जा रहे हैं, कोयले की सप्लाई बढ़ती जा रही है, लोगों के वेतन और उनकी परिलब्धियों में और ज्यादा अन्तर होता चला जा रहा है और परिणाम यह है कि आज हम इस कोयला क्षेत्र में, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में एक नया आयाम पैदा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

मैं एक बात जरूर इस बिजली के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मान्यवर, इस सरकार से मेरी याचना है कि आज क्या

(श्री अर्जुनदास मदान)

होता है कि थर्मल के अन्दर जितनी भी हम बिजली पैदा करते हैं, उसमें तो हम लोगों को इन्सेंटिव देते हैं, लेकिन आज छोटी-छोटी ईकाइयां जैसे मेरे, हालांकि थर्मल भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन मैं यह जानता हूं आर.ए.पी.पी. जो हमारे से 32 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आर. ए. पी. पी. में उत्पादन करने वाले लोगों को इन्सेंटिव नहीं मिलता। मैं यह मानता हू कि छोटी-छोटी ईकाइयां इस प्रान्त की स्थिति बैटर करने में मदद करती हैं। यह मानना पड़ेगा कि आज इस सेतु के निर्माण में नरम्बली अपनी अलग भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन लेहरी भी अपनी क्षमता के अनुसार इस सेतु के निर्माण में लगी है। मान्यवर, यह मानना पड़ेगा कि यदि लेहरी को भगवान राम अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, तो हम छोटी-छोटी ईकाइयों के उत्पादन करने वालों में इस सरकार रूपी राम उसको अपना आशीर्वाद क्यों नहीं देना चाहता ? या वह सौतेला व्यवहार उन छोटी ईकाइयों के प्रति क्यों होता है जो आज अपनी क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन कर रही है ? तो मेरा यह निवेदन है सरकार से कि जो लोग आज इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में अपनी क्षमता से ज्यादा उत्पादन करते जा रहे हैं, उनको भी इंसेंटिव स्कीम के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना चाहिए, ताकि लोगों में आगे बढ़ने की, एक उमंग पैदा हो सके।

अब मैं शिक्षा के क्षेत्र में मान्यवर, मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि जो कुछ कहा, भारतीय जनता पार्टी ने, उसको करने का प्रयास किया। मैं आपका ध्यान 1990 के बजट की ओर, सभापतिजी, ले जाना चाहता हूं। आप देखेंगे कि फरवरी में ताबड़तोड़ में आ करके कांग्रेस सरकार ने पांच हजार स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दी। इसका परिणाम क्या हुआ ? क्या कोई स्कूल खुले ? क्या कोई अध्यापक लगाये गये ? केवल मात्र यह किया गया जहां तीन अध्यापक थे वहां से एक को हटा लिया। दो वहां पर रहने दिये गये, एक का पोस्टिंग कर दिया। वह पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी चिन्ता किसी को नहीं थी। एक बात नहीं, मैं कई उदाहरण दे सकता हूं आपको कि हमारी कथनी और करनी में कहीं अन्तर नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि हमारी नीति-रीति में कोई अन्तर नहीं है। घोषणा की कि हर पंचायत समिति में एक हास्पिटल बनेगा, तो बना। 30 हास्पिटल का रैफरल अस्पताल बनेगा, तो बना। आज आप यहां पर हास्पिटल के विकास की ओर जाए, तो आज उनके उपकरणों में वृद्धि हुई हैं, उनकी व्यवस्था में वृद्धि हुई है।

इसके साथ-साथ ही, मान्यवर, मैं और भी क्षेत्रों में आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं, लेकिन केवल मात्र इतना ही निवेदन अब अन्त में करना चाहूंगा, इस समय अपनी बात को समाप्त करते हुए, प्रान्त की सरकार चाहे कांग्रेस बन्धुओं की हो, चाहे किसी भी दल-मत की हो, हम सारे लोग मिल करके इस प्रान्त की समृद्धि में लग जाएं। विचार-मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिये। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी भी आज सहयोग की कामना करती है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जो रूपरेखा इस विधान सभा में रखी है, आज कहीं

(श्री अर्जुनदास मदान)

और प्रान्तों में नहीं मिलती । आज जो सहिष्णुता, जो आपसी भाईचारा, एक दूसरे के प्रति जो सहिष्णुता या जो आदर भाव इस विधान में है, मान्यवर, दूसरी विधान सभाओं में नहीं है। दूसरी विधान सभाओं में तो मेरे बोलने वाला माइक न जाने किस काम में आता है ? लेकिन आज राजस्थान में जिस स्वच्छता का विकास हुआ, वह केवल मात्र एक दूसरे के सहयोग से हुआ। चाहे वह मोहनलाल जी सुखाड़िया ने किया हो, चाहें भैरोंसिह जी का योगदान हो, किसी का भी हो लेकिन ऐसी व्यवस्था राजस्थान विधानसभा में निश्चित रूप से पिछले सालों में बनी है, जिसके आधार पर हम स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं, कि इस प्रान्त में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, किसी की भी सरकार रही हो, इस प्रान्त में सदैव प्रान्त की तरक्की के लिए आगे जा सके ।

मैं, अन्त मे मात्र इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि वैचारिक दृष्टि से कोई भी हो, हम अधिक से अधिक इस देश की प्रगति में काम करें ताकि हिन्दुस्तान का जन-जन स्वाभिमान के साथ काम करें। लोग अपने उस जीवन की ओर निहारे, जिसकी परिकल्पना लेकर के देश की आजादी के लिए हम लड़े थे और मेरी यह मान्यता है कि यदि हम सब मिलकर इस देश के लिए, प्रान्त के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमको ऐसा देखने को मिलेगा जो हमारा एक साधारण दिन न होकर दीपावली का दिन बनेगा, एक ईद का दिन बनेगा। मान्यवर, आज हमारा प्रान्त निश्चित रूप से अधिकतर क्षेत्रों में पीछे है। हमें पीड़ा भी होती है, वेदना भी होती है, टीस भी होती है कि आखिर क्या है हमारी स्थिति. देश के 14-15 प्रान्तों में सबसे नीचे की गिनती में हम आते हैं। पेयजल की व्यवस्था को देखें तो हमारा 12वां स्थान है, एक गांव को दूसरे गांव को जोड़ने की बात ही तो हम 14वें स्थान पर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जैसे एक बालक कहता है पिताजी से कि मैं दूसरे नम्बर पर पास हुआ हूं। पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ, बोले कि तुम दूसरे नम्बर पर पास हो, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन बेटा बोला, पिताजी, मैं ऊपर से नहीं, नीचे से दूसरे नम्बर पर पास हुआ हूं। तो हमारी स्थिति यह हो गयी है, हम नीचे से दूसरे नम्बर पर आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, देश की बढ़ती हुई आबादी में यदि प्रथम स्थान किसी का है, तो राजस्थान प्रान्त का है। इस बिसंगतियों को हम जितनी जल्दी से जल्दी दूर कर सकें, उतना ही अच्छा होगा आज जिस सजग हाथों में प्रान्त की बागडोर है इससे मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन हमारे स्वर्णिम होंगे और हम नये आयाम के लिये आगे बढ़ सकेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका अपनी ध्वनि को समायोजित करते हुए, पुरजोर शब्दों में अनुमोदन करता हूं, उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : बैठिये। संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे। श्री रामनारायण जी ।

श्री रामनारायण (नैनवा) : माननीय सभापति महोदय, सत्तापक्ष के माननीय सदस्य साहिबान ने काफी कुछ....

श्री सभापति : नहीं, इसमें भाषण नहीं होगा, इसको आप पढ़ लीजिए, जो आपका संशोधन है। .. (व्यवधान) ...

श्री रामनारायण : माननीय सभापति महोदय, अच्छा होता माननीय सदस्य कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करते या राजस्थान किस गति से आगे बढ़े, प्रतिपक्ष ने क्या सहयोग दिया, क्या सहयोग नहीं दिया इसके बारे में बात करते। मैं 1977-1980 की बात नहीं करता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जहां तक मुझे परम्पराओं का ध्यान है आप अपना जो लिखित संशोधन है उसको पढ़ दीजिये। यही नियम है और उसके बाद प्रस्तुत किए हुए मान लिये जायेंगे और फिर आप की पार्टी ने जो क्रम दिया है उस क्रम से मैं माननीय सदस्यों को पुकारूंगा।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य अगर अपने क्रम पर ही यह प्रस्तुत कर दें तो क्या दिक्कत है ?

श्री सभापति : परम्परा यह है कि अपने संशोधन प्रस्ताव पहले प्रस्तुत कर देते हैं और उसके बाद जब इनका क्रम आयें तो बोल देंगे। आपने लिखित में जो संशोधन दिया है उसको पढ़ दें।

श्री रामनारायण : क्रम नहीं आये तो ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : पार्टी पर भरोसा नहीं है।

श्री सभापति : नहीं आये तो मतदान होगा। व्यवस्था यही है उसका पालन करिये। आप पढ़ दीजिये।

श्री रामनारायण : मैं उसी परिपाटी का पालन कर रहा हूं जो दसवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में यहां अपनायी गयी है।

श्री सभापति : मुझे परिपाटी का ध्यान है। कृपया पढ़ दीजिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण : सभापति महोदय, यह जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है इसमें जो कुछ कहा गया है। काफी कमियां हैं....

श्री सभापति : इसमें जो संशोधन दिया है उसको पढ़िये।

श्री रामनारायण : मैंने संशोधन क्यों दिया है वह तो बताऊंगा।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, यह परम्परा नहीं है। आपका जो संशोधन है उसको आप पढ़ दीजिए जो लिखित में आपने दिया है। उसके बाद जब आपका नम्बर आये तब आप बोलें।

श्री रामनारायण : मेरा जहां तक ख्याल है, परम्परा क्या है इसको तो आसन अच्छी तरह से समझता और जानता है और मुझे भी ध्यान है लेकिन आसन की यदि इच्छा है तो उस इच्छा का मैं आदर करता हूं। बाकी जो कुछ आसन व्यवस्था दे रहा है वह देख ली जाती तो अच्छा होता।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय

(श्री रामनारायण)

के अभिभाषण में जो कमियां, खामियां रही है जो उसमें होना चाहिये था वह नहीं है इसलिए मैंने उसमें संशोधन पेश किया है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत अभिभाषण प्रस्ताव के अन्त में निम्न शब्द जोड़े जावें:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में--

(1) जयपुर नगर की भयंकर पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ईशरदा बांध का कार्य प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में,

(2) देवली, उनियारा एवं नैनवां तहसील के गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से वर्ष 1959-1963 के सर्वेक्षण के मुताबिक टोकरावास, कनवाड़े (टोंक), कोरमा, देई, खजूरी (बूंदी) होकर नहर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में,

(3) भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली राशि का समय पर सही कार्य के लिए पूरा उपयोग करने के सम्बन्ध में,

(4) मुख्य मन्त्रीजी को लोकायुक्त की जांच की परिधि में लाने की दिशा में कार्यवाही के सम्बन्ध में।

(13.55)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति पदासीन)

सभापति महोदय, मैंने संशोधन इसलिए पेश किया है कि 1990 में मुख्यमन्त्री जी ने कहा था कि मैं मुख्य मन्त्री को लोकायुक्त की जांच की परिधि में लाऊंगा। आज दिन तक नहीं है। राजस्थान में जिस गति से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है।... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने अभी कहा था कि आसन जो कहेगा उसका आदरपूर्वक आप पालन करेंगे तो पालन कीजिए।

श्री रामनारायण : मैंने कब कहा कि आसन बिल्कुल गतिहीन है? आसन तो बड़ा गतिशील है। वह व्यवस्था देगा। मुझे दो मिनट का टाइम चाहिये। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, आसन भी मेरी भावना को समझता है, जानता है। राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है, जयपुर की पेयजल योजना का, वहां से पानी दिया जा रहा है जहां से 110 किलोमीटर दूर बीसलपुर है। चालीस करोड़ रुपया कम खर्च करके हम ईशरदा से जयपुर को पेयजल दे सकते हैं। माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्रीजी भी बैठे हैं इस पर ध्यान दें। किसानों का जो गला काटा जा रहा है, किसानों का जो अहित किया जा रहा है....

श्री सभापति : आप बाद में बोलेंगे उस समय निरुक्ति दोष हो जायेगा, उसका मजा नहीं आयेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रामनारायण : मैंने जो संशोधन पेश किया है, यहां जो माननीय सदस्यगण बैठे हैं वे मेरी भावना को अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि मैंने उनकी भावना उसी रूप में सदन में रखी है जिस रूप में रखी जानी चाहिए। मैं विश्वास

(श्री रामनारायण)

करता हूं संशोधन को सर्वसम्मति से सरकार भी सोच समझ कर इसको स्वीकार करें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती कमला।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : संशोधन मूव तो कर दें उसके बाद बोलने का नम्बर आयेगा जब बोल लेंगे। संशोधन तो मूव होना चाहिये।

श्री सभापति : इस भाषण के बाद मूव कर दीजिएगा, मैंने नाम बोल दिया है, चलिये मूव कर दीजिए कोई बात नहीं।

श्री हरीसिंह : महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत अभिभाषण प्रस्ताव के अन्त में निम्न शब्द जोड़े जायें:– किन्तु खेद है कि अभिभाषण में–

(1) ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवकों एवं महिलाओं की बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन के सम्बन्ध में,

(2) प्रदेश के आम नागरिक की गिरती आर्थिक दशा के उन्नयन के सम्बन्ध में,

(3) किसानों की भूमि में सिंचाई सुविधाओं के अभाव की स्थिति के निराकरण करने के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं है।

जो मैं संशोधन मूव कर रहा हूं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि इसकी परिपाटी यही रही है कि संशोधनकर्ता के लिए समय मिलता है बोलने का जब वह संशोधन मूव करता है। आप प्रोसिडिंग्स निकलवाकर देख लीजिए इस सम्बन्ध में। इस समय आप जो व्यवस्था दे रहे हैं उसको मैं मान रहा हूं। अपने संशोधन पर बोलने के अधिकार को सुरक्षित रखता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : संशोधन पर बोलने का समय तो आपको अवश्य दिया जायेगा। माननीया श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला (बैराठ) : सभापति महोदय, सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण प्रस्तुत होता है वह राज्य सरकार की नीतियों का निरूपण, विश्लेषण, व्याख्या और उनके विभिन्न पहलुओं पर एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिपादित करता है। इसी के साथ इस अभिभाषण में राज्य सरकार अपनी नीतियों के सन्दर्भ में जो कार्यक्रम निर्धारित करने वाली है और जिसका क्रियान्वयन करना उसके तहत एक निहित कर्तव्य है उन कार्यक्रमों के विशिष्ट बिन्दुओं पर भी वह ध्यान आकर्षित करती है।

(14.00)

इसके अलावा जो समस्याएं और विकास के आयाम प्रदेश के अन्दर होते हैं उनको भी इस अभिभाषण के अन्दर प्रस्तुत किया गया है और उसी के सन्दर्भ में माननीय भैरोंसिंह शेखावत की सरकार ने राज्यपाल महोदय के माध्यम से अपनी सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का और अपने विविध प्रकार के कार्यकलापों का एक दस्तावेज यहां प्रस्तुत किया है। वैसे तो इस दस्तावेज को जब सुना और पढ़ा तो लगा कि इस सारी तस्वीर को बनाने के लिए

(श्रीमती कमला)

काफी मेहनत करके, आड़ी-तिरछी रेखाएं लगा कर, रंग भर कर बहुत खूबसूरत दस्तावेज बनाने की चेष्टा की गयी है। सबसे पहले तो महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी को सर्टिफिकेट जारी किया कि वे अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब तबकों के लिए बहुत ज्यादा काम करने वाले और बहुत बड़े मसीहा हैं और कुछ पुरानी योजनाओं का उसमें सन्दर्भ भी दिया। उसके बाद में कृषि क्षेत्र के अन्दर यूनिवर्सिटी को शोध के लिए कुछ पैसे देने की बात भी कही। फिर शिक्षा के मामले में पांचवीं क्लास तक के बच्चों को मुफ्त किताबें और स्लेटें देने की उद्घोषणा की और विद्युत बोर्ड का एक रोजनामचा रखा कि क्यों इसकी स्थिति खराब है और हमने इसको संभालने की चेष्टा की है लेकिन फिर भी वह संभल नहीं पायेगा, तो इशारा किया कि हम बिजली की दरें भी बढ़ा सकते हैं, वह भी उद्घोषणा की गयी। उसके बाद में यह भी बताया गया है कि पेयजल के लिए अकाल के तहत हमने काफी पैसा दिया है जिससे सारी समस्या हल हो जायेगी और फिर यह भी चाहा कि प्रतिपक्ष सारी कार्य योजनाओं में अपना सहयोग प्रदान करे, और आखिर में सद्भाव और शुभकामनाओं के साथ इस दस्तावेज को पूरा किया।

माननीय सभापति महोदय, इस दस्तावेज में जितने बिन्दु हैं और जितने मुद्दे हैं उनका उल्लेख तो किया गया है, बहुत-सी बातें उल्लेख से रह भी गयी हैं। जैसे कल भी मैंने कहा था कि महिलाओं के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए एक शब्द भी इसमें नहीं कहा गया। इसी तरह बहुत-से मुद्दे रह गये हैं लेकिन जिस ढंग से यह प्रस्तुत किया गया है, कुछ लाइनें लिखते-लिखते दूसरी तैयारी हो गयी है, कुछ दूसरी लिखते-लिखते उनके भाव बदल गये हैं, तो यह सिलसिलेवार बहुत निष्ठा से, भावना से और एक संकल्प के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की तैयारी से जो एक दस्तावेज आना चाहिए था, न इसकी भाषा है, न इसका भाव है, न इसका प्रारूप है और न रूप है इसलिए यह अपने आप में अधूरा, अर्थहीन और भावहीन दस्तावेज है।

मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इस प्रकार का दस्तावेज यहां रखा गया लेकिन फिर भी प्रदेश के विकास के लिए कामना रखना सबसे बड़ी बात है, भाषा और भाव कुछ भी हो, आंक चाहे छोटे हो या बड़े हों। इसलिए इसके विश्लेषण के बाबत में कुछ आलोचनात्मक न कह करके सुझाव के रूप में कुछ बिन्दुओं के ऊपर राज्य सरकार के सामने बातें रखना चाहती हूं और मैं यह उम्मीद करती हूं कि सिर्फ इसलिए कि विपक्ष की तरफ से कुछ बातें कही गयी हैं, हम उनको अपनानें की चेष्टा न करें या किसी और बहाने से इसको छोड़ने का प्रयत्न न करें बल्कि इस राज्य की बहबूदी के लिए, खुशहाली के लिए, विकास के लिए इसके बढ़ते कदमों को और तेजी देने के लिए उन्हें अपनाने की और उसके लिए सचमुच में पूरी चेष्टा करके ज्यादा से ज्यादा, लाभकारी योजनाएं लाकर उसके विकास की कम समय में ज्यादा तरक्की करने की चेष्टा करेंगे।

(श्रीमती कमला)

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में कहना चाहूंगी क्योंकि, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और हम सब जानते हैं, हमारा देश भी और हमारा राज्य भी मूलतः-ग्रामीण क्षेत्र हैं और मूलतः ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र की तरक्की और विकास का काम हमारे लिए प्राथमिक है। हालांकि जो नगरीय क्षेत्र हैं उनके विकास के बिना, उनके आधार के बिना आगे बढ़ना भी मुश्किल है लेकिन जो व्यापक पैमाने पर आबादी है उसको बढ़ाये बिना संतुलित विकास भी संभव नहीं है इसलिए कृषि के सम्बन्ध में मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहती हूं कि कृषि पूर्व में किसी वक्त में एक अपना पेट भरने का और साथ में समाज का पेट भरने मात्र का धन्धा माना जाता था. बाद में कृषि में कुछ और आगे आयाम जुड़े और कृषि को आमदनी का जरिया भी बनाने के लिए समाज ने, कृषक ने, राष्ट्र ने, सरकारों ने प्रयास किया और उसके जरिये से किसान को आगे बढ़ने का, कुछ तरक्की करने का, अपने भविष्य को सुधारने का मौका मिला। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और उनके नेता इस बात को बहुत जोर-शोर से कहे कि डंकल प्रस्ताव और गैट हमारे देश के लिए एक गुलामी का दस्तावेज है, उस दस्तावेज की कुछ कमी-खामियों के कारण, जो कि लाजमी हैं, जिनका प्रभाव सारे देशों में पड़ेगा लेकिन उसके आने से आज कृषि के मामले में कृषि को मात्र एक जीवनयापन का साधन न मान कर उसको एक व्यवसाय, एक उद्योग की दृष्टि से तैयार करने का सुअवसर राजस्थान को, हिन्दुस्तान को मिला। हम चाहे उसको आज तक उद्योग घोषित नहीं कर पाये और जो उद्योग को सुविधाएं मिलती हैं वह खेती को आज तक नहीं मिल पायी हैं और बहुत-सी असुविधाएं और समस्याएं आज भी किसान के सामने खड़ी हैं। लेकिन इस गैट समझौते से आज हम कृषि को उद्योग के आधार पर तैयार नहीं करेंगे और आने वाले जमाने में कृषि आधारित हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर और उससे अलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर अगर सारे संसार में अपनी एक जगह नहीं बनायेंगे तो, मैं समझती हूं, कृषि का उत्थान हम नहीं कर पायेंगे। जो आज तक हमने उसको दर्जा दे रखा है वह यह है कि वह कुछ पैदा करे, कुछ खुद उपयोग करले, कुछ समाज में दे दे और कुछ रिजर्व भण्डार में डाल दे, यहां तक उसको हमने समझा। इसलिए मेरा सबसे पहला सुझाव है सरकार को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि कृषि के सम्बन्ध में सबसे बड़ा काम, सबसे ज्यादा हमको इन्तजाम करना चाहिए और यह इसलिए करना चाहिए कि हमारे पास जमीन है, हमारे पास मेहनतकश किसान हैं. हमारे पास में इस तरह के फैलाव है तमाम इन्फ्रास्ट्रक्चर के कि अगर आज हम इनिशियेटिव ले लें इस वक्त तो, मैं समझती हूं, हम राजस्थान को अग्रणी उन प्रदेशों में बना सकते हैं जो बाहर की दुनियां में अपने प्रोडक्ट्स भेज करके किसान को और स्टेट को भी मालामाल कर सकते हैं। इसलिए सब से पहला मेरा सुझाव यह है कि चाहे वह फूड ग्रेन्स के बीज हैं, चाहे पल्सेज के बीज हैं, चाहे ऑयल सीड्स हैं, चाहे और कामर्शियल क्राप्स के बीज हैं उन बीजों की श्रेष्ठतम

(श्रीमती कमला)

क्वालिटी तैयार करने, उनके भण्डारण, उनके रख-रखाव और समय पर उनके वितरण की व्यवस्था हमें व्यापक तौर पर करनी चाहिए जिससे कि न सिर्फ हम स्वावलम्बी बनें रहें बल्कि हमारा किसान इनके जरिये आगे बढ़ने की चेष्टा कर सके। आज हम डर रहे हैं कि बाहर से जबरदस्ती इम्पोर्ट करने की इसमें व्यवस्था की गयी है। ऐसी कोई व्यवस्था की नहीं। उसमें बीजों को किसान तैयार कर सकेगा और वह अपने बीज को दूसरे को बांट सकेगा इसकी खुली छूट दी हुई है। उसमें कहीं कोई पाबंदी नहीं है बशर्ते कि हम जो बीज अपना तैयार करते हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज में करें, चाहे हमारे रिसर्ज सेण्टर्स में करें, चाहे किसान अपने खेत में करें, वह हमारे बीज हमारे पेटेण्ट बन जाएँ और हम दुनिया को दें जिससे कि हमारा किसान उसका मालिक बने। यह तैयारी हम को करनी चाहिए और इससे हमको लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम इसी पुराने ढर्रे से चलते रहे तो हम इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पायेंगे और हम आज भी उसी दुर्दशा में होंगे बल्कि दूसरी जगह से पेटेण्टस की बात आती है वह इसलिए आती है कि हम अपनी चीज अगर कहीं भेजना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पेटेण्ट के अलावा आप उपयोग नहीं करें। तो दूसरे राष्ट्र भी यही कहते हैं कि जब आप यह चाहते हैं तो हम भी यह चाहते हैं कि हमारे पेटेण्ट्स को आप दूसरा नाम देकर उपयोग नहीं करें। इसलिए इसमें कोई कहीं बुराई नहीं है, तैयारी करने की बात है। आने वाले समय में एक ऐसा जमाना आ रहा है जिसकी आज तैयारी करने के लिए आपके कन्धों पर बहुत बड़ा दायित्व आया हुआ है। इसलिए पहली जो आवश्यकता है, मैं वह निवेदन करना चाहती हूं।

दूसरा हमारे इस प्रदेश में, हमारे देश में फल-फूल और सब्जी इतने बड़े पैमाने पर नष्ट हो रही हैं कि दर्द आता है उनको देखकर। ऐसे-ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें कद्दू या गोभी का फूल जाता है तो सारे शहर के अन्दर टेलीफोन खड़खड़ा उठते हैं कि आज बाहर से गोभी का फूल आया है, आज आलू आया है, आज सेव आया है, भागकर के ले लो, नहीं तो खतम हो जायेगा। मैंने खुद देखा है मास्को में। मैं गयी थी तो मुझे आश्चर्य हुआ। इवन हमारी जो एम्बेसी थी, उसके लोगों ने कहा, टेलीफोन आया है, यह चीज आ गयी है, चलो जल्दी से लेकर आयें। ऐसे ही अरब कण्ट्रीज के अन्दर है; दूसरे ठण्डे कण्ट्रीज के अन्दर है। इतनी कमी है सब्जियों की, फलों की, फूलों की कि उनकी कीमतें अनाप-शनाप हैं, उपलब्ध नहीं हो रही हैं और एक हमरा यह देश है कि जहां ठेले पर ले जाकर इंसान बेच रहा है फिर भी उसकी बिक्री पूरी नहीं हो रही है और सड़ कर खतम हो रहा है। लाखों टन सब्जी, फल-फूल हमारे देश में हर साल खतम हो रहे हैं। इसलिए दूसरा सुझाव मेरा यह है कि इन चीजों की अच्छी से अच्छी किस्म तैयार करने के लिए हमें पूरे स्टेट का सर्वे करना चाहिए कि किस क्षेत्र में, किस डिस्ट्रिक्ट में कौनसी सब्जियां, किस जमीन पर, किस जलवायु में, कौनसा फल, कौनसे फूल, किस तरह से बेस्ट क्वालिटी के तैयार हो सकते हैं। उनके जोन्स बनाने चाहिए और जोन्स बनाने के बाद उनकी

(श्रीमती कमला)

बेस्ट क्वालिटी के जो सीड्स जहां से मिल सकते हैं या पौध मिल सकती है वो लाकर किसानों को देना चाहिए और तैयार होने के बाद, साथ-साथ में कोल्ड स्टोरेज का एक नेटवर्क स्टेट के अन्दर बनना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा हम इनको बचा नहीं पायेंगे। इसलिए दूसरा मेरा सुझाव यह है कि हमें फल-फूल और सब्जियों की किसानों को ज्यादा से ज्यादा योजनाएं देनी चाहिए और उनके रख-रखाव के लिए भरपूर ढंग से खर्चा करके, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क बनाना चाहिए और साथ में एक्सपोर्ट के लिए हमें सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिएं। अगर हमारा एक्सपोर्ट का इन्तेजाम सही नहीं होगा तो कोल्ड स्टोरेज में भी हम कितने दिन तक रखे रहेंगे? इसलिए इन चीजों के साथ हमें इस चीज की व्यवस्था करना जरूरी है और यह तभी सम्भव है जब हम अभी से उसकी तैयारी करें। वर्ल्ड बैंक से लें और किसी नेशन से लें या नॉबार्ड को इन योजनाओं के लिए तैयार करें ताकि फाइनेन्शियली इतने सक्षम बनें कि जहां पर भी इस तरह की योजनाएं लायें, उन योजनाओं को वो अपने हिसाब से हमें दें और हम उसकी तैयारी करें, बल्कि पूरे देश के लिए, हमारे लिए इतने बड़े पैमाने पर, इन सब चीजों की तैयारी करनी चाहिए कि हम वर्ल्ड मार्केट के अन्दर पिटे नहीं, वहां पर अपनी जगह बनाकर उनको एम्पावर करने की कोशिश करें।

इसी तरह से खाद और बीज, खाद और दवाइयों की बात आप और हम सब जानते हैं। जब कृषि की मांगें आयेंगी तब हमारे ज्यादातर सदस्य बोलेंगे कि किस तरह का सब स्टेण्डर्ड खाद और दवाइयों, के कारण आज हमारी कृषि आधी से ज्यादा यों ही नष्ट हो जाती है। समय पर बीज मिलना, समय पर खाद मिलना, जेनवीन खाद मिलना, पर्याप्त मात्रा में मिलना और प्रभावी और जेनवीन दवाइयां मिलना आज कठिन हो गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि पहले की सरकार ने कितना किया और कितनी कमी रह गयी, उसका गुणगान करने की बजाय हमें यह करना है आज जो कमियां हैं, जिससे हमारी इतनी बोयी हुई फसल खतम हो जाती है, खराब हो जाती है, उसको बचाने के लिए हमें भरपूर चेष्टा करनी चाहिए। यह बहुत बड़ी राष्ट्रीय हानि है जिस मेहनत से और जिस कष्ट के अन्दर किसान यह सब पैदा करता है उसके बावजूद वो आखिरी वक्त तक अपनी फसल को वैसी की वैसी बाजार में नहीं ला पाता क्योंकि उसकी फसल में कहीं कीड़े लग जाते हैं, कहीं ओले पड़ जाते हैं, कहीं और बीमारियां हो जाती हैं। दवाइयां समय पर नहीं मिलती हैं, मिलती हैं तो सब स्टेण्डर्ड हैं। यह सारी चीजें आज हमको देखनी पड़ेंगी जिससे कि हम खेती के अन्दर अपने आपको यह कह सकें कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा नयी से नयी तकनीक के साथ व्यापक पैमाने पर अच्छी से अच्छी किस्म की खेती की तमाम चीजों को तैयार कर रहे इसके लिए यह जरूरी है कि कृषि विश्वविद्यालय हो। आज हालांकि विश्वविद्यालय का नाम आते ही हम यह सोचते हैं कि अन्वेषण और अनुसन्धान का, शोध का एक बहुत बड़ा आगार है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि जिस मुस्तैदी के साथ, जिस तत्परता के साथ, जिस व्यापक पैमाने

(श्रीमती कमला)

पर जो जरूरत है किसान को खेत में और खेती के लिए, वो आज भी हम विश्वविद्यालय में तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे वैज्ञानिक जो हमारे विश्वविद्यालय में हैं, चाहे इन्स्टीटयूट्स में हैं, उनको पाबन्द करना पड़ेगा कि आज हमें इस हिसाब से मदद करें कि जो आज हमें फील्ड में चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए। आज जितना भी अनुसन्धान हुआ वो हमारे फील्ड में नहीं पहुंचा। इसलिए लेबोरेट्री से खेत के अन्दर तक पहुंचाने का मुद्दा हम सफलता से नहीं कर पाये तो कम से कम जो हम तैयार कर पाये हैं वो खेत तक पहुंच पाये, किसान तक पहुंच पाये, वो तो करें ही करें। आज की जरूरत के मुताबिक और आने वाले पांच वर्षों में, दस वर्षों के अन्दर जो हालात तेजी के साथ बदलने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए वैज्ञानिकों को और हमारे कृषि अनुसन्धानकर्ताओं को और उनके इन्स्टीट्यूशन्स को बहुत मुस्तैदी के साथ यह काम करने की जरूरत है।

साथ में, मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जो कृषि आधारित उद्योग हैं और प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जब तक उनका अपने स्टेट के अन्दर माकूल इन्तजाम नहीं करेंगे, न आपके यहां आमदनी आयेगी, न किसान को आमदनी मिलेगी। आज हम कच्चा माल यहां से भेज देते हैं। उस माल की फिनिश्ड गुड्स ज्यादातर स्टेट के बाहर तैयार होती है। कुछ कोशिश पिछले वर्षों में की गयी है लेकिन वो नाकाफी हैं। इसलिए कृषि आधारित उद्योग और प्रोसेसिंग यूनिट्स अभी से आइडेन्टीफाई करें हमने बहुत-सी की हुई हैं लेकिन उनके लिए फण्ड्स नहीं हैं। इसलिए हमें उनके लिए ज्यादा से ज्यादा फण्ड्स लेने की चेष्टा करनी चाहिए और कृषि आधारित उद्योग और प्रोसेसिंग यूनिट्स अलग-अलग क्षेत्रों में जिस-जिस यूनिट का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होना है उसके हिसाब से हमें बनानी चाहिए। चाहे वो सरसों है, चाहे मूंगफली है, चाहे कपास है, फसल के दौरान आप देखें तो मंडियों में जिस बदहाल में कपास पड़ी होती है उसको कोई देखने वाला नहीं है। इतना उत्पादन होता है उस उत्पादन से हम किस प्रकार से अपने स्टेट में उनके फिनिश्ड गुड्स तैयार करें, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट की जो बात आपसे कह रही थी वो इसलिए कहना चाहती हूं कि एक्सपोर्ट के बिना यह सारा खर्चा हम करेंगे उससे न किसान को लाभ मिलेगा और न अपने स्टेट को लाभ मिलेगा और वो अन्तिम कड़ी है, मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं। उत्पादन के लिए आप कर्जा दे दीजिए, आप सब्सिडी दे दीजिए, उसको तकनीक बता दीजिए, उसकी मेहनत लगा दीजिए, बिजली भी दे दीजिए, पानी भी दे दीजिए, जो भी नहीं है, दे दीजिए लेकिन उत्पादन होने के बाद अगर मार्केटिंग का, एक्सपोर्ट का पुख्ता इन्तजाम नहीं हुआ तो मैं समझती हूं कि कोई भी उद्योग, खेती का तो सवाल ही नहीं है, पनप नहीं सकता। इसलिए इस बात का भी हमें पुख्ता इन्तजाम करना चाहिए।

खेती के साथ में पशुपालन का एक बहुत बड़ा धंधा राजस्थान में चलता है लेकिन पिछले कुछ अरसे में पशुपालकों की समस्याएं बहुत बढ़ गयी हैं और मैं कहती हूं पशुओं के लिए भी बहुत समस्या हो गयी है।

(श्रीमती कमला)

अभी सुबह एक सवाल आया था नील गाय का। नील गाय तो फसलों को नष्ट कर ही रही है लेकिन जयपुर जैसे जिले के अन्दर लोगों ने अपने पशुओं को छोड़ दिया और वे पशु ढेर के ढेर, झुण्ड के झुण्ड इस खेत से उस खेत में और उस खेत से उस खेत में मुंह मारते फिर रहे हैं, रौंदते फिर रहे हैं। किसान अपने खेत से निकालकर दूसरे में भेजता है, दूसरा तीसरे में भेजता है और इस हिसाब से आज हमारे इस जिले के अन्दर, जयपुर जिले के अन्दर इतनी समस्या हो गयी है कि उनका क्या किया जाये। कांजी हाउस वाले रखने को तैयार नहीं कि हमारे पास चारा नहीं है उनको खिलाने के लिए, हम कहां से रखें। हमने जिले की मीटिंग में यह रखा कि आप इसका इन्तजाम करिये, गौशाला या गौ-संवर्धन संस्थाएं या सरकार या जिला अभिकरण कुछ न कुछ इस तरह से इन्तजाम करे कि हम इन पशुओं को एक जगह रख सकें ताकि खेती नष्ट नहीं हों और पशु नष्ट नहीं हों। आज अगर उनको चारा नहीं मिला तो वैसे खतम हो जायेंगे और खेत का हरा चारा खायेंगे तो खेती खतम हो जायेगी। तो यह समस्या आज पशुपालकों की पैदा हो रही है। हमारे यहां कितनी बढ़िया ब्रीड हैं लेकिन उनको कितना इन्तजाम चारे और पानी का, रख रखाव का हम कर पा रहे हैं इस तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज स्थितियां बहुत गंभीर और सोचनीय पशुओं की दृष्टि से होती चली जा रही हैं।

इसके साथ, माननीय सभापति महोदय, कृषि से सम्बन्धित एक एक्सटेन्शन का कार्यक्रम है वह इसका एक भाग है, हमेशा जुड़ा रहा है, उसके लिए हम हमेशा बोलते भी हैं, करते भी हैं लेकिन एक्सटेन्शन का प्रोग्राम है वह हमारा बहुत कमजोर है। गांवों में जो प्रदर्शन होते हैं, ट्रेनिंग होती है, किसानों तक उसको जा करके बताने का काम होता है। किसान खेत में, गांव के अन्दर प्रदर्शन करवाता है डिपार्टमेण्ट या यूनिवर्सिटी से तो वह हमारे ग्रामसेवक करते हैं। यहां इतने माननीय सदस्य बैठे हैं, माननीय सभापति महोदय आप भी जानते हैं, ग्रामसेवक गांवों में किस तरह से जा करके क्या सिखा रहा है और क्या प्रदर्शन कर रहा है, क्या नयी टेक्नोलाजी और क्या नयी तकनीक किसानों को पहुंचा रहा है, किस तरह से वह अपने उत्तरदायित्व को गांव के स्तर पर निभा रहा है। तो उसको देख लीजिये और इसके अलावा जो स्थिति है कि किस तरह से यह एक्सटेन्शन का प्रोग्राम चल रहा है इसको भी गम्भीरता से देखने की जरूरत है कि हम खेती का सारा काम सही ढंग से, ईमानदारी से, निष्ठा के साथ में करने की व्यवस्था करें।

खेती को आगे बढ़ाने के लिए या ग्राम विकास के लिए बिजली बहुत जरूरी है। इसके बिना आज के युग में विकास की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारे स्टेट में कब कितनी-कितनी बिजली उत्पन्न की, इसकी चर्चा तो समय समय पर होती रहती है। जिसका जिस समय उत्तरदायित्व रहा वह भरपूर चेष्टा करता आया है और करते रहना चाहिए कि वह बिजली का उत्पादन करें लेकिन बिजली का उत्पादन न करने के कारण से जो समस्याएं आज बिजली के

(90)

(श्रीमती कमला)

फैलाव में, बिजली के वितरण में, बिजली के उपभोग में आ रही है उनके ऊपर भी गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। कितने वर्षों पहले कोई सिस्टम बने होंगे, आज उन्हीं सिस्टम के ऊपर हम नये-नये कनेक्शन देते चले गये और उन कनेक्शन्स से इतना ओवर लोड सिस्टम पर है, मेरे अकेले इलाके में आपको बताती हूं कि एक तिहाई हिस्से में सही-सही बिजली चलती है और दो तिहाई हिस्से में 36 घंटे में शायद 8 घटे पूरे होते होंगे, इतनी ट्रिपिंग हो रही है। मैं पिछले 4-5 दिन दौरा करके आयी तो पता लगा कि जहां पर एक ट्रान्सफार्मर और अब तक रख दिया जाना चाहिए था वहां ट्रान्सफार्मर तो नहीं रखा लेकिन लाइनें और आगे से आगे फैला दी गयीं, कनेक्शन्स और आगे से आगे दे दिये गये। उसको सुदृढ़ करने के बजाय और ज्यादा खस्ता-हाल कर दिया गया। इसलिए ट्रान्समिशन सिस्टम को स्ट्रेन्थन करने का काम भी उतना ही जरूरी है जितना बिजली उत्पादन और बिजली का वितरण। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी सरकार को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि बिजली का सबसे ज्यादा संकट है उसको दूर करें। लाइन लासेज भी होते हैं। अगर सिस्टम को स्ट्रेन्थन करते हैं तो ट्रिपिंग भी खतम होगी, फसल भी अच्छी तरह से खड़ी होगी। वरना फसलें आधी रहती हैं और आधी खतम हो जाती हैं। आपने बाहर कहीं समझौते किये हैं अधिक बिजली लाने के, आपके पास में वादा आया है उसके जरिये जो आपने यहां पर असेम्बली में घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं की कहीं-कहीं अनुपालना हो रही है, पूरे राज्य में उसकी अनुपालना नहीं हो रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहती हूं, 6 घटा दिन में और 2 घंटा रात में बिजली देने की पिछले सत्र के अन्दर, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने घोषणा की थी लेकिन मैं अपने अनुभव से, जयपुर जिले के अनुभव से बता सकती हूं कि कहीं-कहीं एकाध जगह इसकी पूर्ति हो रही है बाकी जगहों पर किसान सारे वक्त रात में, दिन में अपने खेतों में खड़े रहते हैं, कब बिजली आ जायेगी, कब चली जायेगी। आध-आध घटे के बाद, बिजली चली जाती है और क्यारियों में खड़े-खड़े उनके हाथ सूख जाते हैं। इसलिए इस तरह की व्यवस्था को बहुत तेजी के साथ और तत्परता के साथ दुरुस्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके अलावा बिजली के और भी छोटे मोटे काम हैं उसको मैं यहां पर अभी नहीं गिनाऊंगी क्योंकि समय की कमी है और बहुत से संकट आप सब लोगों को भी मालूम हैं।

इसके बाद में आती है सिंचाई। बिजली से जो सिंचाई हो रही है वह तो हो रही है। लेकिन बांध से, एनीकट से सिंचाई का प्रावधान हमारे यहां भी रहता आया है। पिछले कई सालों से अच्छी बरसात न होने के कारण कुओं का जल स्तर नीचे चला गया। पिछले कई वर्षों से कहीं पर भी ऐसी स्थिति मैंने नहीं देखी कि बड़े पैमाने पर बंध और एनीकट बनाने के लिए बहुत भारी बजट लगाया गया हो। नतीजा यह है, मैं समझती हूं और माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में भी होगा कि 5-6 वर्ष पहले या उससे पहले जो बंधे बने थे वह बारिश में टूट गये हैं या कहीं अधूरे रह गये थे, वे आज भी जहां के तहां पड़े हुए

(श्रीमती कमला)

हैं और उन पर पिछले 4-5 वर्षों में एक पैसा भी नहीं लगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि एक ओर जहां अधूरे पड़े हुए हैं उन बंधों को वापस मरम्मत करके तैयार करवाया जाये, टूटे हुए बंधों का वापस रख-रखाव किया जाये और उसके साथ-साथ में जगह-जगह पर नदी-नालों पर एनीकट जरूर बनाये जायें। माननीय मुख्य मन्त्रीजी को बहुत बड़ी आशंका है और जो हमारे पी.एच ई.डी. विभाग वाले हैं उनको भी बड़ी आशंका होती है कि एनीकट आप बना देते हैं तो हमारे जमवा रामगढ़ का पानी रुक जाता है और हमारे ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज बने हुए हैं उन पर बड़ी भारी दिक्कत आ जाती है। मैं आपसे साफ तौर से कह रही हूं, आप यह शर्त लगा दीजिये, पाबन्दी लगा दीजिये कि जो नदी नाले किसी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम के कैचमेण्ट में आते हैं उनके ऊपर आप एनीकट मत बनायें लेकिन बाकी जगह तो बनाइये। आज सारा वातावरण इतना सूख गया हैं, पानी इतना नीचे चला गया है कि पीने के पानी की किल्लत हो रही है। जो फ्लड से पानी आता है, एक तरफ सारी जमीन की अच्छाइयां उठा कर ले जाता है और दूसरी तरफ वह आगे वाले खेतों को रेत से भर देता है और तीसरी तरफ लोगों के घर भी बरबाद हो जाते हैं। आज तक भी फ्लड रिलीफ के नाम पर कोई योजना कहीं नहीं बनी। मेरा यह निवेदन है कि बांध, एनीकट, गाइड बंध, इनका एक व्यापक पैमाने पर बजट बनाया जाये और इसके लिए राजस्थान में कार्य योजनाए एक विशेष तौर पर तैयार की जायें। मैं जब इरिगेशन मिनिस्टर थी तो मैंने एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किया था वाटर रिसोर्सेज आफ राजस्थान और वाटर रिसोर्सेज का ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार करके मैंने अपने विधायकों को भी यहां पर दिया था और दूसरी जो संस्थाएं थीं जिला परिषदें वगैरह उनको भी भेजा था कि इसमें कहीं आपको कुछ संशोधन करना हो वह बतायें, अधिकारियों को भी दिया कि आप भी इसमें और क्या जोड़ना चाहते हैं वह बतायें। मैंने बड़ी मेहनत करके दो-तीन महीने लगा कर वह ड्राफ्ट मास्टर प्लान बनाया था, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने खुद उसको पढ़ा है और एक प्रति मुझ से और भी उन्होंने मांगी थी। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि वह जो संसाधनों का ड्राफ्ट प्लान है उसको पूरा करायें और उसको फाइनल करायें और उसको पूर्ण करके राजस्थान के वाटर रिसोर्सेज के एक पुख्ता प्रामाणिक डाक्यूमेंट के तौर पर उसको बेस बना कर हम अपने प्रदेश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के साधन बनाने के लिए कारगर ढंग से काम करें, चाहे वह अकाल में करें, चाहे डी. आर. डी. ए. में करें, चाहे सिंचाई विभाग में करें और चाहे और योजना के लिए पैसा लाकर करें। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसको बड़े पैमाने पर नहीं लिया तो मैं यह समझती हूं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत भयावह समय होने वाला है जबकि हमारी सारी धरती की नमी खतम हो जायेगी और हम पीने के पानी और छोटे-मोटे सिंचाई के साधनों के लिए तरसेंगे। आज अगर 8 घंटे के बजाय 12 घंटा बिजली एक साथ मिल जाये, उन कुओं में से पानी निकालने का भी सतूना नहीं है, इसलिए यह मेरा निवेदन है।

(श्रीमती कमला)

इसके अलावा मैं यह निवेदन भी करना चाहती हूं, जिसके लिए मैंने अपने समय में एक केबिनेट मीमो भी प्रस्तुत किया था और जो कई राज्यों के अन्दर कायम है ट्यूब वेल का, ट्यूब वेल इरिगेशन के लिए हमारे राज्य को अपना एक एक्ट बनाना चाहिए। हरियाणा में मौजूद है, यू. पी. में मौजूद है और भी कई राज्यों में मौजूद है। ट्यूब वेल इरिगेशन आपके ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम से बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत प्रभावी होता है क्योंकि बोरिंग होने के तुरन्त बाद आप सीधे ही खेत के अन्दर सिंचाई कर सकते हैं और जिनके खेत उसके नीचे आते हैं, जिसका जिस प्रपोर्शन में -छोटा-बड़ा खेत है उस हिसाब से आप उससे सिंचाई की वसूली कर सकते हैं। इसके माध्यम से सरकार को कुछ खुद का पैसा लगाना चाहिए और कुछ किसान को लोन दिलायें, उनको सामूहिक रूप से इकट्ठा करके अण्डर ग्राउण्ड वाटर का बहुत सालों पहले का हमारा सेमी डिटेल्ड सर्वे है और उसकी एक रिपोर्ट बनी हुई है। उन्होंने सारे प्रदेश में जगह-जगह पर ऐसे पाइण्ट तय किये हैं, जहां पर उनको पता है कि यहां पर अण्डर ग्राउण्ड वाटर अच्छी मात्रा में है। कई जगह में होल्स बना कर उनको बंद भी कर रखा है, कई जगह अबेन्डन भी किये हैं, कई जगह अब भी करने लग रहे हैं। इसलिए अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से पूरी स्टेट के भू-जल का अपडेटिंग करवा कर उसके आधार पर हमें एक पूरा नेटवर्क आफ ट्यूब वेल बनाना चाहिये जिसमें इरिगेशन प्लस ड्रिंकिंग वाटर स्कीम हो। क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स में भी आज आपके हैण्डपम्प कोई ज्यादा समय तक कारगर रहने वाले नहीं हैं। जो 4-5 वर्ष पहले हैण्डपम्प लगाये थे वह या तो थोड़े फीट पर ही लगा दिये गये थे या पानी इतना नीचे चला गया है कि आज 80 पर्सेण्ट हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं। 80 पर्सेण्ट हैण्डपम्प खराब होने के बाद लोगों के पास पानी का क्या साधन रहता है? खातेदारी का कुआं। खातेदारी का कुआं तब चलता है जब बिजली का ब्लाक में उनके पास ब्यौरा आता है और वह नहीं हो तो फिर पीने के पानी की सुविधा भी नहीं है। इसलिए ट्यूबवेल का सिस्टम इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर दोनों के लिए जरूरी है जिसके लिए हमें एक्ट भी लाना चाहिये और साथ में इसके लिए बड़े पैमाने पर धनराशि भी लानी चाहिये।

मैंने टी. वी. पर देखा था कि जर्मनी के साथ भारत सरकार ने एक समझौता किया है जिसके तहत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्या का निराकरण करने के लिए ,जर्मनी हमें पैसा देगी। मैं चाहती हूं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, जो यह मौका हमें मिल रहा है इससे भी और अगर कमी पड़ती हो तो हमें इसके लिए दूसरा सोर्स और भी ढूंढना चाहिये। पीने के पानी का पुख्ता इन्तजाम अगर नहीं होगा तो आज तो फिर भी इतनी समस्या नहीं है लेकिन गर्मियों के समय में इतनी हाय-तौबा मचेगी कि आप समझा नहीं पायेंगे किसी को। अभी पी.एच.ई. डिपार्टमेंट ने और मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि हम ड्यूअल सिस्टम नहीं रखेंगे। एक तरफ तो पंचायत समिति भी उनका संधारण कर रही है, दूसरी तरफ सरकार

(श्रीमती कमला)

की भी जिम्मेदारी है लेकिन वह दोनों ही तरफ से नहीं हो पा रहा है। पंचायत समिति का जो मिस्त्री था वह तो काम करता नहीं, पैसे ले जायेगा, टूल्स ले जायेगा, उनका क्या करता है, क्या नहीं करता है लेकिन गांव का एक भी हैण्डपम्प वह नहीं सुधारता। इधर पी.एच.ई. डिपार्टमेंट कहता है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है यह तो पंचायत समिति की है। अभी पिछले सत्र में जब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की उसके बाद में डिपार्टमेंट ने कुछ पंचायतों को नामजद करके चिट्ठियां जारी की हैं कि इन-इन गांवों में जाकर आप हैण्ड पम्प सुधार आओ। क्यों ? बाकी के गांवों को क्या हो गया ? उन्होंने क्या किया ? उन्होंने क्या दोष कर दिया कि आप उन गांवों में नहीं सुधारेंगे ? इसलिए व्यवस्था यह होनी चाहिये एक टीम पी.एच.ई.डी. की इन दो पंचायत समितियों में करेगी, यह इस एक पंचायत समिति में करेगी। पूरे को करने की जरूरत है। किसी एक पंचायत समिति के कुछ गांवों को आपने पिक-अप कर लिया उससे कैसे समस्या का हल होगा। जो भी हैण्डपम्प आज खराब पड़े हुए हैं और जो ठीक किये जा सकते हैं किसी भी सूरत से उनको ठीक किये जाने का पूरे तौर से हण्ड्रेड पर्सेण्ट काम होना चाहिये। चुने हुए गांवों में नहीं करना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : यह सूचना आप जो कह रही हैं, सही नहीं है। सरकार ने यह फैसला किया है कि जितने भी हैण्डपम्प्स खराब हैं राजस्थान भर में, जब तक बरसात नहीं होती तब तक पी.एच.ई.डी. ठीक करेगा। यह आदेश दे दिये हैं और 27 जनवरी से काम चल रहा है।

श्रीमती कमला : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे एक कागज देखने को मिला था तो मैंने पूछा कि इस पंचायत समिति में इतने ही गांवों के हैण्डपम्पों को क्यों ठीक करोगे ? उन्होंने कहा, साहब, इतने का ही आदेश है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया।

श्री भंवरलाल शर्मा : पर्टिकूलर टीम को यह काम दिया होगा, काम के विभाजन के हिसाब से होता है। बाकी जिम्मेदारी सरकार ने और डिपार्टमेंट ने ले ली है और जब तक बरसात नहीं होती तब तक इसको रखेंगे हमारे पास।

श्रीमती कमला : इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने.... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आगे क्या करना है....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : रिप्लेसमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है क्या ?

श्री सभापति : अभी तो भाषण इधर से हो रहा है, जब उनका भाषण हो तो पूछ लेना।

श्रीमती कमला : माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपकी सुविधा के लिए या व्यवस्था सही हो इसके लिए सुझाव देना चाहूंगी कि कुछ गांव पिक-अप करने के बजाय एक टीम को एक पूरा एरिया दे दीजिये। वरना उसी एरिया में आप एक टीम और भेजेंगे बाकी गांवों के लिए तो

(श्रीमती कमला)

वह कौनसी व्यवस्था होगी। आपका खर्चा ज्यादा होगा, समय बेकार जायेगा। इसलिए आप एक पंचायत समिति एक टीम को दे दें तो इसमें गांवों के सलेक्शन का सवाल ही नहीं है। जहां जहां भी खराब हैं वह जाकर के ठीक कर देंगे, यही मेरा निवेदन है।

इसके अलावा जो नये हैण्डपम्प लगाने का मामला है, मन्त्री महोदय को मालूम है मैंने अपने क्षेत्र का एक डाक्यूमेंट मुख्यमन्त्री जी को भी दिया, आपके यहां भी पहुचाया है, विभाग को भी दिया है, अकेले मेरे इलाके में अगर कम-कम करके भी करूं, वैसे तो 445 हैण्डपम्प की मांग है लेकिन जहां कुछ भी नहीं हैं, और कुछ और हो भी नहीं सकता तो उनकी भी अगर करें तो एक अकेले पूरे मेरे क्षेत्र में कम से कम दो सौ हैण्डपम्प चाहिये। ऐसी जगह जहां कोई सोर्स आफ ड्रिंकिंग वाटर आज के दिन नहीं है और आपने पूरे जिले, जिसमें 13 पंचायत समितियां हैं, को सिर्फ 30 हैण्डपम्प दिये हैं। यानि एक पंचायत समिति को सिर्फ दो हैण्डपम्प। अब उसको हम पूजे की उसकी अराधना करें, कि गीत गावें कि क्या करें। दो हैण्डपम्प हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है, माननीय मन्त्री महोदय, कि जर्मनी से जो पैसा मिल रहा है, या और कहीं से आप ला सकते हैं तो यह तो छोंकण लगाने वाले मामले से भी कम है, ऊंट के मुंह में जीरे की कहावत भी इसके आगे छोटी पड़ती है। इसलिए आप इसके बाबत बड़ी गम्भीरता से बड़ी तत्परता से योजना बनाइये और अगर यह योजना नहीं बनी, लोगों को पीने का पानी नहीं मिला तो बाद में हालत बहुत खराब हो सकती है, यही मेरा आपसे निवेदन है।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, गृह उद्योग हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात है, महिलाओं को रोजगार देने की बात है इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज राज्य के अन्दर इतनी योजनाएं है कि जिनकी गिनती भी आप और हम नहीं कर सकते, जिनके पूरे नाम भी आप और हमको पता नहीं है और इतना पैसा है कि जिसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन वह योजनाएं दफ्तरों में रखी हैं और दफ्तर वालों को तो टार्गेट दे रखे हैं, वह यहां बैठे हुए कुछ लोगों के फार्म भरा करके, आधा-अधूरा पैसा देकर, अपने टार्गेट पूरे कर लेते हैं। उससे हमारे इलाके के अन्दर आप किसी जिले में चले जाइये, कहीं गांवों में कोई रोजगार आपको बढ़ता हुआ दिखा हो, कहीं स्व. रोजगार के शिविर लगे हों या लोगों के फार्म भरवाये जा रहे हों, या लोगों को एस्टेब्लिश किया गया हो, मैं समझती हूं कोई इक्के-दुक्के अपने बलबूते से मेहनत करके ले आये हों ऐसा जॉब तो बात दूसरी है। मेरा मुख्यमन्त्री जी और सरकार को सुझाव है कि हरेक सब डिवीजन के ऊपर, तीन पंचायत समितियों के बीच में आप पूरे स्टेट के अन्दर एम्प्लायमेण्ट इनफार्मेशन ब्यूरो सेण्टर कायम कीजिए। चाहे वह आर. एफ. सी. की योजनाएं हैं, चाहे महिला बाल विकास की योजनाएं हैं, चाहे खादी ग्रामोद्योग की योजनाएं हैं, इन सबका एक कोआर्डिनेट प्रोग्राम तैयार करके आप राज्य के अन्दर हर दो या तीन पंचायत समितियों के बीच

(श्रीमती कमला)

में एक एम्प्लायमेण्ट इनफार्मेशन ब्यूरो सेण्टर कायम कीजिये। वहां जाकर शिविर लगाइये। शिविरों के अन्दर लोगों से हाथों-हाथ फार्म भरवाइये और जो आपको फिजीबल दिखे उसको हाथों-हाथ पैसा देने की व्यवस्था कराइये और साथ में किस जगह वह बैठ कर काम करेगा उसके लिए जगह दिलवाइये। कहां से लोन मिलेगा उसका इन्तजाम कराइये। मार्केटिंग कहां से किया जायेगा, उसका इन्तजाम करवाइये, तब जाकर हम लोगों को रोजगार दे पायेंगे। आज रोजगार का कोई जरिया नहीं है और जो भी आज योजनाएं हैं वह दफ्तर को शोभायमान कर रही हैं। किसी बच्चे को, किसी युवा को, किसी महिला को रोजगार के लिए कुछ नहीं हो रहा है। कोई संस्थाएं अगर कार्यरत हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर पा रही हैं तो वह जरूर अपने बलबूते पर कर रही हैं। एक बड़ी गंभीर चिन्ता की बात है बढ़ता हुआ बेरोजगार और उसके मुकाबले में सरकार की नीतियां और सरकार के कार्यक्रम क्रियाहीन हैं। योजना और पैसा होते हुए भी लोग बेरोजगार हैं, दर-दर भटक रहे हैं। इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। हर साल बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, बच्चे दर-दर भटक रहे हैं और अगर इतनी ज्यादा लापरवाही हमने बरती तो, मैं समझती हूं, हमारे समाज में बेरोजगारी के कारण से बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है कि आने वाले भारत की जो शक्ल है वह इस तरह की नहीं होनी चाहिये जिसमें फस्टेड-यूथ हों, अन-एम्पलायड और पीड़ित महिलाएं हों और जिसमें आने वाला समाज इतना विकृत हो कि जिसको संभालना और चलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाये। इसके लिए हम आज इन्तजाम नहीं कर रहे हैं तो उसके अपराधी हम होंगे चाहे इधर बैठने वाले हों, चाहे उधर बैठने वाले हों। उसका इन्तजाम हमें पुख्ता तौर पर करना चाहिये।

इसी के साथ एक और समस्या है। गांवों में इतने कुटीर उद्योग जगह-जगह पर अपने हिसाब से लगाये हुए हैं कि उनका शोषण भयानक ढंग से हो रहा है। कहीं कारपेट का काम चल रहा है, कहीं छोटे-मोटे काम चल रहे हैं, कोई बुनकरों का काम है, कहीं और दूसरे काम हैं लेकिन उनका शोषण रोकने के लिए हमारे पास कोई इन्तजाम नहीं है। आज कच्चा माल आयेगा तो बिचौलिया ठेकेदार लेकर आयेगा और उसका तैयार किया हुआ माल ले जायेगा। वह कच्चा माल लाने में भी कमीशन खाता है, तैयार माल जो आज हजारों की कीमत में बिकता है उसको सैकड़ों की कीमत में खरीद कर, उसका मार्जिन खुद खा रहा है। आज हम उनके कच्चे माल के देने के लिये कोई इन्तजाम नहीं कर रहे हैं। चाहे वह धागा है, चाहे वह रंग है, चाहे कागज है, चाहे कपड़ा है, चाहे उसके पैटर्नस हैं, चाहे डिजाइन्स हैं, जो कुछ भी है आज वह सब ठेकेदार के मार्फत हो रहा है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि हम अगर सचमुच में इस देश में, इस प्रदेश में संतुलित विकास करना चाहते हैं और जैसा हम गरीब आदमी और पिछड़े आदमी के बहुत बड़े मसीहा के तौर पर बनना चाहते हैं तो हमें अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग के जो आदमी कुटीर उद्योग

(96)

(श्रीमती कमला)

व गृह उद्योग में लगे हुए हैं या खेतिहर मजदूर हैं उनका शोषण खतम करने के लिये, उनको अपलिफ्ट करने के लिये हम लोगों ने कुछ भी इंतजाम नहीं किया हुआ है इहलिये यह शोषण कैसे खतम हो, कैसे उनको सामान पहुंचाया जाये और कैसे उनकी बिक्री के केन्द्र कायम किये जायें इस की चेष्टा करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आप तो मेरे इलाके से जुड़े हुए इलाके से आते हैं। मनोहरपुर का कारपेट उद्योग आज दुनिया में मशहूर है बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन जो बना रहे हैं उनकी हालत आप देखें, गरीब, एस.सी., ट्राइब्स के लोग हैं उनको ठेकेदार कच्चा माल लाकर देता है, तैयार किया हुआ लेता है, उनके पल्ले थोड़ा-सा पड़ता है वह उसमें खुश हो जाते हैं। अभी मैंने उनको एक दिन सबको बुलाया कि मैं तुम्हें अनुसूचित जाति निगम से लोन दिलवाऊंगी और कम से कम दो जीपें भर कर मेरे कार्यकर्ताओं की आयीं। उनको मैंने टेलीफोन किया, उनके पास गये, मैंने कहा इनके फार्म भराइये और जो यह काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नया काम करेंगे, काम कर रहे हैं लेकिन ठेकेदार से लेकर काम कर रहे हैं आप उनको लोन दीजिए, उनको कर्जा दीजिए जिससे यह शोषण मुक्त होकर काम कर सके, कमाई का जो मार्जिन है वह इनको मिले। लेकिन अभी उसमें बहुत देर लगेगी। महिलाओं के रोजगार के लिये, महिला बाल विकास विभाग इसी काम के लिये है। लेकिन महिलाओं की संस्थाएं अगर कहीं हैं तो वहां काम हो रहा है नहीं तो कोई काम नहीं, सब यूं ही पड़ा हुआ है सारे इलाके में। कहीं कोई महिलाएं मशीन चाहती हैं तो भी नहीं मिल पातीं। कहीं कोई धन्धा करना चाहती हैं तो भी उसकी व्यवस्था नहीं है। कहते हैं, आप कोई संस्था बनाइये तब हम आपको देंगे। अब वहां कोई पढ़ी लिखी बहनें होंगी तो संस्था बनाएंगे। पढ़ी-लिखी बहनें हैं नहीं इसलिये तो हम चाह रहे हैं कि आप वहां पर काम कर लीजिए। लेकिन वहां संस्था पहले बनाइये। मुर्गी पहले कि अण्डा पहले वाला हिसाब हो रहा है कि आप पहले संस्था बनाइये तब पैसे देंगे। वह कह रहे हैं संस्था चलाना नहीं आता हम कहां से करें। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हमारा यह महिलाओं के विकास, उनकी तरक्की, उनके रोजगार, उनके उद्योग-धन्धे, उनके स्वास्थ्य उनके शिशुओं की देखरेख और सामाजिक अन्याय उनके ऊपर हो रहा है उससे उनको बचाने के लिये सरकार को महिलाओं के लिये एक अलग योजना तैयार करनी चाहिये जिसके तहत उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके बच्चों की देखरेख हो और इसके साथ में उनके उद्योग-धन्धों और शिक्षा के लिये फ्री आफ कास्ट कानूनी सहायता मिले। अदालतों के फैसलों में उनकी मदद हो। यह सारा का सारा राज्य सरकार को एक बड़े पैमाने पर काम करना चाहिये। आज इतनी बहनें दुःखी होकर के इधर से उधर घूमती रहती हैं कि उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को, हमारे साथियों को भी बताना चाहती हूं कि महिलाओं के लिये आपने व्यापक तौर पर शिक्षा का इन्तजाम

(श्रीमती कमला)

कर दिया तो आपके समाज के बहुत से दर्द खतम हो सकते हैं। हमारे समर्थन करने वाले भाई बोल रहे थे कि राजस्थान जनसंख्या वृद्धि में तो सबसे ज्यादा है और पढ़ने में सबसे कम। जनसंख्या वृद्धि की अगर कोई रोकथाम हो सकती है तो महिलाओं की शिक्षा ही कर सकती है। इसलिये मैंने महिला दशक जब आया था आज से कुछ साल पहले तब दिल्ली की कांफ्रेंस में और यहां पर भी यह कहा था कि इसका एक मात्र प्रभावी अगर कोई कारगर हथियार है तो वह यह है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए आप विशेष तौर से ज्यादा से ज्यादा इन्तजाम करिये। सामाजिक कुरीतियां हैं, अन्याय का मुकाबला करने का काम है यह सब तभी कर पायेंगे जब आप उनकी शिक्षा का माकूल इन्तजाम करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि ग्राम के अन्दर कुटीर उद्योग वगैरह को आगे से आगे बढ़ाने के लिए भी हमें काम करने की जरूरत है।

एक अन्य काम है-सड़क। अगर सड़क नहीं है, सब कुछ भी हो जाये तो वह इलाका विकसित नहीं हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं संक्षेप में करूंगी, लेकिन पूरा करूंगी।

श्री सभापति : बस, पौन घण्टा हो गया।

श्रीमती कमला : नहीं, अब जल्दी करूंगी। सड़क विकास का बहुत बड़ा माध्यम है। अगर टीचर को जाना है तो, डाक्टर को जाना है तो, सामान इधर-उधर जाना है तो, व्यापार बढ़ाना है तो, खेती होनी है तो और इधर से उधर दुनिया से सम्पर्क होना है तो, विकास का एक बहुत बड़ा चिराग है और इन सड़कों को हम ने सबसे कम प्रायोरिटी में डाला हुआ है। पिछले वक्त में मैंने देखा, विश्व बैंक की कोई स्कीम बनायी है जिसमें कुछ जिलों को सलेक्ट किया और उसमें सड़कें मंजूर की। मण्डी की सड़कें हम लोग बनाते हैं, जो सरप्लस आमदनी होती है मण्डी की उससे सड़कें बनती हैं लेकिन बीच-बीच में कृषि उपज मण्डी की राशि को इधर-उधर लगा देते हैं। कृषि भवन बनाया तो कृषि उपज मण्डी का रुपया लगा दिया, और चीजें की तो कृषि उपज मण्डी की आमदनी लगा दी। इसलिये मेरा निवेदन है कि वर्ल्ड बैंक की स्कीम को ज्यादा से ज्यादा जिलों में फैलाया जाये। कृषि उपज मण्डी के सरप्लस पैसे को किसी और जगह न लगा कर सम्पर्क सड़कों पर लगाया जाये जिससे किसान अपनी फसल को मण्डी तक लाकर फेयर प्राइस ले सकें और आगे तरक्की का रास्ता भी खुल सके। इसके अलावा डी. आर. डी. ए. या अकाल राहत से या पी. डब्ल्यू. डी. से जो सड़कें बनायी जा सकती हैं वह तो हमें बनानी चाहिए।

शिक्षा के बारे में इस डाकूमेंट में कहा है कि दो सौ या डेढ़ सौ के ऊपर हम स्कूल खोलेंगे। मेरा निवेदन यह है कि प्राइमरी शिक्षा के लिये दो सौ-डेढ़ सौ स्कूल आपने तय किये वह ठीक है, इसके साथ में आप यह और लगाइये कि दो सौ की आबादी या डेढ़ सौ की आबादी या तीस बच्चे जहां पढ़ने वाले हों। हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं हमको मालूम है कि गांव से सारे लोग खेतों से उठकर ढाणियों में बस रहे हैं, इसलिये 6-7 ढाणियों के बीच में 25-30 बच्चे

(श्रीमती कमला)

पढ़ने वाले हैं तो उनके वहां पर स्कूल खुल जायेंगे। डेढ़ सौ-ढाई सौ की आबादी के साथ में जहां 30 बच्चे पढ़ने वाले हों यह भी इसके अन्दर जोड़ा जाये। इस तरह से शिक्षा का जो माध्यमिक स्तर है या जो कालेज स्तर है या विश्वविद्यालय स्तर है उसके सुधार के बारे में, फैलाव के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहती क्योंकि हम सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विद्यालय खोलें और ज्यादा से ज्यादा कारगर ढंग से काम किया जाये, मैं विशेष तौर से महिला शिक्षा के बारे में कहना चाहती हूं। मेरा यह निवेदन है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी से खास तौर से यह चाहती हूं कि दो पंचायतों के बीच में महिलाओं की एक उच्च प्राथमिक शाला खोलें, पांच पंचायतों के बीच में बालिकाओं की एक माध्यमिक शाला खोलें मय छात्रावास के और पंचायत समिति स्तर के ऊपर एक सीनियर हायर सैकण्डरी जरूर खोलें मय छात्रावास के तथा जिला स्तर पर एक कालेज जरूर खोलें मय छात्रावास के। यह महिलाओं की शिक्षा के लिये बहुत जरूरी है। अगर आप यह चाहते हैं कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़े और महिला वर्ग जो आज राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ है शिक्षा की दृष्टि से, वह तेजी के साथ आगे चले तो उसके लिए इस योजना को कारगर ढंग से लागू करना जरूरी है।

इसी के साथ में आई.टी.आई., पोलीटेक्निक, ट्राइसम ट्रेनिंग के अन्दर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मौका दिया जाना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा वूमेन पोलीटेक्निक कालेज स्टेट के अन्दर खोले जाने चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह कोई छोटी सी बात नहीं है या इसको टालने वाली बात नहीं है। महिला वर्ग जब तक सबल नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा तब तक उसको कितना ही सोने से मढ़ दें आपका यह समाज तरक्कीयाफ्ता नहीं कहलायेगा और तरक्कीयाफ्ता हो भी नहीं सकता है। इसलिये बात करना दूसरी बात है, गृहलक्ष्मी के बजाय सरस्वती-लक्ष्मी भी बने लेकिन उसके लिए सरस्वती का आह्वान तो करिये, उसकी स्थापना तो करिये, जिससे महिलाएं उसका लाभ ले सकें। तो मेरा यह आपसे निवेदन है कि इस मामले में हमें देखने की जरूरत है।

साथ ही जो तकनीकी शिक्षा है, आज तकनीकी शिक्षा एक मजाक हो गयी है। जो बच्चे ट्रेनिंग लेकर आते हैं वह वापस सरकार के दरवाजे पर नौकरी लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वह ट्रेनिंग लेकर उनको छोड़ देते हैं। ट्रेनिंग खतम होने से दो महीने पहले ही इन्तजाम वहां पर होना चाहिये कि यह ट्रेण्ड बच्चा है, कहां एप्रेन्टिसशिप करेगा, कहां से इसको बैंक लोन मिलेगा, किस जगह यह बैठेगा, कौन-सी नोडल एजेन्सीज इसको सम्भालेगी जिससे कि यहां से निकलते ही वह अपना रोजगार प्रारम्भ करे और फालोअप एक्शन के लिए भी लोकल अथारिटी की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह अपने काम को सम्भालता रहे और कोई दिक्कत अगर आ गयी है तो उसको आगे से आगे बताने के लिए कोशिश करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि के बाबत बात कहना भूल गयी थी वह यह

(श्रीमती कमला)

कहना चाहती हूं कि हमारे यहां पर कृषि कालेज की बहुत कमी है, अनुसंधान केन्द्रों की बहुत कमी है इसलिए ज्यादा से ज्यादा गंगानगर में, कोटा में, दूसरी और तीसरी जगह कालेज भी खोलने चाहिए और अनुसंधान केन्द्र भी ज्यादा से ज्यादा हमारे राज्य में बनाने की चेष्टा करनी चाहिए।

शिक्षा के मामले में तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, संस्कृत शिक्षा। हम लोगों की तरफ से जब संस्कृत और संस्कृति की बात होती है और किसी आयोजन के अन्दर भाषण देने जाते हैं तो हम अपनी पूरी आत्मा उडेल देते हैं और यह कहते हैं कि यही हमारी एक पहचान है। लेकिन जब हम बजट में इसके लिए राशि डालते हैं तो आपको अफसोस होगा सुनकर, जानकारी नहीं होगी तो नहीं होगी, कि आज तक संस्कृत शिक्षा के लिए कोई प्लान हैड अलग से नहीं है। जब मैं शिक्षा मंत्री थी तो मैंने बहुत मेहनत करके और लड़-झगड़ कर जनरल एजूकेशन के हैड में से 5 प्रतिशत संस्कृत शिक्षा के लिए कायम कराया था। होता यह है कि जो सरकार आती है, जो भी मंत्री आता है उसको संस्कृत से कोई रूचि हुई तो 5 प्रतिशत दे देता है, नहीं तो 5 प्रतिशत भी गायब हो जाता है। इसलिए संस्कृत के विकास के लिए मैंने यह कोशिश की थी कि हर पंचायत समिति स्तर पर दो-दो मिडल स्कूल हो जायें, उसके बाद में प्रवेशिका हो जाये और उपाध्याय हो जाये, शास्त्री हो जाये। एक नीचे से उसका स्ट्रक्चर पूरा मेरा बनाया हुआ है ? लेकिन उसके बाद उसके आगे कुछ नहीं हुआ। एक साल मैंने गवर्नर साहब को भी लिखा पढ़ी की, मुख्य मंत्रीजी को भी लिखा पढ़ी की कि 5 प्रतिशत इस साल मिला ही नहीं संस्कृत को, इसलिए आप इसको दिलायें। मेरा यह निवेदन है कि संस्कृत शिक्षा और शोध संस्थान का अलग से हैड होना चाहिए। मैंने अपने वक्त में देवपुराजी और जोशीजी की मदद से एक जमीन दुर्गापुरा में ली, लाखों-करोड़ों रुपयों की जमीन है, मैन रोड पर है, यह जमीन शोध संस्थान के लिए कायम हुई और आज उस शोध संस्थान की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। मैंने उसकी बाउण्ड्री वाल का पैसा मन्जूर कराया लेकिन विभाग ने बाउण्ड्री वाल नहीं खिचवाई। वह किसी की सम्पत्ति नहीं है, वह जे. डी. ए. की जमीन है, सरकार की जमीन है। तो मैंने कहा कि आप शोध संस्थान के लिए चाहे तो मदद करायें लेकिन आपकी करोड़ों रुपयों की इतनी कीमती जमीन है उसकी तो सुरक्षा कीजिए। वह भी सुरक्षा नहीं की। बोर्ड उतरवाकर लोगों ने फेंक दिये और वह जमीन आज बिना मालिकों की हो रही है। शोध संस्थान का जो ब्लू प्रिन्ट बनाया, जो प्रोजेक्ट बनाया वह सारा का सारा आज हमारे पास ज्यों का त्यों रखा हुआ है। यह संस्कृत शिक्षा विभाग का है किसी प्राइवेट संस्था का नहीं है। एक तरफ यह दशा है; दूसरी तरफ जब भैरोंसिंह जी पिछली बार मुख्य मंत्री बने थे तो मैंने संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये एक परियोजना तैयार की थी और वह उनके पास लेकर गयी थी, उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि कमलाजी मुझे बहुत खुशी है कि कुलिशजी के साथ एक और व्यक्ति इस काम के लिए लड़ने वाला तैयार हो गया जो आप हैं। लेकिन वह कागज ही पता नहीं कहां गये। न तो

(श्रीमती कमला)

लौटकर जवाब आया और न उसकी हवा आयी, न गंध आयी। न मालूम कहां गये कहां नहीं गये। आज मैं पूरी विधान सभा के सदस्यों की राय से और उनकी सहमति से यह प्रस्ताव यहां पेश करना चाहती हूं, जो मैं प्राइवेट मैम्बर्स बिल के अन्दर भी अपनी तरफ से पेश करूंगी कि राजस्थान में जयपुर के अन्दर एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। क्योंकि संस्कृत का जो गौरव आज राजस्थान में है, जो विद्यालय राजस्थान में हैं, जो अध्ययन और अध्यापन राजस्थान में है, जो एवेन्यूज राजस्थान में हैं वह कहीं पर भी इतने नहीं हैं। काशी के बाद यह दूसरा काशी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले में आप मुख्य मंत्रीजी को भी और शिक्षा मंत्रीजी को भी और अपनी पार्टी को भी तैयार करें। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जयपुर के अन्दर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए जिससे कि हम हमारी इस अमूल्य धरोहर को बनाये रख सकें।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता के बारे में इस दस्तावेज में मामूली-सी बात लिखी हुई है। उसका कोई मतलब नहीं है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि उदारीकरण के इस दौर में सहकारिता के लिए तो चुनौती है ही लेकिन इस सरकार के लिए भी चुनौती है। क्योंकि उदारीकरण की नीति उन लोगों के लिए है जो रिसोर्सफुल हैं, जिनके पास साधन हैं और जो आर्थिक मंचों का कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी हैं, साधनहीन आदमी हैं जिनके लिए हमने समाजवाद और सहकारिता का प्रतिपादन किया और आज भी हमारी राष्ट्रीय नीति के अन्दर सहकारिता, सोशल, इकोनामिक ट्रान्सफार्मेशन का इफेक्टिव मीडिया माना हुआ है उसकी यह दुर्गति है कि बैंकों के अन्दर फाइनेन्सिग की स्थिति नहीं है। रोजगार के लिए मदद करना चाहते हैं उनके लिए कोई साधन नहीं हैं। उनके चुनाव भी अधूरे पड़े हुए हैं। आज अगर इस चमकती हुई दुनिया के बीच में गरीब आदमी का, साधनहीन आदमी का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का अगर कोई सहारा है तो सहकारिता है क्योंकि हम अपनी छोटी पूंजी को इक्ट्ठा करके बड़ी पूंजी से इसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हमने उसकी तो छुट्टी कर दी। आज देखने को ही नहीं मिल रहा है। आज उदारीकरण के दौर में वह सब पिसकर रह गया है। इसलिए उसके बारे में भी हमें सोचना है कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव करायें और फाइनेन्शियली उन्हें मजबूत करें और गरीब आदमी का सहारा हम सशक्त रूप में कायम करने में लगायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास के लिए मैंने बीच-बीच में कई बार कहा है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आज भी आप गांवों में जाओ तो कितने ही परिवार मिल जायेंगे जिनके मकान नहीं हैं। छोटा-सा टुकड़ा है तो उसके ऊपर झोंपड़ी बनाने को पैसा नहीं है। और अगर प्लाट भी देंगे तो पहले दूसरों को दे देंगे। उनके प्लाट का नम्बर कब आयेगा? और अगर मिल गया तो उसके पास पैसा नहीं है। पैसा मिल गया तो किसी ने और कोई

(श्रीमती कमला)

अड़ंगा खड़ा कर दिया। इसलिए एक तो रोजगार का, दूसरे मकान देने का और तीसरे शिक्षा का और चौथे जो कुछ भी आगे बढ़कर समाज के साथ मिलकर चलना चाहते हैं उनको पूर्ण रूप से अवसर प्रदान करने का जो काम है वह तभी सम्भव है जब जगह जगह इनके आवास गृह बनें, इनके छात्रावास बनें। ऐसी स्थितियां नहीं आयें कि राजनैतिक कारणों से दस-दस और पचास-पचास वर्षों के चलते हुए छात्रावासों को बन्द कर दिया जाये और फिर भी हम कहें कि हम इनके बड़े हिमायती हैं। आप हिमायती बनें, हम चाहते हैं। आपने कोशिश भी की है, आम जनमानस जो आपके प्रति यह मानता है कि आप उच्च वर्ग के प्रतिनिधि हैं और आप यह साबित करना चाह रहे हैं कि नहीं हम कमजोर वर्ग के भी हैं, तो आप हों हमारी कामना है लेकिन ऐसा करके कैसे होगा। आगे कुछ करिये और पिछले को मत मिटाइये। तो यह काम हमें करने की जरूरत है।

अन्त में, माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण के बारे में भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। हमारे देश में भी, भारत सरकार भी और राज्य सरकारें भी और साइन्टिस्ट्स तो कितनी-कितनी चिन्ताएं व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में ओजोन लेयर कट जानी है और समाज का क्या होगा, सृष्टि का क्या होगा। भयानक से भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आप देखिये, धुंआधार, काली और सफेद धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां जयपुर शहर के अन्दर और अन्य शहरों के अन्दर चल रही हैं और कोई उसका चैक-अप नहीं है, कोई उसके ऊपर देखरेख नहीं है। ध्वनि प्रदूषण तो दिनों-दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है और जल प्रदूषण, आज जो औद्योगिक कानून बना हुआ है उसके तहत तमाम उद्योगों को उद्योग लगाने से पहले यह सिस्टम कायम करना पड़ेगा वरना अपराधी ठहराये जायेंगे लेकिन कोई नहीं देखता है। नदियों के अन्दर जहर फेंक रहे हैं। लोग उसको पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं और पशु उसको पी रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि कानून है, व्यवस्था है, सरकार है लेकिन अंजाम कुछ नहीं है। इसलिए दिन-ब-दिन हालत खस्ता होती चली जा रही है और सबसे ज्यादा दर्द तो इस बात का है कि जहां वायु, ध्वनि और जल प्रदूषित हो रहा है उसके साथ में मानव, उसका चिन्तन, उसके वैचारिक और सांस्कारिक स्तर का प्रदूषण भयानक ढंग से हो रहा है। हम किस तरह से धन और दौलत के पीछे, सत्ता के पीछे अपने आपको बनाने के लिए अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं कि मूल्यों को भूल गये हैं। कहां गयी हमारी संस्कृति, कहां गयी हमारी सभ्यता और कहां गये इन्सान को प्रखर शिखर पर रखने वाले भारतवासी? आज हम धन, दौलत, सत्ता और स्वार्थ के पीछे इतने पागल होते चले जा रहे हैं कि उसका कोई अन्त ही नहीं है। सबसे बुरी हालत तो यह है कि आज जो फिल्में बन रही हैं, जो प्रचार माध्यमों के जरिये से प्रचार हो रहा है उसको देखकर तो शर्म आती है कि भारत यह है, हिन्दुस्तान यह है जहां इस तरह अश्लील अपराध व्यभिचार करते हुए अड्डे दिखाये जा रहे हैं और अभद्र से अभद्र तरीके से दिखाया जा रहा है और हम

(श्रीमती कमला)

कहते हैं कि यह तो उद्योग है। यह उद्योग है? टी.वी. का माध्यम, अखबारों का माध्यम और ट्रांजिस्टर का माध्यम देश को बनाने के लिए होता है। आप कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कैसे इन्सान बनाना चाहते हैं, कैसे भव्य बनाना चाहते है, उसके लिए यह मीडिया है? यह मीडिया इन्सान में जो सद्‌भावना है, अच्छी वृत्ति है, गुण हैं उनको प्रोत्साहित करने का माध्यम है।

(15.00)

उसमें असत्य प्रवृत्ति है, हिंसक प्रवृत्ति है, आपराधिक वृत्ति है उसको उत्तेजित करने के लिए किसने कहा? इस तरह से हम इण्डस्ट्री का नाम लेकर के इन तमाम माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो तौहीन हो रही है बेइज्जती हो रही है। वह महिलाओं की हो रही है। आज जिस तरह से उनको दिखाया जा रहा है, जिस तरह से उनका प्रदर्शन किया जा रहा है यह हमारे लिये शर्म की बात हैं। इसलिए न सिर्फ वायु, जल और हवा प्रदूषित हो रही है बल्कि विचार, चिन्तन और हमारा मानस भी प्रदूषित होता चला जा रहा है। आज हम पश्चिम का जो एक अर्थहीन समाज है उसकी संस्कृति को जिस तरह से अपना रहे हैं वह हम सब के लिये शर्म की बात है। मैं इस हाउस के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि हम इसका प्रस्ताव करें कि इस तरह की पिक्चर्स के ऊपर जबरदस्त रोक लगनी चाहिए। यह कह कर के आप टाल दें कि उद्योग है, भाई, क्या करेंगे। अभी एक इण्टरव्यू लिया था एक महिला का जो सीरियल बनाती हैं। वे क्या कहती हैं कि अगर हम ऐसा नहीं बनायें तो हमारा उद्योग कैसे चलेगा। तो आप उद्योग लगाने के लिए इनको ला रहे हैं या इस देश को बनाने के लिए इन मीडियाज को कायम किया है। अगर उद्योग बनाने के लिए लाये हैं तो डकैत जो पैसे लाता है उसमें से भी ले लीजिए, चोर जो पैसे लाता है उसमें से भी ले लीजिए, जो अपराध होते हैं, सभी में से आप ले लीजिए। इससे बड़ी डकैती और कोई नहीं हो सकती। जो आज फिल्म संसार हमारी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर डाका मार रहा है और हम शान्त हुए बैठे देख रहे हैं इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिए आपके जरिए से, इस विधान सभा के जरिए से, इन दोनों पक्षों के लोगों के जरिए से यह चाहती हूं कि हम भारत सरकार को और, इस विभाग के मन्त्री महोदय को और उन लोगों को यह पाबन्द करें कि आप इस तरह से कह कर के टाल नहीं सकते। आज देश गर्त में चला जा रहा है। यह किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता। देश आपका है, हमारा है। आपकी हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाना पड़ेगा, मुस्तैदी से निभाना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा जनता को कि आपने हमें भेजा था, हमने यह करके दिखाया।

इन शब्दों के साथ मैं, माननीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में बहुत सारी कमियां होने के कारण इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय डा. उजला अरोड़ा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। तीन बजे वक्तव्य आने की बात कही थी मुख्य मन्त्री जी ने।

श्री सभापति : इसमें पाइन्ट आफ आर्डर की क्या बात है आ जायेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : तीन बजे की बात है। कैसे नहीं है पाइन्ट आफ आर्डर ? (व्यवधान) दो तो सही। तीन बजे की बात है।

श्री सभापति : आ रहा है, आ रहा है। पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री परसादीलाल मीणा : इसका जवाब तो दीजिये कि वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है।

श्री सभापति : तैयार है, आ रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : कब तक आ रहा है, तीन बजे की बात है।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, 2-4 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय ...

श्री परसादीलाल मीणा : विधिवत तीन बजे तय हो गया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तीन बजे के टाइम के लिए कहा था।

श्री परसादीलाल मीणा : एस. सी. एस. टी. के छात्रावासों का क्या सवाल है ....(व्यवधान)

श्री सभापति : वह आ रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : वह आ रहा है तो जवाब दिलवाइये आप।

श्री सभापति : आप विराजिये। मै उनसे अनुरोध करूंगा। विराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : तीन बजे की बात है। कैसे नहीं है पाइन्ट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री सभापति : तैयार है, वह आ रहा है। कोई बात नहीं दो-चार मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रहा है। (व्यवधान) आप विराजिए, मै नोट करूंगा।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : सभापति महोदय, आपका यह कहना कि समय का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए बहुत फर्क पड़ता है।

श्री सभापति : नहीं, समय का तो सभी के लिए फर्क पड़ता है।

श्री चन्दनमल बैद : जब सरकार ने यह कहा कि हम तीन बजे वक्तव्य देंगे तो तीन बजे वक्तव्य या तो दे या खेद प्रकट करें कि हम नहीं दे पा रहे हैं। यह क्या बात हुई कि कोई फर्क नहीं पड़ता है समय का। यह विधान सभा है। यहां पड़ता है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप इस सरकार को निर्देश दीजिए।

श्री सभापति : आप विराजिये तो सही। मुझे बोलने का अवसर दें। (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि चार बजे का वादा किया बताया।

श्री चन्दनमल बैद : तीन बजे का किया है। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति : सुनिये तो सही माननीय मन्त्रीजी को, आप कृपया बिराजिये। (व्यवधान) ये बतायेंगे, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे है। सुनिये तो सही। आप कृपया बिराजिये। (व्यवधान) सुनिए तो सही कि सरकार क्या कहती है। तो आप बैठेंगे तब ही तो सुनेंगे। (व्यवधान) आप कृपया बिराजिये। सुनिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार होती तो तीन बजे आ जाती।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि मैं तीन बजे वक्तव्य दूंगा। वक्तव्य तैयार है। वे अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, वे दे देंगे। वक्तव्य हमारे पास तैयार है, मन्त्री महोदय देने के लिए तैयार है। मैं इसलिए चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मुझे अपने मुंह से कहा था। आप आज्ञा देंगे तो वे अभी वक्तव्य दे देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये। क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसमें इन्टरसेप्ट किया था, वे कुछ ज्यादा अच्छी बात बतायेंगे इसलिए थोड़ा इन्तजार कर लें तो कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, आपने मेरा नाम पुकार लिया था।

श्री सभापति : वक्तव्य देना चाहते हैं तो वे बता देंगे। (व्यवधान)

शासकीय वक्तव्य

डूंगरपुर में राजकीय छात्रावास बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री मदन दिलावर (राज्य मन्त्री, समाज कल्याण) : माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में जिला डूंगरपुर में 35 राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास तथा एक छात्रावास स्वेच्छाकार योजना में कुल 36 छात्रावास स्वीकृत हैं, साथ ही 4 अनुदानित छात्रावास भी संचालित किये जा रहे हैं। इन सभी छात्रावासों में मिलाकर कुल 1515 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं।

राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर द्वारा डूंगरपुर जिले में निम्न स्थानों पर छात्रावास संचालित किये जा रहे थे :–

1– सीमलवाड़ा
2– बीछीवाड़ा
3– झोथरी
4– करावड़ा
5– कनबा
6– डूंगरपुर-तीन
7– सागवाड़ा

इनमें से झोथरी स्थित छात्रावास संस्था द्वारा वर्ष 83-84 के दौरान ही बन्द कर दिया गया था। संस्था द्वारा दिनांक 12-6-91 को लिखे पत्र के द्वारा समाज कल्याण विभाग को निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1. सीमलवाड़ा में जनजाति विकास

(श्री मदन दिलावर)

विभाग द्वारा कन्या छात्रावास भवन निर्मित कर दिया गया है। अतः वहां पर विभाग द्वारा ही छात्रावास चलाना उचित होगा।

2. बीछीवाड़ा में जनजाति विकास विभाग द्वारा छात्रावास प्रारम्भ कर दिया गया है। अतः संस्था ने छात्रावास बन्द करने की स्वीकृति दी।

3. कनबा में संस्था को किराये का उपयुक्त भवन नहीं मिल पा रहा है। अतः 1991-92 के सत्र में इस छात्रावास को बन्द करने की अनुमति दी जाये।

इस प्रकार संस्था द्वारा वर्ष 1992 में दिनांक 15.5.92 को लिखे पत्र के द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया :-

1. करावड़ा में किराये का भवन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है अतः वहां पर छात्रावास चलाना सम्भव नहीं है।

2. डूंगरपुर स्थित बापा भील छात्रावास जिस परिसर में स्थित था उस परिसर में अन्य छात्रावास भी चल रहा है। अतः छात्रावास बन्द करने की अनुमति दी जाये।

उपरोक्त अनुरोध के पश्चात् विभाग द्वारा उक्त छात्रावास संचालन के लिए अनुदान देना बन्द कर दिया गया। वर्तमान में इस संस्था द्वारा डूंगरपुर में नूतनबापा आदिवासी छात्रावास एवं सागवाड़ा आदिवासी बालिका छात्रावास सचालित किया जा रहा है। इन दोनों की छात्रावासों हेतु राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से अनुदान दिया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. नूतनबापा आदिवासी छात्रावास, डूंगरपुर में वर्ष 1992-93 मे रु. 10,06,978/- एवं वर्ष 93-94 में 10,09,514/- और

2. आदिवासी छात्रावास सागवाड़ा रुपये 12,05,054/- वर्ष 1992-93 में एव वर्ष 1993-94 में 12,01,896/-

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा पूर्व में चलाये जा रहे जो भी छात्रावास वर्तमान में नहीं चल रहे हैं इन सभी संस्थाओं ने स्वेच्छा से चलाना बन्द किया है। राज्य सरकार द्वारा इन छात्रावासों को मिलने वाले नियमानुसार अनुदान को नहीं रोका गया है और न ही विभाग द्वारा उक्त संस्थाओं पर सन्दर्भित छात्रावासों को बन्द करने हेतु दबाव डाला गया है। किसी भी संस्था द्वारा स्वयं की इच्छा से ही एवं सामर्थ्य के अनुसार ही छात्रावास चलाये जाते हैं एवं संस्थाएं अपनी इच्छानुसार ऐसे छात्रावास को चलाना बन्द कर सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को नियमानुसार छात्रावास संचालन करने हेतु काफी प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्तमान में 93 छात्रावास पूरे राज्य में स्वैच्छिक संस्था द्वारा चलाये जा रहे हैं।

आदिवासी क्षेत्र में छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक दृष्टि से छात्रावास समुचित रूप से उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार पूर्णतः सजग है। वर्ष 1993-94 के दौरान डूंगरपुर जिले में फुलानी में छात्राओं

(श्री मदन दिलावर)

हेतु छात्रावास प्रारम्भ किया गया है एवं अगले वर्ष में आदिवासी क्षेत्रों के लिए दो आवासीय विद्यालय खोलने की भी योजनाएं हैं। प्रत्येक ऐसे आवासीय विद्यालय में 400 विद्यार्थियों को आवासीय एवं शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

श्री सभापति : केवल प्रश्न।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : केवल प्रश्न नहीं, इन्होंने तो पूरा विवरण दिया है एक-एक का, जिनको सहायता दी जा रही है उसका विवरण पढ़ रहे हैं। जिनको बन्द कर दिया उसके बारे में ? उस संस्था का मैं सदस्य हूं। आपके कार्यकाल में हमने काफी लिखा-पढ़ी की। आपने द्वेषतापूर्ण, संस्थाएं इनकी हैं इस हिसाब से इन छात्रावासों को बन्द किया। एक साल-डेढ़ साल तक छात्रावासों को पैसा नहीं दिया, बच्चे भूखे पड़े रहे। व्यवस्था नहीं की गई, इनकी छात्रवृत्तियां नहीं दी गयीं। आप यह गलत बयान पढ़ रहे हैं। आपको इन छात्रावासों को वापस शुरू करना है। संस्था के पदाधिकारी ने जो लिखा है उसकी नोटिस की कॉपी मुझे दी जाये। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने दिया है आपको ? जबकि हम वहां के प्रभारी हैं, हम जानते हैं और आप कह रहे हैं कि संस्था ने लिखकर दे दिया। बिलकुल गलत है। यह संस्था शिक्षण संस्था है, इसके जितने भी छात्रावास हैं सारे बन्द कर दिये। पीड़ी में बन्द कर दिया, उदयपुर में वनवासी छात्रावास बन्द कर दिया गया, ऋषभ में बन्द कर दिया गया। आप पढ़ रहे हैं जिनको दे रहे हैं उनका। क्या जरूरत है उसको पढ़ने की ? समाज कल्याण चलाये उसको आप पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति : अब उत्तर सुनिये। बिराजिये और भी कुछ कह रहे हैं तो कहिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : आपने जिन छात्रावासों को बन्द किया उनका तो कोई जिक्र नहीं किया। आपने जो भी पढ़ा उससे मैं असहमत हूं। एक आदिवासी क्षेत्र है उस आदिवासी क्षेत्र को आपने उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। जो व्यवस्थापक थे उनके ढाढ़े खींच रहे हैं लोग। पैसा बकाया है दुकानों का। इन लोगों ने छह छह महीने तक व्यवस्था की है, उसका कौन जिम्मेदार है ? मोटी बात यह कहना चाह रहा हूं कि एक हजार छात्र मेरे यहां रखड़ते हो गये, इसका कौन जवाब देगा।

श्री सभापति : बिराजिये अब आप। माननीय मन्त्री जी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय मन्त्री जी ने बयान दिया है कि कोई अनुदान बन्द नहीं किया और संस्था के प्रभारी कह रहे हैं कि अनुदान बन्द कर दिया।

श्री सभापति : अब स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्रीमती कमला : आप एक बार और सोचिये कि आपने यह सही बयान दिया है क्या कि अनुदान बन्द नहीं किया गया ?

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सेवा संघ इस प्रकार के 9 छात्रावास चलाता था। सात

(श्री मदन दिलावर)

छात्रावासों को बन्द करने के संघ के निवेदन पर, उनकी प्रार्थना पर बन्द किया गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : चिट्ठी पढ़िये आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : दो छात्रावास अभी भी संचालित किये जा रहे हैं। सरकार की दुर्भावना कतई नहीं है इसमें कि वे बन्द किये जायें। परन्तु यदि कोई चलाना ही नहीं चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? यदि यह संस्था अभी भी समुचित रूप से चलाने के लिए दुबारा आवेदन करती है, क्योंकि वे बन्द हो चुके हैं, तो फिर हम उसको चलाने की अनुमति दे देंगे।

श्री सभापति : अब क्या बच गया इसके अन्दर पूछने को ? (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : दो-तीन जानकारी और करने दो। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि ये छात्रावास कब से चल रहे थे और किस सन् में बन्द हुए ?

श्री महावीर प्रसाद जैन(मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 290 को पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिसमें यह व्यवस्था है ... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह तो बाद में देखेंगे।....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे हाउस नहीं चलेगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नियमों की बात कर रहे हैं, आप नियमों की आड़ में छुपा नहीं सकते अपने आप को। नियम विरुद्ध छात्रावासों को बन्द किया गया पहले उनकी बात करिये।....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : नियमों की आड़ में आप दबाना चाहते हैं बात को।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप गुनाहों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये। ... (व्यवधान) ... शान्त रहिये। चर्चा चलने दीजिए। कोई नियमों की बात है तो मुझे सुनने दीजिए। मुझे जानकारी आवश्यक है, मुझे नियम सुनने दीजिए। आप बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : आप उनको बैठाइये पहले।....(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : ये आप से बहस कर रहे हैं, चेयर से बहस कर रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा ?

श्री सभापति : माननीय परसादी लाल जी, कृपया बिराजिये आप।....(व्यवधान).. आर्डर प्लीज। यह कोई तरीका नहीं है। वे कोई नियम बता रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी : ये आप से बहस कर रहे हैं, इसे आप रोकिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : केवल इतना ही मामला नहीं है, जैसा कि शंकरलाल जी अहारी ने सुबह सवाल किया कि अमुक होस्टल को इन्होंने बन्द कर दिया। यह किस व्यक्ति ने इनको लिखा ?

(श्री रामनारायण डूडी)

ये कह रहे हैं कि मैं महामंत्री हूं, हमने कोई लिखा-पढ़ी नहीं की बन्द करने के लिए। ये कह रहे हैं कि इस संस्था ने बन्द करने के लिए लिखा-पढ़ी की, हमारे पास लैटर है तो कृपया लैटर की प्रतिलिपि रख दें सदन के पटल पर।

श्री सभापति : ठीक है, बात समझ में आ गयी।

श्री रामनारायण डूडी : कब ये बन्द किये गये, यह बता दीजिए।

श्री सभापति : अब आप विराजिये, मंत्रीजी बता देंगे कि किसका पत्र है। जो आप जानकारी चाहते हैं मिल जायेगी आपको।

श्री दयाराम परमार : मेरे प्रश्न का जवाब दिलाइये कि यह संस्था इन होस्टलों को कब से चला रही थी और कब आकर असमर्थ हो गयी? कब बन्द कर दिया उन्होंने? लिखकर कब दिया? कितने समय से चल रहे थे होस्टल?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, बता दीजिए।

श्री नाथूराम अहारी : एक प्रश्न और। कब आपने यह सहायता बन्द की और पत्र कब मिला? स्पष्ट हो जायेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। आप कह चुके हैं यह बात।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम): जिस दिन जो आपको 10 प्रतिशत शेयर करना था वह आपने देना बन्द कर दिया। उस वजह से आदिवासियों के छात्र शिक्षा से महरूम हुए। छात्रावास में मिलने वाली सुविधा से आप लोगों ने उनको महरूम किया। उसकी वजह से यह संस्था बन्द हुई है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्री खुद अपने अण्डर में छात्रावासों को लेना चाह रहे हैं इसलिए उन्होंने खुद कहकर बन्द करवाया है। आप आदिवासियों के बच्चों पर कुठाराघात कर रहे हैं....(व्यवधान)....

श्री सभापति : क्या आप विराजेंगे? ....(व्यवधान).... सीधे नहीं बात करेंगे।

श्री शंकरलाल अहारी : मैं पुनः सदन से वाकआउट करता हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : 90 प्रतिशत अनुदान राजस्थान शासन के माध्यम से दिया जाता था और 10 प्रतिशत अनुदान इनको उसमें सम्मिलित करना पड़ता था। जब तक फायदे का मामला था छात्रावास चलाते रहे ... (व्यवधान).... जिसों के दाम बढ़े, इन लोगों को लगा कि हमारी दुकानदारी समाप्त हो रही है और इन्होंने विभाग को लिख दिया कि इन छात्रावासों को बन्द कर दिया जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विराजिये। हरेक को बोलने का मौका मिलता है, हरेक को बोलने का अधिकार। आप विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री दयाराम परमार : मंत्रीजी जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया विराजें।

श्री दयाराम परमार : आप जोर से बोलकर बैठा नहीं सकते हो। आप तो जवाब दिलवाओ न। जोर से बोलकर बैठाना चाहते हो तो कैसे बैठेंगे ?

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : छात्रावासों को कांग्रेस कार्यालय बना दिया इन्होंने। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, प्रश्न बड़ा सीधा है कि 5 आदिवासियों के छात्रावास जिसमें 500 लड़के पढ़ते थे, 100 बच्चे एक छात्रावास में, किसकी दरख्वास्त पर, किसके पत्र पर बन्द किये गये और उनका अनुदान कब से बन्द किया गया ? ये दो बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए।

श्री सभापति : विराजिये, कोई नहीं बोलेगा। माननीय मंत्रीजी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आपके सामने उन दोनों पत्रों को उद्धृत कर रहा हूं जो कि राजस्थान सेवक संघ डूंगरपुर, खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रमाणित भारतीय आदिम जाति सेवक संघ से सम्बद्ध प्रधान कार्यालय डूंगरपुर, संस्थापक श्री भोगीलालजी पण्ड्या, निदेशक महोदय, समाज कल्याण विभाग, जयपुर को लिखे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये। आर्डर प्लीज। कृपया सुन तो लीजिये। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : +++

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : गलत बात है यह जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं अनपार्लियामेण्ट्री भाषा है, यह तरीका नहीं है। सदन की कार्यवाही से निकलवाइये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। एक दफा सुन तो लीजिये। इतना भी संयम नहीं है सुनने का।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, यह जवाब सुनना चाहते हैं या शोर मचाना चाहते हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : ये कह रहे हैं कि +++ हो क्या।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया विराजें। आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। देखिये, मैं खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय सभापति महोदय, ये आसन के साथ बहस कर रहे हैं। कैसे काम चलेगा इनका ?

(15.23)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, मोटवानीजी को बोलने दीजिये।

श्री किशन मोटवानी : मैं निवेदन कर रहा था कि जो तेवर मंत्री महोदय के थे और जो शब्द उन्होंने यूज किये, आप +++ हो, +++ हो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : +++ नहीं कहा।

+++अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(110)

श्री किशन मोटवानी : +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा यदि +++ है उसको एक्सपंज कर दूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : खेद प्रकट करने के लिए (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रमाणित राजस्थान सेवक संघ, डूंगरपुर भारतीय आदिम जाति सेवक संघ से सम्बद्ध प्रधान कार्यालय डूंगरपुर, जिसके संस्थापक श्री भोगीलालजी पण्डिया थे उन्होंने श्रीमान् निदेशक महोदय, समाज कल्याण विभाग, जयपुर को 19.6.91 को एक पत्र लिखा था जिसको मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं :

"संस्था द्वारा संचालित छात्रावासों के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं को स्वीकृत निम्नलिखित छात्रावास इस सत्र में बन्द किये जा रहे हैं :–

(1) सीमलवाड़ा कन्या छात्रावास जो कि वर्तमान में संस्था द्वारा चलाया जा रहा था वहां टी.ए.डी. के द्वारा नया कन्या छात्रावास भवन तैयार हो चुका है अतः समाज कल्याण विभाग द्वारा या जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कन्या छात्रावास चलाने में सुविधा हो सकेगी।

(2) कनबा में संस्था द्वारा सम्बद्ध छात्रावास उपयुक्त भवन के अभाव में इस सत्र में बन्द करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(3) बीछीवाड़ा में इस सत्र में संस्था ने छात्रावास बन्द करने का निर्णय लिया है क्योंकि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा बिछीवाड़ा में छात्रावास प्रारम्भ कर दिया है इसलिए छात्रावास को बन्द करने की स्वीकृति प्रदान करें। गांधी आश्रम में बाघाभील छात्रावास में 65 एवं नूतनबाघा छात्रावास में 60 योग 125 बच्चों की संख्या की स्वीकृति है। कृपया इस सत्र में 45-45 छात्र संख्या की स्वीकृति प्रदान करें क्योंकि यहां पर एक नया छात्रावास जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है।"

19.6.91 को मन्त्री, राजस्थान सेवक संघ डूंगरपुर ने पत्र लिखा है जिसकी कापी उन्होंने सबको भेजी है। दूसरा पत्र....

श्री रामनारायण चौधरी : ये मंत्री कौन हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 15.5.92 को इसी प्रकार जो हैडिंग मैंने बताया है उसी से राजस्थान सेवक संघ डूंगरपुर ने एक पत्र लिखा है :

"श्रीमान् निदेशक महोदय,
समाज कल्याण विभाग,
जयपुर।

संस्थान द्वारा संचालित छात्रावासों के सम्बन्ध में।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा संस्था को स्वीकृत निम्नलिखित अनुदानित छात्रावासों को इस सत्र में संचालन में संस्था असमर्थ है :–

(1) करावड़ा में संस्था का भवन उपलब्ध नहीं है। यहां पर आवश्यक भवन किराये पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है अतः पर्याप्त भवन के अभाव में छात्रावास का चलाना सम्भव नहीं है।

बापाभील छात्रावास डूंगरपुर एक ही परिसर में दो छात्रावास का संचालन हो रहा है। व्यवस्था सुचारु रूप से चला पाने के लिए एक परिसर में दो छात्रावासों का चलाना सम्भव नहीं है। अतः भील छात्रावास को बन्द करने की स्वीकृति प्रदान करें।" यह दूसरा पत्र है। 4 और 2 यानि 6, एक बन्द हो गया पहले, कुल सात। दो को अनुदान दिये चले जा रहे हैं। ये जो-जो तारीखें दी हैं उसके आखिरी मन्थ तक अनुदान दिया जा चुका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्रीमती उजला अरोड़ा। (व्यवधान) बोलिये।

श्री नाथूराम अहारी : सेक्रेटरी का नाम क्या है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा, आप शुरू करिये। (व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं दशम् विधान सभा के द्वितीय सत्र के अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल श्री बलिराम भगत के द्वारा यहां पर दिये गये अभिभाषण के सम्बन्ध में आभार व्यक्त करती हूं और जो यहां पर श्री टीकमचन्द कान्त....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम): आप चलाना चाहते हैं क्या वापस ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसका समर्थन श्री अर्जुनदास मदान ने किया है, उसमें स्वयं का धन्यवाद शामिल करते हुए यह कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने जो सत्ता प्राप्त की है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया आप तो शान्ति रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गीता में लिखे इस श्लोक के अनुसार :

"न त्वम् कामये: राज्यै,
न सुखम् न च वैभवम्
कामये दुःख तप्ताणाम्
प्राणिणाम् आर्तिनाशनम्"

जिस प्रकार से सत्ता उपभोग के लिए किन्हीं पुराने लोगों ने प्राप्त की होगी, उस प्रकार से हमने सत्ता प्राप्त नहीं की है। केवल पीड़ित लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए, पिछड़े लोगों को सुख-सुविधा पहुंचाने के लिए और राज्य की सेवा करने के लिए हमने सत्ता प्राप्त की है। यह राज्यपाल का अभिभाषण यह प्रकट करता है कि आने वाले समय में राज्य में विस्तार के लिए, विकास के लिए जो पैसा प्राप्त किया गया है, तय किया गया है उसके आधार पर सभी विभागों में बहुत अच्छे कार्य होने वाले हैं।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि योजना का विस्तार यह प्रकट करता है कि आने वाले समय में विभिन्न मदों में अधिक पैसा खर्च करके राजस्थान में और अच्छे विकास के कार्य किये जायेंगे और आने वाले अगले वर्ष के लिए जो हमें स्वीकृति मिली है उससे तो हम और भी आशान्वित है कि ये जो योजनाएं बनी हैं उनके आधार पर राज्य में सुख सुविधा और समृद्धि का विकास होगा। न केवल हमने सुविधाओं के सम्बन्ध में विचार किया है बल्कि प्रशासनिक तौर-तरीके में थोड़ा बदलाव आये इसके लिए जो भनोत समिति यहां बनी थी उसके द्वारा ऊर्जा विभाग में सुधार के सम्बन्ध में, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सुधार के सम्बन्ध में सलाह मिली है उसके आधार पर निश्चित रूप से आने वाले समय में यह जो विभागों में भाग-दौड़ होती है उससे हटकर जल्दी समय में सारे काम हो पायेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य में किसानों की बहबूदी के लिए हमने 300 करोड़ रुपये माफ किये। हमने जो कहा वह हमने करके दिखलाया था। जब केन्द्र में सरकार बनी तो श्री मनमोहन सिंह ने अपना मुखपत्र पढ़ते हुए यह कहा था कि हम 100 दिन के अन्दर महंगाई समाप्त कर देंगे। लेकिन महगाई समाप्त नहीं हुई बल्कि सुरसा के मुंह की तरह से बढ़ती गयी। वह अपनी कथनी और करनी में अन्तर लाकर आज तक उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाए हुए हैं जैसा कि उन्होंने शुरू में अपना प्रपत्र फेंक कर कहा था। कहीं महंगाई घटी है क्या? लेकिन हमने जो अपने राज में कहा कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, तो किसानों के कर्जे माफ किये, हमने बारानी जमीन का लगान माफ किया। यही नहीं, जीवनधारा के लक्ष्य को लेकर जब हम चले तो गांवों में कुओं का निर्माण हुआ। विद्युत के सम्बन्ध में किये गये प्रयास बताते हैं कि आने वाले समय में प्रदेश में उद्योग और कृषि में अच्छी उपलब्धि हमको होने वाली है।

हमारे प्रदेश में पहले भी अकाल पड़े हैं लेकिन इस बार अकाल की सम्भावनाओं को देखते हुए, अकाल की स्थिति को भांपते हुए राज्य सरकार ने उन क्षेत्रों में जो काम प्रारम्भ किये हैं वह निश्चित रूप से प्रशसनीय हैं। मुझे भी पांचवीं बार विधान सभा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है कभी भी जनवरी, फरवरी माह में इस प्रकार के स्थायी काम पिछली सरकारों ने हाथ में नहीं लिए जिस के काम हमारी सरकारी ने आते ही हाथ में लिए हैं।

शिक्षा के सम्बन्ध में, भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में कभी भी सरकार ने प्रयत्न नहीं किया था। हमारी सरकार ने पिछली बार प्राथमिक शालाओं के भवनों के निर्माण के लिए, माध्यमिक शालाओं के भवनों के निर्माण के लिए और अन्य स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए, अगर कहीं टूट-फूट हुई है तो उसकी मरम्मत के लिए और नये निर्माण के लिए एक-एक लाख रुपये और एक लाख रुपये से भी बढ़ा कर पैसा दिया है और उससे भवन निर्माण के कार्य हुए हैं। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं कि उसने यह संकल्प लिया और उस ओर प्रवृत्त होकर कार्य किया है। वरना भवन निर्माण के लिए गांव वाले जब पैसा

(श्रीमती उजला ग्ररोड़ा)

नहीं पाते थे ग्रौर पिछली सरकारों ने पैसा नहीं दिया था तो पेड़ों के नीचे शालाएं थीं ग्रौर धूप के साथ-साथ कक्षाएं सरकती जाती थीं। इसके लिए मैं सरकार की पुनः प्रशंसा करना चाहती हूं।

चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य में काफी कार्य हुए हैं। पिछली बार श्री ललित जी ने विभिन्न विभागों ग्रौर चिकित्सा के क्षेत्र में वह कार्य किये हैं जिससे हमारे यहां के जो पीड़ित लोग हैं उनमें ग्रधिकांश को दिल्ली या ग्रन्य जगहों पर जाने की बजाय यहीं पर यह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं। सरकार इस कार्य में ग्रागे बढ़ी है ग्रौर ग्रब ग्राने वाले समय में जो हमारे वर्तमान मन्त्री हैं उन्होंने योजनाएं बनायी हैं वह निश्चित रूप से कार्यान्वित होंगी ग्रौर उनसे लाभ मिलेगा।

साक्षरता के सम्बन्ध में जितना संकल्प किया था वह तो पूरा हुग्रा पर मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि केवल साक्षर ही नहीं, सज्ञान करने के लिए ग्राप संकल्प लें ग्रौर इसकी पहली कड़ी में राज्य भर में प्रत्येक पंचायत स्तर पर बालिका विद्यालय, बालिकाग्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा केन्द्र खोलें। दिक्कत की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रावागमन के साधन कम होने के कारण ग्रौर विभिन्न सुविधाएं न होने के कारण लड़कों को भी ग्राने में दिक्कत होती है परन्तु लड़कियों को बहुत ही दिक्कत होती है ग्रौर वह पढ़ नहीं पाती हैं। कहा यह गया है कि एक बच्ची यदि पढ़ जाती है तो पूरा परिवार सुसंस्कृत हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बालिका शिक्षा की ग्रोर ग्राप विशेष रूप से ध्यान दें।

ग्रापने यहां पर जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाने की कोशिश की है, एक हजार की जनसख्या तक ग्राप सड़क पहुंचायेंगे, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि संख्या ग्राधारित यह योजना यदि रही तो हमारे यहां पश्चिमी क्षेत्र में दूर-दूर तक 20-20 घरों की ढाणियां हैं, जैसलमेर ग्रौर बाड़मेर इलाके में ग्राप संख्या की गणना छोड़ दें ग्रौर वहां पर ग्रावश्यकता के ग्राधार पर सड़कों का निर्माण करें। यदि ग्रापने ऐसे क्षेत्रों के लिए जनसख्या ग्राधारित योजनाएं बनायीं तो वह क्षेत्र कभी भी विकसित नहीं हो पायेगा। कृपया इस बात को ग्राप देखें।

ग्रकाल के सम्बन्ध में ग्रापने गांव में जो ग्रधूरे काम हैं उन कामों को हाथ में लिया है। यह तो ग्रच्छी बात है, काम पूरे होंगे लेकिन मैं दो बात कहना चाहती हूं कि ग्रकाल के सम्बन्ध में ग्रपने पूरे प्रदेश में जो ग्रामीण तालाब हैं, हमारी छोटी-मोटी तलाइयां हैं, बन्धे हैं यदि उनका निर्माण कार्य हाथ में लिया तो ग्राने वाले समय में जो पानी की कमी है उसको हम दूर कर पायेंगे। यदि एक-एक तालाब पर 40-50 हजार रुपया लग जाये तो वह तालाब बन सकते हैं। कुग्रों की नींव सूख गयी, कुग्रों में पानी नहीं है, विचार करने की स्थिति है। इससे पानी का बहाव बढ़ेगा तो ग्रागे ग्राने वाले समय में न केवल पानी की स्थिति ठीक होगी बल्कि चारे की स्थिति ग्रौर पशुग्रों के लिए पेयजल भी ग्रासानी से उपलब्ध हो सकेगा। इसलिए ग्राप योजनाबद्ध

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तरीके से बन्धे, तलाइयों का काम हाथ में लें। जब हम बन्धे और तलाई के विकास और बनाने की बात करते हैं तो सीधी चिट्ठी सिंचाई विभाग को चली जाती है। सिंचाई विभाग कहता है कि मेरे इलाके में यह बांध नहीं आता है, इतनी कैपेसिटी का बांध नही है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, जिला विकास अभिकरण के द्वारा, जे.आर वाई द्वारा या अन्य किसी योजना के द्वारा आप अधिकतम पैसा अकालग्रस्त क्षेत्र में ये बांध और तलाइयां और ग्रामीण तालाब बनवाने के लिए निश्चित रूप से उपलब्ध करवायेंगे तो यह कार्य हो सकेंगे। एक हैण्ड पम्प लगाने में 35–40 हजार रुपये का खर्चा आता है लेकिन भू-जल है वह लगभग सूख चुका है। जैसा कि अभी कमलाजी ने भी कहा था, 5–6 साल पहले जो हैण्ड पम्प लगे वह कुछ ऊंचे रह गये उनमें पानी नहीं आता है। उनकी सरकार ने जैसा किया यह तो वह जानें लेकिन मैं कहना चाहती हू कि आप निश्चित रूप से इन हैण्डपम्प को लगायें, इनकी संख्या तो बढ़ायें क्योंकि गांवों में पानी है ही नहीं। मेरे यहां के बंधे से सारा का सारा पानी जयपुर को सप्लाई हो जाता है और हम तरसते ही रहते हैं। मुझे केवल दो हैण्डपम्प मिले गांवों में लगाने के लिए। इस प्रकार अगर प्रदेश में दिक्कत रही तो निश्चित रूप से बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है। आप इस ओर निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

गांवों में लकड़ी कट कर आती है, वन का विनाश हुआ है। पर्यावरण के सम्बन्ध में अलग से एक विभाग होना चाहिये तो यह काम हो सकेगा। आज जंगल की लकड़ी कट रही है जबकि 33 प्रतिशत वन होने चाहिये, अब 3 प्रतिशत भी वन नहीं बचा। हमको सख्ती से इसका प्रबन्ध करना चाहिये कि वन लगे और वन कटे नहीं। जलाऊ लकड़ी के बजाय हमको ऊर्जा के चूल्हे के प्रयोग का विकास और विस्तार करना चाहिये जिसे गांवों के लोग भी अपना सकें और बिना किसी खर्च के उसको उपयोग में ले सकें।

पिछले दिनों राज्यपाल के शासन में काफी काम हमारे हो नहीं पाये, उसके पीछे कोई भी कारण रहे हों, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहूंगी। वह पैसा डूबना नहीं चाहिये। उन्हीं कामों में उस पैसे का विनियोजन आप करें जिससे कि आने वाले समय में काम पूरे हो सकें।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं अभी समाप्त कर रही हूं। दूध के दाम बढ़े और केन्द्र सरकार की अकृपा से अनाज के दाम बढ़े, चावल के और चीनी के दाम बढ़े। सरकार सब्सिडाइज रेट पर, सहायता देकर जनता को, ग्रामीणों को उपलब्ध करायें। क्योंकि यह कहा गया है जो इनकम टैक्स देते हैं उनको राशन कार्ड से सामान उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। तो जो गरीब से गरीब लोग राशन कार्ड से सामान ले रहे हैं उन्हें यह सब्सिडाइज रेट पर, पुरानी रेट पर सामान मिलना चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तात्कालिक रूप से जिस प्रकार से 1977 से 80 के सत्र में सरकार ने शराब बन्द की थी, शराब बन्द करे जिससे अनेक रोग भी समाप्त हो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सकें और समाज में जो असामाजिक तत्व सिर उठाते हैं, उनसे भी समाज को सुरक्षा प्रदान हो सके।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक बात और कहना चाहूंगी। हम रोज पैदा करेंगे, रोज खायेंगे, रोज काम करेंगे लेकिन संस्कृति के विकास के लिए सोचने की आवश्यकता है। यह हमारी धरोहर है। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में लगाने के काम के लिए हमारी सरकार ने पिछले सत्र में अपनी राय दोहराई थी उसके लिए केन्द्र में प्रयास करें और सारा सदन इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके भेजे जिससे कि हमारी प्रान्तीय भाषा का विकास हो सके, सुरक्षा हो सके। हिन्दी हमारी राष्ट्रीय -भाषा है, इस सम्बन्ध में यह विचार किया जाना चाहिये, क्रियान्वयन किया जाना चाहिये कि हमारे राजकाज में, सब कारोबार-व्यवहार में और सब तरह से हिन्दी में ही कार्य हो सके।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। धन्यवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे अवसर दिया, मैं आभार व्यक्त करती हूं। मुझे आशा है कि मैंने जो सुझाव दिये, उन सुझावों को अपनाते हुए सरकार कार्य करेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (अनुपस्थित) श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय टीकमचन्द जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके सम्बन्ध में बोलते हुए मैं राज्यपाल महोदय को जो उन्होंने....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। अभी माननीय मोटवानीजी ने आपत्ति उठाई थी, वह मैंने देख ली है। उसमें कहा गया है कि +++ मैं इसको पूरी को एक्सपंच करता हूं।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया है। सातवीं योजना में 203.41 करोड़ रुपये था और आठवीं योजना में इस पर 1286.92 करोड़ रुपया रखा गया है, निश्चित रूप से इस धनराशि का उपयोग काश्तकारों के लिए, गांवों की तरक्की के लिए होगा। हमारी सरकार ने 60 प्रतिशत से अधिक गांवों में नये कार्य करने के लिए जो प्रावधान बजट में किया है, उसी का परिणाम है कि गांव-गांव में,....

(15.46)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

स्कूल के कमरे, कहीं स्कूल की बाउण्ड्री, कहीं रास्ते, सड़कें आदि के काम आज नजर आ रहे हैं। यह उसी का परिणाम है कि यह गांवों में तरक्की हुई और हमारी सरकार की जागरूकता का यह लक्षण है। साथ ही इस बजट में काश्तकारों की उपज को....

श्री शिवनाथ सिंह : यह बजट नहीं है, अभिभाषण है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : इस अभिभाषण में काश्तकारों की उपज को निर्यात करने का एक आश्वासन दिया है, उससे भी काश्तकारों को काफी राहत मिलेगी। आज जिस तरह से एक कम्पनी अपना सामान बाजार में खुले रूप मे कहीं भी जाकर बेच सकती है, इसी तरह से काश्तकार का पैदा किया हुआ माल, जहां उसको अच्छा भाव मिलेगा वहां बेच सकेगा। पिछले समय में एक बार लहसुन के एक्सपोर्ट पर बंदिश लगा दी थी और यहां पर लहसुन के काफी अच्छे भाव थे मगर वह माल बाहर बेचने की स्वीकृति होती तो काश्तकार को अच्छा पैसा मिलता, लेकिन लहसुन सड़ा हुआ गांव-गांव मे फेंकना पड़ा और उसका पैसा काश्तकार नहीं ले सके, वह फायदा नहीं उठा सके। इसी तरह से इस अभिभाषण में बढ़ावे की बात कही गयी है उससे भी काश्तकार की स्थिति सुधरेगी।

साथ ही एक निवेदन सुझाव के तौर पर करना चाहूंगा कि गांवों में जिन काश्तकारों को अफीम के लाइसेंस दिये गये हैं उसमें आज काश्तकारों का खुला शोषण हो रहा है। 250-300 रुपये किलो में सरकार खरीदती है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि भारत सरकार को इस बारे में लिखे कि किसानों को कम से कम 1000 रुपये किलो के भाव तो मिलने चाहिये। साथ ही जो मूल में किसान हैं, उन किसानों को जितनी घर-गृहस्थी के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, उतनी जमीन मिलनी चाहिये। आज 2-3 बीघा में लोग अपना पेट भर रहे हैं, पर्याप्त जमीन उनके पास नहीं है और जो नकली काश्तकार हैं, मूल में खेती नहीं करते उनकी जमीन में वो साझेदारी में खेती करके अपना पेट भर रहे हैं। उनका खुला शोषण हो रहा है। जो खेती करता है उसके पास में पर्याप्त जमीन नहीं होकर, जो खेती नहीं करता है उसके पास जमीन है। इसमें सुधार होना चाहिये और किसान को पर्याप्त जमीन मिलनी चाहिये।

इसी तरह से जब 1990 में हमारी सरकार बनी थी तब किसानों को 1978 के बिजली के कनेक्शन कुओं के लिए पैंडिग थे, बिजली के अन्दर हमारी सरकार ने नियमित योजना बनाकर उनको क्रमशः हर साल थोड़ा-थोड़ा लेकर आज 1986 तक पहुंचाया है, इसके लिए काश्तकार गांवों में अपनी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। उस समय हमारे प्रतिपक्ष में बैठने वाले भाई चिन्तित नहीं रहे और उनके जमाने में जिसके पास पैसा होता था वे लोग कनेक्शन ले लेते थे और गरीब या पिछड़े हुए लोग जिनके पास पैसा नहीं होता था इससे वंचित रह जाते थे। आज उनके खेतों में भी कनेक्शन हुए हैं। इसी तरह से जिनके कुओं में पानी नहीं था उनको भी मिनिमम चार्ज देना पड़ता था, हमारी सरकार ने मिनिमम चार्ज खतम करके मीटर प्रणाली के आधार पर जो पैसा लेना तय किया है उससे भी काश्तकार को राहत मिली है।

अब अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो कई दिनों से हैल्पर्स की भर्ती बन्द है, बिजली तो काफी बढ गई, कई गांव विद्युतीकृत घोषित हो गये लेकिन हैल्पर्स नहीं होने की वजह से आज कई

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

गांवों में कनेक्शन का काम काश्तकारों को ही करना पड़ता है। खम्भे ले जाना, खड्ढे खोदना, तार खींचना आदि ये सब काम काश्तकारों को ही करने पड़ते हैं जबकि इसके लिए वे अमानत जमा कराते हैं। ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिये। जो गांव बच गये हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची है उन गांवों को बिजली से जोड़ा जाये और जो मजरे-ढाणियां हैं उनको भी इससे जोड़ा जाये क्योंकि अभी तक मजरा-ढाणी रेवेन्यू विलेज नहीं होने की वजह से वंचित हैं। यदि वहां वे बिजली ले जाना चाहते हैं तो उनको स्वयं ही उसका भार उठाना पड़ता है, उनकी डिमान्ड में यह पैसा आता है। ऐसा नहीं हो। कई जगह ट्रांसफार्मर की वजह से या मीटर की कमी की वजह से मीटर जल जाने पर दूसरा मीटर नहीं लगाना, ट्रांसफार्मर जल जाने पर देरी होना या बिजली के विस्तार के साथ-साथ मीटर की वजह से जो कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसके लिए यह व्यवस्था की जाये तो काश्तकारों को राहत मिलेगी।

एक और निवेदन है कि काश्तकार को अस्थायी कनेक्शन मिलना चाहिये जिससे कि वह चाहे बहती नदी का पानी हो या और कोई कुएं का पानी हो, जो साल भर नहीं चलता उसमें वह पानी लिफ्ट करके अस्थायी कनेक्शन के आधार पर अपनी फसल तक ला सके। यह सुविधा काश्तकार को मिलनी चाहिये। अभी सरकार ने तय कर रखा है कि जो भी नये गांव का विद्युतीकरण होगा उसमें केवल दो कनेक्शन दिये जायेंगे। ये दो कनेक्शन पर्याप्त नहीं है। क्योंकि कनेक्शन लेने वाले काश्तकार ज्यादा हैं, बीच में लड़ाई होती है, 10-12 फाइलें होती हैं, किसको दें, किसको न दें। जितनी गांव की कैपेसिटी है उसके 75 पर्सेन्ट कनेक्शन नये होने चाहिये।

इस अभिभाषण में सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए लिफ्ट इरिगेशन को प्राथमिकता देने की बात कही गई है और वर्तमान में जो तालाब है, पुराने तालाब हैं, उनके संधारण की बात कही गयी है। यह बहुत अच्छी बात है। वर्तमान में जो जल स्तर काफी नीचे चला गया है, अगर हम गांवों में कोई तालाब, तलाई या एनीकट का जो भी पानी बहकर जा रहा है या पुराना कोई तालाब है, बंधा है उस ओर ध्यान देते हैं उसको बांधते हैं तो गांव में पानी भरा रहेगा, कुओं का पानी ऊपर रहेगा, पेयजल की सुविधा होगी। यह बहुत आवश्यक है। सबसे ज्यादा ताकत हमें इसी पर लगानी चाहिये कि बहते हुए पानी को हम रोकें और उन गांवों, जिनको जरूरत है, को इसका फायदा मिले।

मेरे क्षेत्र में पेयजल हेतु कुछ गांव ऐसे हैं जहां छोटी मशीन काम नहीं करती और सन् 1982-83 से वे गांव स्वीकृत हैं। लेकिन होता क्या है कि बड़ी मशीन नहीं मिलने की वजह से गांव बच जाते हैं। जिसका ठेका होता है, मान लीजिए कि 10 हैण्डपम्प का ठेका होगा तो वह 6-7 करके कह देता है कि आधे से ऊपर काम कर लिया और बाद वाले जो हैण्डपम्प हैं

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

वे छूट जाते हैं और वह अपना पेमेन्ट उठा लेता है। इस तरह की नेग्लीजेन्स कई वर्षो से होती रही है। मैं चाहता हूं कि जो गांव डूब के हैं, राणा प्रताप सागर के जैसे-देवपुरा, खड़ाना, निमोदा आदि गांवों में आज तक एक भी हैण्डपम्प नहीं लगा है, ऐसे गांवों पर विशेष ध्यान दिया जाये, उन्हें टाला नहीं जाये। हैण्डपम्प जितने भी लगाये गये हैं वे दिनों-दिन सूखते जा रहे हैं। यह स्थायी समाधान नहीं है। मेरा सुझाव है कि जिस गांव में कुएं उपलब्ध हैं वहां मोटर कनेक्शन लगा करके गांव में सप्लाई दी जाये या जो पंचायती कुआं है या किसी का व्यक्तिगत कुआं है और अगर वह स्वीकृति देता है तो उसमें मोटर लगा करके गांव को सप्लाई दी जाये। इससे गांव वालों को पूरा पानी मिल सकेगा और यह समस्या दूर हो जायेगी।

अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। जैसा कि हमने इसमें देखा कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है। पंचायत मुख्यालय को अभी ग्रेवल रोड से जोड़ा जा रहा है। कुछ जगह काम चल रहा है लेकिन ग्रेवल रोड का काम स्थायी नहीं है। बरसात आयेगी तो मिट्टी कट जायेगी, बह जायेगी। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जितनी बने, चाहे कम बने, लेकिन काम मजबूत हो, ठोस हो, पक्का हो और डामर की सड़क हो। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो धार्मिक स्थल हैं उनके लिए अलग से प्रावधान हो। जो अन्तरराज्यीय सड़कें हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली हैं, मेरे क्षेत्र में नदवई से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली चरछा रोड है, काफी वर्षों से अपेक्षित है। इसी तरह से जावदा-नीमड़ी क्षेत्र को जोड़ने वाली, जावदा से टोलू का लोहारिया की, रतनगढ़ (म.प्र.) को जोड़ती है काफी दिनों से वह इलाका अलग-थलग पड़ा हुआ है, मेरा सुझाव है कि ऐसी अन्तरराज्यीय सड़कों को जोड़ने के लिए अधिक से अधिक धन का प्रावधान हो और जहां कहीं भी किसी पंचायत मुख्यालय को जोड़ने के लिए जो रोड बनायी जाती है, रोड की बजाय पुलिया का काम पहले लिया जाये ताकि कम से कम आना-जाना तो रहे।

परिवार नियोजन के बारे में जो बात कही गयी है कि दो संतान से ज्यादा न हो वही चुनाव में खड़े हो सकते हैं, यह बात जन-प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य पर भी लागू होनी चाहिए, चाहे वे सर्विस करते हों। क्योंकि इसका असर तो सभी पर पड़ता है। सर्विस में आज-कल जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके लिए मेरा एक और सुझाव है। होता क्या है कि एक ही परिवार का आदमी आगे बढ़ जाता है तो वह अपनी पत्नी, अपने बच्चे-बच्चियों सबको सर्विस में भर लेता है और इस तरह से कई लोग नौकरी से वंचित हो जाते हैं। मेरा सुझाव है कि एक परिवार में एक आदमी को ही नौकरी दी जाये ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री टीकम चन्द जी कान्त ने जो प्रस्ताव धन्यवाद के

(श्री हरिसिंह)

लिए प्रस्तुत किया है और मदान साहब ने जिसका अनुमोदन किया है, मैं बड़े विनम्र शब्दों में उसका विरोध कर रहा हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जो यह दस्तावेज प्रस्तुत किया है, प्रक्रिया यह है कि पहले मंत्रिमण्डल इसको स्वीकृति देता है, पढ़ता है, उसको स्वीकार करता है, फिर महामहिम से यह कहा जाता है, अनुरोध किया जाता है कि आप यह अभिभाषण पढ़ें। सभापति महोदय, यह तो खैर, मेरी धारणा है कि वर्तमान मंत्रिमंडल में कोई अंग्रेजी का अच्छा ज्ञाता नहीं है लेकिन मुझे यह जानकारी इस अभिलेख को पढ़ने से पहली बार मिली है कि यहां तो कोई हिन्दी भी नहीं जानता।

(16.00)

ऐसा शब्दों का दुरुपयोग किया है, मैं आप से निवेदन करूं, इसके पैरा 48 पर इन्होंने लिखा है - "माननीय सदस्यगण, आज सारा देश समय की एक दुरभि संधि पर खड़ा है।" सभापति महोदय, यह क्या शब्द है दुरभि संधि। दुरभि संधि का मतलब है कि किसी प्रकार का कोई ऐसा समझौता जो कि कूटनीतिक हो, जो सांठ-गांठ हो, जो किसी आदमी के खिलाफ कोई षडयंत्र हो, उसके लिए दुरभि संधि कहा जाता है। बिना सोचे-समझे इस शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। इसी प्रकार से पैरा 47 में कालम दो पर राजस्थान पंचायत एवं पंचायत समिति (संशोधन) विधेयक. या तो केबिनेट में किसी को यह जानकारी नहीं कि यह पंचायत अधिनियम अलग है और पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम अलग है, उसको एक करके लिख दिया गया है, राजस्थान पंचायत एवं पंचायत समिति (संशोधन) विधेयक। इतनी बड़ी त्रुटि और इसके साथ ही मैं आपसे और अनुरोध करूं जो शब्दों के साथ में खिलवाड़ किया गया है।

सभापति महोदय, एक जगह पर कहा गया है कि विकास के सोपान की रचना हो रही है, औद्योगिक विकास के सोपान की रचना हो रही है। सोपान का मतलब, सभापति महोदय, सीढ़ियां हैं, उनका निर्माण होता है रचना नहीं। रचना तो साहित्य की होती है। तो मुझे पहली बार जानकारी मिली कि यहां तो पूरे मंत्रिमण्डल में एक भी व्यक्ति हिन्दी का जानकार नहीं है। इससे ज्यादा दुर्गति राजस्थान जैसे प्रदेश में, अगर कोई मन्त्री सही हिन्दी का प्रयोग भी न करे और एक ऐसे डाकूमेंट में जो राजस्थान के इतिहास का एक पन्ना है उसमें भी अगर शुद्ध व्याकरण से और शुद्ध शब्दों और वाक्यों की संरचना नहीं है तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस डाकूमेन्ट में, यह जो अभिभाषण है, इसके सात पैरा में बिजली के ऊपर बड़ी चिन्ता व्यक्त की है गवर्नर महोदय ने, पूरे सात पैरा इसमें लिखे हैं। उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, वह इरादा साफ है कि सरकार विद्युत मण्डल के घाटे को आड़ में रख कर बिजली की दरें बढ़ाने का इरादा कर रही है। सभापति महोदय, विद्युत की दर बढ़ायें, मेरी सहमति है, लेकिन विद्युत का घाटा जो हो रहा है, कई बार सदन में

(श्री हरिसिंह)

सरकार, सत्ता पक्ष की ओर से उसका कारण बताया जाता है कि कृषि को जो विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है उस पर अतिरिक्त भार हो रहा है, किसान से कम चार्ज किया जा रहा है और इसलिए विद्युत मण्डल घाटे में जा रहा है। सभापति महोदय, विद्युत मण्डल के घाटे का कारण यह नहीं है। विद्युत मण्डल के घाटे का कारण है मण्डल द्वारा मिसमैनेजमेंट प्लान। प्लान इनका सही नहीं है, आर्थिक कंट्रोल इनका है नहीं, उसका नियोजन कोई है नहीं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी हमारे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 1992 तक के लिए यहां प्रस्तुत हुआ है। इसमें लिखा है कि हमारे विद्युत मण्डल में 771 हाई पावर टेंशन के उपभोक्ता हैं यानि उद्योगपति और विद्युत मण्डल की कुल आय 771 करोड़ रुपये हैं। उसमें से 465.58 करोड़ रुपये हाई पावर टेंशन के उपभोक्ताओं से हमको मिल रहे हैं, लेकिन सभापति महोदय, बड़े अफसोस के साथ मुझे आपके माध्यम से यह अनुरोध करना पड़ रहा है कि विद्युत मण्डल करीब 113 करोड़ रुपये से अधिक राशि अभी तक हाई पावर टेंशन से वसूल नहीं कर पाया है, इससे ज्यादा मिसमैनेजमेंट और क्या हो सकता है। विद्युत मण्डल किसी किसान के कुएं पर एक महीने उसका बिल पिछड़ जाता है तो उसको डिसकनेक्शन कर देता है। लेकिन कहीं यह उल्लेख नहीं है, कहीं यह विद्युत मण्डल द्वारा कार्यवाही की जाती हो कि हाई पावर टेंशन के जो उपभोक्ता हैं वह सरकार के करोड़ों रुपये जो खाये बैठे हैं वह उसको न दें तो विद्युत मण्डल घाटे में नहीं जायेगा तो और क्या होगा? इसी प्रकार से 210 मामले ऐसे हैं जिनमें खराब मीटर को नहीं बदलने के कारण विद्युत मण्डल को 113 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से कई ऐसे कारण हैं कि जिनमें सीधा डाइरेक्ट मामला डाइरेक्ट कनेक्शन देने से, मीटर नहीं लगा कर डाइरेक्ट सप्लाई दी है उसमें विद्युत मण्डल को 12.12 लाख रुपये का घाटा हुआ है। सभापति महोदय, अगर इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोका जाए तो निश्चित रूप से विद्युत मण्डल का घाटा कम किया जा सकता है। सरकार यह मंशा लेकर चल रही है कि किसान जो उपभोक्ता है, खेती का जो उपभोक्ता है उसके तो पैसे बढ़ा दो और यह जो बड़े-बड़े उद्योगपति जो चोरियां कर रहे हैं, जो पैसा विद्युत मण्डल को नहीं दे रहे हैं, उनसे वसूल न करो। इससे ज्यादा सरकार की ओर नेकनीयती क्या हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूं, इसमें एक पैसा ऐसा भी है जिसमें चिन्ता व्यक्त की गई है और यह कहा गया है कि राजस्थान में पन बिजली लघु परियोजनाओं का हम विकास करेंगे। सभापति महोदय, सन् 1978 में राजस्थान विद्युत मण्डल में अलग से एक कक्ष इसके लिए स्थापित किया गया। लघु पन बिजलीघर योजनाओं के लिए 22 स्थानों को चिन्हित किया गया और 84 तक योजना कमीशन से स्वीकृति मिल गई उनमें से 11 योजनाओं के लिए और 11 योजनाओं में स्थिति यह है सभापति महोदय, 1992 तक सिर्फ तीन योजनाओं को यह पूरा कर पाये हैं जिसमें

(श्री हरिसिंह)

अरबों-खरबों रुपये का घाटा इन्होंने किया है और ये तीन योजनाएं हैं – सूरतगढ़, अनूपगढ़ और माही नहर की मुख्य नहर दायी नहर परियोजना चरण सैकण्ड । इन योजनाओं में जो देरी हुई उससे कम से कम बीस करोड़ रुपये का घाटा विद्युत मण्डल ने उठाया है । विद्युत मण्डल के घाटे को रोकने का प्रयास तो सरकार करती नहीं और मंशा कर रही कि रेट्स और बढ़ायी जाय । मैं आपसे निवेदन करूं, सरकार बार-बार यह डींग मार रही है कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, संवेदनशील प्रशासन देंगे । यह स्वच्छ और संवेदनशील प्रशासन का एक नमूना मैं आपकी सेवामें प्रस्तुत कर रहा हूं । मैंने एक पत्र मुख्य मन्त्री जी को 14.6.92 को लिखा और 14.6.92 को मैंने यह आरोप लगाया था कि पी. एच. ई. डी. के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता श्री ओ. पी. गोयल, इनके खिलाफ एल. एन. पी. 1500 रिग मशीन खरीदने का भ्रष्टाचार का आरोप है । मेरा एक प्रश्न था इसी सदन में । उसके आधार पर वह राजस्थान ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन को मामला दिया गया । राजस्थान ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन को मामला देने के बाद राजस्थान ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन ने उसको भ्रष्टाचार का दोषी करार पाया और ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन ने ओ. पी गोयल के खिलाफ चालान पेश करने की राज्य सरकार से स्वीकृति चाही । राज्य सरकार ने चालान पेश करने की स्वीकृति नहीं देकर के ओ. पी. गोयल का प्रमोशन करके उसको मुख्य अभियन्ता बना दिया । यह भ्रष्टाचार ... (व्यवधान).... यह इनका संवेदनशील और स्वच्छ प्रशासन देने का एक सबूत है ।

श्री परसादीलाल मीणा : सैकड़ों सबूत हैं ऐसे ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा । एक पत्र मैंने राज्य के मुख्य वन संरक्षक को तारीख 11.10.90 को लिखा था और उसमें एक फोरेस्टर के खिलाफ तीन लाख रुपये के गबन-घोटाले का मैंने आरोप लगाया था और उसमें यह भी अनुरोध किया था कि जांचकर्ता, शिकायतकर्ता को कम से कम परीक्षण के लिए बुलाए । सभापति महोदय, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, संवेदनशील सरकार कितनी संवेदनशील है कि तीन साल बाद 3.3.93 को मुझे एक पत्र मिल रहा है वन संरक्षक महोदय से, इसका एक पैरा पढ़ दूं आपकी इजाजत से, 'उक्त परिवाद पत्र की छाया प्रति (संलग्न) प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में जो भी अभिलेख अथवा अन्य साक्ष्य-सबूत आपके पास उपलब्ध हो तथा जिन व्यक्तियों की गवाही देना आवश्यक हो उनकी सूची एव अभिलेख मुझे देने अथवा इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी देने की कृपा करें ।" तीन साल बाद ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह डेट कौन सी है ?

श्री हरिसिंह : यह डेट है श्रीमान्, मैंने जो कम्पलेण्ट की है वह 11.10.90 है ...

श्री भंवरलाल शर्मा : डेट ।

श्री हरिसिंह : और मुझे वन संरक्षक आयोजना, साहबी नदी परियोजना, 16, शिवाजी मार्ग, डिग्गी हाउस, जयपुर, इनका मुझे पत्र मिला है 3.3.93 को। यह तो हश्र इस सरकार में एक जन प्रतिनिधि की शिकायत का है और सभापति महोदय, मुझे सख्त अफसोस के साथ में यह अनुरोध करना पड़ रहा है कि जिस फोरेस्टर की मैंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर के शिकायत की उसकी जांच क्यों नहीं की गयी ? बल्कि उस व्यक्ति को रेन्जर बना करके पारितोषिक दे दिया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और कोई हो नहीं सकती। संवेदनशील प्रशासन देने की बात करते हैं इससे ज्यादा जड़ता और शून्यता आज तक नहीं देखी।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह राष्ट्रपति शासन का समय तो नहीं था कहीं। 3.3.93 यह राष्ट्रपति शासन था।

श्री हरिसिंह : आप 28 महीने शासन कर गये यह उसी की मैंने शिकायत की है, 11.10.90 को उसके बाद आपने 28 महीने राज किया है। राष्ट्रपति शासन में तो सुनवाई हो रही थी लेकिन आप तो आंख मींचकर सो जाते हो।

सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। महामहिम ने यह कहा है कि हम विश्व के जो दूसरे आर्थिक संस्थान हैं उनसे जैसे राजस्थान के विकास के लिए विनियोजन के लिए मदद लेंगे, विश्व बैंक की तरफ उनका इशारा होगा। सभापति महोदय, 1990 में वर्ल्ड बैंक से राजस्थान के एक रोड को चौड़ा करने के लिए, वह रोड़ है भिवाड़ी से करौली। इसको ऊंचा करने के लिए। इस पर साढ़े पिचहत्तर करोड़ रुपये की स्वीकृति की गयी, पैसा मिला और तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, जो आज भी सार्वजनिक निर्माण मन्त्री हैं, उन्होंने राजस्थान के तत्कालीन मुख्य अभियन्ता मिस्टर कुच्छल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनको निलम्बित कर दिया। मुझे अफसोस इस बात का है कि भ्रष्टाचार मिटाने का बहाना भ्रष्टाचार की एक नयी विधा अपनी गोद में लेकर आया। सभापति महोदय, इस सड़क पर जिसको ठेका दिया गया है वह है सिमको कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बिडला की है। जहां राजस्थान में पी. डब्ल्यू. डी की रेट मिट्टी सप्लाई को रोड पर बिछाने की 40 रुपये प्रति घन मीटर है वहां इस कम्पनी को 494 रु. प्रति घन मीटर पर ठेका दिया गया। कितना गुना हुआ ? जहां क्वेरीज रबिश की रेट 40–45 रुपये प्रति घन मीटर की है वहां 285 रुपये प्रति घन मीटर पर इस रोड पर क्वेरीज रबिश सप्लाई करने का ठेका दिया गया। जहां मिट्टी के काम की रेट 4 और 5 रुपये प्रति घन मीटर है वहां 40–45 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से ठेका दिया गया। सभापति महोदय, इससे ज्यादा और घपला हुआ। हजारों गुना पर्सेण्टेज जो घपला किया गया है वह है रोड क्लियरेंस के नाम पर। पी. डब्ल्यू. डी. की जो अधिकृत रेट्स हैं वह 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। माल इकट्ठा करने के लिए, झाड़-सफाई करने के लिए किसी प्रकार का कोई पैसा है तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की उनकी रेट्स हैं और यह इस रोड पर चार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जंगल क्लियरेंस की रेट तय की गयी।

(श्री हरिसिंह)

मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी जानकारी में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत लम्बा भाग इस रोड का पड़ रहा है। उसमें कहीं भी उन्होंने एक भी पेड़ जंगल क्लियरेंस के नाम पर नहीं दिया और अलवर से मण्डावर तक काम करने वाली ऊपल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को चालीस लाख रुपये का पेमेण्ट किया है। इसमें भ्रष्टाचार की जघन्य बदबू आ रही है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, इस संविदा की शर्तों के मुताबिक पूरा का पूरा काम ठेकेदार को करना था, स्वयं को यानि सिमको कन्सट्रक्शन कम्पनी को और वह किसी को भी कान्ट्रेक्ट पर इसको सबलैट नहीं करेगा यह इसकी शर्त थी। लेकिन सभापति महोदय, उस शर्त को उठा कर ताक पर रख दिया गया सिमको कम्पनी द्वारा। इसमें दुरभि संधि है। अब मैं प्रयोग कर रहा हूं दुरभि संधि का राज्य सरकार में बैठे हुए मंत्री और ठेकेदार के बीच में। सभापति महोदय, उस ठेकेदार ने पूरे का पूरा 234 किलोमीटर का एरिया 6 भिन्न-भिन्न ठेकेदारों को बांट दिया। भिवाड़ी से किशनगढ़ बास तक एक, किशनगढ़ बास से अलवर तक दूसरा, अलवर से मण्डावर तक तीसरा, मण्डावर से खेड़ला बुर्ज तक चौथा, खेड़ला बुर्ज से हिण्डोन सिटी तक पांचवां और हिण्डौन सिटी से करौली तक छठा। उन्होंने कान्ट्रेक्ट की शर्तों का वायलेशन किया है।

सभापति महोदय, उसके साथ आवश्यक शर्त यह भी है कि ठेकेदार पूरा का पूरा वर्क मैकेनाइज आधार पर करेगा तो वह मैकेनाइज आधार कहीं नहीं मिला। सभापति महोदय, वहां मैन्युअल लेबर से गिट्टियां तैयार करवायी जा रही हैं। वहीं वायब्रेटर रोलर के स्थान पर सामान्य रोलर से काम करवाया जा रहा है। सामान्य रोलर का वजन होता है 8 से 10 टन तक और वायब्रेटर रोलर 30 टन तक वजन डालते हैं और उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसमें और आश्चर्य की बात, सिमको फैक्ट्री को साढ़े सात करोड़ रुपये एडवांस मशीन खरीदने के लिए दे दिये गये और उसके बाद सिमको फैक्ट्री ने दो प्लाण्ट दो वायब्रेटर रोलर और 6 मिट्टी खोदने की पी. बी. सी. मशीनें खरीदी और उनकी खरीद के बिल विभाग में पेश कर दिए और उनका 90 प्रतिशत भुगतान ले लिया। पता नहीं क्यों इतनी अनुकम्पा हो रही है राज्य सरकार की उनके ऊपर। चीफ इन्जीनियर तक तो यह मामला है नहीं क्योंकि बहुत हाई रेट का मामला है और सिमको फैक्ट्री ने पूरा का पूरा ठेका 23 पर्सेण्ट बिलो पर पेटी कान्ट्रेक्टर्स को दे दिया। यानि 17.50 करोड़ रुपये अपनी जेब में रख लिए 1992 से अब तक जो रेट आफ डिफरेंस पैदा हुआ है उसका 15 करोड़ रुपया और अपनी जेब में रखने के लिए बिल पेश कर दिया, 28 करोड़ रुपये का घपला एक सड़क पर।

सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सैण्ट्रल गवर्नमेंट का एक आदेश निकला कि अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं अलवर में जा रही है वहां पर कोई भी माइनिंग वर्क नहीं होगा। उस आदेश का लाभ उठाते हुए इन्होंने इस रोड पर जितना भी गिट्टी, मिट्टी, बजेरी, रविश

(श्री हरिसिंह)

काम में लिया है वह सब मटीरियल अरावली पर्वत श्रृंखला से उठाया है और उस आदेश की आड़ में अब उसका बिल बनाया जा रहा है गुड़गांवा से, कामां से, 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार हिन्दुस्तान के किसी प्रान्त में आज तक न हुआ हैं और न उम्मीद करता हूं। 45 करोड़ रुपये का घपला एक रोड पर और उसके बाद भी सरकार कहती है कि हम स्वच्छ प्रशासन दे रहे हैं।

सभापति महोदय, ऐसी भ्रष्ट सरकार के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां पधारकर जो प्रवचन दिया है उस प्रवचन का मैं कठोर शब्दों में विरोध कर रहा हूं। उस प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र गहलोत (अनुपस्थित) श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (अनुपस्थित) श्री उगम राज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य टीकम चन्द जी कान्त ने जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है, मैं भी उनका समर्थन करता हूं।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में डंकल प्रस्तावों से किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चिन्ता व्यक्त की गयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस डंकल प्रस्ताव पर भारत सरकार हस्ताक्षर करने जा रही है उससे किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और बीज का पेटेण्टीकरण होने से कृषि उपज के लिए जलवायु के अनुकूल जो बीज ठंडे देशों से आयेगा वह यहां की जलवायु के अनुकूल नहीं है। माननीय श्री बलराम जी जाखड़ ने खुद ने कहा था कि किसानों के हितों के लिए बीजों का पेटेण्टीकरण नहीं किया जाएगा। परन्तु केन्द्रीय सरकार बहुत जल्दी इसके ऊपर हस्ताक्षर करने जा रही है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि डंकल प्रस्ताव के खिलाफ सामूहिक रूप से विरोध प्रकट करें।

पेयजल के बारे में जो जिक्र किया गया है, माननीय सभापति महोदय, बीसलपुर परियोजना से अजमेर, को रखा है। अजमेर को अगले वर्ष में बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। सभापति महोदय, आप खुद उस मीटिंग में मौजूद थे और यह घोषणा की गयी थी कि इसी मार्च में जो काम अधूरा है, जो 110 पाइप लाइने हैं, वह पूरी हो जायेंगी और इस मार्च में कुछ हिस्सा जल पूर्ति का अजमेर और ब्यावर को मिलना शुरू होगा। और इसके साथ ही माननीय जन स्वास्थ्य मन्त्री जी ने भी 15 दिसम्बर को अधिकारियों की मीटिंग में यह घोषणा की थी कि ब्यावर के लिए 88 लाख रुपये विशेष रूप से स्वीकृत किये गये हैं और अलग से पाइप लाइन डाल दी जायेगी। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इसका काम युद्ध स्तर पर चालू कर दिया गया है और अगर नहीं किया है तो युद्ध स्तर पर चालू किया जाय। आज ब्यावर की स्थिति यह है कि सर्दी के मौसम में भी पांच दिन से पानी मिल रहा है।

(श्री उगमराज मेहता)

मंत्री महोदय ने बीच में प्रयास किया था और 72 घण्टे में पानी मिलना चालू हो गया था परन्तु अधिकारियों की लापरवाही से आज 120 घन्टे और 130 घन्टे में पानी मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप नसीराबाद से ब्यावर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें और कम से कम रोजाना 16 घण्टे पम्पिंग करें। बीच में भी आपने यह वायदा किया था कि ब्यावर के लिए प्रतिदिन 16 घण्टे पम्पिंग किया जाएगा परन्तु अभी तक वह पम्पिंग चालू नहीं है। कभी तीन और चार दिन में 12-12 घण्टे पम्पिंग किया जाता है जिससे एक लाख बीस हजार गैलन पानी मिलता है वह भी बराबर नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह 16 घण्टे पम्पिंग रोजाना चालू किया जाय।

विद्युत के बारे में माननीय मुख्यमन्त्री जी ने भारत सरकार से जो प्रोजेक्ट स्वीकार कराये हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर शहर को और ग्रामीण क्षेत्र में आज करीब पांच हजार कनेक्शन, अभी देने बाकी हैं, लोगों की फाइलें जमा हैं परन्तु अभी वहां कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। कारण यह है कि वहां एक ही ए.ईएन. है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ए.ईएन (रूरल) जवाजा में, एक ए.ईएन. (रूरल) ब्यावर में, और एक ए.ईएन. ब्यावर वहां अलग से कार्यालय खोला जाकर उनकी पोस्टिंग की जाय ताकि वहां की समस्या का समाधान हो सके।

हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री यहां बिराजे हुये हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा सड़कों के बारे में। जिस प्रकार से सड़कों का डामरीकरण हो रहा है, उन सड़कों का हर वर्षा ऋतु में पानी और डामर का मिलान होने से हर बार सड़कें टूटती हैं। मैं चाहता हूं कम से कम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर सीमेण्ट की सड़कें बनाना चालू करें जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र ने सीमेण्ट की सड़कें बनाना चालू की हैं। अगर बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लें तो कम से कम एक तो प्रोजेक्ट हाथ में लें। जहां-जहां राजस्थान में सीमेण्ट फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उनको कहा जाय कि आप 20 कि.मी. एरिया में जहां नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे हैं, सड़कें हैं, उनको मिलाते हुए आप उन पर दबाव डालिए कि सीमेण्ट की सड़कें बनायें। अगर सीमेण्ट की सड़कें बनेगी तो एक उदाहरण पेश होगा। परन्तु इसमें एक काम करना पड़ेगा कि आपको एक्साइज ड्यूटी के लिए केन्द्रीय सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, ताकि सीमेण्ट की सड़कें बनाने के लिये वह एग्री हो सके।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह पूरी बना देंगे क्या, वहां ?

श्री उगमराज मेहता : जी हां, 20-20 किलोमीटर के एरिया में, अगर आप एक्साइज ड्यूटी और थोड़ा सैल्स टैक्स में रियायतें दे दें।

सिंचाई के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी-छोटी लिफ्ट योजनाएं हाथ में ली जाय ताकि वहां जो पानी फालतू बहता है, उसके लिए जगह-जगह एनीकट बनाकर पानी का स्टोरेज किया जा सके। मेरे ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में भोमाधा बांध है। अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत उसको बनाया था, यह केवल 40

(126)

(श्री उगमराज मेहता)

फीट बनाया, अभी भी है। उसकी क्षमता 42 फीट की है उसके प्रजेंस्ट में अभी 38 फीट पानी है, अगर उसको 40 फीट और ऊंचा बढ़ा दिया जाय तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो 24 पंचायतें है, उन 24 पंचायतों में पानी की समस्या का वहां भोमाधा बांध से समाधान हो सकता है। इसी प्रकार दुधालेश्वर महादेव के बीच में एक नदी पड़ती है। उसका पूरा पानी बह कर चला जाता है, अभी वहां पर उसमें पानी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर बांध बनाया जाय और उस पानी को रोका जाय ताकि वहां के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हो सके। मेरे एरिया में पूरा फ्लोराइड एरिया है, पानी पीने लायक नहीं है। अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार से छोटे-छोटे बांध बना करके ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल की समस्या का समाधान किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

खनिज के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खनिज आधारित उद्योग बहुत पनप सकते हैं परन्तु खनिजों का आवंटन होता है उसका सरलीकरण करना पड़ेगा। कारण यह है कि सारा कंट्रोल डी.एम.जी. के हाथ में है। डी. एम. जी. जानबूझकर दो-दो साल फाइलें पेण्डिंग रखता है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।

माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि जहां कन्या महाविद्यालय समाज-सेवी संस्था खोलने को तैयार हों, उनके लिए हम सरकार की ओर से मदद करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय कि ब्यावर में वर्धमान शिक्षण संस्थान ने दो करोड़ रुपये की लागत से गर्ल्स कॉलेज के लिए जमीन आवंटन करा दी और नगर परिषद से नक्शा पास कराकर उसकी बाउण्ड्री बना ली। परन्तु यहां के सीनियर टाऊन प्लानर अधिकारियों ने बेवजह साल भर से नक्शा अटका रखा है और वहां काम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस सत्र में वह कॉलेज चालू करें। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप वहां के अधिकारियों को बुलाकर यहां बैठें और 10 मिनट का काम है, उसमें 11 मिनट नहीं लग सकते और वह नक्शा पास हो सकता है।

इसी प्रकार ब्यावर में एक आई हास्पिटल दो करोड़ रुपये की लागत से बनना है जिसके लिए माननीय भंवरलालजी ने वहां जमीन अलाट की है और मैं चाहता हूं कि वह बिल पास करायें और जो नगर पालिका किराया लेना चाहती है, वह बिल उनके किराये के नहीं लेकर जमीन मुफ्त में दी जाय ताकि वहां आई हास्पीटल बन सके। जमीन हमको मिल चुकी है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है परन्तु इसमें एक ही कारण है कि नगर परिषद् वाले साल में 80 हजार रुपये किराये लेने के लिए उन्होंने एक बिल भेजा। साल के 80 हजार रुपये किराया कोई संस्था देने को तैयार नहीं होगी। यह ही वह संस्था चलाने के लिए अपने हास्पिटल को ऐसा बनायेगी, जिस प्रकार से रोगियों को, आज आसपास के रोगियों को अहमदाबाद जाना

(श्री उगमराज मेहता)

पड़ता है, जयपुर और कई जगह के रोगी भी आंखों के लिए, तो उनको वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार एक बड़ा हास्पीटल बनने जा रहा है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ब्यावर के लिए विशेष ध्यान रखें और इसके लिए, हमारे महाविद्यालय और आई हास्पिटल जमीन के लिए जल्दी से जल्दी निपटारा करें। माननीय टीकमचन्द जी कान्त ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामनारायण नैनवां (अनुपस्थित) श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय टीकमचन्दजी कान्त ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस धन्यवाद प्रस्ताव में सरकार की नीतिगत नीतियों का, डाइरेक्शंस का जो हवाला दिया है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

विशेष रूप से इस धन्यवाद प्रस्ताव में सड़कों के निर्माण के लिए 1971 की जनसख्या के आधार पर एक हजार तक के गांव जोड़ने की बात कही गयी है। 1971 के बाद 1994 चल रहा है। मेरा इसमें निवेदन है कि इसे कम से कम 1991 किया जाय। इसी सम्बन्ध में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र और विशेष रूप से जनजाति उप योजना क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज भी ऐसे 19 पंचायत हैड क्वार्टर्स हैं जहां मिट्टी रोड तक नहीं है, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि इस बजट सत्र में उन सभी पंचायत मुख्यालयों को ही नहीं बल्कि ऐसे जो गांव हैं, जो वास्तव में एक हजार तक की जनसख्या के हैं वे डामरीकरण से जुड़ जायं।

इसी तरह से इस धन्यवाद प्रस्ताव में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में पेन्शन नियमों में, प्रक्रिया में जो सरलीकरण किया है और उन्हें विकेन्द्रित करके जिला मुख्यालय पर पेन्शन दिलाने की जो व्यवस्था की है उसके लिए भी मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

साथ ही विद्युत की जो बात की गयी है, आज केन्द्र सरकार और कांग्रेस की जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने लाखों-करोड़ों रुपये की राशि जनजाति क्षेत्र के विद्युतीकरण के नाम पर राज्य सरकार के खजाने से उठायी परन्तु मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं जनजाति उप योजना क्षेत्र के ऐसे सभी गांव जो कागजों में तो विद्युतीकृत हैं, वोट लेने के नाम पर वहां खम्भे गाड़ दिये गये और आज सात-सात वर्ष हो गये हैं वहां लाइन भी नहीं खींची गयी है। तो मैं यह अपेक्षा करूंगा कि कम से कम जहां खम्भे गाड़ दिये गये हैं, लाखों रुपयों का इन्वेस्टमेण्ट हो गया उन गांवों का विद्युतीकरण किया जाय।

इसी तरह से शिक्षा की जो बात की गयी है, मैं यह मानता हूं कि आदिवासी क्षेत्र काफी बिखरा हुआ है, पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्र में बसी हुई आबादियां हैं।

(श्री महावीर भगोरा)

वहां जो जनसंख्या के नार्म्स हैं, विकास के लिए जो नार्म्स निर्धारित किये हैं उनमें निश्चित रूप से शिथिलता बरतनी चाहिए और बिखरी हुई आबादी में भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए और ढाणियों में भी स्कूलें खोली जानी चाहिए। डेढ़ सौ की आबादी भी है तो वहां दो किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। मेरा यह निवेदन है कि इसमें भी थोड़ा सा शिथिलीकरण किया जाना चाहिए।

एक बात पशुपालन की कही गयी है। पशुपालन और कृषि दोनों एक-दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं। हमारी पिछली शासन की व्यवस्थाओं में मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है कि कोई भी नये पशु औषधालय नहीं खोले गये। जब हम पशुओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पशु औषधालय खोले जाने चाहिए। साथ ही मेरा निवेदन है कि चारागाह की भूमि हमारे पड़ी हुई है वह दिनों-दिन घटती जा रही है, वहां अतिक्रमण होते जा रहे हैं तो चारागाह की भूमि को बचाने के लिए भी इसमें कोई न कोई प्रावधान किया जाना चाहिए और बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने राष्ट्रपति शासन के बारे में जिक्र किया था कि वहां कम से कम जवाब तो मिलता है और राष्ट्रपति शासन में इस तरह का दुरुपयोग उस समय किया गया जिसका एक मामूली-सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि माउण्ट आबू जो नगर पालिका है, माउण्ट आबू राजस्थान का एक मात्र हिल स्टेशन है, वहां करोड़ों रुपयों की जमीन नगरपालिका के जो बाई लॉज हैं, नियम हैं, उनको ताक में रख कर निजी स्वार्थ के लिए आवंटित कर दी गयी है, उसकी जांच होनी चाहिए।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जिस तरह की व्यवस्था राष्ट्रपति शासन में हमारे राज्यपाल महोदय ने की है, जनजाति उप योजना क्षेत्र का जो पैसा है उसको किसी निजी संस्था को फायदा पहुंचाने के लिए, 17 लाख रुपये की राशि सड़क निर्माण के लिए दे दी गयी जबकि वहां 10 परिवार भी जनजातियों के नहीं रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर भी आप ध्यान दें।

सिंचाई की बात की गयी है। सिंचाई के क्षेत्र में अभी-अभी ऐसे आदेश राज्य सरकार से जारी हुए हैं, मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे जनजाति उप योजना क्षेत्र में बड़े डेम नहीं बन सकते हैं तो उन क्षेत्रों में एनीकट बनाने का ही प्रावधान रखा जाना चाहिए ताकि वहां जो पानी बहकर के चला जाता है उसको संचित किया जा सके। यह मेरा आपसे निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसी तरह से पेयजल की बात की है। पेयजल में यह घोषणा की गयी थी पिछले विधान सभा सत्र में कि हम 27 जनवरी से विशेष अभियान चला कर हैण्ड पम्पों की रिपेयर कर रहे हैं। आज की तारीख में किसी भी पंचायत समिति या पी.एच.ई डी. के पास पर्याप्त रिपेयर्स की टीम उपलब्ध नहीं है। इस पर पुनर्विचार करके ऐसी टीमें प्रत्येक पंचायत समिति में अलग से

(श्री महावीर भगोरा)

एक या दो कायम की जाय जो तकनीकी दृष्टि से भी सक्षम हो। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में माननीय राज्यपाल महोदय ने जो राज्य सरकार के दिशा-निर्देश की बात कही है उस दिशा-निर्देश में पक्ष और प्रतिपक्ष के सारे सदस्य इसका समर्थन करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहनलाल मोदी (अनुपस्थित) डा. जितेन्द्र सिंह।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो सरकार ने अपना कार्यक्रम दिया है उसमें चिकित्सा सुविधाओं के बारे में बहुत कुछ कहना बाकी रह गया। महोदय, आज सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज हास्पिटल उत्तरी भारत का प्रख्यात अस्पताल है जहां गरीब किसान, मजदूर और सभी वर्ग के लोग इलाज के लिए दूर-दूर से आते हैं। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है कि आज सर्वाधिक मौतें राजस्थान में, भारत में या समस्त संसार में हृदय रोग से होती है और हृदय रोग चिकित्सा इकाई जो सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज हास्पिटल की है उसमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ हो रहा है लेकिन सर्वाधिक भयंकर बीमारी जिसके कारण मृत्यु होती है वह है हार्ट अटैक। आज से चन्द वर्ष पहले मेडिकल साइन्स की किताब में यह लिखा होता था, सब दवाओं के बाद अन्तिम लाइन में लिखा होता था कि बाई पास सर्जरी एक नया ट्रीटमेंट आया है और जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता था। किसान या गरीब मजदूर की हैसियत नहीं है कि वह डा. डेण्टन कूली और डा. बर्नार्ड से जाकर इलाज प्राप्त कर सकता। पांच-पांच, दस-दस लाख रुपये वहां जाकर खर्च नहीं कर सकते हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली के अन्दर एस्कोर्ट अस्पताल में, बम्बई में बॉम्बे अस्पताल में यह बाई पास सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई जहां पर हरेक रोगी नहीं जा सकता। आप आश्चर्य करेंगे कि जिन 100 प्रतिशत रोगियों को हृदय रोग के लिए बाई पास सर्जरी के लिए डाइरेक्ट किया जाता है उसमें से मात्र 3 प्रतिशत इसका आपरेशन करा सकते हैं और 97 प्रतिशत मौत के साथ जूझते-जूझते मर जाते हैं। महोदय, हृदय रोग के बारे में मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं देखता हूं टी.बी. पर कि नशा रोकने के प्रचार माध्यम जो तरह-तरह के बना रखे हैं जिनसे मेरे ख्याल से लोग सीख जायेंगे, जो नशा नहीं करते है उनको पता भी नहीं हो और कोकीन आदि लेना सीख जायेंगे और जो नितान्त जरूरी चीज है। आज हृदय रोग की शुरूआत आखिर में नहीं होती बल्कि यह बचपन की शुरूआत है। आज यह कहते हैं कि किसान जिस बीमारी से हमेशा दूर रहा, आज सबसे बड़ी बीमारी की स्थिति यह हो रही है कि

(16.40 म.प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

एक छोटा-सा गठिया रोग बचपन में हो जाता है वह आखिर के अन्दर जाकर के माइटल स्टोनीज उसका कारण बनता है,

(डा. जितेन्द्र सिंह)

उसमें बहुत बड़ा आपरेशन होता है और लाखों रुपये खर्च होते हैं। इसलिए बजाय इन चीजों के किसानों को सचेत किया जाय। आपको सरकारी अस्पतालों के माध्यम से यह भी सचेत करना चाहिए कि बचपन में जो गठिया का रोग है और रुमेटिक फीवर होता है वह उससे सचेत रहे अन्यथा वह बाद में जाकर बड़ा दुःखदायी कारण बन जायेगा। इस चीज का किसानों को पता नहीं है। आप अस्पतालों के माध्यम से या सब सेण्टर्स के माध्यम से इस तरह की चेतना उनमें लाइये, यह मेरा सजेशन है। महोदय, सब सेण्टर्स की यह हालत है, सब सेण्टर्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं, बहुत ज्यादा सरकार ने खोल दिये, बड़ी खुशी की बात है, किसानों के फायदे की बात है लेकिन दुःख की बात है कि वहां पर ए.एन.एम. नहीं जाते। मेरी यह राय है सरकार से कि जिला स्तर की ए.एन.एम. को उसी जिले में पोस्ट करें। कम से कम 30 पर्सेण्ट सब सेण्टर्स में जगह खाली हैं।

महोदय, चिकित्सा सुविधाओं के बारे में और भी बहुत जाग्रति आ गयी है। मैं नेत्र रोगों के बारे में कहना चाहूंगा। आज कल नेत्र रोग में मोतियाबिन्द के आपरेशन में एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन आ गया है। आज अमेरीका में 100 प्रतिशत लेंस इम्प्लांटेशन हो रहा है, बहुत महंगा होता है, उसके लिए बड़े-बड़े शीशे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बारे में मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस की सुविधा सवाई मानसिंह हास्पिटल में उपलब्ध करायी जाय और लेंस बड़ी सस्ती दरों के ऊपर आम नागरिक को उपलब्ध करायें ताकि वह एक भारी चश्मे से बच सके। महोदय, मेडिकल साइन्स के बारे में मुख्य-मुख्य बातें थी, मैंने अपना नजरिया पेश किया जिसके बारे में सरकार को अतिशीघ्र कदम उठाना चाहिए और उसके लिए बहुत लम्बे-चौड़े प्रयास करने की जरूरत नहीं है सिर्फ लोगों को जागरूक करना है।

महोदय, दूसरा, राजस्थान के अन्दर औद्योगिक नीति जो केन्द्रीय नीति है जिसमें उद्यमियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बाहर के बम्बई और महाराष्ट्र के लोगों को आमन्त्रित किया जा रहा है। बड़े दुःख की बात है कि पेस्टीसाइड्स जिसमें नव उद्यमी भी आना चाहते हैं। कीटनाशक दवाइयों के लाइसेंस के लिए राजस्थान में प्रतिबन्ध कर दिया। मैं नहीं जानता क्यों किया। सबसे बड़ा कारण है कि अभी जो टिड्डी दल का हमला हुआ, सरकार के पास दवाइयां नहीं थीं जिससे कि वह पांच जिलों की बरबाद होती फसल को रोक सके। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रतिबन्ध को हटाये क्योंकि राजस्थान के अन्दर आपको आश्चर्य होगा कि प्रचुर मात्रा में इस तरह के इनग्रेडियेंट्स मौजूद हैं जो जापान सरकार हाथों-हाथ ले रही है और जापान के अन्दर सिलिका व माइका के काम्बीनेशन से एक इतनी क्वालिटी की पेस्टीसाइड्स बन रही है, वह वहां से बाहर जा रहा है लेकिन यहां इजाजत नहीं दी जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा कि नव उद्यमियों को कीट नाशक दवाइयों के जो लाइसेंस पर प्रतिबन्ध कर दिया है, सात साल से प्रतिबन्ध है उसको खोलें। इसमें लोग आगे आयेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। कीट नाशक दवाइयों के अन्दर बार-बार एक प्रश्न उठाया जाता है, एक

(डा. जितेन्द्र सिंह)

सेल्फास टेबलेट है जिसके बारे में पहले भी बात की थी, मैंने डाक्टर होने के नाते देखा है कि गोली खाने के बाद बीमार 10 मिनट भी नहीं पकड़ सकता, It is next to cyanide. बड़े दुःख की बात है, मैंने नव युवा लड़कों को मरते देखा है अपनी आंखों के सामने, कोई भी डाक्टर कुछ नहीं कर सकता। गोली लेंगे और हाथ जोड़ेंगे डाक्टर साहब मैंने तो जहर खा लिया है, बताइये मुझे। कोई भी डाक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने अभी 10 दिन पहले ही एक लड़के को मौत से मरते देखा है। बड़े दुःख की बात है, पोटेसियम साइनाइड खुले बाजार में बिक रहा है। परन्तु सरकार इस पर क्यों नहीं प्रतिबन्ध लगा रही है। एक भयानक काण्ड हो चुका है जिसमें 100 बराती खतम हो गये। गेहूं के अन्दर आप सेल्फास की गोली डाल देते हैं और वह गलती से चक्की के अन्दर पिस गयी, 100 बराती खतम हो गये, मध्य प्रदेश के बोर्डर का काण्ड है। यह एक भयानक विष है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि तुरन्त इसको बंद करिये या इसको ऐसे हाथों के अन्दर दे दीजिये जिससे नव युवा, बच्चे-बच्चियों की मौत न हो। यह इतना इजी पोइजन है। मैं डाक्टर होने के नाते कह रहा हूं कि पोटेशियम साइनाइड के बाद यह दूसरा सबसे घातक विष है जो आदमियों को दस मिनट में ही मार सकता है। मारने में एक गोली ही सफीशिएण्ट है। इसको तुरन्त बन्द कीजिये, यह बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है। गांवों में आज-कल आत्महत्या का सबसे सस्ता साधन है। कुएं में गिरने की, फांसी लगाने की जरुरत नहीं है, एक गोली सफीशिएण्ट है कुछ भी कर लें। इसको तुरन्त रोकिये।

महोदय, यहां पर सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी बैठे हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं और बड़ी योजनाएं दी हैं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, नई सड़कों के निर्माण के बजाय जो पहले की बनी सड़कें हैं, आपने फरमाया था कि मेरे जिगर पर फफोले हैं। बहुत अच्छी बात थी आपकी। मैं आपसे यही आशा चाहूंगा कि इन फफोलों पर तुरन्त मरहम लगायें। इन सड़कों के पिट्स बने हुए हैं इनको ठीक करिये। बहुत बड़ी-बड़ी सड़कें हैं बड़ी बदतर हालत में पड़ी हुई हैं और जो आलरेडी बनी हुई सड़कें हैं बजाय अकाल राहत में कोई नयी सड़क बनाते इस पर डामरीकरण कर दिया जाय। यह विभाग को आप अपनी ओर से निर्देश देने का कष्ट करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप सक्षम हैं और इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है।

महोदय, तीसरा, मैं आपके माध्यम से राजस्थान में बिजली की जो समस्या है उसके बारे में दो-चार शब्द कहना चाहूंगा। बिजली की स्थिति यह हो रही है, पता नहीं बिजली की समस्या का समाधान कब होगा। आठ घंटे की बिजली तय की गयी थी लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो बदतर हालत है। मेरे क्षेत्र के अन्दर किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल रही है, फसलें जल रही हैं। इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो कनेक्शन किसानों के कुओं के लिए लगने वाले थे उनके जे.ईएन. महोदय और उनसे नीचे के अधिकारी 10-10 हजार रुपये एडवांस कनेक्शन के नाम पर ले लेते हैं। यह भारी

(डा. जितेन्द्र सिंह)

भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसकी जांच करवाइये। इस बात से किसान परेशान हैं, इसकी तुरन्त जांच कीजिये। आठ घंटे छोड़िये, चार-चार घंटे ही बिजली नहीं मिल रही है। 50 किसानों का दल कल रात को मेरे पास आया था। सरकार ने वायदा किया है, सरकार अपने वायदे पर अटल रहे और तुरन्त किसानों की बिजली की समस्या को दूर करें। आप उद्योगों को बिजली दीजिये लेकिन किसानों के साथ न्याय कीजिये। फसलें बरबाद हो रही है। खेतड़ी के अन्दर यही स्थिति है कि बिजली समय पर बिल्कुल नहीं मिल रही है।

महोदय, अन्त में पानी के लिए कहना चाहूंगा। पानी के लिए बहुत अच्छी योजना बना रहे हैं। इस बारे में सरकारी अधिकारियों की मीटिंग भी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मेरी यही गुजारिश है, चन्द रोज पहले मैंने यही कहा था युद्ध होगा पानी के लिए और इतनी बड़ी क्रान्ति आयेगी। आज किसानों की यह हालत है, 200-400 गांवों की बस्तियों के अन्दर एक-एक हैण्ड पम्प है, जहां पर दंगे होते हैं और अखबारों में यह पढ़ा जायेगा कि मिनिस्टर सच एन सच एक घड़ा पानी चोरी करते हुए पकड़ा गया। महोदय, मेरी गुजारिश है कि आप इन बातों पर गौर करें और मैंने जो खेतड़ी का पानी पेश किया था आपके सामने, उसमें कोई दवा नहीं मिली थी, वह असली पानी था। जिसके अन्दर 6.7 पर्सेण्ट है। महोदय, मेरे पास अभी तक इम्प्योरिटीज की रिपोर्ट नहीं पहुंची है। 6.7 पर्सेण्ट जो कि आदमी को क्रिपल कर सकें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार के कानों तक मेरी आवाज पहुंचाना चाहूंगा, वह इन बातों पर गौर करें। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस सरकार के लिए तीन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है और जो एक अच्छा शब्द चयन किया है उसके बारे में मेरी आपत्ति प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस सरकार को त्वरित विकास करने वाली सरकार, इस सरकार को स्वच्छ प्रशासन देने वाली सरकार, संवेदनशील सरकार बताया गया है। यह बिल्कुल गलत है। न ही सरकार त्वरित विकास चाहती है, न ही सरकार स्वच्छ तरीका अपनाना चाह रही है और न ही यह संवेदनशील सरकार है। यह सरकार असंवेदनशील है, इसमें संवेदनशीलता ही नहीं है बल्कि संवेदनशीलता की दृष्टि से शून्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज राजस्थान में लाखों युवक अपनी डिग्रियां लिये हुए, अशिक्षित युवक मुंह बाये खड़े हैं कि सरकार कोई न कोई एम्प्लायमेंट का साधन जुटायेगी। ऐसा राज्यपाल महोदय के द्वारा सरकार अपने अभिभाषण में उल्लेख करें जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। नियोजन में केवल यह बताया गया कि 40 हजार दुकानों का निर्माण किया जायेगा। यह दुकानें भी ग्रामीण अंचल में बनेंगी और कौन इनको बनायेगा और फिर इन दुकानों में क्या हो सकेगा। ग्रामीण अंचल में दुकानें बनाकर कौनसा रोजगार मिल सकता है इस बात का कोई विवेचन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जो सरकार बेरोजगारों

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

के लिए रोजगार के प्रावधान अपने अभिभाषण में दर्ज नहीं करती है मैं समझता हूं कि यह सरकार जड़ सरकार है। वह सरकार संवेदनशील कतई नहीं कही जा सकती है।

इसके अलावा क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं इसलिए वही बात सदन में कहना चाहूंगा। अभिभाषण पर मेरी प्रस्तुति एक जन सामान्य से वास्ता रखती है। अध्यक्ष महोदय, बिजली की यह स्थिति है कि 1985 में जिन उपभोक्ताओं ने आवेदन किया था, आज से नौ साल पहले जिन्होंने आवेदन किया उनको भी अभी बिजली नहीं मिली है और यह सरकार, स्पष्ट तौर पर यह घोषणा करे कि कब ऐसा समय आयेगा कि जब हम लगभग बराबर हो जायेंगे और जो नौ साल से बिजली चाहने वाले उपभोक्ता हैं, उनको बिजली के कनेक्शन दे दिये जायेंगे। सिंचाई के साधन में बिजली एक बाधा बनी हुई है। बिजली का कनेक्शन मिल जाय तो उनको सिंचाई का साधन उपलब्ध हो सकता है। ऐसी व्यवस्था का भी इसमें नितान्त अभाव है। इसके अलावा बिजली विभाग के द्वारा इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो लोसेज हैं, वह भी अन्य प्रान्तों की तुलना में हमारे सात पर्सेण्ट अधिक है। जिससे हमको करोड़ों रुपयों की हानि होती है। इसके सुधार के लिए हर राज्य सरकार अपने-अपने दायरे में सुधार करती है लेकिन राजस्थान राज्य में लगातार कई वर्षों से इलेक्ट्रिक सप्लाई लोसेज होते जा रहे हैं और उनके लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया है। इसी तरह जब यह बात हरेक को मालूम है कि राजस्थान में लाखों लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं और ऐसा कोई भी माननीय विधायक नहीं है जो इससे अनभिज्ञ हो। हर जगह जाते हैं तो देखते हैं कि जगह-जगह तार बिजली की लाइन में डाले गये हैं, लंगर डाले जाते हैं और बिजली की चोरी होती है। बिजली की चोरी इसलिए होती हैं कि बिजली की आवश्यकता होती है। यदि आवश्यकता के अनुरूप कनेक्शन गवर्नमेंट नहीं देगी तो जनता का दबाव होगा, जनता की आकांक्षा होगी। जनता की आकांक्षा के विरुद्ध जो सरकार कार्य करती है; जो सरकार आचरण करती है वह असंवेदनशील सरकार है और फिर जनता ने सीधा कानून अपने हाथ मे ले रखा है। जनता ने लाखों कनेक्शन बिजली के डाइरेक्ट चोरी करके लगा रखे हैं और उनका काम चल रहा है। इससे एक तरफ तो सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार की अकर्मण्यता साबित होती है कि सरकार भले ही चोरी से बिजली दे दे लेकिन तरीके से 85 के लोगों को अभी भी नहीं मिल रही है और आज कोई भी व्यक्ति जो कि कानून की परिसीमा में बिजली का आवेदक बन कर खड़ा है- उसको बिजली नहीं मिलेगी और एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि यह सरकार जड़ है, सरकार संवेदनशून्य है इस लिए वह तार डाल कर बिजली लेता है तो उसको बिजली मिलती है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या बिजली की चोरी पर कोई रोक लगी ? क्यों लाखों करोड़ों रुपये के घाटे की व्यवस्था के लिए सरकार ने सुध नहीं ली ? मेरा यह निवेदन है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दें कि जहां पर बिजली की सप्लाई है वहां पर ऐसे लोग

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

जो चोरी से बिजली ले रहे हैं, उनको रेगुलराइज करे। उनको नये ग्रावेदक बनाकर बिजली के कनेक्शन दें। इसके अलावा भिवाड़ी में एक औद्योगिक संस्थान में करोड़ों रुपये की बिजली पकड़ी गई लेकिन उस औद्योगिक संस्थान की न तो बिजली बन्द की गयी और न ही उस पर कोई कानूनी एक्शन लिया गया। जब करोड़ों रुपये की बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है तो यही माना जाएगा कि यह सरकार संवेदनशील सरकार नहीं है बल्कि जड़ सरकार है और इससे कोई भी अपेक्षा करना गलत है।

अध्यक्ष महोदय, गत सत्र में ग्राठ घन्टे बिजली देने की घोषणा माननीय मुख्यमन्त्री जी ने की थी लेकिन वह घोषणा केवल सदन की घोषणा रह गयी। सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी मेजें थपथपायी वहीं तक रह गई। कारगर ढग से प्रभावी नहीं हुई। चार या पांच घन्टे से ज्यादा बिजली की सप्लाई नहीं मिली और किसान पहले जैसी स्थिति में ही रहे। इसके अलावा अब वर्तमान में भी ग्रामीण अंचल के अन्दर जहां कि सैकेण्डरी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर हायर सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्डरी के बच्चे रहते हैं, परीक्षा काल के दौरान भी यह विषम समस्या बनी हुई है कि पूरी बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है इसलिए वह दिन में पढ़ते हैं। रात में उनको पढ़ने के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यह बिलकुल सत्य है। इस ओर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है और न ही यह सरकार चाहती है कि किसी भी तरह रात को बिजली की सप्लाई जारी रखी जाये। जो विद्यार्थी हैं उनका एजुकेशनल ईयर है उनको कोई फायदा हो। उनकी पढ़ाई बड़ी सुगमता से हो, सुचारू रूप से चलती रहे।

पेयजल के बारे में मेरा यह निवेदन है, माननीय मन्त्री महोदय सामने बैठे हैं मैं उनके सामने तथ्यात्मक स्थिति रखकर यह कह रहा हूं कि दौसा जिला इतना बड़ा जिला है उसमें केवल दस हैण्डपम्प और पांच ट्यूबवेल स्वीकृत हुए हैं। अब क्या एक इतनी बड़ी तहसील में दो हैण्डपम्प पर्याप्त रहेंगे ? क्या स्थिति रहेगी उस तहसील की जबकि इस तहसील का बांदीकुई निर्वाचन क्षेत्र जहां से मैं लौट कर आया हूं वहां 125 से 140 फीट निचाई पर पानी उपलब्ध होता है और उसमें इस भीषण गर्मी में दो हैण्डपम्प की व्यवस्था की गयी है। पूरे दौसा जिले में दस हैण्डपम्प की स्वीकृति दी गयी है और पांच ट्यूबवेल की स्वीकृति दी गयी है और नये हैण्डपम्प के बारे में कोई भी संख्या घोषित नहीं की गई है कि कितने हैण्डपम्प लगाये जायेंगे। उसी तरह नदेरा और हिंगोता गांव में जहां पर कि आपने देख लिया है, पानी का टैस्टिंग हो गया और टंकी बनी है तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया है और जहां पर पानी की सप्लाई हो गयी। देख लिया ट्यूबवेल में कैपेसिटी के अनुसार पानी निकालने की क्षमता है तो वहां पर भी रख-रखाव के लिए और आगे का कार्यक्रम नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जबकि एक तरफ आप कह रहे हैं कंटिजेंसी प्लान बन रहा है, दूसरी आपका विभाग इस ओर उदासीन है।

इसके अतिरिक्त शिक्षा की स्थिति में

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

250 की आबादी पर एक स्कूल की घोषणा की गयी है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर 250 छात्र उपलब्ध होने के बाद और इससे अधिक आबादी होने के बाद भी कोई स्कूल का प्रावधान नहीं रखा गया है। जबकि इस सरकार ने पांच हजार स्कूल बन्द कर दिये थे। क्या इस अभिभाषण में ऐसा दर्ज है कि जो स्कूल कांग्रेस की सरकार ने खोले थे उनको वापस खोलने के लिए कोई घोषणा है? राजस्थान जो पिछड़ा इलाका है उसमें शिक्षा का स्तर उठाने के लिए वापस से आप स्कूल खोलने के मामले में संवेदनशील हैं? इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि जो बात कही गयी है कि 1971 की आबादी के हिसाब से मुख्यालय से जोड़ने की बात कही गयी है और एक हजार की आबादी के जो गांव मौजूद है उनको भी सम्पर्क सड़क के रूप में जोड़ा जायेगा। मैं कहता हूं कि 1971 की जगह 1991 तक जो भी एक हजार की आबादी वाले गांव हैं और पंचायत मुख्यालय हैं उनको सम्पर्क सड़क से जोड़ा जाये। ऐसी कोई भी घोषणा न करके यह सरकार बीस साल पहले की जनसंख्या के मापदण्ड के आधार पर चल रही है। तो क्या आप यह कहना चाहेंगे कि बीस साल पहले की आवश्यकता के अनुरूप आपकी सरकार काम करेगी? आप कांग्रेसी शासन की बार-बार दुहाई देकर अपने आपको माफ नहीं कर सकते है। गोपाल योजना, भागीरथ योजना, अन्त्योदय योजना ऐसे अच्छे-अच्छे शब्दो का चयन करके, लुभावने नारे देकर आप विकास की गंगा नहीं बहा सकते और इसलिए इस अभिभाषण में विकास की गंगा का शब्द हटा दिया गया है।

लाटरी एक कैंसर रोग की तरह हमारे गरीब तबके में संक्रमण रोग की तरह बढ़ती जा रही है, उसके बारे में राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। जबकि दिन में चार बार ग्यारह बजे, साढ़े बारह बजे, डेढ़ बजे, साढे तीन बजे लाटरी निकल रही है। यह एक राज्यव्यापी चर्चा का विषय रह गया है और ऐसी स्थिति में जबकि आप कहते हैं गरीब को गणेश मानेंगे, मैं कहता हूं गरीब रहेगा ही नहीं तो गणेश मानेंगे किसको आप। आप गरीब को समूचा देखना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए, राजस्थान में चार करोड रुपये के लाटरी के टिकट बिक रहे हैं और उसको केवल गरीब वर्ग के लोग ले रहे हैं और उसमें जुएं की मनोवृत्ति, अवसरवादिता, भाग्यवादिता, सर्वोपरिता राज्य सरकार देती आ रही है। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि लाटरी बन्द होनी चाहिए। सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट ने भी इस पर अपना रुख रखा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार में भी इस पर चर्चा हुई है। राजस्थान सरकार भी अपनी जड़ता छोड़े और संवेदनशीलता अपनाये और लाटरी के बारे में जो कि एक संक्रामक रोग के रूप में है...उसको बन्द करे।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, दौसा जिला जिसको बने हुए करीब पौने तीन साल हो गये हैं और यह एक अपने आप में बड़ी विचित्र बात है कि अभी तक भी राजस्व जिला नहीं बनाया गया है जबकि बांदीकुई जिसमें कि सारे उपखण्ड के अधिकारी बैठते हैं उसको अभी तक उप जिले के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

इतना ही नहीं आज बात हो रही है सिंचाई की। यह दुर्भाग्य की बात है कि पौने तीन साल हो गये हमारे दौसा जिले को बने हुए लेकिन आज तक सिंचाई का एक्स. ईएन, ऑफिस सम्पूर्ण दौसा जिले में नहीं है। आज तक एक्स. ईएन. जयपुर राजधानी में बैठता है और एक्स. ईएन. का कार्यालय भी नहीं है। यह संवेदनशीलता का नमूना है। इसके अलावा लॉ एण्ड आर्डर, अध्यक्ष महोदय अब पांच बजने का समय होने वाला है मैं भी कुछ समय में अपनी अभिव्यक्ति बन्द करने वाला हूं और कानून और व्यवस्था की स्थिति है वह किसी से नहीं छिपी हुई है। कानून व्यवस्था की स्थिति, मैं बाड़मेर का प्रकरण और बीकानेर....

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप। सदन की कार्यवाही कल दिनांक 25.2.94 प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.00 बजे शुक्रवार, दि. 25.2.94 के प्रातः 11,00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची

परिशिष्ट "अ"

भरतपुर, डीग, नगर एवं कामां तहसीलों में गत 3 वर्षों में नहीं भरने वाले बांधों की सूची

क्र.सं.	तहसील	बांधों का नाम जिनमें पानी नहीं आया		
		वर्ष 1991	वर्ष 1992	वर्ष 1993
1	2	3	4	5
1.	भरतपुर	हिन्डोला	हिन्डोला	–
2.	,,	सिनपिनी	सिनपिनी	सिनपिनी
3.	,,	हेलक	हेलक	हेलक
4.	,,	सेवर लोअर	–	–
5.	,,	अनाह	अनाह	अनाह
6.	,,	अटलबन्ध	अटलबन्ध	अटलबन्ध
7.	,,	श्योराना	श्योराना	श्योराना
8.	,,	दौलतगढ़	दौलतगढ़	–
9.	,,	चक्काजी	चक्काजी	–
10.	,,	बहुनेरा	बहुनेरा	बहुनेरा
11.	डीग	अऊ	अऊ	अऊ
12.	,,	कुचावरी	कुचावरी	कुचावरी
13.	,,	करमुक्का	–	करमुक्का
14.	,,	चुल्हेरा	–	चुल्हेरा
15.	,,	निगोही	–	निगोही
16.	,,	पसोपा	–	पसोपा
17.	,,	हबरा	–	–
18.	,,	पान्होरी	–	–
19.	,,	–	शीषम	–
20.	नगर	डावक	डावक	डावक

1	2	3	4	5
21.	नगर	डरावना	डरावना	डरावना
22.	,,	कुरकैन	कुरकैन	कुरकैन
23.	,,	ब्यारी	ब्यारी	ब्यारी
24.	,,	बूडली	बूडली	बूडली
25.	,,	कैथवाड़ा	कैथवाड़ा	–
26.	कामां	सबलगढ़	–	सबलगढ़
27.	,,	खोरा	खोरा	खोरा
28.	,,	घाऊ की बरौली	–	घाऊ की बरौली
29.	,,	–	–	इन्दौली

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूची

फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत राजकीय सी. मा. वि./मा. वि. की सूची

क्र.सं.	नाम विद्यालय
1.	राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, बीबीपुर
2.	राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, जीडी रामगढ़
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रोसांवा
4.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ढाढण
5.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बेसवा
6.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मलकसर
7.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कायमसर
8.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गारिण्डा
9.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नबीपुरा
10.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अठवास
11.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ठीमोली
12.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बागडोदा
13.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गांगियासर
14.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी
15.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सुभाष फतेहपुर

फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	नाम विद्यालय
1	2
	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	कल्याणपुरा
2.	कारंगाछोटा
3.	कारंगा बड़ा
4.	खोटिया
5.	गोड़ियाबाडा
6.	चाचीवाद बड़ा
7.	चुवास
8.	जालेऊ
9.	ताखलसर
10.	तिहावली
11.	तिहाय
12.	ताजसर
13.	ढाडून्दा
14.	देवास
15.	दीनारपुर
16.	दांतरु
17.	दीनवालाडवाटी
18.	नेठवा
19.	बलोचछोटी
20.	बाढोद
21.	नारी
22.	बिराणिया
23.	बलोदबड़ी
24.	बलोद भांखरा
25.	भाखरबासी
26.	भगोसरा
27.	भीचरी
28.	भरडाट बड़ी
29.	भान्डेलाबड़ा
30.	ढीकास
31.	डाबडी
32.	रामसीसर
33.	रोलसाबरार
34.	सकनसर
35.	लावन्डा
36.	संदीनसर
37.	हुडेरा
38.	हिरणा
39.	हरसावा बड़ा
40.	कृष्णा फतेहपुर
41.	नेवटिया फतेहपुर
42.	एच. आर. रामगढ़
	(छात्रा संस्था)
43.	फतेहपुर
44.	बेसवा

1	2	1	2
	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	12.	रा. प्रा. वि. रामगढ़
1.	रा. प्रा. वि. न. 3	13.	रा. प्रा. वि. न. 2
2.	रा. प्रा. वि. न. 4	14.	रा. प्रा. वि. न. 3
3.	रा. प्रा. वि. न. 5	15.	रा. प्रा. वि. न. 4
4.	रा. प्रा. वि. न. 6	16.	रा. प्रा. वि. न. 5
5.	रा. प्रा. वि. न. 7	17.	रा. प्रा. वि. न. 6
6.	रा. प्रा. वि. न. 8	18.	रा. प्रा. वि. न. 7
7.	रा. प्रा. वि. न. 9	19.	रा. प्रा. वि. न. 8
8.	रा. प्रा. वि. न. 10		——
9.	रा. प्रा. वि. न. 11		(छात्रा संस्था)
10.	रा. प्रा. वि. न. 12	20.	रा.प्रा.वि. फतेहपुर
11.	रा. प्रा. वि. सुभाषपोल	21.	रा.प्रा.वि. रामगढ़ सेठान

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 8 की सूची

परिशिष्ट "ब"

प्रत्येक छात्रावास में उपलब्ध सुविधाएं :—

1. भोजन, नाश्ता, कपड़ा, बिजली, पानी, बाल कटाई, तेल, साबुन, जूते की सुविधा हेतु 250/– रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से साढ़े नौ माह के लिये राशि उपलब्ध कराई जाती है।

2. प्रत्येक सत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 60/– रुपये प्रति छात्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/– रुपये प्रति छात्र पुस्तकें/स्टेशनरी तथा फीस हेतु दिये जाते हैं।

3. प्रति छात्र को उपयोग हेतु निम्न सामान उपलब्ध कराया जाता है :—

   1. दरी
   2. दो कम्बल
   3. एक तकिया मय दो गिलाफ
   4. दो चादर
   5. एक गद्दा
   6. एक थाली
   7. एक प्लास्टिक मग (बड़ा)
   8. दो कटोरी
   9. चारपाई या तख्ता
   10. अलमारी या लोहे का बक्सा

4. प्रत्येक छात्रावास में कठिन विषयों जैसे – गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को पढ़ाने हेतु विशेष कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जिसके लिए प्रत्येक विषय हेतु 200/– रुपये प्रतिमाह नवम्बर से फरवरी माह तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) पंचायत को नगर पालिका बनाना

9. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत से नगरपालिका बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां । जिला कलक्टर का प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

बरधा बांध (बून्दी) का निर्माण

10. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के बरधा बांध का निर्माण नमाना-पंचायत, आमली पंचायत व लोईचा पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले खेतों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के प्रयोजन से किया गया था ? यदि हां, तो वर्तमान में इस बांध से कौन-कौन से गांवों को कितनी-कितनी बार सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध में पानी के रिसाव होने व भराव क्षमता कम होने के कारण पानी बहकर चला जाता है ? यदि हां, तो बांध में रिसाव को रोकने व इसकी भराव क्षमता में बढ़ोतरी के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है ?

(3) बूंदी तहसील की नदियों के पानी को उपयोग में लाने के प्रयोजन से क्या सरकार की इस क्षेत्र में कोई नया बांध बनाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं । बांध निर्माण के समय इन गांवों को कमाण्ड में नहीं लिया गया था क्योंकि उपलब्ध जल की मात्रा से नहर की टेल से दूर होने के कारण इन गांवों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं था । जिन गांवों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है उनकी सूची संलग्न है ।

(2) जी हां । बांध से पानी के रिसाव को रोकने एवं बांध की भराव क्षमता बढ़ाने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(3) जी हां । बूंदी तहसील की नदियों के पानी को उपयोग में लाने के प्रयोजनार्थ गरड़दा मध्यम सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त साईपुरा, जलोदी, कारोंदी एवं बहफु लघु सिंचाई योजनाएं भी विचाराधीन हैं ।

सूची

वर्तमान में बरधा बांध से उपलब्ध कराये गये पानी की सूचना

धायीं मुख्य नहर

1.	जाल की झोंपड़ियां	3 बार
2.	बणजारो की झोंपड़ियां	3 बार

बायीं मुख्य नहर

1.	गागोस ग्राम	3 बार
2.	किशनपुरा	2 बार
3.	हरिपुरा	2 बार
4.	नमाना	2 बार
5.	बावड़ी खेड़ा	1 बार
6.	लोईचा	1 बार
7.	मालीपुरा	1 बार
8.	प्रेमपुरा	1 बार
9.	कंवरपुरा	1 बार
10.	आमली	1 बार
11.	जवाहर नगर	1 बार

पचपदरा क्षेत्र के विद्यालयों में विषय अध्यापकों का पदस्थापन

11. श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की राजकीय सीनियर हायर सैकेण्डरी कन्या पाठशाला, बालोतरा व सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल छात्र बालोतरा में सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति की हुई हैं ? यदि नहीं, तो कब तक इन रिक्त स्थानों को भर दिया जायेगा ?

उत्तर

जी नहीं। रिक्त पदों की पूर्ति सत्र 1994-95 के प्रारम्भ से पूर्व की जा सकेगी।

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कें

12. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कों की क्वालिटी का स्तर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों के मुकाबले बहुत ही घटिया स्तर का होता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार किसी कमेटी द्वारा इस प्रकार की स्टेडी कराने का विचार रखती है ?

(2) क्या विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों के लिए उन्हें चौड़ा या सीधा करने हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाता हैं या जहां पुराने रास्ते मौजूद हों वहीं बिना तकनीकी दृष्टि से जांच कराये बना दी जाती है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

(3) वर्ष 1992-93 में सड़कों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई तथा भूमि अधिग्रहण करने पर कितना मुआवजा दिया गया ?

(4) विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों के रख-रखाव की क्या प्रक्रिया है ? वर्ष 1992-93 में रख-रखाव पर जिलेवार कितनी राशि व्यय हुई ?

(5) सड़कों का रख-रखाव ठीक प्रकार से हो इस हेतु सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कों की क्वालिटी का स्तर सार्वजनिक निर्माण विभाग की बनाई गई ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के मापदण्डों के अनुसार होता है। अतः कमेटी के गठन का प्रश्न ही नहीं है।

(2) विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों के लिये भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाता है। राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत रास्तों पर ही तकनीकी दृष्टि से मापदण्डों के अनुसार निर्माण कार्य कराया जाता है। सड़क निर्माण कार्यों में जहां पर रास्ते टेढे-मेढे होते हैं वहां पर यथा सम्भव सम्बन्धित कृषकों की सहमति से सड़क निर्माण के मार्ग को सीधा किया जाता है।

(3) वर्ष 1992-93 में सड़कों के कार्य में लगभग 26 करोड़ 98 लाख की राशि का व्यय किया गया है। भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाता है, अतः मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है।

(4) ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव के लिये गैर कमाण्ड एरिया की सम्पर्क सड़कों के लिये 5 हजार रुपया व कमाण्ड एरिया की सम्पर्क सड़कों के लिये 8 हजार रुपये प्रति किलो मीटर की दर से राशि निर्धारित है।

सड़कों के रख-रखाव पर वर्ष 1992-93 में कुल 357.62 लाख रुपये व्यय किये गये जिसकी जिलेवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) हाल ही में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सड़कों के रख-रखाव हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

(46)

(कृषि मन्त्री)

1– विशिष्ठ श्रेणी, 'अ' श्रेणी की मण्डी समितियां जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है अपने स्वयं के वित्तीय साधनों से सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मत करायेगी।

2– जिन 'ब' श्रेणी की मण्डी समितियों की वित्तीय स्थिति कमजोर है उनकी सम्पर्क सड़कों का मरम्मत कार्य विपणन बोर्ड अपने स्वयं के संसाधनों से करायेगा।

3– 'स' व 'द' श्रेणी की मण्डी समितियों के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क सड़कों का विशेष मरम्मत कार्य विपणन बोर्ड स्वयं अपने संसाधनों से करायेगा।

4– विशेष मरम्मत कार्यक्रम के प्रथम चरण में जिन सम्पर्क सड़कों को निर्मित हुए 10 वर्ष हो गये हों या ऐसी सड़कें जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त हालत में हैं तथा जिनका विशेष मरम्मत कार्य आवश्यक है, उन्हीं सड़कों को विशेष मरम्मत योग्य माना जावेगा।

सूची

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डियों के क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों के रख-रखाव (वार्षिक मरम्मत व विशेष मरम्मत) पर वर्ष 1992–93 में किये गये व्यय का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	अलवर	13.97
2.	भरतपुर	4.58
3.	धौलपुर	—
4.	सीकर	1.80
5.	झुन्झुनूं	0.71
6.	जयपुर	79.84
7.	दौसा	13.50
8.	अजमेर	9.63
9.	सवाई माधोपुर	5.10
10.	कोटा	18.61

1	2	3
11.	बांरा	1.10
12.	झालावाड़	0.12
13.	बून्दी	—
14.	टोंक	3.07
15.	उदयपुर	2.85
16.	राजसमन्द	—
17.	चित्तौड़गढ़	2.66
18.	भीलवाड़ा	1.58
19.	बांसवाड़ा	—
20.	डूंगरपुर	—
21.	जोधपुर	5.75
22.	पाली	37.69
23.	सिरोही	0.22
24.	नागौर	2.90
25.	जालोर	—
26.	बाड़मेर	1.57
27.	जैसलमेर	—
28.	बीकानेर	1.07
29.	चूरू	4.38
30.	श्रीगंगानगर	144.92
	योग	357.62

पंचायत समिति खैरवाड़ा में निर्मित विद्यालय भवन

13. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति खैरवाड़ा में नवें वित्त आयोग के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो कुल कितने भवनों की स्वीकृति हुई थी ? उनमें से कितने पूर्ण और कितने अपूर्ण रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अधूरे भवनों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि कार्य अपूर्ण रहने का मुख्य कारण सचिवों एवं सरपंचों द्वारा राशि का दुरुपयोग रहा है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति खैरवाड़ा में नवें वित्त आयोग के अन्तर्गत 91 विद्यालय भवनों की स्वीकृति हुई थी। इनमें से 70 विद्यालय भवन पूर्ण हो गये हैं एवं 21 भवन अपूर्ण रहे। सूची संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) राज्य सरकार राशि की उपलब्धता के आधार पर अधूरे भवनों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने पर विचार रखती है।

(3) जी नहीं। कार्य अपूर्ण रहने का मुख्य कारण अधिकांश मामलों में स्वीकृत से अधिक कार्य करा लिया गया जिसके कारण कार्य अधूरे रहे। जिन विद्यालयों में व्यय मूल्यांकन से अधिक होकर राशि का दुरुपयोग हुआ है उनसे सम्बन्धित से वसूली हेतु कार्यवाही मुख्य अधिशाषी अधिकारी जिला परिषद कार्यालय में प्रगतिरत है।

सूची

नवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत विद्यालय में से पूर्ण विद्यालय भवनों की सूची

क्र.सं.	प्रा. वि. का नाम	पंचायत का नाम
1	2	3
1.	प्रा. वि. रेल	बावलवाड़ा
2.	,, कातर	,,
3.	,, भोथली	बडला
4.	,, बडला	,,

1	2		3
5.	प्रा. वि.	बलिचा	बलिचा
6.	,,	भाणदा	भाणदा
7.	,,	रतनपुरा	भूषर
8.	,,	मनलाईया	,,
9.	,,	थूरिया	बरोठी
10.	,,	खुणादरी	,,
11.	,,	चयेल	,,
12.	,,	डैयावाडा	बरोठी
13.	,,	गाठिया	,,
14.	,,	चित्तौड़ा	छाणी
15.	,,	घनोल	,,
16.	,,	मिठो महूडी	,,
17.	,,	परमारवाडा	डेरी
18.	,,	गोविन्ददेव	,,
19.	,,	हूर्षावाडा	,,
20.	,,	लिलडी	,,
21.	,,	मंगरा	ढिकवास
22.	,,	भलाई	,,
23.	,,	चिकलवास	,,
24.	,,	गुमानपुरा	ढेलाना
25.	,,	महुवाडा	,,
26.	,,	निचला माण्डवा	,,
27.	,,	गडावत	गडावत
28.	,,	घोडियावाडा	गरनाला
29.	,,	गरनाला	,,
30.	,,	करजी	,,
31.	,,	बरना	घोडी
32.	,,	जावास	जावास

1	2		3
33.	प्रा. वि.	ह्याण्डोदरा	कागदर
34.	,,	रजोल	कल्याणपुर
35.	,,	चिकला	कानुवाडा
36.	,,	मनेला	कनबई
37.	,,	कारछाखुर्द	कारछा
38.	,,	वागपुर	,,
39.	,,	भाडोली	कातरवास
40.	,,	कातरवास खुर्द	,,
41.	,,	निचला तालाब	,,
42.	,,	सोमावत	बिलख
43.	,,	बीलख	,,
44.	,,	परबीला	खा. श्रोवरी
45.	,,	निचलाफला	,,
46.	,,	उपला करनाऊवा	खानमीन
47.	,,	निचला करनाउवा	,,
48.	,,	कन्या खैरवाडा	खैरवाडा
49.	,,	खोखदरा	,,
50.	,,	कोजावाडा	कोजावाडा
51.	,,	चोकडा बावसी	,,
52.	,,	भाण्डवा कागदर	म. श्रोवरी
53.	,,	कानपुर	पण्डयावाडा
54.	,,	पाटिया	पाटिया
55.	,,	झामरी	,,
56.	,,	भगोरपाडा	,,
57.	,,	कलालिया काउ.	पिपली
58.	,,	कन्या ऋषभदेव	ऋषभदेव
59.	प्रा. वि.	ऋषभदेव	ऋषभदेव

1	2		3
60.	रानावाडा प्रा. वि.		थाना
61.	,,	दामा तालाब	सागवाडा
62.	,,	भाटडिया	सरेरा
63.	,,	मालीफला	,,
64.	,,	भगोरफला	,,
65.	,,	अक्रोट	सुलई
66.	,,	हिका	,,
67.	,,	खेरा	,,
68.	,,	नाल	कीकावत
69.	,,	माण्डवाघोडी	घोडी
70.	,,	रेहुटा	थाना

पंचायत समिति खेरवाड़ा में नवें वित्त आयोग अन्तर्गत अपूर्ण विद्यालयों का विवरण

क्र.सं. 1	शाला भवन का नाम 2		ग्राम पंचायत 3	कार्य जो करना शेष है 4
1.	प्रा. वि.	सरेरी	जावास	प्लास्तर, फर्श, कड़ा पट्टियां चढाना
2.	,,	बनीबोर	सुवेरी	छत, कड़ा, पेरापेट, किवाड़, फर्श, प्लास्तर आदि
3.	,,	लराठी	,,	,, ,,
4.	,,	सागवाड़ा (काकन)	सागवाड़ा	फर्श व कड़े का कार्य
5.	,,	पांचा पाडला	,,	पट्टियां रास्ते में पड़ी हैं

1		2	3	4
6.	प्रा. वि.	आवडावली	कानुवाडा	किवाड़, डोरी, फर्श का काम बकाया
7.	,,	भरदा	,,	खरंजा, फर्श, किवाड़, डोलो का कार्य
8.	,,	दोलपुरा	कल्याणपुर	बरामदे की फर्श, छत का कडा व दीवार
9.	,,	सकलाल	नयागांव	पेरापेट व फर्श का कार्य
10.	,,	गतराली	डेरी	चुनाई, छत, फर्श, किवाड़, प्लास्तर कार्य
11.	,,	काटवी	कातरबास	फर्श, कड़ा, किवाड़ पेरा कार्य
12.	,,	समलई पनवा	ठिकवास	छत ढंकना, प्लास्तर, खरंजा, फर्श आदि
13.	,,	महुडिया	बावलवाडा	पट्टियां, खरंजा, प्लास्तर; चुनाई, फर्श का कार्य
14.	,,	पाउलिया	सुलई	फर्श व छत कडा व डोली का कार्य
15.	,,	फूटाला	भाणदा	पट्टियां, गर्डर कडा, प्लास्तर, फर्श पेरापेट आदि
16.	,,	जायरा	कनबई	प्लास्तर, पेरापेट व किवाड़ का कार्य
17.	,,	काठरा डूंगरा	,,	फर्श व छत खरंजा व पेरापेट कार्य
18.	,,	वाद	डबायचा	पट्टियां, कडा गर्डर, प्लास्तर व पेरापेट
19.	,,	बोसलाठी	,,	,, ,,
20.	,,	गुवारवा	,,	,, ,,
21.	,,	गरदूनिया	बलिचा	फर्श व छत का कार्य

बूंदी जिले के ऐतिहासिक व पुरातत्वीय महत्व के स्थानों का रख-रखाव

14. श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या पुरातत्व राज्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बूंदी के ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व के स्थानों, महलों और किलों को सुरक्षित बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

(2) बूंदी के विश्व प्रसिद्ध चित्रशाला के साथ ही राजमहल में प्रस्तावित संग्रहालय बनाने की योजना पर क्या कार्यवाही विचाराधीन है ?

(3) बूंदी को पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) बूंदी जिले के 12वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण शिव मन्दिर कावलजी (कमलेश्वर महादेव मन्दिर) को वर्ष 68 से ही राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है जिसके सरक्षक के लिए अगले वित्तीय वर्ष में राशि आवटित की जा रही है।

इसके अलावा बूंदी जिले के निम्नांकित स्मारक/स्थल राष्ट्रीय महत्व के होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित हैं :

1- बूंदी स्थित हाड़ौती स्कूल के भित्ति चित्र (चित्र शाला)।

2- नैनवा स्थित प्राचीन टीला।

3- केशवराय पाटन स्थित प्राचीन टीला।

(2) बूंदी के चित्रशाला केन्द्र सरकार के संरक्षण में है किन्तु साथ का राजमहल केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संरक्षित नहीं है। अतः राज महल में संग्रहालय बनाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) बूंदी को पर्यटन के नक्शे पर लाने हेतु विभाग द्वारा निम्न कार्य कराये गये हैं :

1- बूंदी के प्रचार-प्रसार हेतु श्वेत-श्याम पर्यटन साहित्य पर्यटकों को उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें बूंदी के विभिन्न पर्यटन स्थलों की सूचना उपलब्ध है। इससे पूर्व बूंदी पर रंगीन फोल्डर भी प्रकाशित कर उपलब्ध कराया गया था।

2 बूंदी में पर्यटकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु विभाग का एक पर्यटन सूचना केन्द्र सर्किट हाउस परिसर में कार्यरत है।

3- राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हाल ही में बूंदी में वृन्दावती पर्यटक विश्राम गृह शुरू किया गया है।

4- विभाग के पास बूंदी के पर्यटक स्थलों की रंगीन फिल्म (बूंदी ऐ रेमनीसेन्स) उपलब्ध है, जो कि समय-समय पर पर्यटकों के सूचनार्थ प्रदर्शित की जाती है। इसके अतिरिक्त फोर्ट एण्ड पैलेस ऑफ राजस्थान फिल्म में भी बूंदी के किलों एवं महलों को प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से दर्शाया गया है।

5- विभाग ने गत तीन वर्षों में बूंदी के निम्न पर्यटन स्थलों के विकास कार्य हेतु स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

वर्ष 1990-91

1. बाण गंगा एवं शिकार बुर्ज, बूंदी का पर्यटन स्थल के रूप में विकास 7.00 लाख रुपये
2. टूरिस्ट कॉम्पलेक्स, बूंदी नल, बिजली व अन्य सुविधायें-2.26 लाख रु.

वर्ष 1991-92

1. बूंदी किले पर फल्ड लाईटिंग-3.50 लाख रुपये
2. सुख महल के सामने टेरेस गार्डन का निर्माण 6.00 लाख रुपये

वर्ष 1992-93

1. बूंदी में टेरेस गार्डन का निर्माण 25.00 लाख रुपये

वर्ष 1993-94

1. पर्यटक सूचना केन्द्र, बूंदी का निर्माण 3.00 लाख रुपये

अप्रवासी भारतीयों को आवास उपलब्ध कराने की योजना

15. श्री महेन्द्र मीणा (सिकराय) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अप्रवासी भारतीयों को राजस्थान में आवास उपलब्ध कराने हेतु क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की कोई योजना भविष्य में अप्रवासी भारतीयों के लिए जो राजस्थान में आवास चाहते हैं, बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अप्रवासी भारतीयों को राजस्थान में आवास उपलब्ध कराने हेतु फिलहाल प्रथक से कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(2) मांग आने पर विचार किया जा सकेगा।

तहसील शेरगढ़ में सिचाई साधन

16. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शेरगढ़ तहसील में सिचाई के साधनों से अभावग्रस्त गरीब जनता को सिचाई के साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

(2) क्या यह सही है कि निजी ट्यूबवेल के लिए ऋण की सुविधा पर्याप्त नहीं है ? जितनी भी है उसमें अधिकारियों की मनमानी के कारण समय पर ऋण नहीं मिलता ? यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार भविष्य में इन्दिरा गांधी नहर का पानी शेरगढ़ होकर जोधपुर लाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस विभाग द्वारा शेरगढ़ में

(सिंचाई मन्त्री)

सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1993-94 की वार्षिक योजना में मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित कर राज्य स्तरीय स्वीकृति दात्री समिति द्वारा अनुमोदन करवाकर स्वीकृत करवाये गये हैं।

क्र सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	तहसील
1.	वस्तुआ बांध द्वितीय	बालेसर	शेरगढ़
2.	डेरिया बांध द्वितीय	बालेसर	शेरगढ़
3.	ठाकुरोंवाला बांध	बालेसर	शेरगढ़
4.	केलुकला बांध	बालेसर	शेरगढ़
5.	भालूरथा बांध	बालेसर	शेरगढ़

इन कार्यों की तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) सम्बन्धित विभाग से सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(3) जीवनधारा योजना एवं मैसिव कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति/जन-जाति के कृषकों को नलकूप निर्माण हेतु ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं हैं यदि कोई होगी तो सरकार उनकी जांच करा लेगी।

निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थाओं का शैक्षणिक स्तर

17. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है निजी शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार मान्यता देती है?

(2) क्या सरकारी शिक्षण संस्थाओं एवं निजी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षणिक स्तर समान है यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त संस्थाओं के शैक्षणिक स्तर में समानता लाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की निजी शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर की निजी शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार की अनुशंषाओं पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।

(2) जी हां। 1993 के माध्यमिक

(शिक्षा मन्त्री)

शिक्षा बोर्ड की योग्यता सूची के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाओं व निजी शिक्षण संस्थाओं के परीक्षा परिणामों की तुलनात्मक स्थिति संलग्न है।

(3) निजी एवं राजकीय शिक्षण संस्थाओं में समान पाठ्यक्रम संचालित हैं। इन संस्थाओं की परीक्षा प्रणाली भी समान है।

सूची

1993 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की योग्यता की सूची की स्थिति निम्न है :–

स्तर	योग्यता सूची में कुल परीक्षार्थियों की संख्या	राजकीय संस्थाओं के परीक्षार्थियों की संख्या	निजी शिक्षण संस्थाओं के परीक्षार्थियों की संख्या
1. सैकण्डरी परीक्षा	44	20	24
2. प्रवेशिका स्तर	11	7	4
3. सीनियर सैकण्डरी			
कला संकाय	13	11	2
विज्ञान	15	5	10
वाणिज्य	12	2	10
व्या. शिक्षा	17	10	7
4. सीनीयर उपाध्याय	4	1	3

कामां (भरतपुर) क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कें

18. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जा चुका है तथा अब और कितने कार्य चालू हैं ?

(2) अगले वित्तीय वर्ष के लिए क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं।

उत्तर

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, कामां में पूर्ण कराये गये निर्माण कार्यों की सूची परिशिष्ट "अ" पर है जो सदन की मेज पर रख दी गयी है। वर्तमान में मण्डी समिति, कामां के अन्तर्गत सम्पर्क सड़क सोनखर से नोनेरा का कार्य निर्माणाधीन है।

(2) अगले वित्तीय वर्ष के लिए मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

157

सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई	वास्तविक लम्बाई	पूर्ण की गई लम्बाई	कार्य पूर्ण होने का वर्ष
1.	कामू से करमू का वास	4 कि. मी.	4 कि. मी.	4 कि. मी.	83–84
2.	उदाका से अकाता	2 कि. मी.	2 कि. मी.	2 कि. मी.	83–84
3.	कांमा पहाड़ी सड़क से बोलखेड़ा	0.50 कि. मी.	0.50 कि. मी.	0.50 कि. मी.	83–84
4.	सम्पर्क सड़क गुरेरा से घाघेंडा	1.60 कि. मी.	1.50 कि. मी.	1.50 कि. मी.	93

पंचायत समिति लालसोट में जीवन धारा योजनान्तर्गत निर्मित कुए

19. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या दौसा जिले की पंचायत समिति लालसोट में जीवन धारा योजना के अन्तर्गत कुए बनाने में गड़बड़ियों की शिकायतें विभिन्न स्तरों से प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो कितनी शिकायतें सही पायी गयी ?

(2) उक्त योजनाओं में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने गड़बड़ियां की, उनके विरुद्ध विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, 26 कूप निर्माण की शिकायतें प्रथम दृष्ट्या सही पायी गयीं।

(2) इन गड़बड़ियों में श्री बंशीलाल चौमिया तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति लालसोट, श्री हनुमान प्रसाद माथुर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति लालसोट एवं पटवारी हल्का संवासा तथा पटवारी हल्का चौड़ियावास दोषी पाये गये। इन कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र बना कर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों को भेज दिया गया है।

फलासिया क्षेत्र (उदयपुर) की पेयजल योजनायें

20. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में विभाग के अधीन कितनी योजनायें कहां-कहां, कब-कब से कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक योजना की स्वीकृति कब जारी की गई तथा प्रत्येक की लागत क्या-क्या थी ? स्वीकृत आदेश की प्रति मय लागत विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य कहां-कहां अधूरे हैं ? क्या सरकार इनको पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या जनता की मांग के आधार पर या सरकार की नीति के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में कोई योजना सरकार स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित निर्वाचन क्षेत्र में विभाग के संधारण में 5 गांवों में नल योजनाओं का वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। शेष 372 ग्रामों में हैण्डपम्प लगाये गये हैं।

(2) उपरोक्तानुसार नल योजनाओं के उपलब्ध स्वीकृत आदेशों की प्रति परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(3) ग्राम कोल्यारी, फलासिया एवं ओगणा में कुछ सिविल कार्य ही किये जाने शेष हैं, जिन्हें आगामी तीन-चार माह में पूर्ण किया जाना लक्षित है। 16 हैण्डपम्पों पर प्लेटफार्म इत्यादि बनाने का कार्य भी शेष है जिसे शीघ्र पूर्ण कर दिया जायेगा।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

(4) संशोधित मापदन्डों के अनुसार प्रत्येक 100 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प स्थापित करने की नीति के अनुसार, योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है।

(भाग 2 से सम्बन्धित सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विवरण

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) की स्वीकृत नल योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	लाभान्वित ग्राम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत अनुमानित राशि रु. लाख	योजना का संधारण आरम्भ होने का वर्ष
1.	झाड़ोल	1979-80	4.00	1980
2.	कोल्यारी	1987-88	4.97	1990
3.	फलासिया	1987-88	4.97	1990
4.	ओगणा	1987-88	4.91	1992
5.	कोटड़ा	1971-72	1.54	1974

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के अपूर्ण तालाबों का निर्माण

21. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के उद्देश्य से अपूर्ण तालाबों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई के उद्देश्य से चरकनी, हिम्मतगढ़, गोपालपुरा पिपलोन, कुन्डिया, खजूरा तालाब (ग्राम खजूरा) सीमेला, कोटड़ी, बगापचा, तालाब कई वर्षों से अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो अब तक कितनी-कितनी धन-राशि इन पर खर्च की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त तालाबों को पूर्ण करा कर किसानों को राहत देने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अपूर्ण तालाबों की सूची परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। व्यय हुई धनराशि की सूचना परिशिष्ट "ब" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार कार्यों को पूर्ण कराया जा सकेगा।

(160)

जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अधूरे तालाबों की सूची

क्रम संख्या	नाम तालाब
1.	चरकनी
2.	टिडिया देव
3.	गोपालपुरा
4.	करमंदिया
5.	उदयगढ़ वसुनी
6.	देवकी का नाला
7.	सीमेला
8.	कोटडी बगायचा
9.	खजूरा
10.	हिम्मतगढ़ी
11.	पीपलोन
12.	वगेरी खूंटा

तालाबों की व्यय सूचना

क्र.सं.	नाम तालाब	भिन्न-भिन्न योजनाओं में अब तक व्यय लाखों में
1.	चरकनी	36.41
2.	हिम्मतगढ़ी	10.30
3.	गोपालपुरा	7.64
4.	पीपलोन	6.03
5.	कन्द्रीया	31.58
6.	खजूरा	2.43
7.	सीमेला	4.21
8.	कोटडी बगायचा	5.04
	योग :	103.64

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर व्यय

22. श्री राम नारायण (नैनवां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में प्रति वर्ष अनौपचारिक शिक्षा पर कुल कितनी राशि व्यय की जाती है ?

(2) बूंदी जिले में कितने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलते हैं तथा उनमें से कितने बन्द पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने हेतु क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ?

(4) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों, सामानों की खरीददारी आदि के बारे में क्या कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

( ) राज्य में वर्ष 1992–93 में अनौपचारिक शिक्षा पर 5.54 करोड़ रुपये व्यय किये गये। एवं अनौपचारिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा संशोधित पैटर्न के फलस्वरूप वर्ष 1993-94 में 10 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(2) बून्दी जिले में 300 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्वीकृत है एवं 297 केन्द्र संचालित है। संचालित केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(3) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो को सुचारू रूप से चलाने हेतु निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है :–

1– प्रत्येक केन्द्र के लिए एक अनुदेशक नियुक्त किया जाता है तथा उसे नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है।

2– प्रकाश व्यवस्था में बिजली/केरोसीन हेतु 40/- रुपये प्रतिमाह दिये जाते है। संशोधित पैटर्न अनुसार 100/– रु. प्रतिमाह दिये जावेंगे।

3– उपकरण सामग्री अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र को पैट्रोमेक्स, दरी, पट्टी, रोलअप बोर्ड, चाक, मैपस, चार्टस, बाल्टी, लोटा एवं एवेकान आदि उपलब्ध कराये जाते है।

4– शिक्षार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें, सहायक पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, स्लेट, पैन्सिल, रबर बस्ता आदि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।

(4) जी हां। अनुदेशकों को मानदेय एवं सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से संचालित है। भारत सरकार द्वारा राशि की स्वीकृत विलम्ब से प्राप्त होने के कारण ऐसा हो जाता है। राशि समय पर प्राप्त करने के प्रयास निरन्तर किये जाते है।

पं. स. सपोटरा (सवाई माधोपुर) एवं पंचायत समिति नैनवां (बूंदी) में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए सामान की खरीद में शिकायतें प्राप्त हुई। जिसकी जांच ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गई जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

(162)

सूची

अनौपचारिक शिक्षा बून्दी केन्द्रों की सूची

परियोजना हिण्डोली

क्र.सं. 1	केन्द्र का नाम व पता 2	क्र.सं. 1	केन्द्र का नाम व पता 2
1.	भैरूजी का बरड़ा, हिण्डोली	24.	सरसोद, रोनोजा
2.	राहू भील का मकान	25.	गोण्डा ,,
3.	कलालों का पाड़ा	26.	रोनीएा ,,
4.	बालोला	27.	पीपरवासा ,,
5.	सिकादो, सहसपुरिया	28.	पीपरवासा ,,
6.	वार्ड नं. 7 हिण्डोली	29.	खेड़ा गोरस्या, भवानीपुरा
7.	अमरविया-पी ,,	30.	घोनड़ी
8.	हरणा	31.	रोशन्दा, रानीपुरा
9.	आकोदा	32.	दुबलाना
10.	आकोदा-पी	33.	दुबलाना
11.	सूहरी, रानीपुरा	34.	लोधो की भेप, दुबलाना
12.	सूहरी	35.	खटावदा
13.	बड़गांव	36.	रेणा, भवानीपुरा
14.	सोवतगढ़	37.	भवनीपुरा
15.	सोवतगढ़	38.	टीकरदा
16.	डाबेरा-I	39.	दफोलपुरा
17.	डाबेरा-II	40.	धनाव-रामचन्द्रजी का खेड़ा
18.	झाड़कल-डाबेरा	41.	टीकरदा
19.	कचनारिया, मैंड़ी	42.	रोशन्दा, रानीपुरा
20.	मेडी	43.	मोलू मीणा की झोंपड़िया
21.	सुखपुरा मेडी	44.	धवनि
22.	कुम्हलारोनोजा	45.	बोरखेड़ा
23.	छाबड़ियों का नयागांव	46.	रघुनाथपुरा

1	2	1	2
47.	भोवन	74.	नारायणपुरा गुढा
48.	भोवन	75.	मांगलो, बड़ा नयागांव
49.	चांवडियां	76.	विजयगढ़
50.	गोपालपुरा, भोवन	77.	चंगन्या, गुढ़ा
51.	गुरजनिया	78.	विजयगढ थाना
52.	अमरपुरा	79.	कालेन्डा, थाना
53.	इन्द्रा कालोनी	80.	विजयगढ़
54.	झोंपड़िया, भोवन	81.	थाना
55.	रविन्दा	82.	सालीकोभो, बसोली
56.	नहानपुरिया	83.	बहादुरपुरा, गुढ़ा
57.	बसोली	84.	बा. की भैप, टोकड़ा
58.	बसोली	85.	चैनपुरियां ,,
59.	खेरखीर, भोवन	86.	सहला दांता पेच की बावड़ी
60.	बांदो का खेड़ा	87.	पेच का बा, बावड़ी
61.	भोजगढ़, खीन्या	88.	रोशन्दा
62.	खेरखटा, भोवन	89.	बीकरण, बावड़ी
63.	जैलपुरा, नेगढ़	90.	मेघवालो का भेप
64.	नेगढ़	91.	बाबाजी का बरड़ा
65.	बंधा का खेड़ा	92.	पगारा
66.	लाडू ,,	93.	पगारा
67.	गल्या, नेगढ़	94.	उमर
68.	रोगडरी ,,	95.	दमदना, पगारा
69.	शीतला का खेड़ा ,,	96.	ओधन्ध ,,
70.	रामपुरियां ,,	97.	भरकोलिया, उमर
71.	बड़ा नयागांव	98.	चावंड का झोंपड़ा
72.	चतरंगन	99.	हुवालिया, पगारा
73.	तुरकड़ी, गुढ़ा	100.	बड़ा नयागांव

(164)

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की सूची

जिला-बून्दी

परियोजना तालेड़ा

क.सं. 1	केन्द्र का नाम व पता 2	क.स. 1	केन्द्र का नाम व पता 2
1.	बल्लोप मेघवाल बस्ती मंदिर के पास	23.	नबाहर नगर मंदिर के पास
2.	ग्राम दोहुत	24.	नमाना, रैगर मोहल्ला
3.	नाटोडा भोपत चारभुजा मंदिर के पास	25.	भीलों का मोहल्ला नमाना
4.	बिनायका के झोपड़े, ग्राम बिनायका	26.	महादेव के टापरे लोईचक
5.	गोविन्दपुर बावड़ी	27.	ग्राम हीरपुरा
6.	मेहराना	28.	ग्राम सरणव की झोपड़ी
7.	डोल भोपतपुरा	29.	ग्राम मालीपुरा
8.	जैन मंदिर के पास	30.	भीलों का मोहल्ला गुंवार
9.	पीतम्पुरा ग्राम	31.	ग्राम जरखोदा
10.	राम दरिया बाड	32.	ग्राम भंवरदा
11.	ग्राम बंकघन	33.	ग्राम राइसमिल दौलाडा
12.	बेरैवा बस्ती बंकघन नदी के पास	34.	ग्राम दौलाडा
13.	अघेल	35.	मेघवाल मोहल्ला ग्राम बारती
14.	आगथून	36.	ग्राम चापरस
15.	गाम डोरा	37.	ग्राम उमरच
16.	कल्याणपुरा	38.	रामगंज बालाजी
17.	ग्राम बंकघन मंदिर के पास	39.	ग्राम गुमानपुरा मेघवाल बस्ती
18.	बैरवा बस्ती के झोपड़े	40.	ग्राम ईटोरा मदिनपुर
19.	फालवालों के झोपड़े	41.	ग्राम बडन्दा
20.	भंवरिया	42.	ग्राम अन्थडा
21.	मैरपुरा	43.	देवपुरा के झाडे अन्थडा
22.	अनोखपुरा	44.	खलून्दा
		45.	ग्राम लीलेडा
		46.	ग्राम भीमाखेडा

1	2	1	2
47.	घनेणपुरा	74.	ग्राम गोगपुरा
48.	ग्राम साथेली	75.	ग्राम छावनी बोरदा
49.	ग्राम संगावदा	76.	छापरदा
50.	ग्राम संगावदा मेघवाल बस्ती	77.	मोमगंज
51.	सुवासा	78.	बलदेवपुरा
52.	सिलोर	79.	ग्राम पेलून्दा
53.	काछीपुरा	80.	,, मलकोदिया
54.	आदर्श रायनगर कंजर कालोनी	81.	,, मोहीपुरा
55.	पाकल पुरिया	82.	,, लीलेडा
56.	मालियों के झोपड़े के पास ग्राम बीबनवा	83.	,, भरता बावडी
		84.	,, गांगोस
57.	मेहर रामपुरा	85.	,, मोटका
58.	नघुवीरपुरा	86.	,, खुराड
59.	कोजरी सिलोर	87.	,, जावती कला
60.	कुम्हारिया	88.	,, अखेड
61.	गमलारा	89.	,, गोवर्धनपुरा
62.	श्रीनगर	90.	,, भैरूपुरा
63.	तीखावडा	91.	,, बारवास
64.	नीम का खेडा	92.	,, रघुनाथपुरा
65.	मेंघा रावत की झोपडी	93.	,, मुण्डलिया
66.	ग्राम सीन्ता	94.	,, काटूनारा
67.	खुनेरिया	95.	,, ओंकारपुरा
68.	मोहनपुरा	96.	,, बागदा
69.	ग्राम सीन्ती	97.	,, बरडा मोहीपुरा
70.	ग्राम सीन्ती मेघवाल की बस्ती		**बन्द केन्द्रों का नाम**
71.	नवीन बस्ती अजेता	1.	मंडावरा
72.	ग्राम गुढा मकदू	2.	ठीकरिया कविराज
73.	ग्राम रिहाणा	3.	रायथल

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की सूची

परियोजना नैनवां

क्र.सं. 1	केन्द्र का नाम व पता 2	क्र.सं. 1	केन्द्र का नाम व पता 2
1.	बैरवा का झोपड़ा भण्डेडा	26.	देवपुरा
2.	पाण्डुला	27.	नयागांव
3.	लोड़ों का मोहल्ला वासी	28.	जजावर
4.	गुजरिया खेड़ा सादेड़ा	29.	सिलोला
5.	भण्डेडा (सादेड़ा)	30.	कासपुरिया
6.	रावल का दरवाजा सादेड़ा	31.	बालापुरा
7.	कल्याणपुरा	32.	हीरापुरा
8.	खानकी झोपडी बुगारी	33.	बोरदा
9.	मालियों का मोहल्ला	34.	गम्भीरा
10.	बैरवा का झोपड़ा सादेड़ा	35.	उगेन
11.	ग्राम पाई	36.	देवपुरा बाछोला
12.	मानपुरा	37.	नाथड़ी
13.	खानपुरा	38.	कैथून्दा
14.	लक्ष्मीपुरा	39.	अरनेठा
15.	दौलतपुरा	40.	बड़कवर
16.	समीथी नैनवा	41.	अरियाली
17.	समीथी नैनवा	42.	आतरन्दा नैनवा
18.	गम्भीरा	43.	आतरन्दा
19.	मीणों का झोपड़ा	44.	पीपरवाला
20.	नाहरी	45.	खजूरी नैनवा
21.	नतीयाजी देई	46.	जरखोदा
22.	मठ के सामने शिवपुरा	47.	खजूरी
23.	गोस्वामियों का मोहल्ला	48.	मूरडिया
24.	भवानीपुरा	49.	जैतपुरा
25.	गुडादेवली	50.	रामनगर

1	2	1	2
51.	रामपुरिया	76.	नातोडा
52.	केमल्या	77.	अरनेठा
53.	कैलाशपुरी	78.	अडतपुरा मीया
54.	शेरगंज	79.	अडतपुरा मीया
55.	जयनगर रेबरियों का मोहल्ला	80.	अरनेठा
56.	जयनगर	81.	माधोराजपुरा
57.	बाबाई	82.	अरनेठा
58.	बालापुरा	83.	ग्राम गजस्थल
59.	महापुरा	84.	मीया के. पाठन
60.	जगन्नाथपुरा	85.	मीया के. पाठन
61.	मोरखदना	86.	ईश्वरनगर
62.	मैसखेडा	87.	नयागांव रंगपुरिया
63.	मोरखेदना फलाई	88.	लेसरदा
64.	करवाला की झोपडी	89.	हालीहेडा
65.	बराणी	90.	हाली हेडा
66.	मैजाली	91.	नीमोदा
67.	ढीगसा	92.	मानसिह का बाजारा का मकान लेसरदा
68	देईखेडा	93.	पारडा प. रहो
69,	भायता पलवान	94.	बढिया का जलोदा
70.	ग्राम लवान	95.	नीमोदा
71.	देईखेडा	96.	बनियाणी
72.	बडोखेडा	97.	देईखेडा
73.	लबान के. पाटन	98.	लोहली के पाटन.
74.	मालिकपुरा	99.	फोलाई
75.	मामन्दा	100.	नयागांव

उपरोक्त केन्द्र पंचायत समिति नैनवा एवं पंचायत समिति पाटन केसोरांय में संचालित हैं।

चुंगी प्रणाली के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था

23. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार वर्तमान चुंगी प्रणाली को समाप्त करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो चुंगी से होने वाली आय की क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है अथवा किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) अभी तक चुंगी कर की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई है । चुंगी कर की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कार्यवाही जारी हैं ।

जहाजपुर तहसील की सिंचाई योजनाएं

24. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जहाजपुर तहसील तथा कोटड़ी सिंचाई योजनाएं अधूरी हैं ? यदि हां, तो कितनी योजनाएं जिन पर बांध तो बन गये और नहरें नहीं बनी ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इन बांधों की नहरों का कार्य पूरा करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो किस-किस बांध की ? नहरों को पूर्ण कराने की क्या योजना है ?

(3) क्या जो बांध बन गये हैं उनकी नहरों के कार्य तखमीने विभाग द्वारा तैयार किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस बांध की नहरों पर कितनी-कितनी राशि के तखमीने बनाये गये हैं और वह कब तक स्वीकृत कर कार्य पूर्ण कराये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां । पांच योजनाओं पर बांध तो बन गए और नहरें नहीं बनी । विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । परिशिष्ट 'अ' में ।

(2) जी हां । इन पांचों बांधों की नहरों को पूर्ण कराने की योजना है । वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य पूर्ण कराये जावेगें ।

(3) जी हां । इन्हीं पांच बांधों की नहरों के तकमीने परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये हैं । वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर तकमीने स्वीकृत कर कार्य पूर्ण कराये जायेंगे ।

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	नाम योजना	तहसील	अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु अनुमानित लागत लाखों में
1.	सरसीया चारण	जहाजपुर	13.78
2.	झालरा बावड़ी	जहाजपुर	15.11
3.	नेगडिया गुढ्ढा	जहाजपुर	11.91
4.	बेई गेसूला	जहाजपुर	16.90
5.	धोता दांता	कोटड़ी	10.82

विद्यालय भवन, विजयनगर (अजमेर)

25. श्री श्रीकिशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विजयनगर जिला अजमेर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन की स्थिति दयनीय हैं एवं विद्यालय भवन का एक भाग गिरने की स्थिति में है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार विद्यालय भवन को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल पुस्तकालय कक्ष जीर्ण-क्षीर्ण है।

(2) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग से तकनीमे अब प्राप्त हो गये हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में राशि स्वीकृत कर दी जाएगी।

श्री डूंगरगढ़ तहसील के ट्यूबवैल्स

26. श्री किशना राम नाई (डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्री डूंगरगढ़ तहसील के अन्तर्गत वर्ष 1990 से किस-किस ग्राम में कब-कब और कितने-कितने ट्यूबवैल स्वीकृत हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों में किन-किन स्थानों के ट्यूबवैल सफल हुए तथा किन किन स्थानों में खारा व मीठा पानी निकला ?

(3) क्या सफल ट्यूबवैल्स को विभाग ने अपने अधीन ले लिया है ? यदि हां, तो किन-किन को ? यदि नहीं, तो किन-किन को अब तक क्यों नहीं हैण्डओवर-टेकओवर किया ?

(4) क्या सरकार उक्त तहसील में और भी ट्यूबवैल स्वीकृत करने की योजना रखती है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों के लिए और कब तक योजना स्वीकृत हो जावेगी ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट 'अ' में संलग्न हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) परिशिष्ट 'अ' में उल्लेखित सभी सफल नलकूपों को विभाग द्वारा ले लिया गया है।

(4) जी नहीं, वर्तमान में और नये नलकूप स्वीकृत किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(170)

परिशिष्ट "म"

डूंगरगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1990–91 से स्वीकृत तथा बनाये गये नलकूपों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत नलकूपों की संख्या	बनाये गये सफल नलकूपों की संख्या	विभाग द्वारा अधिगृहित नलकूपों की संख्या	पानी का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1.	लाखड़िया	1990–91	1	–	–	नलकूप असफल
2.	बालबसर	,,	1	1	1	मीठा
3.	शेरूणा	,,	1	1	1	,,
4.	सांवतसर	,,	1	1	1	,,
5.	सोनियासर मीठिया	,,	3	3	3	,,
6.	लखासर	1991–92	1	1	1	खारा
7.	बेनीसर	,,	2	2	2	मीठा
8.	हेमासर	,,	1	1	1	,,
9.	मोजास	,,	1	1	1	,,
10.	धोलिया	1992–93	1	1	1	,,
11.	जतासर	,,	1	1	1	,,
12.	तोलियासर	,,	1	1	1	,,
13.	मोमासर	,,	1	1	1	,,
14.	रिड़ी	,,	1	1	1	,,
15.	इन्दपालसर	,,	1	1	1	,,
16.	बाडेला	,,	1	1	1	,,
17.	बापेऊ	,,	1	1	1	,,
18.	पुनरासर	1993–94	1	1	1	,,
19.	धर्मास	,,	1	1	1	,,

सिंचित क्षेत्र के खालों की कीमत माफ करना

27. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार सिंचित क्षेत्रों के किसानों से खालों की कीमत वसूली की माफी करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सिंचित क्षेत्र के किसानों से खालों की कीमत वसूल न करने की घोषणा की जा चुकी है।

जिला नागौर के विद्यालयों में अध्यापकों/प्रधानाचार्य के रिक्त पद

28. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल डेगाना का प्रधानाचार्य का पद काफी लम्बे अर्से से रिक्त है ? यदि हां, तो कब तक प्रधानाचार्य की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि नागौर जिले की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के अनेक पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने पद रिक्त हैं ? विद्यालय वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रधानाचार्य का पद 1.1.94 से रिक्त है। इस पद को 1994-95 की डी.पी.सी. से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भर दिया जायेगा।

(2) नागौर जिले की समस्त प्रकार के विद्यालयों में रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

(1) व्याख्याता-108
(2) वरिष्ठ अध्यापक-23
(3) अध्यापक-तृतीय श्रेणी-48

रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(3) जी हां। रिक्त पद आगामी शिक्षण सत्र के प्रारम्भ तक भर दिये जायेंगे।

रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	व्याख्याता		व. अ.		अध्यापक	कब से रिक्त
		विषय	संख्या	विषय	संख्या	संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रा.सी.उ.मा.वि., नावा	हिन्दी	1	–	–	–	1-9-92
		इतिहास	1	–	–	–	13-10-91
		भौतिक	1	–	–	–	2-8-89
2.	,, परबतर	हिन्दी	1	–	–	–	9-12-92
		इतिहास	1	–	–	–	17-12-93
3.	,, जावला	हिन्दी	1	–	–	–	4-92
		ना.शा.	1	–	–	–	4-92
		इहितास	1	–	–	–	6-8-93
		अंग्रेजी	1	–	–	–	12-92
4.	,, कुकनवाली	हिन्दी	1	शा.शि.	1 1/93	–	6-93
5.	,, मारोठ	हिन्दी	1	–	–	–	7-93
		अंग्रेजी	1	–	–	–	8-93
		रा.वि.	1	शा.शि.	1 7-93	–	7-92

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	रा.सी.उ.मा.वि.; मगाना	रा.वि.	1	–	–	–	7-92
		अंग्रेजी	1	–	–	–	7-93
7.	" कुचामन	हिन्दी	2	–	–	–	7-92; 8-93
		भूगोल	1	–	–	–	8-93
		वाणिज्य	1	–	–	–	12-93
						(1-94)	
8.	" सावंडिया	इतिहास	1	–	–	–	12-90
		ना.शा.	1	–	–	–	9-89
		अ.शा.	1	–	–	–	7-90
		अंग्रेजी	1	–	–	–	8-91
		रसायन	1	–	–	–	3-90
9.	" कुचेरा	हिन्दी	1	–	–	–	8-93
		अंग्रेजी	2	–	–	–	7-92, 7-92
		ना.शा.	1	–	–	–	7-93
		भौतिक	1	–	–	–	12-93

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	रा.सी.उ.मा.वि., मलाय	इतिहास	1	–	–	–	11-91
		प्र.शा.	1	–	–	–	11-91
		रा.शा.	1	–	–	–	11-91
11.	,, हरसौर	इतिहास	1	–	–	–	7-93
		रसायन	1	–	–	–	4-93
		उर्दू	1	–	–	–	4-89
12.	,, डेगाना	आशुलिपि	1	–	–	–	–
13.	,, रियाबड़ी	प्र.शा.	1	–	–	–	7-90
		ई.ए.एफ.एम.	1	–	–	–	11-92
14.	,, सांजू	हिन्दी	2	–	–	–	7-93, 8-93
		इतिहास	1	–	–	–	3-92
		रा.वि.	1	–	–	–	8-92
15.	सी.उ.मा.वि. मेड़तासिटी,	इतिहास	1	–	–	–	7-91
		अंग्रेजी	3	–	–	–	7-91, 9-91
		हिन्दी	1	जीव.वि.	1 (1-94)	–	8-93

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	सी.उ.मा.वि., मेड़तारोड	भूगोल	1	–	–	–	2-9-92
		रा.वि.	1	–	–	–	8-8-92
17.	,, मोलासर	हिन्दी	1	–	–	–	7-93
18.	,, लोडवाना	चित्रकला	1	–	–	–	—
		वाणिज्य	1	–	–	–	7-93
19.	,, लाडनूं	रसायन	1	–	–	–	8-93
20.	,, तोषीना	हिन्दी	3	शा.शि.	1 (7-93)	–	28-11-91 (3)
21.	,, निम्बीजोधा	वा.शा.	1	–	–	–	10-90
		अ.शा.	1	–	–	–	5-92
		हिन्दी	1	–	–	–	10-93
22.	,, छोटीखाटू	हिन्दी	2	–	–	–	9-90, 7-93
		भूगोल	1	–	–	–	7-89
		भौतिक	1	–	–	–	8-92
23.	,, जायल	हिन्दी	2	–	–	–	6-91, 7-93
		भूगोल	1	–	–	–	8-91

1	2	3	4	5	6	7	8
	रा.बा.उ.मा.वि , जायल	राजस्थानी	1	–	–	–	7-93
		रसायन	1	सामा.	1 (1-95)	1 (8-93)	7-93
24.	सी.उ.मा.वि., खींवसर	भौतिक	1	–	–	–	3-91
		जीव. वि.	1	–	–	–	7-93
		इतिहास	1	–	–	–	11-92
		ना.शा.	1	–	–	–	11-89
		अ.शा.	1	–	–	–	9-89
25.	,, मूंडवा	अ.शा.	1	–	–	–	8-92
		शा.शि.	1	–	–	–	8-93
26.	,, रिड़	इतिहास	1	–	–	–	11-89
		अ.शा.	1	–	–	–	5-90
		हिन्दी	1	–	–	–	7-93
		रसा.वि.	1	–	–	–	1-94
27.	,, नागौर	हिन्दी	3	–	–	–	7-91 (2) 9-93
		रसायन	1	–	–	–	7-91

1	2	3	4	5	6	7	8
	सी.उ.मा.वि., नागौर	इतिहास	1	–	–	–	7-91
		अ.शा.	1	–	–	–	10-91
		ना.शा.	2	–	–	–	7-91, 7-92
		जीव. वि.	1	–	–	–	7-91
28.	रा.बा.उ.मा.वि., नागौर	ना.शा.	1	–	–	–	9-91
		व्या.शि.	3	–	–	–	7-90 (2) 8-92
		अ.शा.	1	–	–	–	7-90
		संगीत	1	–	–	–	8-91
		चित्रकला	1	–	–	–	11-92
		भौतिक	1	–	–	–	11-92
		गणित	1	–	–	–	7-93
		वाणिज्य	1	–	–	–	8-93
29.	,, डीडवाना	हिन्दी	1	–	–	–	3-93
		अंग्रेजी	1	–	–	–	3-93
		ना.शा.	1	–	–	–	3-93
		गृह वि.	1	–	–	–	3-93

1	2	3	4	5	6	7	8
	रा.बा उ.मा वि., डीडवाना	चित्रकला	1	शा.शि.	1 (7-93)	—	3-93
30.	रा.बा.उ.मा.वि , लाडनू	हिन्दी	2	—	—	—	3-92 (2)
		ना.शा.	1	—	—	—	3-92
		गृह वि.	1	—	—	—	3-92
31.	रा.बा.उ.मा.वि., कुचामन	हिन्दी	1	—	—	—	7-92
32.	रा.सी.उ.मा.वि., मकराना	—	—	जीव.	1 (10-93)	—	—
33.	रा.मा.वि., निमड़ीकला	—	—	जीव.	1 (8-93)	—	—
34.	,, रताऊ	—	—	जीव.	1 (7-91)	—	—
35.	,, बेरीजतनपुरा	—	—	गणित	1 (9-93)	—	—
36.	,, हुरनावां	—	—	गणित	1 (12-93)	—	—

1	2		3	4	5.	6	7	8
	रा.मा.वि.,	हरनावां	—	—	अंग्रेजी	1 (12-93)	—	—
37.	रा. मा. वि.,	जानेवा	—	—	अंग्रेजी	1 (7 90)	—	—
38.	,,	बेराथलकलां	—	—	सामा.	1 (5-93)	—	—
39.	,,	भेड़	—	—	सामा.	1 (7-93)	—	—
40.	,,	थावला	—	—	सामा.	1 (12-93)	—	—
41.	,,	डेह	—	—	सामा.	1 (10-93)	—	—
42.	,,	शिव	—	—	अंग्रेजी	1 (12-93)	—	—
43.	,,	करनु	—	—	सामा.	1 (7-93)	—	—

1	2		3	4	5	6	7	8
44.	रा. मा. वि.,	भड़	—	—	सामा.	1 (7-93)	—	—
45.	,,	गवावड़ी	—	—	सामा.	1 (7-93)	—	—
46.	,,	संथेरन	—	—	सामा.	1 (7-93)	—	—
47.	रा बा.मा.वि.,	मेड़ता	—	—	सामा.	1 (12-93)	1 (12-93)	—
48.	,,	नागौर	—	—	—	—	3 (2-94)	—
49.	,,	कुचामन	—	—	—	—	1	9-93 शा.शि.
50.	,,	कोलिया	—	—	—	—	1	9-93 शा.शि.
51.	रा.बा.उ.प्रा.वि.,	मेड़ता	—	—	—	—	1	12-93 सामा.
52.	रा. मा. वि,	भड़	—	—	—	—	2	10-93, 1-94 सामा.
53.	,,	बिखरानिया	—	—	—	—	1	1-94 सामा.
54.	,,	डांगावास	—	—	—	—	1.	1-94 सामा.

1	2		3	4	5	6	7	8	
55.	रा. मा. वि.	पीलवा	—	—	—	—	1	8-93	सामा.
56.	रा. उ. प्रा. वि.;	बरणगांव	—	—	—	—	1	7-93	,,
57.	,,	नारवांकला	—	—	—	—	1	7-93	,,
58.	,,	विश्नोईयों की ढाणी	—	—	—	—	1	7-93	,,
59.	,,	साठीकाखुर्द	—	—	—	—	1	7-93	,,
60.	,,	बाड़वा	—	—	—	—	1	6-93	,,
61.	,,	रोहिणा	—	—	—	—	1	7-93	,,
62.	,,	ढेहरी	—	—	—	—	1	7-93	,,
63.	,,	जालसूकला	—	—	—	—	1	7-93	,,
64.	,,	हिरणी ढाणी	—	—	—	—	1	7-93	,,
65.	,,	कुचेरा	—	—	—	—	1	7-93	,,
66.	,,	धुन्धियाड़ी	—	—	—	—	1	7-93	,,
67.	,,	नं. 2 नागौर	—	—	—	—	1	7-93	,,
68.	,,	नं 5 नागौर	—	—	—	—	1	7-93	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	रा. उ. प्रा. वि., बालिया	—	—	—	—	1	7-93 सामा.
70.	,, बीडवा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
71.	,, सूपका	—	—	—	—	1	7-93 ,,
72.	,, मंडुकरा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
73.	,, मालगांव	—	—	—	—	1	7-93 ,,
74.	,, मालपुरा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
75.	,, तबरा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
76.	,, नं. 1 डीडवाना	—	—	—	—	1	7-93 ,,
77.	,, नं. 3 डीडवाना	—	—	—	—	1	7-93 ,,
78.	,, नं. 4 डीडवाना	—	—	—	—	1	7-93 ,,
79.	,, सबलपुर	—	—	—	—	1	7-93 ,,
80.	,, ग्रासरवा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
81.	,, लोरोल	—	—	—	—	1	7-93 ,,
82.	,, मोडीचारणा	—	—	—	—	1	7-93 ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
83.	रा. उ. प्रा. वि, रायथलिया	—	—	—	—	1	7-93 सामा.
84.	,, चिताई	—	—	—	—	1	7-93 ,,
85.	,, मायापुर	—	—	—	—	1	7-93 ,,
86.	,, कणी	—	—	—	—	1	7-93 ,,
87.	,, पलाड़ा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
88.	,, कमेडिया	—	—	—	—	1	7-93 ,,
89.	,, मालपपुरा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
	योग		108		23		48

भरतपुर शहर एवं पंचायत समिति की पेयजल व्यवस्था

29. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) एवं श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर शहर एवं सेवर पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाले गांवों में पेयजल हेतु कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ? क्या यह मात्रा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जल आपूर्ति की जावेगी ?

(2) पेयजल हेतु कंटिन्जेंसी अनुमान जो जलदाय विभाग को स्थानीय अधीक्षण अभियन्ता, भरतपुर द्वारा भेजे गये थे उस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) भरतपुर शहर में वर्तमान में औसतन 74 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल वितरित किया जा रहा है। जो कि निर्धारित मापदण्डों से कम है। ग्रामीण योजनाओं में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्डों के विरुद्ध सेवर पंचायत समिति से 29 ग्रामों में औसतन 20 से 30 लीटर, 51 गामों मे 10 से 20 लीटर एवं 52 ग्रामों में 5 से 10 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जा रहा है। क्षेत्रीय योजनाओं के अन्तिम छोर पर स्थित शेष 9 ग्रामों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही हैं। चम्बल नदी से पानी दिये जाने हेतु एक योजना प्रस्तावित की गई थी, जिसकी स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से अपेक्षित है इस संदर्भ में स्वीकृति मिलने तथा वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर पेयजल की मात्रा में और अधिक वृद्धि हो सकेगी। भरतपुर शहर में पेयजल में मात्रा वृद्धि हेतु पुनंगठित योजना पर कार्य प्रगति में है।

(2) उक्त प्रस्तावित अनुमानों के विरुद्ध वर्तमान कन्टिजेन्सी प्लान में 31 मार्च, 94 तक की अवधि के लिये कार्यों हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 37.65 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का विवरण

कार्यालय नगरपालिका बोर्ड बालोतरा (राज.)

1.4.93 से 31.1.94 तक माहवार आय का विवरण :–

क्र.सं.	माह का नाम	राशि	विशेष विवरण
1.	अप्रैल, 93	43,99,394–28	
2.	मई, 93	25,46,756–33	
3.	जून, 93	19,34,689-50	
4.	जुलाई, 93	26,33,869–72	
5.	अगस्त, 93	21,37,658–15	
6.	सितम्बर, 93	26,23,060–78	
7.	अक्टूबर, 93	23,26,707–41	
8.	नवम्बर, 93	16,49,204–18	
9.	दिसम्बर, 93	26,50,440–19	
10.	जनवरी, 94	19,78,667–21	
	कुल योग :–	2,43,80,647–75	

ह०/–
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, बालोतरा

कार्यालय नगरपालिका बोर्ड बालोतरा (राज.)

1.4.92 से 31.1.93 एवं 1.4.93 से 31.1.94 तक माहवार आय का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	माह का नाम	1.4.92 से 31.1.93 तक की माहवार आय राशि	1.4.93 से 31.1.94 तक की माहवार आय राशि	विशेष
1	2	3	4	5
1.	अप्रैल	28,64,546.53	43,99,394.28	+15,34,847.75
2.	मई	26,62,020.16	20,46,756.33	–615263.83

1	2	3	4	5
3.	जून	17,41,674.86	19,34,689.50	+1,93014.64
4.	जुलाई	13,33,479.48	26,33,869.72	+13,00,390,24
5.	अगस्त	15,37.993.49	21,37,658.15	+5,99,664.66
6.	सितम्बर	21,84,090.80	26,23,060.78	+4,38,969.98
7.	अक्टूबर	17,35,734.10	23,26707.41	+5,90,973.31
8.	नवम्बर	18,60,879.92	16,49,204,18	– 2,11,675.54
9-	दिसम्बर	17,28,122.58	26,50,440.19	– 9,22,317.61
10.	जनवरी	18,54,811.00	19,78,867.21	+1,24,056.21
कुल योग :–		1,95,03352.72	2,43,80,647.75	+48,77295.03

नोट :– गत वर्ष से चालू वर्ष में रुपये 48, 77, 295–03 की आय अधिक हुई हैं।

ह०/–
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, बालोतरा

कार्यालय नगरपालिका बालोतरा (राज.)

दिनांक 1.4.93 से 31.1.94 तक मदवार व्यय का विवरण

क.सं. 1	मद संख्या एवं मद का नाम 2	राशि 3	विशेष विवरण 4
1.	मद संख्या एक–सामान्य शाखा	1489446 = 20	
2.	मद संख्या दो–कर शाखा	1365383 = 37	
3.	मद संख्या तीन–सफाई शाखा	3135902 = 60	
4.	मद संख्या चार–सार्व. रक्षा	216024 = 37	
5.	मद संख्या पांच–रोशनी व्यय	427141 = 80	
6.	मद संख्या छः–पशु पाटक	658 = 00	

1	2	3
7.	मद संख्या सात- उध्यान शाखा	71628 = 00
8.	मद संख्या आठ-सार्व. मरम्मत	331894 = 00
9.	मद संख्या नो–जल व्यय	38777 = 00
10.	मद संख्या दस–वाचनालय	34678 = 50
11.	मद संख्या ग्यारह–विकास शाखा	6468091 = 56
12.	मद संख्या बारह–नवीन सम्पत्ति	70048 = 00
13.	मद संख्या तेरह–विविध	3411226 = 00
	कुल योग :–	170608,99 = 96

ह०/–
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका बालोतरा

(१८८)

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 की प्रति एवं विवरण

The Executive Engineer,
Rajasthan Housing Board,
Block No.–
Mansarover,
Jaipur.

परिशिष्ट 'अ'

Reg :– Repair of the likage in walls/roof boundary and chips flooring of House No. 51/71 allotted under ORS-Scheme.

Recpected Sir,

The poasession of the above house handedover to me on 10.5.91 and while taking of the poasession, the desoripanoies of the construction has already been appraised to the AEN/JEN who has kindly promise to repair the following :

(i) To repair the likage of the walls & roof boundry.

(ii) To repair the chips which was of quits below & rough standard.

In this connection, the pouition has been appraised to your contractor Shri Phool Chând Sharma and also to AEN & JEN but nothing has been repaired so far whille repairs in varioue houses allotted to your employees in the same block was already been repaired and are being repairing of the descripencion likewise.

Sir for want of the repairing the house is damaging day-by-day and to check the further damaging of the house, you are very kindly requested to instruct the AEN/JEN to repair the above descripencies at your kind earliest.

Thanking you with regards.

Yours faithfully,
Sd/–
(S. L. NALWAYA)
ASSTT. MANAGER (RFC)
House No.–51/71
Mansarover, JAIPUR

Dated : 26.6.1993

परिशिष्ट 'ग्र'

प्रेषक : घनश्याम टण्डन,
मकान नं. 51/91
मानसरोवर, जयपुर

प्रेषित :
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय : मानसरोवर योजना जयपुर के मकान नं. 51/91 का निर्माण कार्य अधूरा व घटिया होने के क्रम में।

महोदय,

मैंने मकान नं. 51/91 का कब्जा पत्र गत 7/91 को प्राप्त किया था उस समय इस मकान में आवासन मण्डल के ठेकेदार ने स्टोर बनाया हुआ था। श्री आर. सी. शर्मा को बार-बार कहने व चक्कर लगाने के पश्चात् स्टोर खाली करा कर उसी अवस्था में मुझे मकान का कब्जा दे दिया गया, और कहा गया कि जब इस मकान में रहने के लिए आयेगें उस समय मकान का अधूरा पड़ा कार्य पूर्ण करा देंगे।

गत वर्ष जब मैं इस मकान में रहने आया तो श्री आर. सी. शर्मा व श्री बी. के. शर्मा साहब से मिला उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही बकाया अधूरा पड़ा कार्य पूर्ण करा देंगे। बार-बार चक्कर खाने के पश्चात् भी श्री आर.सी. शर्मा केवल आश्वासन ही देते आ रहे हैं। बकाया निर्माण व घटिया निर्माण कार्य निम्न प्रकार हैं :-

1. फर्श जगह-जगह टूटा हुआ है व सोलिंग नहीं होने के कारण चीटियां फर्श से मिट्टी लेकर बाहर फैलाती हैं। कई जगह दरारें पड़ी हुई हैं।

2. बरसात में छत से पानी टपकता है। कई जगह सरिये जंग लगे बाहर नजर आ रहे हैं।

3. बिजली की फिटिंग बेकार हैं जिससे ट्यूब बल्ब फ्यूज हो जाते हैं व बिजली चली जाती हैं, आवासन मण्डल वाले तो सुनते ही नहीं। प्राईवेट मिस्त्री के दिखाने पर कहते हैं कि फिटिंग दुबारा होगी। बिजली के बोर्डों में अर्थ भी नहीं हो रहा है जिससे कई बार करंट आता है।

4. दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं व प्लास्टर उखड़ा हुआ है।

5. छज्जा झोल खारहा है जो किसी भी समय गिर सकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त कार्यों को पूर्ण कराने की व्यवस्था शीघ्र करें।

(७०)

अगर इस पत्र प्राप्ति के सात दिवस में उपरोक्त कार्यों को ठीक नहीं कराया गया तो प्रार्थी को उपभोक्ता संरक्षण कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आवासन मण्डल का होगा।

धन्यवाद।

ह०/–
भवदीय
(घनश्याम टण्डन)

परिशिष्ट 'ब'

बोर्ड कर्मचारियों के मकानों पर कुल किये गये खर्चे का विवरण :

आवाससंख्या	कार्य	राशि (रु.)
51/64	प्लास्टर व घड़ रिपेयर	344.39
51/161	फर्श, कोपिंग व प्लास्टर रिपेयर	2406.00
51/80	प्लास्टर व कोपिंग रिपेयर	3288.00
51/66	प्लास्टर व फर्श रिपेयर	722.00 4502.00
51/182	छत की तरफ प्लास्टर व फर्श की रिपेयर बेड़ प्लेट इत्यादि	700.00) 1116.00)
51/81	फर्श प्लास्टर व बिजली के कार्य की रिपेयर	4907.81
51/171	प्लास्टर रिपेयर व अन्य कार्य	4081.00

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 4 की सूची एवं प्रतियां

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर ।

'महाराणा प्रताप पुरस्कार' प्राप्त खिलाड़ियों की सूची ।

क्र.सं.	नाम खिलाड़ी	खेल	वर्ष
1	2	3	4
1.	श्री गोपाल सैनी	एथलेटिक्स	1982–83
2.	श्रीमती हमीदा बेगम	,,	,,
3.	श्री राजकुमार महलावत	,,	,,
4.	कैप्टन जी. एम. खान	घुड़सवारी	,,
5.	दफेदार प्रहलाद सिंह	,,	,,
6.	रिसालदार विशाल सिंह	,,	,,
7.	दफेदार रघुवीर सिंह	,,	,,
8.	श्री लक्ष्मण सिंह	गोल्फ	,,
9.	श्रीमती गंगोत्री भण्डारी	महिला हाकी	,,
10.	कु. वर्षा सोनी	,,	,,
11.	डा. कर्ण सिंह	निशानेबाजी	,,
12.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	एथलेटिक्स	1983-84
13.	,, हनुमान सिंह	बास्केटबाल	,,
14.	,, पार्थसारथी शर्मा	क्रिकेट	,,
15.	,, गिर्राज रंगा	साईक्लिंग	1983–84
16.	,, मोहम्मद आरिफ खान	साई. पोलो	,,
17.	,, आर. के. पुरोहित	वॉलीबाल	,,
18.	सुश्री रमा पाण्डे	,,	,,
19.	श्री रामफल	कुश्ती	,,
20.	,, अजमेर सिंह	बास्केटबाल	1984–85
21.	,, गंगाधर	साईक्लिंग	1984–85
22.	सुश्री चन्द्रिका गिताई	साईक्लिंग	,,

(192)

1	2	3	4
23.	श्री अशोक दास	साई. पोलो	1984 85
24.	,, प्रभाकर राजू	वॉलीबाल	,,
25.	,, गोविन्द नारायण शर्मा	कबड्डी	1985-86
26.	,, सुरेन्द्रकुमार राजपुरोहित	साईक्लिंग	1986-87
27.	,, प्रदीप सुन्दरम	क्रिकेट	,,
28.	,, सत्यप्रकाश	बास्केटबाल	1987-
29.	,, मेजर एस. एन. माथुर	नोकायन	1987
30.	श्री कमल किशोर पारीक	कबड्डी	,,
31.	स्व. श्री अमरसिंह (मरणोपरांत)	साईक्लिंग	,,
32.	श्री गणेशलाल सुथार	साईक्लिंग	,,
33.	,, हरिसिंह	एथलेटिक्स	,,
34.	,, श्यामलाल	तीरन्दाजी	1988
35.	,, हरफूल सिंह	एथलेटिक्स	,,
36.	,, सागर घायल	बाक्सिंग	,,
37.	,, राजकुमार	बास्केबाल	1988
38.	,, नासिर मुनीर	शतरंज	,,
39.	सुश्री नितिन माथुर	कबड्डी	1988
40.	,, अनीता बर्मन	स्क्वेश	,,
41.	,, सीमा सोनी	कबड्डी	,,
42.	श्री लिम्बाराम	तीरन्दाजी	1989
43.	,, राम निवास	एथलेटिक्स	,,
44.	,, महिपाल सिंह	तैराकी	,,

राजस्थान सरकार
राजस्व (उप निवेशन) विभाग

प्रेषिति :–

आयुक्त उपनिवेशन,
राजस्थान नहर परियोजना,
बीकानेर ।

क्रमांक प. 3 (149) राज/उप/77 जयपुर, दिनांक 27 जुलाई, 1982

विषय :– राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र में सरकार भूमि का आवंटन एव विक्रय) नियम 1975 के नियम 24 के तहत मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं प्रक्रिया ।

महोदय,

राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 24 के तहत राज्य सरकार किसी व्यक्ति को विशेष मामलों में भूमि आवंटित कर सकती है, परन्तु नियमों में प्रावधित विशेष शक्तियों के उपयोग के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए तथा किस प्रकार के मामलों में इन शक्तियों का प्रयोग किया जावे, कोई प्रावधान नहीं है ।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट व संगत नीति अपनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार एतद् द्वारा विशेष आवंटन के लिए योग्य माने जाने वाले मामलों के लिए निम्न लिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त व प्रक्रिया तय करती है :–

1. विशेष आवंटन का लाभ निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों/संस्थाओं को गुण-अवगुण की पूर्ण जांच के पश्चात दिया जायेगा :–

(अ) ऐसी संस्थाएं जो मुख्यत: दान पर आश्रित हैं और बिना किसी भेदभाव के जन उपयोगी कार्य कर रही हैं या प्रमाणित रूप से करना चाहती है, जैसे कि अस्पताल, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण ।

(ब) उन राजस्थानी नागरिकों की विधवायें, जिनके पतियों ने राष्ट्र अथवा राज्य के हित में अति-विशिष्ठ सेवा की है और जिनके जीवनयापन का कोई अन्य निश्चित या पर्याप्त श्रोत नहीं है और जो अपने स्वयं के नियंत्रण में खेती कर सकती हैं ।

(स) ऐसे राजस्थान वासियों की विधवायें, जिनके पतियों ने राज्य में प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़, तूफान आदि के समय अथवा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने में या डकैतों के मुकाबले के समय अभूतपूर्व साहस दिखाते हुए जीवन

(१९४)

उत्सर्ग कर दिया है। और जिसके पास कोई समुचित जीविकोपार्जन का साधन नहीं हैं व जो अपने स्वयं के नियन्त्रण में खेती कर सकती है।

(द) राजस्थान के ऐसे निवासी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति तथा मान्यता प्राप्त की हैं जैसे कि वैज्ञानिक, लेखक, खिलाड़ी तथा धावक जो कि स्वयं खेती का धन्धा अपनाना चाहते हैं और कर भी सकते हैं।

2. वे व्यक्ति जो सामान्य नियमों के अन्तर्गत भू-आवंटन के अधिकारी है या जिन्हें राज्य सरकार की अन्य योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेन्शन, देवस्थान, पेन्शन, राजनीतिक पेन्शन, अन्त्योदय या अन्य ऐसी ही किसी योजना के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है या दी जा सकती है, इस विशेष आवंटन के योग्य नहीं माने/जायेंगे। मूलतया, इसके योग्य वही व्यक्ति होंगे जिनको असाधारण परिस्थितियों या योग्यता के आधार पर एक विशेष श्रेणी देने का औचित्य होगा, और जो खेती करने के इच्छुक है तथा कर सकते हैं।

3. विशिष्ठ आवंटियों से केवल आरक्षित मूल्य ही लिया जायेगा तथा वसूली भूमिहीन व्यक्तियों के समान साधारण किश्तों में होगी।

4. विशेष आवंटन में प्राप्त भूमि को बेचने का अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बगैर नहीं होगा, राज्य सरकार भी बहुत ही विशिष्ठ तथा विषम परिस्थिति में ही बेचने की छूट देगी।

5. विशेष आवंटन योग्य, व्यक्तिगत विचारार्थ मामलों में जांच कर सम्पत्ति देने हेतु राजस्व सचिव, वित्त सचिव एवं विधि सचिव की एक समिति होगी, जिसकी राय उपनिवेशन मन्त्री व मुख्यमन्त्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जावेगी।

6. यदि कोई मामला उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत नहीं आता हो तो उपनिवेशन मन्त्री एवं मुख्यमन्त्री की इच्छानुसार मन्त्री मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता हैं।

कृपया भविष्य में विशिष्ठ आवंटन के मामले, उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार ही प्रेषित करें ताकि तदनुसार कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

ह०/-

शासन सचिव (राजस्व)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : प. 3 (271) नविआ/3/87 जयपुर, दिनांक, 12-2-88

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा,
जोधपुर, उदयपुर, गंगानगर, कोटा।

विषय :– राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभावान खिलाड़ियों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभावान खिलाड़ियों को रियायत दर पर भूमि आवंटन हेतु कतिपय न्यासो से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर विचार कर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त खिलाड़ियों को निम्न मापदण्डों के अनुसार रिहायशी भूखण्ड आवंटित किये जावे :—

क्र.सं.	खिलाड़ी	भूखण्ड का क्षेत्रफल	दर
1.	ओलम्पिक एवं ऐशियाड में मेडल प्राप्त खिलाड़ी	270 वर्ग मीटर	सुरक्षित दर की 10 प्रतिशत की दर से।
2.	अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी	180 वर्ग मीटर	सुरक्षित दर की 50 प्रतिशत की दर से

भवदीय,
ह०/-
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इसी प्रकार के निर्देश समस्त नगर परिषदों/नगर पालिकाओं को जारी करें।

ह०/-
उप शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
SPORTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, dated 1 August, 1986

No. F. 13 (1) Sports/85, The Governor has been pleased to make the following rules for payment of Miscellaneous grant-in-aid, contributions, rewards, assistance, gifts, charities etc. under the control of the sports Department.

The Rajasthan Sports Grant-in-aid Rules, 1986.

1. Short Title : These rules may be called The Rajasthan Sports Grant-in-aid Rules, 1986.

2. Commencement : These Rules will come into force at once.

3. Definitions : In these rules unless the context otherwise requires –

(a) 'Grant' means grant-in-aid, contribution, reward, assistance, gifts etc.

(b) 'Minister' means the Minister for Sports, Rajasthan. This includes State Minister and the Dy. Minister, Sports also.

(c) 'Secretary' means the Secretary to the Government of Rajasthan, Sports Department.

(d) 'Council' means the Rajasthan State Sports Council, Jaipur.

(e) 'Sports' means all categories of outstanding and meritorious players/Coaches including Women Players/Coaches.

4. Eligibility –

The following will be eligible for consideration for financial assistance –

(i) Sports Bodies which are affiliated to the National Federation or Associations recognised by the All India Council of Sports.

(ii) The Bodies recognised/registered by the Rajasthan State Sports Council or District Sports Council, as the case may be.

(iii) Sports Clubs registered under Societies Act.

(iv) Games & Sports Coaching & Training Institution/ School/College.

(v) Sports Clubs/Associations recognised/sponsored Teams of Central or the State Government Department located in Rajasthan.

(vi) Sponsored Teams of Local Bodies/Boards/Corporations etc. by them.

(vii) Other Sports Bodies which are not covered under items (i) to (vi) above.

(viii) Individual Meritoriou / Outstanding Players / Coaches/ Umpires/Referees.

Note : Sports Institution/Organisation or Individual Sportsman who has already obtained and has been sanctioned any aid for the event applied for from Rajasthan State Sports Council/any other Government Department/any other source will not be eligible for any such grant for the same event/ purpose for which a declaration is to be made and after receipt of a grant from this department will not be entitled to get further aid/grant from any other source for the same purpose.

5. Recurring grant & its extent	Extent to which grant can be sanctioned.
Purpose	
1. Maintenance grant to Games and Sports Training to registered/recognised Institute/School or College.	Ranging between 20% to 50% of the recurring expenditure, subject to condition that such an institution/School/ College has been working in the State for the last three years and

	whose accounts are audited by C.A. are duly maintained, and are made available. However, grant in the first instance will not exceed 25% of recurring expenditure of the year preceding the year in which grant is sanctioned It can however in deserving cases, be increased by 10% each year.
2. For various related activities not covered under the rules but are carried on regular basis.	According to merits of each case.

6. **Non-recurring grant and its extent**

(1) **Organising/competition/tournament by Sportsbodies.**

(i)	Panchayat level	Upto Rs. 1000/-
(ii)	Tehsil level	Upto Rs. 1500/-
(iii)	Block level	Upto Rs. 2000/-
(iv)	District level	Upto Rs. 5000/-
(v)	State level	Upto Rs. 10000/-
(vi)	Other regional/ Departmental level tournament/competition.	Upto Rs. 5000/-

(2) **Purchase of equipments/Kits –**

(i)	Individual	Upto Rs. 2000/-
(ii)	Recognised/Registered private Games & Sports Organisation/Bodies.	Ranging between Rs. 2000/- to 10000/- to an individual Institution keeping in view its activities & achievements. Such an assistance will be given once only.

(3)	Training in Games & Sports To Individual	
(i)	Within the State	Upto Rs. 2000/-
(ii)	Outside the State	Upto Rs. 5000/-
(iii)	Oûtside the Country	Upto Rs. 10000/- or both ways. Air fare & expenditure on ket.
(4)	Organising Training Camps	
	Training Camps for importing coaching to talents.	Rs. 10/- per day per Trainee Plus 50% expenditure on Honorarium to Coaches, subject to a limit of Rs. 3000/- per camp of two to three weeks duration.
(5)	Publication work on Sports.	50% of the expenditure subject to a limit of Rs. 2000/- in an individual case (A copy of publication will have to be supplied to the Sports Department free of cost.)
(6)	Grant for participation in competition outside the state within India.	Both ways-first class Railway fare and Rs. 20/- per day per candidate. Rs. 20/- per day per candidate will be admissable only if Boarding & lodging is not provided by the organising State or any other organising Institution/Bodies.
(7)A.	Grant for participation in international Game or Sports activity outside India.	Both ways Air fare and Rs. 50/- per day per candidate.

२००

B. Reward to players & Coaches/Referees/ Team Manager.

I- International Events

(i) For securing first position in any international game or sports.	Upto Rs. 50,000/-
(ii) For securing second position in any international game or sports.	Upto Rs. 30,000/-
(iii) For securing third position in any international game or sports	Upto Rs. 20,000/-

II- National Events

(i) Securing First position	Upto Rs. 25,000/-
(ii) Second position	Upto Rs. 10,000/-
(iii) Third position	Upto Rs. 5,000/-

III- State Events

(i) Securing First position.	Upto Rs. 10,000/-
(ii) Second position	Upto Rs. 5,000/-
(iii) Third position	Upto Rs. 2,500/-

Note : In case of a team securing, first, second and third position every member comprising the team will be eligible; provided the event held was not on commercial basis.

(8) Grant for Building –

Construction of Stadium Playfield or any Building/ Ground connected with games & Sports activity.	25% of the estimated cost not exceeding Rs. 2.00 lacs maximum in an individual case.

(9) Ad-hoc grant can be — Maximum upto Rs. 20,000/-

sanctioned for or in connection with repairs or providing additional facilities in stadium/ improvonent of Playfields or any building in use connection with the Sports activity.

(10) Announcement made by the Chief Minister/Minister for Sports

Grant for organising function to hononr team or Individual Sportsman or person (s) whose contribution towards game activity or development of sports activity deserves recognition.

For Sportsman/Player/person of –

(i) International fame	Upto Rs. 10,000/-
(ii) National fame	Upto Rs, 6,000/-
(iii) State level	Upto Rs, 2,000/-

(11) Grant for organising sports week by the State Government –

(i) At District level	Upto Rs. 5,000/-
(ii) State level	Upto Rs. 2,00,000/-

(12) Grant for providing funds to sports Welfare Fund created by the Sports Department.	Upto Rs. 1,00,000/-
(13) Guarantee money will be paid to the organisers in case any match Tournament of an International level is organised in Rajasthan.	As may be agreed to by the Government.

(14) Grant for any unforeseen activity not covered under these rules but is considered essential in the interest of promotion of Games & Sports in the State.	According to merits of case.

7. Besides the assistance under the rules 5 and 6 above, grant to any individual or Institution whether registered/recognised or not, will be sanctioned on declaration/announcement which may be made by the Chief Minister for Sports on any occasion(s) subject to a maximum of Rs. 10,000/- in case of an institution and Rs. 5,000/- in case of an individual subject to a maximum of Rs. 1.00 lac in a year.

8. The financial limits and conditions specified under rule 6 of the above rules will, however, not apply in case of organising competitions, purchase of equipments, imparting training or sponsoring any individual for training, organising training camps, Publication of books on sports, construction/repairs of Stadium/fields or any building in use in connection with sports activities or providing additional facilities therein, organising functions including functions to honour. Sportsman or persons whose contribution towards development of Sports deserves recognition organising Sports week, etc. by the State Government itself or through/with the help of any organisation.

9. The State Government may in exceptional cases, also sanction recurring/non-recuring grant on adhoc basis to any individual sportsman/coach/referee/umpire/ a team or to any/sports institution outside Rajasthan, on such terms and conditions as may be deemed fit, to be imposed, if the objects/activities are considered in the interest of the State, provided, the project has been aporoved by the Central or any other State Government.

10 Proprietary institutions (i. e. institutions not registered under either the Societies Registration Act, 1860 or Rajasthan Public Trust Act or any other Act etc. by the Government of Rajasthan) will not be eligible for any recurring grant under these rules.

However, a non-recuring grant for purposes other then those specified under rule 6 can be sanctioned in deserving cases subject

to a maximum of Rs. 2000/- in case of an individual, provided the purpose relates to Games & Sports activity..

11. Sanctioning authority—

(i) Secretary to the Govt. Sports Department.	(i) Recurring upto Rs. 10000/- per year.
	(ii) Non-recurring Rs. 20000/- in an individual case.
(ii) Minister for Sports	Exceeding the amount specified under sub-rule 11 (i) above.

12. Drawal of the amount for grant-in-aid

The amount sanctioned under these rules shall be drawn by the Rajasthan State Sports Council. Jaipur and paid to the grantee, against proper receipt.

13. Conditions for sanction of financial assistance/grant-in-aid

No grant under these rules will be sanctioned unless the reeepient agrees to the following conditions and such other conditions as may be specifically imposed by the Sports Department Government of Rajasthan.

1. The Institution/Individual is not associated with or participating in the activities of RSS and Jamat-E-Islame.
2. The payment of grant of financial assistance to an institution/Individual will be subject to the proviso that the requisite budget provisions are sanctioned by the State Legislature.
3. That the amount will be utilised for the specific purpose for which it has been sanctioned.
4. That the accounts duly audited by Registered/Charatered Accountants or any other agency as may be agreed to by the State Government in the Sports Department will be submitted by the institution/Organisation within two months of the close of the financial year in which it has been sanctioned.
5. That Utilisation Certificate will be submitted, duly countersigned by the drawing and disbursing authority, to the sports Department, Government of Rajasthan within 3 months from the date of payment, or latest before the close of the financial year, unless the period has been specifically duly extended by the Government in the Sports Department.

6. An Individual will have to apply for grant/financial assistance to the Secretary to Government or the Minister, Sports Department, in the prescribed form giving details of expenditure, and a certificate for his participation in the event and his past performances.

7. That the accounts of the Institution shall remain open for inspection by Indian Audit Department or any other officer authorised by the Government of Rajasthan in this behalf.

8. That the unutilised amount, if any, will have to be refunded to the Sports Department, Government of Rajasthan, within a month of the submission of the Utilisation Certificate or before the close of the financial year in which the grant has been sanctioned, whichever is earlier.

9. That the Institution will have to apply for grant in the prescribed form to the Secretary or the Minister, Sports Department, Government of Rajasthan will in advance before organising the competition/Tournament/function etc.

10. The Institution will submit the following documents along with the Application in the prescribed form for securing the financial assistance/grant-in-aid.

    (i) A copy of the Constitution of the organisation with the latest names of the office-bearers of the Institutions/Organisation/Club etc.

    (ii) Copy of Registration Certificate.

    (iii) A statement of activities of the past 3 years.

    (iv) Statement of Income & expenditure for the last three years.

    (v) Estimates of income and expenditure for the purpose for which the assistance has been applied for.

    (vi) A note on current year's programme with estimated expenditure of each programme.

11. Non-recurring grant for construction of Stadiums, Building/Repairs etc. will only be sanctioned on the basis of estimates.

12. Any other condition which the State Government may impose.

14. **Disqualification:**

An institution/individual who has failed to comply with any

of the condition of grant or misutilised the amount sanctioned by the Government may not be sanctioned any grant in future under these rules, unless the reasons for failure have been explained to the satisfaction of the sanctioning authority.

In case where the grant has been received from Sports Department/GAD or any other Department/Agency for the same period and the same activity, the question of sanctioning further grant from the Sports Department will be considered on the merits of each case.

15. Exemption—

Government may relax, any of the conditions of grant under these rules in any individual case.

This issues with the approval of F. D. (Exp-I) vide their I. D. No. 2126 FD/(Exp-I) dated 26-5-86.

By order
(P. S. Choudhri)
Dy. Secretary to the Govt.

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची

नागौर जिले के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	व्याख्याता		व. अ.		अध्यापक	कब से रिक्त
		विषय	संख्या	विषय	संख्या	संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रा.सी.उ.मा.वि., नावा	हिन्दी	1	–	–	–	1-9-92
		इतिहास	1	–	–	–	13-10-91
		भौतिक	1	–	–	–	2-8-89
2.	,, परबतर	हिन्दी	1	–	–	–	9-12-92
		इतिहास	1	–	–	–	17-12-93
3.	,, जावला	हिन्दी	1	–	–	–	4-92
		ना.शा.	1	–	–	–	4-92
		इतिहास	1	–	–	–	6-2-93
		अंग्रेजी	1	–	–	–	12-92
4.	,, कुकनवाली	हिन्दी	1	शा.शि.	1 1/93	–	6-93

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	रा.सी.उ.मा.वि., मारोठ	हिन्दी	1	–	–	–	7-93
		अंग्रेजी	1	–	–	–	8-93
		रा.वि.	1	शा.शि.	1 7-93	–	7-92
6.	,, मनाना	रा.वि.	1	–	–	–	7-92
		अंग्रेजी	1	–	–	–	7-93
7.	,, कुचामन	हिन्दी	2	–	–	–	7-92, 8-93
		भूगोल	1	–	–	–	8-93
		वाणिज्य	1	–	–	–	12-93
						(1-94)	
8.	,, पांवडिया	इतिहास	1	–	–	–	12-90
		ना.शा.	1	–	–	–	9-89
		अ.शा.	1	–	–	–	7-90
		अंग्रेजी	1	–	–	–	8-91
		रसायन	1	–	–	–	3-90
9.	,, कुचेरा	हिन्दी	1	–	–	–	8-93
		अंग्रेजी	2	–	–	–	7-92, 7-92

1	2	3	4	5	6	7	8
	रा.सी.उ.मा.वि., कुचेरा	ना.शा.	1	—	—	—	7-93
		भौतिक	1	—	—	—	12-93
10.	,, बलाय	इतिहास	1	—	—	—	11-91
		अ.शा.	1	—	—	—	11-91
		रा.शा.	1	—	—	—	11-91
11.	,, हरसौर	इतिहास	1	—	—	—	7-93
		रसायन	1	—	—	—	4-93
		उर्दू	1	—	—	—	4-89
12.	,, डेगाना	आशुलिपि	1	—	—	—	—
13.	,, रियाबड़ी	अ.शा.	1	—	—	—	7-90
		ई.ए.एफ.एम.	1	—	—	—	11-92
14.	,, सांजू	हिन्दी	2	—	—	—	7-93, 6-93
		इतिहास	1	—	—	—	3-92
		रा.वि.	1	—	—	—	8-92
15.	सी.उ.मा.वि. मेड़तासिटी	इतिहास	1	—	—	—	7-91

1	2	3	4	5	6	7	8
	सी.उ.मा.वि, मेड़तासिटी	अंग्रेजी	3	–	–	–	7-91, 9-91
		हिन्दी	1	जीव वि.	1 (1-94)	–	8-93
16.	,, मेड़तारोड	भूगोल	1	–	–	–	2-9-92
		रा.वि.	1	–	–	–	8-8-92
17.	,, मोलासर	हिन्दी	1	–	–	–	7-93
18.	,, डीडवाना	चित्रकला	1	–	–	–	—
		वाणिज्य	1	–	–	–	7-93
19.	,, लाडनूं	रसायन	1	–	–	–	8-93
20.	,, तोषीना	हिन्दी	3	शा.शि.	1 (7-93)	–	28-11-91 (3)
21.	,, निम्बीजोधा	ना.शा.	1	–	–	–	10-90
		अ.शा.	1	–	–	–	5-92
		हिन्दी	1	–	–	–	10-93
22.	,, छोटीखाटू	हिन्दी	2	–	–	–	9-90, 7-93
		भूगोल	1	–	–	–	7-89

1	2		3	4	5	6	7	8
	सी.उ.मा.वि.,	छोटीखाटू	भौतिक	1	–	–	–	8-92
23.	,,	जायल	हिन्दी	2	–	–	–	6-91, 7-93
			भूगोल	1	–	–	–	8-91
			राजस्थानी	1	–	–	–	7-93
			रसायन	1	सामा.	1 (1-94)	1 (8-93)	7-93
24.	,,	खींवसर	भौतिक	1	–	–	–	3-91
			जीव. वि.	1	–	–	–	7-93
			इतिहास	1	–	–	–	11-92
			ना.शा.	1	–	–	–	11-89
			अ.शा.	1	–	–	–	9-89
25.	,,	मूंडवा	अ.शा.	1	–	–	–	8-92
			शा.शि.	1	–	–	–	8-93
26.	,,	रिड़	इतिहास	1	–	–	–	11-89
			अ.शा.	1	–	–	–	5-90
			हिन्दी	1	–	–	–	7-93

1	2	3	4	5	6	7	8
	सी उ.मा.वि., रिड़	रसा.वि.	1	—	—	—	1-94
27.	,, नागौर	हिन्दी	3	—	—	—	7-91 (2) 9-93
		रसायन	1	—	—	—	7-91
		इतिहास	1	—	—	—	7-91
		अ.शा.	1	—	—	—	10-91
		ना.शा.	2	—	—	—	7-91, 7-92
		जीव. वि.	1	—	—	—	7-91
28.	रा.बा.उ.मा.वि., सांगोर	ना.शा.	1	—	—	—	9-91
		व्या.शि.	3	—	—	—	7-90 (2) 8-92
		अ.शा.	1	—	—	—	7-90
		संगीत	1	—	—	—	8-91
		चित्रकला	1	—	—	—	11-92
		भौतिक	1	—	—	—	11-92
		गणित	1	—	—	—	7-93
		वाणिज्य	1	—	—	—	8-93
29.	,, डीडवाना	हिन्दी	1	—	—	—	3-93

1	2	3	4	5	6	7	8
	रा.बा उ.मा वि., डीडवाना	अंग्रेजी	1	–	–	–	3-93
		ना.शा.	1	–	–	–	3-93
		गृह वि.	1	–	–	–	3-93
		चित्रकला	1	शा.शि.	1 (7-93)	—	3-93
30.	,, लाडनूं	हिन्दी	2	—	—	—	3-92 (2)
		ना शा.	1	—	—	—	3-92
		गृह वि.	1	—	—	—	3-92
31.	रा.बा.उ मा वि., कुचामन	हिन्दी	1	—	—	—	7-92
32.	रा.सी.उ.मा.वि., मकराना	—	—	जीव.	1 (10-93)	—	—
33.	रा.मा.वि., निमड़ीकला	—	—	जीव.	1 (8-93)	—	—
34.	,, रताऊ	—	—	जीव.	1 (7-91)	—	—

1	2		3	4	5	6	7	8
35.	रा.मा.वि.	बेरीजतनपुरा	—	—	गणित	1 (9-93)	—	—
36.	,,	हुरनावां	—	—	गणित	1 (12-93)	—	—
	..		—	—	अंग्रेजी	1 (12-93)	—	—
37.	,,	जानेवा	—	—	अंग्रेजी	1 (7-90)	—	—
38.	,,	बेराथलकलां	—	—	सामा.	1 (5-93)	—	—
39.	,,	भेड़	—	—	सामा.	1 (7-93)	—	—
40.	,,	थावला	—	—	सामा.	1 (12-93)	—	—
41.	,,	डेह	—	—	सामा.	1 (10-93)	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	रा, मां. वि., शिव	—	—	अंग्रेजी	1 (12-93)	—	—
43.	,, करनु	—	—	सामा.	1 (7-93)	—	—
44.	,, भड़	—	—	सामा.	1 (7-93)	—	—
45.	,, गवाबड़ी	—	—	सामा.	1 (7-93)	—	—
46.	,, संथेरन	—	—	सामा.	1 (7-93)	—	—
47.	रा बा.मा.वि., मेड़ता	—	—	सामा.	1 (12-93)	1 (12-93)	—
48.	,, नागौर	—	—	—	—	3 (2-94)	—
49.	,, कुचामन	—	—	—	—	1	9-93 शा.शि.
50.	,, कोलिया	—	—	—	—	1	9-93 शा.शि.

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	रा.बा.उ.प्रा.वि., मेड़ता	—	—	—	—	1	12-93 सामा.
52.	रा. मा. वि., भड़	—	—	—	—	2	10-93, 1-94 सामा.
53.	,, बिखरानिया	—	—	—	—	1	1-94 सामा.
54.	,, डांगावास	—	—	—	—	1	1-94 सामा.
55.	,, पीलवा	—	—	—	—	1	8-93 सामा.
56.	रा. उ. प्रा. वि., बरणगांव	—	—	—	—	1	7-93 ,,
57.	,, नारवाकला	—	—	—	—	1	7-93 ,,
58.	,, विश्नोईयों की ढाणी	—	—	—	—	1	7-93 ,,
59.	,, सांठोकाखुर्द	—	—	—	—	1	7-93 ,,
60.	,, बाड़वा	—	—	—	—	1	6-93 ,,
61.	,, रोहिणा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
62.	,, ढेहरी	—	—	—	—	1	7-93 ,,
63.	,, जालसूकला	—	—	—	—	1	7-93 ,,
64.	,, हिरणी ढाणी	—	—	—	—	1	7-93 ,,
65.	,, कुचेरा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
66.	,, धुन्धियाड़ी	—	—	—	—	1	7-93 ,,

215

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	रा. उ. प्रा. वि.नं. 2 नागौर	—	—	—	—	1	7-93 सामा.
68.	,, नं 5 नागौर	—	—	—	—	1	7-93 ,,
69.	,, बालिया	—	—	—	—	1	7-93 ,,
70.	,, बीडवा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
71.	,, सूपका	—	—	—	—	1	7-93 ,,
72.	,, मंडुकरा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
73.	,, मालगांव	—	—	—	—	1	7-93 ,,
74.	,, मालपुरा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
75.	,, तवरा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
76.	,, नं. 1 डीडवाना	—	—	—	—	1	7-93 ,,
77.	,, नं. 3 डीडवाना	—	—	—	—	1	7-93 ,,
78.	,, नं. 4 डीडवाना	—	—	—	—	1	7-93 ,,
79.	,, सबलपुर	—	—	—	—	1	7-93 ,,
80.	,, आसरवा	—	—	—	—	1	7-93 ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	रा. उ. प्रा. वि., लोरोल	—	—	—	—	1	7-93 सामा.
82.	,, मोडीचारणा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
83.	,, रायथलिया	—	—	—	—	1	7-93 ,,
84.	,, चिताई	—	—	—	—	1	7-93 ,,
85.	,, मायापुर	—	—	—	—	1	7-93 ,,
86.	,, कणी	—	—	—	—	1	7-93 ,,
87.	,, पलाड़ा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
88.	,, कमेडिया	—	—	—	—	1	7-93 ,,
89.	,, आलपपुरा	—	—	—	—	1	7-93 ,,
	योग		108		23		48

(218)

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का विवरण

पंचायत समिति क्षेत्र डीडवाना और लाडनूं से प्रति वर्ष हुई आय का विवरण

वर्ष	पंचायत समिति डीडवाना	पंचायत समिति लाडनूं	(लाखों में) कुल योग
1977-78	5.37)	1.86)	7.23
1978-79	-)	)	
1979-80	4.32	1.86	6.18
1980-81	4.41	1.66	6.07
1981-82	6.84	2.26	9.10
1982-83	6.73	2.35	9.08
1983-84	5.26	2.25	7.51
1984-85	6.90	2.35	9.25
1985-86	8.81	3.52	12.33
1986-87	10.18	3.88	14.06
1987-88	10.04	3.59	13.63
1988-89	14.41	3.83	18.24
1989-90	20.34	4.97	25.31
1990-91	17.14	4.87	22.01
1991-92	24.70	6.72	31.42
1992-93	21.75	4.83	26.57
1993-94	24.93	4.65	29.58
योग	192.13	55.45	247.58

परिशिष्ट 'ब'

कृषि उपज मण्डी समिति डीडवाना में पंचायत समितिवार सड़कों पर किये गये व्यय का विवरण

क्र.सं. 1	सम्पर्क सड़क का नाम 2	दूरी (कि.मी.) 3	व्यय (लाखों में) 4
पंचायत समिति लाडनूं			
1.	सम्पर्क सड़क निम्बी से टोकी	5.00	5.02
2.	सम्पर्क सड़क लाडनूं से सुनारी	2.00	1.82
3.	सम्पर्क सड़क पाडेला	1.30	1.69
4.	जसवन्तगढ से कुसूंगी	3.00	5.93
	योग	11.30	15.46
पंचायत समिति डीडवाना			
1.	सम्पर्क सड़क बस स्टेण्ड से छापरी खुर्द	1.75	3.00
2.	,, गावडी से तोषिना	3.00	1.33
3.	,, खोजास से गावडी	1.50	0.78
4.	,, छोटी खाटू से डीडवाना	3.00	4.04
5.	,, छोटी खाटू से बडावरा	1.80	5.42
6.	,, बेरी बनवासा से जतनपुरा	4.50	4.55
7.	,, कुनकुना से खरेश	4.50	2.38
8.	,, निबोद से बांसा	3.00	7.66
9.	,, छोटीखाटू से राणीगांव से पावा	3.00	4.99
10.	,, खरेश से खोजास	4.50	6.47
11.	,, रामसाबास से खातियाबास	2.50	5.98
12.	,, खुनखुना से साईनायां	2.00	5.43
13.	,, बोलपुरा से ननावटा	1.30	3.02
14.	,, नागौर डीडवाना रोड से भण्डारी	2.00	4.78

1	2	3	4
15.	सम्पर्क सड़क खाडिया मंदिर से रामाबास	2.00	3.71
16.	,, सूबका रोड से खातियाबास	1.50	2.53
17.	,, डीडवाना रोड से खेचियाबसनी	1.50	0.86
18.	,, नूवा से पायली	3.50	7.43
19.	,, सुदर्शन से कायमसर	1.50	3.29
20.	,, मोलासर घमकोली से बावड़ी	3.00	7.32
21.	,, छोटी छापरी से सरदारपुरा	1.50	2.21
22.	,, रामसाबास खोतियासोनो से लाडावास	1.00	2.16
23.	,, खुनखुना से साईना (विस्तार)	1.00	2.60
24.	,, छोटी छापरी से सरदारपुरा (विस्तार)	1.00	0.47
	योग	55.85	92.81
	कुल योग	67.15	108.27

परिशिष्ट 'स'

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

निदेशक,
कृषि विपणन विभाग
राज. जयपुर।

क्रमांक प.13(17)कृषि/ग्रुप-2/93 जयपुर, दिनांक 1.6.93

विषय – नवीन सम्पर्क सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया राज्य स्तर पर मण्डियों द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के निर्माण के लिये तय की गई प्राथमिकता का अवलोकन करें।

आठवीं योजना के मास्टर प्लान की अनुमोदित सड़कों के बन जाने के पश्चात शेष बची राशि में से सड़कें बनाये जाने की निम्न प्राथमिकता तय की गई है :—

1. दो किलोमीटर की "मिसिंग लिंक" यदि इन दो किलोमीटर के पश्चात कोई गांव लगता हो।

2. पूर्व में निर्मित सड़कों के रख-रखाव अथवा सी.डी. (CD) कार्य जिनकी कीमत दो लाख रुपये तक की है।

3. ऐसे पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क जिनकी आबादी 1981 की जनसंख्या के आधार पर 1000 से अधिक है।

4. अन्य बचे हुए पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें जो अब तक सम्पर्क सड़क से नहीं जुड़े हैं।

अतः कृपया समस्त मण्डी समितियों को इस दृष्टि से एक प्राथमिकता प्लान शीघ्र बनवाने का कष्ट करें, ताकि भविष्य में जो भी प्रस्ताव सड़क निर्माण का राज्य सरकार को प्राप्त हो व इसी प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित किया जावे।

आपके द्वारा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार को अवगत करावें।

भवदीय,
ह०
(रमेश कुमार जैन)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट 'ब'

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2बी) विभाग

क्रमांक : प. 15(1)कृषि/2बी/87 II जयपुर, दिनांक 21.12.1988

निदेशक,
कृषि विपणन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन सम्पर्क सड़कों की लम्बाई 1 किलोमीटर तक कम या ज्यादा करने का अधिकार निदेशक, कृषि विपणन विभाग को दिये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, द्वारा राज्य सरकार को नवीन

सम्पर्क सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त यदा-कदा बोर्ड के सामने यह कठिनाई आ जाती है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन सम्पर्क सड़क की लम्बाई स्वीकृत लम्बाई से कम या ज्यादा हो गई है, चूंकि सड़कों की लम्बाई अनुमानित मान कर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

अतः इस कठिनाई से बचने के लिए निर्देशानुसार निदेशक, कृषि विपणन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह निर्णय लेती है कि भविष्य में स्वीकृत नवीन सम्पर्क सड़कों के निर्माण में 1 किलोमीटर तक सड़क की लम्बाई कम या ज्यादा किये जाने पर निदेशक, कृषि विपणन विभाग द्वारा निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान कर दी जावे :

1. केवल नवीन सम्पर्क सड़कों की ही लम्बाई 1 किलो मीटर तक कम या ज्यादा की जावेगी।
2. नवीन सम्पर्क सड़कों की लम्बाई कम या ज्यादा करने से पूर्व यह भी देखा जावेगा कि सम्बन्धित मण्डी समिति के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध है।
3. स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त राज्य सरकार को भी अवगत करवाया जावेगा।

भवदीय,
ह०
(गुलाबचन्द करोड़ीवाल)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

नेशनल वाटर शेड बम्बूली में बून्दी एवं टोंक जिलों के सम्मिलित गांवों एवं भूमि का विवरण :-

जिला.	नेशनल वाटरशेड में सम्मिलित गांव का नाम	सम्मिलित गांव की भूमि जो वाटरशेड में है।
बून्दी	1. नैनवा	41 हैक्टर
	2. कासपुरिया	224 "
	3. गम्भीरी	26 "
	4. छोटी पड़ाव	28 "
	5. बम्बूली	25 "
	6. रजलावता	146 "
	7. माधपुरा	148 "
	8. अरनिया	83 "
	9. गम्भीरा	5 "
	योग बून्दी	726 हैक्टर
टोंक	10. समरावता	600 हैक्टर
	11. कचरावता	615 "
	योग टोंक	1215 हैक्टर
	कुल योग	1941 हैक्टर

(224)

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 की सूची

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

राजस्थान में कार्यरत जिला एवं सत्र न्यायालयों की सूची।

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	मुख्यालय
1.	अजमेर	अजमेर
2.	अलवर	अलवर
3.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
4.	बाड़मेर	बालोतरा
5.	बारां	बारां
6.	भरतपुर	भरतपुर
7.	भीलवाड़ा	भीलवाडा
8.	बीकानेर	बीकानेर
9.	बून्दी	बून्दी
10.	चूरू	चूरू
11.	दौसा	दौसा
12.	डूंगरपुर	डूंगरपुर
13.	धौलपुर	धौलपुर
14.	श्री गंगानगर	श्री गंगानगर
15.	जयपुर सिटी	जयपुर सिटी
16.	जयपुर जिला	जयपुर जिला
17.	जैसलमेर	जैसलमेर
18.	जालौर	जालौर
19.	झालावाड़	झालावाड़
20.	जोधपुर	जोधपुर
21.	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं

1	2	3
22.	कोटा	कोटा
23.	नागौर	मेड़ता
24.	पाली	पाली
25.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़
26.	राजसमन्द	राजसमन्द
27.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
28.	सीकर	सीकर
29.	सिरोही	सिरोही
30.	टोंक	टोंक
31.	उदयपुर	उदयपुर

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

राजस्थान राज्य में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों की सूची ।

क्र.सं.	न्यायालय का नाम एवं मुख्यालय	जिले का नाम
1.	एस.डी.एम. संख्या 1. अजमेर	अजमेर
2.	,, 2. अजमेर	अजमेर
3.	ब्यावर	अजमेर
4.	किशनगढ़	अजमेर
5.	संख्या 1. अलवर	अलवर
6.	,, 2. अलवर	अलवर
7.	बहरोड़	अलवर
8.	राजगढ़	अलवर
9.	किशनगढ़बास	अलवर

226

1	2	3
10.	बाड़मेर	बाड़मेर
11.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
12.	संख्या 1. भरतपुर	भरतपुर
13.	संख्या 2. भरतपुर	भरतपुर
14.	बयाना	भरतपुर
15.	डीग	भरतपुर
16.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
17.	बीकानेर	बीकानेर
18.	बून्दी	बून्दी
19.	चूरू	चूरू
20.	रजनगढ़	चूरू
21.	धौलपुर	धौलपुर
22.	संख्या-1. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
23.	संख्या-2. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
24.	नोहर	श्रीगंगानगर
25.	रायसिंहनगर	श्रीगंगानगर
26.	संख्या-1. हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर
27.	संख्या-2. हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर
28.	संख्या-1. जयपुर सिटी	जयपुर
29	संख्या-2. जयपुर सिटी	जयपुर
30.	संख्या-3 जयपुर सिटी	जयपुर
31.	संख्या-4. जयपुर सिटी	जयपुर
32.	संख्या-5. जयपुर सिटी	जयपुर
33.	संख्या-6. जयपुर सिटी	जयपुर
34.	संख्या-7. जयपुर सिटी	जयपुर
35.	जयपुर जिला	जयपुर
36.	सांभरलेक	जयपुर

1	2	3
37.	कोटपूतली	जयपुर
38.	झालावाड़	झालावाड़
39.	संख्या-1. जोधपुर	जोधपुर
40.	संख्या-2. जोधपुर	जोधपुर
41.	संख्या-3. जोधपुर	जोधपुर
42.	फलोदी	जोधपुर
43.	खेतड़ी-झुन्झनू	झुन्झनू
44.	संख्या-1. कोटा	कोटा
45.	संख्या-2. कोटा	कोटा
46.	संख्या-3. कोटा	कोटा
47.	बारां	बारां
48.	छबड़ा	बारां
49.	नागौर	नागौर
50.	सोजत	पाली
51.	बाली	पाली
52.	संख्या-1. चित्तौड़गढ	चित्तौड़गढ़
53.	संख्या-2. चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
54.	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़
55.	गंगापुर सिटी	स. माधोपुर
56.	हिण्डौन	स. माधोपुर
57.	नीमका-थाना	सीकर
58.	सीकर	सीकर
59.	मालपुरा-टौंक	टौंक
60.	संख्या-1. उदयपुर	उदयपुर
61.	संख्या-2. उदयपुर	उदयपुर